SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

2026 का प्रतिवेदन संख्या 2

(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

2026 का प्रतिवेदन संख्या 2

(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

अनुक्रमणिका

विषय-वस्तु	परिच्छेद	पृष्ठ सं
अनुक्रमणिका		i-iv
प्रस्तावना		v-viii
कार्यकारी सारांश		ix-x
अध्याय I: राज्य के वित्त का विहंगावलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य की जनसांख्यिकी स्थिति	1.1.1	1
राज्य की अर्थव्यवस्था	1.1.2	2
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.2.1	2
सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2.2	4
वित्त का स्नैपशॉट	1.1.3	5
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	1.1.4	6
सरकार की परिसंपत्ति एवं देयताओं का स्नैपशॉट	1.1.5	7
राज्य की समेकित निधि	1.2	8
राजस्व प्राप्तियां	1.2.1	8
पूंजीगत प्राप्तियां	1.2.2	22
वित्त आयोग के प्राक्कलन एवं वास्तविक	1.2.3	23
व्यय	1.2.4	24
राजस्व व्यय	1.2.4.1	26
पूंजीगत व्यय	1.2.4.2	33
लोक लेखा	1.3	43
निवल लोक लेखा शेष	1.3.1	43
आरक्षित निधियां	1.3.2	44
नकद शेष	1.3.3	45
राजकोषीय धारणीयता	1.4	46
लोक देयता प्रबंधन	1.4.1	47
देयता रूपरेखा: घटक	1.4.1.1	49
उधार ली गई निधियों का उपयोग	1.4.1.2	51
ऋण रुपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान	1.4.1.3	52
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न	1.4.1.4	53
लेखापरीक्षा पश्चात् घाटा संकेतक	1.4.2	53

विषय-वस्तु	*परिच्छेद*	*पृष्ठ सं*
ऋण धारणीयता विश्लेषण	1.4.3	57
गारंटी - आकस्मिक देयताओं की स्थिति	1.4.4	61
राजकोषीय धारणीयता के मार्ग	1.4.5	61
राज्य के राजस्व में सुधार	1.4.5.1	62
व्यय पक्ष के मुद्दे	1.4.5.2	64
निष्कर्ष	1.5	66
अनुशंसाएं	1.6	67
अध्याय II: बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	2.1	69
बजट प्राक्कलन तथा अपेक्षा व वास्तविक के मध्य का अंतर	2.2	69
बजटीय प्रावधानों एवं व्यय का घटक/अदायगी-वार विश्लेषण	2.2.1	71
बजट संघटन आउटटर्न	2.3	72
विनियोजन लेखे	2.4	73
बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया	2.5	74
विधिक प्राधिकार के बिना किया गया व्यय	2.5.1	74
व्यय आधिक्य एवं इसका विनियमन	2.5.2	74
अनावश्यक सिद्ध हुए अनुपूरक अनुदान	2.5.3	77
निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन	2.5.4	78
अव्ययित राशि व अभ्यर्पित विनियोजन एवं बड़ी बचत/अभ्यर्पण	2.5.5	80
स्कीमों में बजट प्रावधान एवं वास्तविक वित्तपोषण	2.5.6	81
त्रैमासिक व्यय सीमा का पालन न करना	2.5.7	82
राज्य की चयनित केंद्र प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन	2.6	84
एकल नोडल एजेंसी	2.6.1	91
एकल नोडल एजेंसी - स्पर्श	2.6.2	93
चयनित अनुदानों की विस्तृत समीक्षा में देखे गए अन्य मुद्दे	2.6.3	93
निष्कर्ष	2.7	98
अनुशंसाएं	2.8	98
अध्याय III: वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं		
राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से बजट से इतर उधार	3.1	101
सरकार की अप्रदत्त देयताएं	3.2	101

विषय-वस्तु	परिच्छेद	पृष्ठ सं
संग्रहित उपकर का सरकारी खाते में प्रेषण न होना एवं अल्प-हस्तांतरण	3.2.1	101
अप्रदत्त ब्याज देयताएं	3.2.2	104
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	3.2.3	104
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का अंतरण न करना	3.2.4	105
स्थानीय निकायों को उपकर का अंतरण न करना	3.2.5	106
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि	3.2.6	106
प्रतिदाय के लंबित मामले	3.2.7	106
सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत संग्रहित अर्थदंड सरकारी खाते (गृह विभाग) के बाहर अनधिकृत रूप से रखना एवं उसका उपयोग	3.2.8	107
उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.3	110
व्यक्तिगत निक्षेप लेखे	3.4	111
(अ) लघु शीर्ष-800 का संचालन (ब) व्यय के मानक उद्देश्य-20 (अन्य प्रभार) के अत्यधिक उपयोग के कारण लेखांकन में अपारदर्शिता	3.5	112
मुख्य उचंत एवं ऋण, निक्षेप व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	3.6	114
विभागीय आंकड़ों का मिलान	3.7	115
नकद शेष का मिलान	3.8	117
मंडलाधिकारियों के पास रखी अव्ययित राशि	3.9	117
लेखांकन मानकों का अनुपालन	3.10	117
स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	3.11	118
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि	3.12	119
राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.13	120
निष्कर्ष	3.14	121
अनुशंसाएं	3.15	122

परिशिष्ट	*परिशिष्ट सं*	*पृष्ठ सं*
राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	1.1	125
वर्ष 2024-25 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरण का सार	1.2	129
31 मार्च 2025 तक परिसंपत्तियों एवं देयता का सार	1.3	132
बजट प्रावधान के बिना व्यय या पुनर्विनियोजन	2.1	134
अनावश्यक सिद्ध हुए अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) के मामले	2.2	135
अत्यधिक सिद्ध हुए अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) के मामले	2.3	136
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निधियों का अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.4	139
वर्ष 2024-25 के दौरान अभ्यर्पण के बाद बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान	2.5	141
वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निरंतर बचतों वाले अनुदान (₹ 100 करोड़ से अधिक)	2.6	142
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बजट एवं बचत के उपयोग का अनुदान-वार प्रतिशत	2.7	143
अभ्यर्पित न की गई बचतें	2.8	145
बिना व्यय वाली स्कीमें	2.9	150
संशोधित परिव्यय में पूर्ण बजट राशि वापस कर दी जाने वाली स्कीमें	2.10	151
उप-शीर्ष (₹ एक करोड़ से ज्यादा) जहां संपूर्ण व्यय 2025 के मार्च माह में किया गया	2.11	152
2024-25 के दौरान सभी मुख्य शीर्षों के लिए तिमाही-वार व्यय	2.12	157
30 दिनों से अधिक विलंबित हस्तांतरण पर ब्याज देयता	2.13	159
31 मार्च 2025 तक बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र	3.1	160
व्यय के मानक उद्देश्य - 20 के तहत बुक किया गया व्यय (अन्य प्रभार)	3.2	170
लंबित लेखाओं वाले स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों/संस्थानों की सूची	3.3	182

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करना तथा वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर राज्य विधायिका को आवश्यक सुझाव (इनपुट) प्रदान करना है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं।

अध्याय I - राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करने के साथ राज्य के वित्त का वृहद परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। इसमें घाटे/अधिशेष, ऋण रूपरेखा व प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों सहित प्रमुख सूचकांकों एवं राज्य की राजकोषीय स्थिति का वृहद राजकोषीय विश्लेषण समाविष्ट है।

अध्याय II - बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राज्य के विनियोजन लेखाओं पर आधारित है तथा राज्य सरकार के विनियोजनों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है, साथ ही बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से हुए विचलनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

अध्याय III - वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं

यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं की गुणवत्ता तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों एवं विनियमनों की अनुपालन-हीनता से सम्बंधित मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा व लेनदेन की लेखापरीक्षा के निष्कर्ष एवं सांविधिक निगमों, बोर्डों व सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियों से व्याप्त प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियों से व्याप्त प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के नियमानुसार राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य की विधायिका के समक्ष रखता है। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोषागारों, कार्यालयों एवं लेखाओं का संचालन करने वाले विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों एवं प्रारंभिक व सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वित्त लेखे व विनियोजन लेखे वार्षिक रूप से संकलित करते हैं। इन लेखाओं की प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है, जिसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

वर्ष 2024-25 हेतु राज्य के वित्त लेखे व विनियोजन लेखे इस राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य आंकड़े (कोर डेटा) हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2024-25 का राज्य बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं का आंकलन करने, बजट कार्यान्वयन की दक्षता एवं प्रासंगिक नियमों व निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए,
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम,
- विभागीय प्राधिकरणों एवं कोषागारों से प्राप्त अन्य विवरण (लेखांकन के साथ-साथ मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम),
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े एवं राज्य से सम्बन्धित अन्य सांख्यिकी,
- राज्य का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005,
- वित्त आयोग की संस्तुतियां,
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, तथा
- सर्वोत्तम प्रथाएं एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देश।

दिनांक 12.06.2024 को सचिव, वित्त, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ प्रथम बैठक संयुक्त रूप से आयोजित की गई, जिसमें राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने में अपनाए गए लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया। दिनांक 05.12.2025 को सचिव, वित्त के

साथ अंतिम बैठक आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार की प्रतिक्रियाओं को प्रतिवेदन में यथोचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

सरकारी लेखाओं की संरचना

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा गया है, जैसाकि नीचे विवर्णित है:

1. राज्य की समेकित निधियां (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार को प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त ऋण (बाजार ऋण, बांड, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों एवं राज्य सरकार को ऋणों की चुकौती से प्राप्त समस्त धनराशि सम्मिलित है। इस निधि से धनराशि नियमानुसार एवं किसी उद्देश्यार्थ तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त तरीके से ही विनियोजित की जा सकती है। व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों का वेतन, ऋण चुकौती, इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर प्रभारित होती है तथा उन पर विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधायिका की सम्मति आवश्यक होती है।

2. राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है, जिसे राज्य विधायिका ने कानून द्वारा स्थापित किया है तथा इसे राज्यपाल के अधीन रखा गया है ताकि राज्य विधायिका द्वारा व्यय का प्राधिकरण मिलने तक, ऐसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रदान किए जा सके। राज्य की समेकित निधि से सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष से व्यय को डेबिट करके इस निधि को पुनः प्राप्त किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में इस निधि की संचित राशि ₹ पांच करोड़ है।

3. राज्य का लोक लेखा (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त समस्त सार्वजनिक धन लोक लेखा में जमा होता है, जहां सरकार बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा में लघु बचतें व भविष्य निधि, निक्षेप (सब्याज व ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (सब्याज व ब्याज रहित), प्रेषण व उचंत शीर्ष (दोनों अस्थाई शीर्ष, जो अंतिम बुकिंग हेतु लम्बित है) जैसे वापस चुकाने वाले भुगतान समाविष्ट होते हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा हेतु विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती है।

सरकारी लेखाओं की संरचना

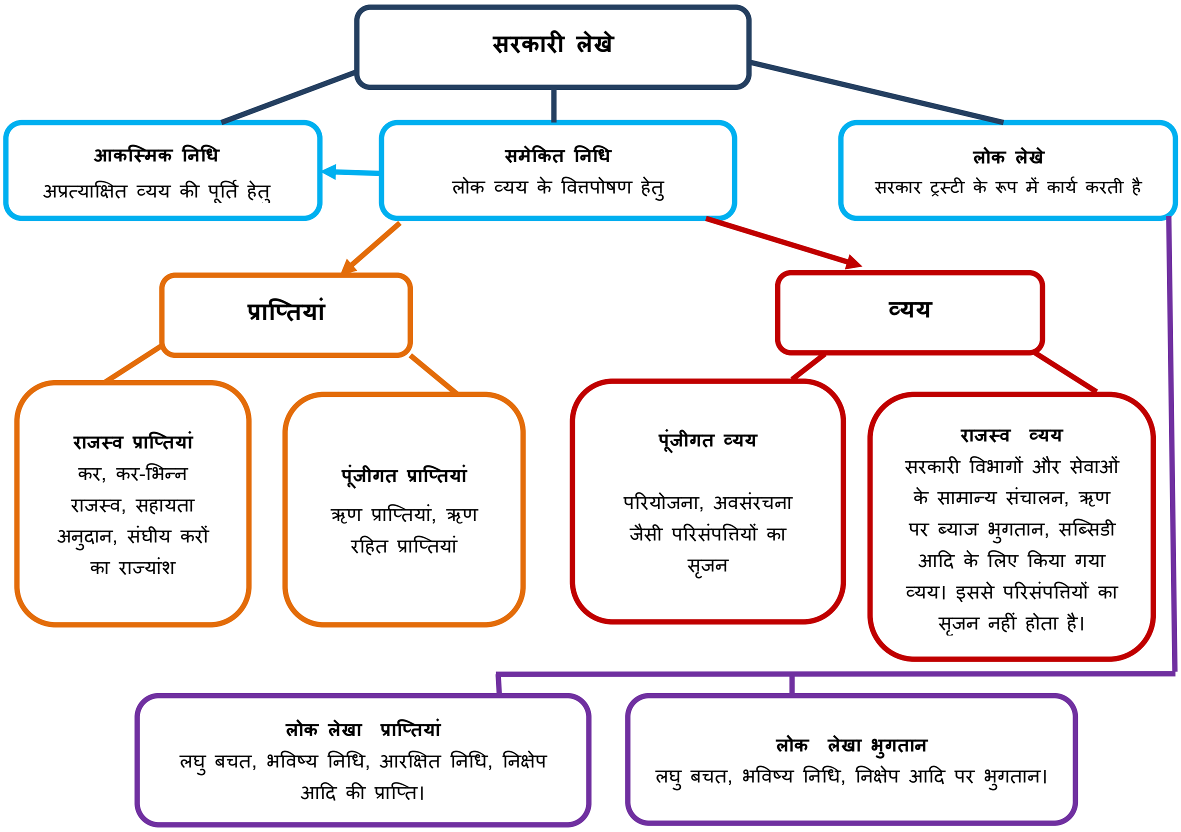

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त पर यह प्रतिवेदन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश की राजकोषीय स्थिति का स्वतंत्र आंकलन प्रस्तुत करता है। इसमें राज्य के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य का विश्लेषण एवं उसके राजस्व व व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, राज्य की ऋण प्रास्थिति व उधार लेने के पैटर्न का आंकलन, राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अनुपालन का मूल्यांकन तथा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांकों के सापेक्ष इसके प्रदर्शन की तुलना प्रस्तुत की गई है।

1. वृहद-राजकोषीय प्रदर्शन एवं राजस्व प्रवृत्तियां

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था में मध्यम वृद्धि प्रदर्शित हुई, जिसमें विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद ने 9.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का योगदान 0.70 प्रतिशत रहा। विगत पांच वर्षों में इस योगदान में गिरावट आई है, जो राज्य के लिए चिंता का विषय है।

हमने देखा कि उच्च कर संग्रह, विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा कर व केंद्रीय कर हस्तांतरण में वृद्धि के कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 4.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर-भिन्न राजस्व में 22.40 प्रतिशत की मामूली वृद्धि रही तथा केंद्र के अनुदानों में गिरावट आई। राज्य के स्व-राजस्व प्रदर्शन में सुधार हुआ है फिर भी केंद्रीय अनुदान सहायता पर बहुत अधिक निर्भरता बनी हुई है।

2. व्यय, घाटे एवं देयताएं

राज्य के व्यय में राजस्व व्यय की उच्च वृद्धि, विशेष रूप से प्रतिबद्ध लागत व सब्सिडी (राजस्व प्राप्तियों का 86 प्रतिशत) का प्रभुत्व था, जिससे पूंजीगत निवेश के लिए सीमित राजकोषीय विस्तार बचा। अकेली प्रतिबद्ध लागत ही राजस्व व्यय की 70 प्रतिशत थी। पूंजीगत व्यय अस्थिर बना रहा एवं बजट स्तर से नीचे रहा, जो अवसंरचना निवेश की बाधाओं को प्रतिबिम्बित करता है। सब्सिडी में हुई भारी वृद्धि, मुख्य रूप से विद्युत सब्सिडी व ऋण राहत उपायों के कारण हुई।

परिणामस्वरूप, राज्य उसके राजस्व घाटे (₹ 6,804.61 करोड़, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94 प्रतिशत) एवं राजकोषीय घाटे (₹ 12,611.05 करोड़, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.44 प्रतिशत) को राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित लक्ष्य सीमाओं के भीतर नहीं रख सका, जिससे राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत कम संभावना शेष रही। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया देयताएं 15वें वित्तायोग के लक्ष्यों व राज्य के बजट अनुमानों से बहुत अधिक रहीं, जिसे राज्य द्वारा दी गई गारंटी के माध्यम से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में देखे जाने की भी आवश्यकता

है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में सब्याज जमा/आरक्षित निधियों के अंतर्गत रखी शेष राशि के संबंध में चुकाई न गई देयताओं को भी आगे बढ़ा दिया।

3. बजटीय प्रबंधन एवं प्रतिवेदन के मुद्दे

लेखापरीक्षा ने उसके विभिन्न प्रतिवेदनों के माध्यम से पहले ही कर राजस्व बकाया की वसूली करने, कराधानों में अनुपालन जोखिमों को कम करने, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में किए गए पूंजीगत निवेश को पुनर्चक्रित करने एवं राजस्व वृद्धि के अनुरूप व्यय का युक्तिकरण करने में राज्य द्वारा किए जाने वाले बढ़ते प्रयासों को रेखांकित किया।

राजस्व/पूंजीगत, प्रभारित व दत्तमत प्रभागों में बड़े पैमाने पर बचत एवं आधिक्य राजकोषीय वर्ष के दौरान भी लगातार जारी रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में हुए व्यय आधिक्य को विधायिका द्वारा विनियमित कराना अपेक्षित है। उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब, जिनमें से मुख्य रूप से स्थानीय निकायों (शहरी विकास विभाग व पंचायती राज संस्थानों), विभागीय उपक्रमों व स्वायत्त निकायों के लंबित प्रोफार्मा लेखाओं एवं व्यय के मानक उद्देश्य 20 (अन्य प्रभार) के अत्यधिक उपयोग से भी चिंताएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता प्रभावित होती है। दुग्ध उपकर, पर्यावरण उपकर तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर जैसी निधियों को सरकारी खाते से इतर रखा गया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

प्रतिवेदन में केंद्र प्रायोजित स्कीमों में निधियों की बेहतर निगरानी (ट्रैकिंग) के लिए एकल नोडल एजेंसी एवं एसएनए-स्पर्श के कार्यान्वयन जैसे सकारात्मक कदमों को कलमबद्ध किया गया है। हालांकि इन प्रणालियों में पूर्ण रूप से स्थानांतरित होना लंबित है।

4. निष्कर्ष एवं परिदृश्य

बढ़ता हुआ ऋण भार, उच्च प्रतिबद्ध व्यय एवं सीमित पूंजीगत निवेश राजकोषीय धारणीयता को लेकर चिंताएं उत्पन्न करते हैं। दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए राजस्व संवर्धन, व्यय पर बेहतर नियंत्रण तथा संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। मुख्य शीर्ष 800 व व्यय के मानक उद्देश्य-20 (अन्य प्रभार) के अंतर्गत व्यय बुक करने में पारदर्शिता बढ़ाई जाए तथा समयबद्ध लेखांकन एवं रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए। अधिक विवेकपूर्ण बजट प्रावधान किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाए।

अध्याय-I
राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

अध्याय I: राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय जनसांख्यिकीय स्थिति, आर्थिक संकेतक एवं राज्य की राजकोषीय संरचना को समावेशित करते हुए वर्ष 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश के वित्त का आशुचित्र (स्नैपशॉट) प्रस्तुत करता है। इसमें राजस्व व व्यय, ऋण स्तर एवं राजकोषीय घाटों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है तथा निरंतर बनी रहने वाली असंतुलन की स्थिति एवं उधार पर निर्भरता को रेखांकित किया गया है। अध्याय में उच्च प्रतिबद्ध व्यय, निवेश पर कम प्रतिफल, आदि जैसे मुद्दों को भी चिह्नित किया गया है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश राज्य भारत के उत्तरी भाग के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई में समुद्र तल से 350 मीटर से 6,975 मीटर तक की भिन्नता है, जिससे जलवायु आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय से शुष्क शीतोष्ण पर्वतीय में परिवर्तित हो जाती है। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 17 वां (55,673 वर्ग किलोमीटर) सबसे बड़ा राज्य है। इसे 12 जिलों में व्यवस्थापित किया गया है। जिलों को आगे तीन मण्डलों, 83 उप-मण्डलों, 113 तहसील, 91 खण्डों एवं 20,752 बसे हुए गांवों (3 जुलाई 2025 तक) में विभाजित किया गया है। वर्ष 2025 तक इसकी जनसंख्या 75.42 लाख (भारत की कुल जनसंख्या का 0.53 %) थी तथा घनत्व 135 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यह प्रभाग राज्य की जनसांख्यिकी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राज्य की प्रति व्यक्ति आय का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

1.1.1 राज्य की जनसांख्यिकी स्थिति

राज्य के जनसांख्यिकीय विवरणों से राष्ट्रीय औसत की तुलना **तालिका 1.1** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.1: राज्य की जनसांख्यिकी स्थिति

जनसांख्यिकीय संकेतक	हिमाचल प्रदेश	राष्ट्रीय औसत
ग्रामीण जनसंख्या -2025 (प्रतिशत में) (भारत व राज्यों के लिए जनसंख्या पूर्वानुमान 2011-2036)	89.65	64.30
शहरी जनसंख्या -2025 (प्रतिशत में) (भारत व राज्यों के लिए जनसंख्या पूर्वानुमान 2011-2036)	10.35	35.70
जनसंख्या घनत्व-2025 (भारत व राज्यों के लिए जनसंख्या पूर्वानुमान 2011-2036)	135	430
प्रति 1,000 पुरुषों पर लिंगानुपात -2011 (भारत व राज्यों के लिए जनसंख्या पूर्वानुमान 2011-2036)	972	947
प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर-2023 (नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2025)	14	25
प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर -2023 (नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन- 2025)	अनुपलब्ध	5
कुल प्रजनन दर (प्रतिशत में) (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, 2019-21)	1.66	1.99
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (प्रतिशत में)	74.40	70.30

जनसांख्यिकीय संकेतक	**हिमाचल प्रदेश**	**राष्ट्रीय औसत**
(एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2019-23)		
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2019-21, नीति आयोग)	4.93	14.96
साक्षरता दर (प्रतिशत में) (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2023-24)	88.80	80.90

1.1.2 राज्य की अर्थव्यवस्था

सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

1.1.2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है, जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद[1] इसी का राज्य स्तर पर मापन करता है तथा दोनों आर्थिक विकास एवं समग्र प्रगति को प्रतिबिम्बित करते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद व सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां **तालिका 1.2** में दर्शाई गई हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद व सकल घरेलू उत्पाद की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि एवं सकल घरेलू उत्पाद में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान **चार्ट 1.1** में दिया गया है तथा देश व राज्य की प्रति व्यक्ति आय **चार्ट 1.2** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.2: सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां (चालू मूल्यों पर)

वर्ष	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में % वृद्धि)	1,98,54,096 (-1.24)	2,35,97,399 (18.85%)	2,68,90,473 (13.96%)	3,01,22,956 (12.02%)	3,30,68,145 (9.78%)
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (सांकेतिक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में % वृद्धि)	1,51,905 (-4.56%)	1,70,376 (12.16%)	1,92,026[स] (12.71%)	2,12,169[ब] (10.49%)	2,31,690[अ] (9.20%)
भारत की प्रति व्यक्ति आय (₹ में)	1,27,244	1,50,906	1,69,145	1,88,892	2,05,324
हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय (₹ में)	1,73,565	1,93,016	2,14,952	2,34,721	2,56,137

स्रोत: सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

स-द्वितीय संशोधित अनुमान, ब-प्रथम संशोधित अनुमान, अ-अग्रिम अनुमान

---

1 जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद): राज्य के उत्पादन का बाज़ार-मूल्य माप, जो जीएसवीए (सकल राज्य मूल्य वर्धित) + शुद्ध उत्पाद कर (उत्पाद कर - उत्पाद सब्सिडी) से व्युत्पन्न होता है।
जीएसवीए (सकल राज्य मूल्य वर्धित): राज्य के भीतर निवासी उत्पादकों द्वारा मूल कीमतों पर वर्धित मूल्य (उत्पादन - मध्यवर्ती खपत); जिसमें उत्पाद कर शामिल नहीं होते है तथा उत्पाद सब्सिडी शामिल होती है।

चार्ट 1.1: सकल घरेलू उत्पाद की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि व सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर

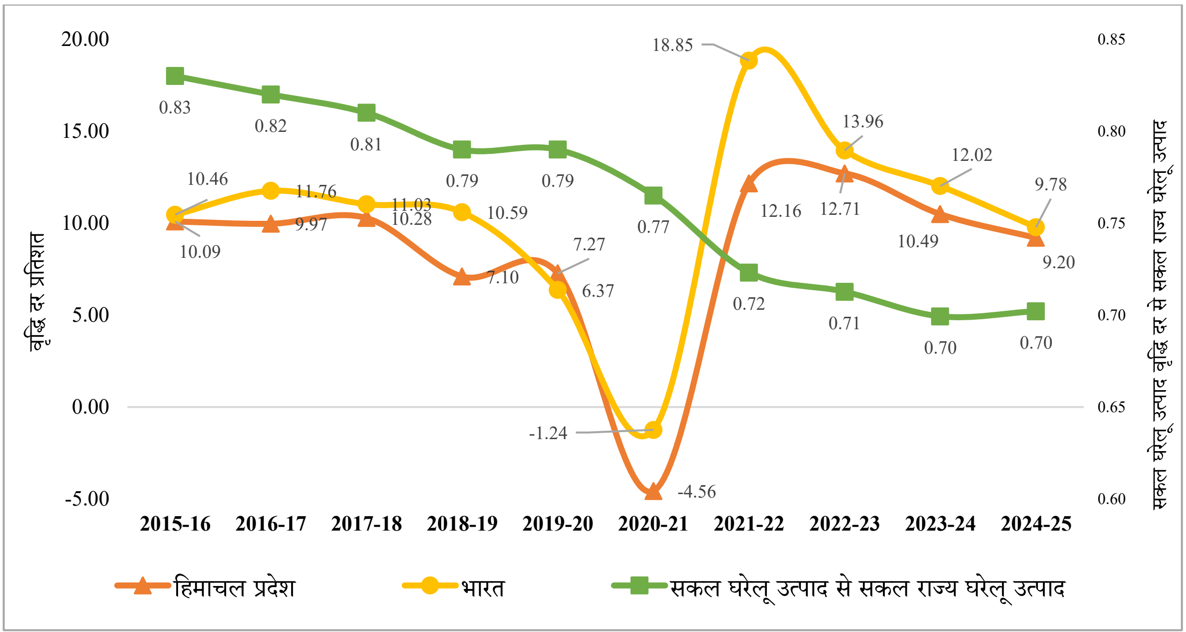

चार्ट 1.2: भारत एवं हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय

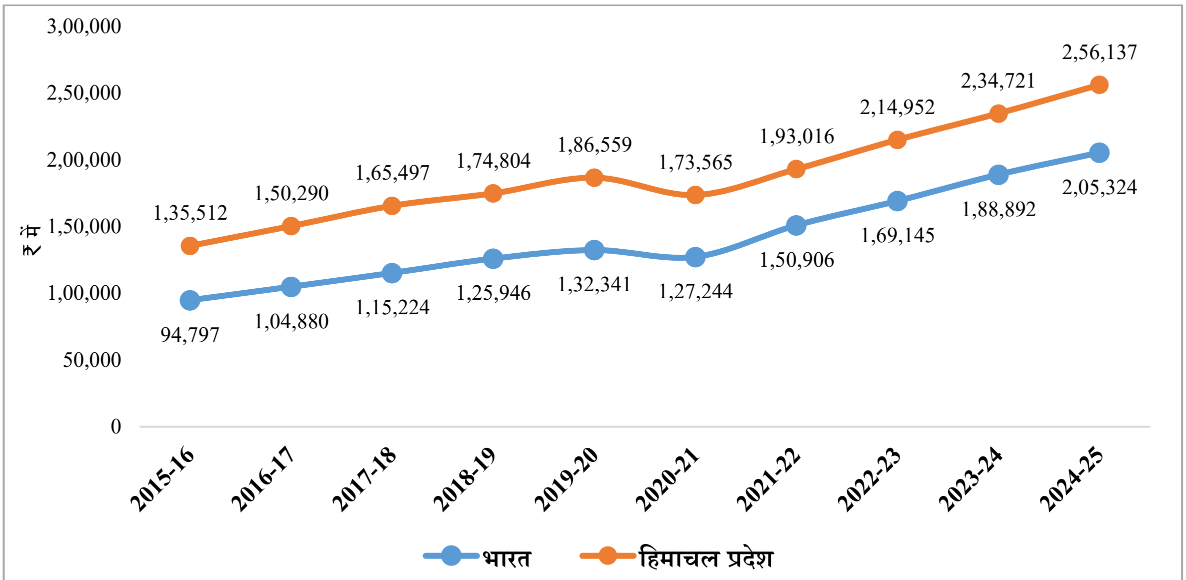

दोनों अर्थव्यवस्थाएं कोविड-19 के झटके से मजबूती से उबरीं, हालांकि हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक प्रभाव अधिक तीव्र रहा। भारत का वृद्धि पथ अधिक अस्थिर रहा–जिसमें वर्ष 2021-22 में 18.85 प्रतिशत की असाधारण वृद्धि दर्ज की गई–जबकि हिमाचल प्रदेश में अपेक्षाकृत स्थिर दोहरे अंकों की पुनर्प्राप्ति देखी गई। इस प्रदर्शन के बावजूद राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हिमाचल प्रदेश का योगदान 0.83 प्रतिशत से घटकर 0.70 प्रतिशत रह गया, जो अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में अपेक्षाकृत धीमे विस्तार को परिलक्षित करता है। अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगातार अधिक बनी रही। हालांकि, विगत दस वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 16.72 प्रतिशत रही, जो हिमाचल प्रदेश (13.58 प्रतिशत) से अधिक है, जो बताता

है कि यद्यपि प्रति व्यक्ति आधार पर हिमाचल प्रदेश अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध बना हुआ है तथापि हाल के वर्षों में राष्ट्रीय औसत तेजी से उसके निकट पंहुचा है।

1.1.2.2 सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय योगदान

अर्थव्यवस्था को तीन व्यापक क्षेत्रों यथा प्राथमिक; द्वितीयक एवं तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। इन क्षेत्रों की वृद्धि दर को मूल मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन के संदर्भ में मापा जाता है। मूल मूल्य को उत्पादक के मूल्य के रूप में समझा जा सकता है। इन क्षेत्रों के घटक हैं: (i) प्राथमिक क्षेत्र: इस क्षेत्र में फसलें; पशुपालन; वानिकी व लकड़ी; मत्स्य पालन; तथा खनन व उत्खनन जैसे उप-क्षेत्र शामिल हैं। (ii) द्वितीयक क्षेत्र: इस क्षेत्र में विनिर्माण; विद्युत, गैस, जलापूर्ति व अन्य उपयोगिता सेवाएं; और निर्माण जैसे उप-क्षेत्र शामिल हैं। (iii) तृतीयक क्षेत्र: इस क्षेत्र में व्यापार, होटल, परिवहन, संचार व प्रसारण, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट एवं पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाओं से संबंधित सेवाओं जैसे उप-क्षेत्र शामिल हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का क्षेत्रीय योगदान एवं विगत पांच वर्षों में सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय वृद्धि क्रमशः **चार्ट 1.3 व चार्ट 1.4** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.3: क्षेत्रीय योगदान 2024-25

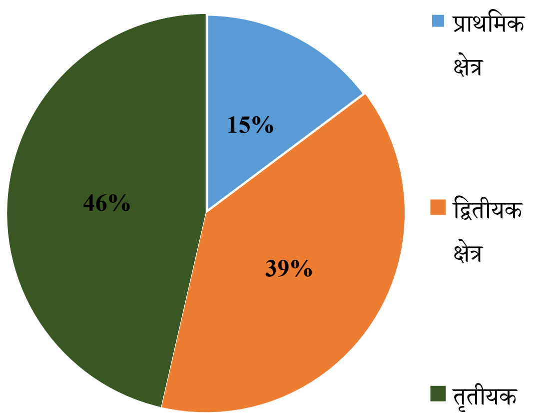

चार्ट 1.4: सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय वृद्धि

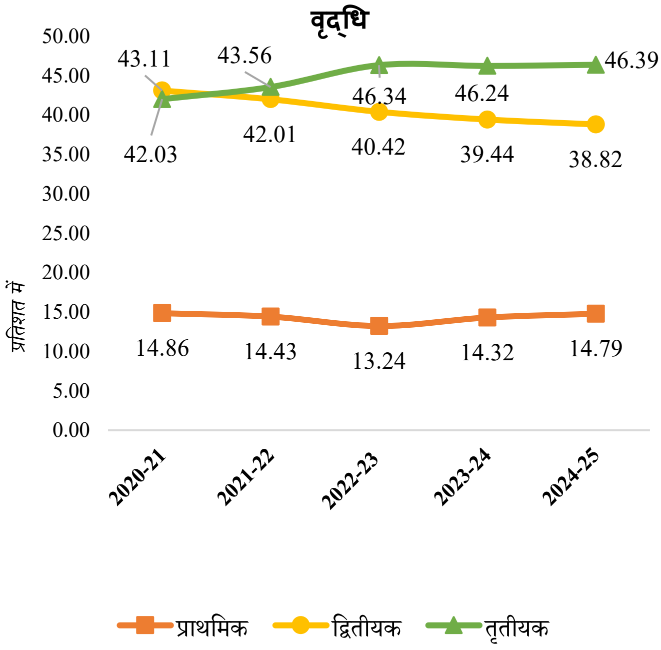

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र की संरचना को **चार्ट 1.5** इसके प्रमुख योगदानकर्ता खंडों के संदर्भ में दर्शाता है।

चार्ट 1.5: सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रीय वितरण, वित्त वर्ष 2024-25

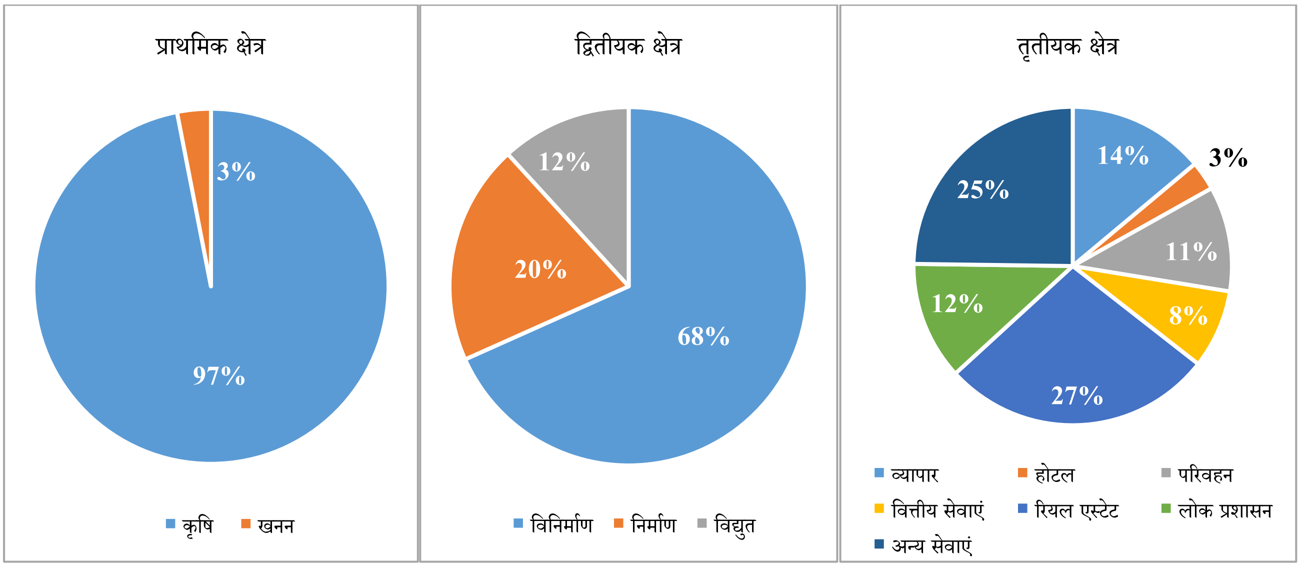

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रीय संघटन सेवाओं के नेतृत्व वाली वृद्धि की ओर एक निरंतर संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत देती है। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान तृतीयक क्षेत्र का अंश लगातार बढ़ा, जो 45 प्रतिशत से ऊपर बना रहा, जबकि द्वितीयक क्षेत्र का अंश क्रमशः घटता गया। प्राथमिक क्षेत्र का अंश लगभग 15 प्रतिशत के आसपास स्थिर रहा, जबकि इसमें लगभग 54 प्रतिशत कार्यबल नियोजित है, जो निरंतर बनी हुई उत्पादकता अंतर को दर्शाता है। विनिर्माण एवं विद्युत द्वितीयक क्षेत्र के आधार बने रहे, जबकि व्यापार, परिवहन, रियल एस्टेट व पेशेवर सेवाओं में वृद्धि ने तृतीयक क्षेत्र के विस्तार को गति दी। पांच वर्ष की अवधि में यह पैटर्न सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता के साथ एक स्थिर औद्योगिक आधार वाली परिपक्व आर्थिक संरचना को प्रतिबिम्बित करता है।

1.1.3 वित्त का स्नैपशॉट

तालिका 1.3 वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में वर्ष 2023-24 व 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.3: वित्त का स्नैपशॉट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संघटक	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से वास्तविक का प्रतिशत
1.	कर राजस्व (i+ii)	21,210.01	25,224.89	24,207.55	23,453.24	92.98	10.58
(i)	*स्व-कर राजस्व*	*11,835.29*	*15,116.68*	*13,526.31*	*12,772.00*	*84.49*	*5.51*
(ii)	*संघीय करों /शुल्कों का अंश*	*9,374.72*	*10,108.21*	*10,681.24*	*10,681.24*	*105.67*	*4.61*
2.	कर-भिन्न राजस्व	3,020.88	3,640.71	4,230.59	3,697.50	101.56	1.60
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	14,942.15	13,287.48	15,265.82	13,721.61	103.27	5.92

क्र. सं.	संघटक	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से वास्तविक का प्रतिशत
4.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**39,173.04**	**42,153.08**	**43,703.96**	**40,872.35**	**96.96**	**17.64**
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	27.40	27.55	28.78	184.64	670.20	0.08
6.	अन्य प्राप्तियां	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	निवल उधार व अन्य देयताएं*	11,265.73	8,780.00	9,483.47	12,611.05	143.63	5.44
8.	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)**	**11,295.33**	**8,807.55**	**9,512.25**	**12,795.69**	**145.28**	**5.52**
9.	**कुल प्राप्तियां (4+8)**	**50,468.37**	**50,960.63**	**53,216.21**	**53,668.04**	**105.31**	**23.16**
10.	राजस्व व्यय	44,731.63	46,666.63	50,189.79	47,676.96	102.16	20.58
11.	*ब्याज भुगतान#*	5,648.37	6,255.36	6,265.09	6,260.93	100.09	2.70
12.	पूंजीगत व्यय	5,629.79	6,269.68	8,766.69	5,956.83	95.01	2.57
13.	संवितरित ऋण व अग्रिम	106.95	28.19	185.72	34.25	121.50	0.01
14.	**कुल व्यय (10+12+13)**	**50,468.37**	**52,964.50**	**59,142.20**	**53,668.04**	**101.33**	**23.16**
15.	**राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (4-10)**	**-5,558.59**	**-4,513.55**	**-6,485.83**	**-6,804.61**	**150.76**	**-2.94**
16.	**राजकोषीय घाटा {(4+5+6)-14}**	**-11,265.73**	**-10,783.87**	**-15,409.46**	**-12,611.05**	**116.94**	**-5.44**
17.	**प्राथमिक घाटा (16-11)**	**-5,617.36**	**-4,528.51**	**-9,144.37**	**-6,350.12**	**140.23**	**-2.74**

स्रोतः वित्त लेखे

** उधार एवं अन्य देयताएंः निवल लोक ऋण (प्राप्तियां-संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियां-संवितरण) + निवल अथ व अंत नकद शेष।*

 # राजस्व व्यय में शामिल

राज्य सरकार ने स्व-कर राजस्व हेतु बजटीय प्रावधानों में आशावादी रुख अपनाया है, जबकि ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, निवल उधार व अन्य देयताओं तथा घाटों के संबंध में बजट बनाते समय वास्तविक की तुलना में सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए राज्य सरकार के वित्त का विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

1.1.4 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के स्रोतों के घटकों और निधियों के अनुप्रयोग की तुलना **चार्ट 1.6** में दी गई है।

चार्ट 1.6: वर्ष 2024-25 के दौरान स्रोतों एवं निधियों के अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

निधियों के स्रोत

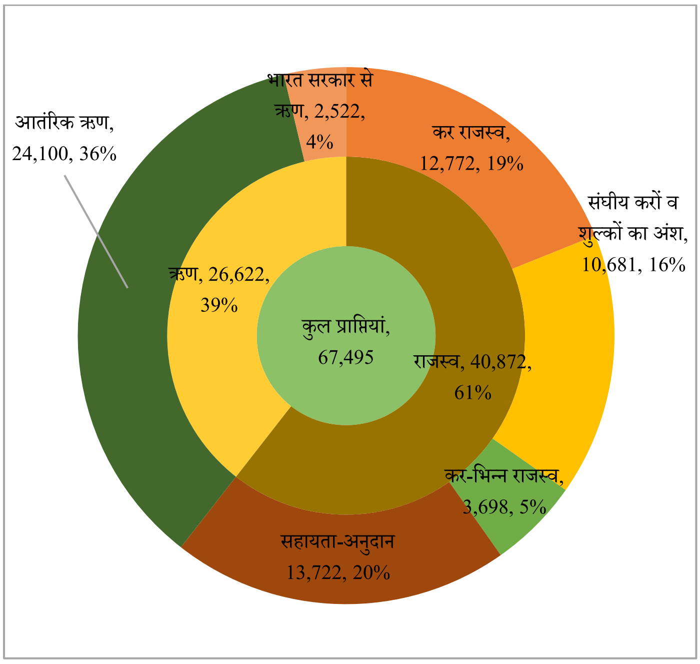

निधियों के अनुप्रयोग

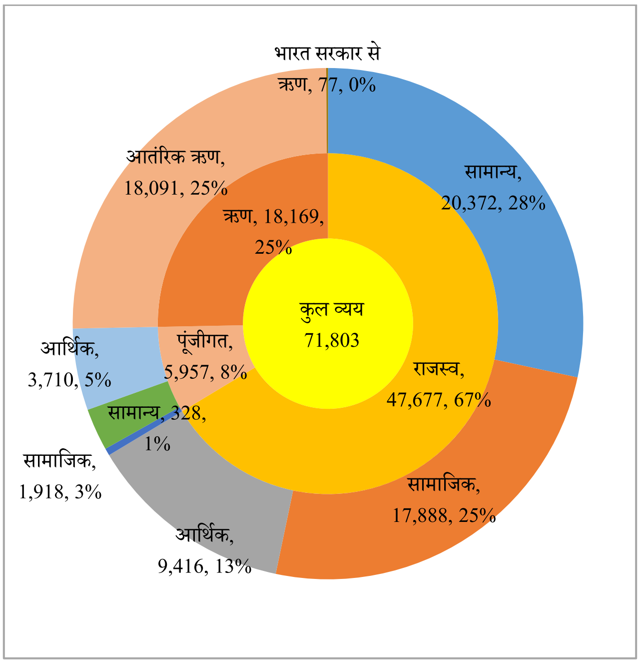

स्रोतः वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.2 में वर्तमान वर्ष के साथ-साथ विगत वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों व संवितरणों एवं समग्र राजकोषीय स्थिति का विवरण दिया गया है।

1.1.5 सरकार की परिसंपत्ति एवं देयताओं का स्नैपशॉट

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं एवं किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों का ब्यौरा रखते हैं। **परिशिष्ट 1.3** विगत वर्ष की इसी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2025 तक ऐसी देयताओं एवं परिसंपत्तियों का सार दर्शाता है। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम, लोक लेखा से मिली प्राप्तियां एवं आरक्षित निधियां आती हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम तथा नकद शेष समाविष्ट हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 हेतु परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सारांशित स्थिति नीचे **तालिका 1.4** में दी गई है:

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					परिसंपत्तियां				
		2023-24	2024-25	प्रतिशत में वृद्धि/गिरावट			2023-24	2024-25	प्रतिशत में वृद्धि/गिरावट
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	61,439.29	67,448.38	9.78	अ	सकल पूंजीगत व्यय	67,118.17	73,075.00	8.88
ख	भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम*	8,929.83	8,106.15	-9.22	ब	ऋण व अग्रिम	8,132.18	7,981.79	-1.85

देयताएं					परिसंपत्तियां				
		2023-24	2024-25	प्रतिशत में वृद्धि/गिरावट			2023-24	2024-25	प्रतिशत में वृद्धि/गिरावट
आकस्मिक निधि		5.00	5.00	0.00					
लोक लेखे									
क	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	19,337.58	20,867.39	7.79	अ	विभागीय अधिकारियों को दिए अग्रिम	0.19	0.19	0.00
ख	निक्षेप	3,645.97	4,030.03	10.53	ब	प्रेषण	0	0	0
ग	आरक्षित निधि	2,279.77	2,879.44	26.30	स	उचंत एवं विविध	0	0	0
घ	प्रेषण	620.25	804.23	29.66	**नकद शेष (निर्धारित निधि में निवेश सहित)**		**1,500.25**	**44.74**	**-97.02**
ङ	उचंत एवं विविध	265.28	269.95	1.76	**कुल**		76,750.79	81,101.72	5.67
					पूर्णांक के कारण अंतर		0	0	0
					राजस्व लेखा में घाटा		19,772.18	23,308.85	17.89
योग		**96,522.97**	**1,04,410.57**	**8.17**			**96,522.97**	**1,04,410.57**	**8.17**

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

* *इसमें वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में वर्ष 2023-24 के ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹1,717 करोड़ + 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) एवं वर्ष 2024-25 के ₹ 1,144.28 करोड़ शामिल हैं।*

1.2 राज्य की समेकित निधि

राज्य सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों एवं राज्य सरकार को ऋणों की चुकौती से प्राप्त समस्त धनराशि, राज्य की समेकित निधि का भाग बनती हैं।

1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

पांच वर्ष की अवधि (2020-25) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं वृद्धि **तालिका 1.5** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.5: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व प्राप्तियां	**33,438.27**	**37,309.30**	**38,089.50**	**39,173.04**	**40,872.35**
कर राजस्व (i+ii)	**12,837.23**	**17,063.62**	**18,479.24**	**21,210.01**	**23,453.24**
(i) स्व-कर राजस्व	8,083.31	9,714.58	10,595.26	11,835.29	12,772.00
(ii) संघीय करों व शुल्कों का राज्यांश	4,753.92	7,349.04	7,883.98	9,374.72	10,681.24
कर-भिन्न राजस्व	**2,188.46**	**2,612.36**	**2,876.33**	**3,020.88**	**3,697.50**
भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान	**18,412.58**	**17,633.32**	**16,733.93**	**14,942.15**	**13,721.61**
राज्य का स्व-राजस्व (स्व-कर राजस्व + कर-भिन्न राजस्व)	10,271.77	12,326.94	13,471.59	14,856.17	16,469.50
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	1,51,905	1,70,376	1,92,026[स]	2,12,169[ब]	2,31,690[अ]
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में)					
राजस्व प्राप्तियां	8.77	11.58	2.09	2.84	4.34
राज्य का स्व-राजस्व	1.45	20.01	9.29	10.28	10.86

मानदंड	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (चालू मूल्यों पर)	-4.56	12.16	12.71	10.49	9.20
उत्प्लावकता अनुपात[2]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	--*	0.95	0.16	0.27	0.47
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की स्व-राजस्व उत्प्लावकता	--*	1.65	0.73	0.98	1.18

स्रोत: वित्त लेखे एवं आर्थिक व सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश

स - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब - प्रथम संशोधित अनुमान, अ - अग्रिम अनुमान

* *राजस्व प्राप्ति या सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि ऋणात्मक होने के कारण उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई।*

हिमाचल प्रदेश को ठहराव एवं अस्थिरता का सामना करना पड़ा, जिसने इसकी वित्तीय मुश्किलों को और बढ़ा दिया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य की राजस्व वृद्धि कमजोर थी। वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि में राज्य की राजस्व उत्प्लावकता 0.50 से नीचे बनी रही जो आर्थिक विकास के प्रति राजस्व की कमजोर प्रतिक्रिया का परिचायक है। व्यावहारिक रूप से इसका तात्पर्य यह है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत की वृद्धि से राज्य के राजस्व में 0.5 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई, जो आर्थिक विस्तार के बावजूद राजस्व जुटाने की धीमी गति को प्रतिबिम्बित करता है।

यद्यपि स्व-कर राजस्व उत्प्लावकता आर्थिक वृद्धि के साथ तालमेल बनाए हुए थी तथापि राज्य के राजस्व में इसका योगदान केवल 40 प्रतिशत है, जो इसके प्रभाव को सीमित करता है। केंद्र से मिलने वाला सहायता-अनुदान राज्य के राजस्व का एक बड़ा भाग (33.57 प्रतिशत) है एवं राज्य ने केंद्र सरकार से मिलने वाले वित्तीय समर्थन में एक उल्लेखनीय गिरावट का अनुभव किया। वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति का अनुदान, जिसने वास्तविक वस्तु एवं सेवा कर वृद्धि व संरक्षित राजस्व वृद्धि दर के मध्य के अंतर को भरने का कार्य किया था, जून 2022 में समाप्त हो गया। विभिन्न शीर्षों में व्यापक कटौती के कारण केंद्र से सहायता-अनुदान पांच वर्षों में उसके सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाले हस्तांतरणोत्तर राजस्व घाटा अनुदान में ₹1,800 करोड़ की भारी कटौती की गई तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से राज्य को मिलने वाली सहायता को ₹703 करोड़ कम कर दिया गया।

यदि कई वर्षों तक उत्प्लावकता एक प्रतिशत से कम है, तो राज्य को राजकोषीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आम तौर पर व्यय आवश्यकताएं (स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना, वेतन) तेजी से बढ़ जाती हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न स्रोतों से योगदान **चार्ट 1.7** व **चार्ट 1.8** में दिए गए हैं।

---

2 उत्प्लावकता अनुपात मूल चरों के दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय चरों की प्रतिक्रिया की डिग्री को दर्शाती है।

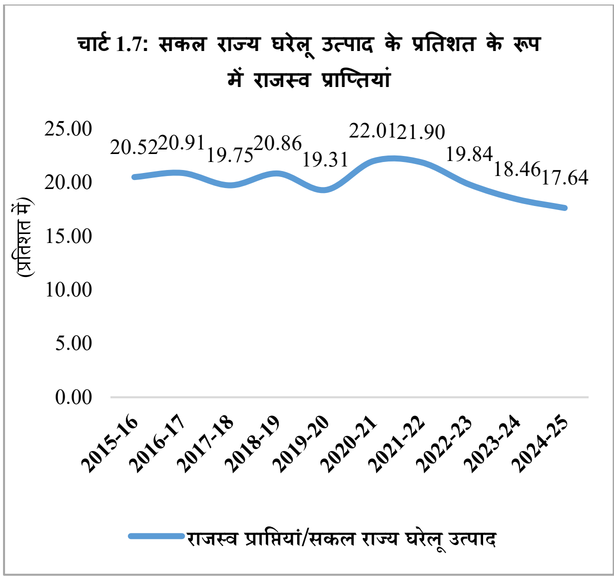

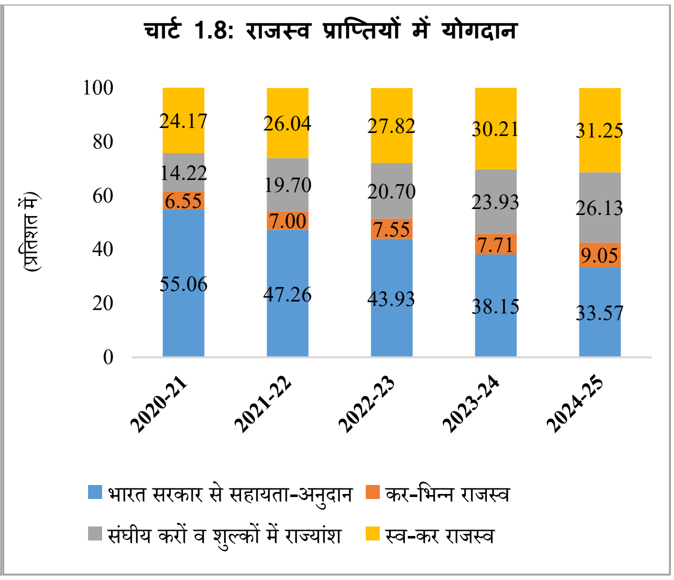

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियों-से-सकल राज्य घरेलू अनुपात का तेज़ी से घटकर अनुमानित दशक के न्यूनतम स्तर 17.64 प्रतिशत पर आ जाना मुख्यतः केन्द्रीय अंतरणों में कमी के कारण है। वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त, राजस्व उत्प्लावकता लगातार 0.5 से नीचे बनी रही है, जिसका अर्थ है कि राजस्व की वृद्धि आर्थिक विस्तार की दर के आधे से भी कम रही। यह राजस्व प्रतिक्रियाशीलता में संरचनात्मक कमजोरी को परिलक्षित करता है। यह वित्तीय दबाव राज्य के पूंजीगत व्यय को सीधे व नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि सरकार को अनिवार्य राजस्व खर्चों (जैसे वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन देयताएं, आदि) को विवेकाधीन निवेश व्यय पर प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। परिणामस्वरूप राज्य उपभोग हेतु उधारी पर उसकी निर्भरता बढ़ाता है, जो ऋण-से-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को बढ़ाता है और अंततः अधोसंरचना व विकास में महत्वपूर्ण निवेश को कम करता है, जो दीर्घकालिक वृद्धि को बाधित करता है साथ ही उच्च ऋण व कम राजकोषीय लचीलापन के एक दुष्चक्र की रचना करता है।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2025) में सचिव (वित्त) ने बताया कि राज्य की वित्तीय सीमाओं को एक व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए तथा राज्य उसकी संसाधन सम्बन्धी चुनौतियों के लिए अकेला जिम्मेदार नहीं था। उन्होंने इन सीमाओं को कई बाहरी और संरचनात्मक कारकों से जोड़ा, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति में कमी, राज्य की अर्थव्यवस्था की पारंपरिक प्रकृति के साथ ही पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रमुख उद्योगों का अभाव, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत निधियां जारी करने में आवधिकता तथा कठिन भू-भाग, विरल जनसंख्या एवं सीमित कार्यकाल से उत्पन्न होने वाली उच्च व्यय आवश्यकताएं शामिल हैं।

क राज्य के स्वयं के संसाधन

चार्ट 1.9: राज्य के स्व-राजस्व के विवरण

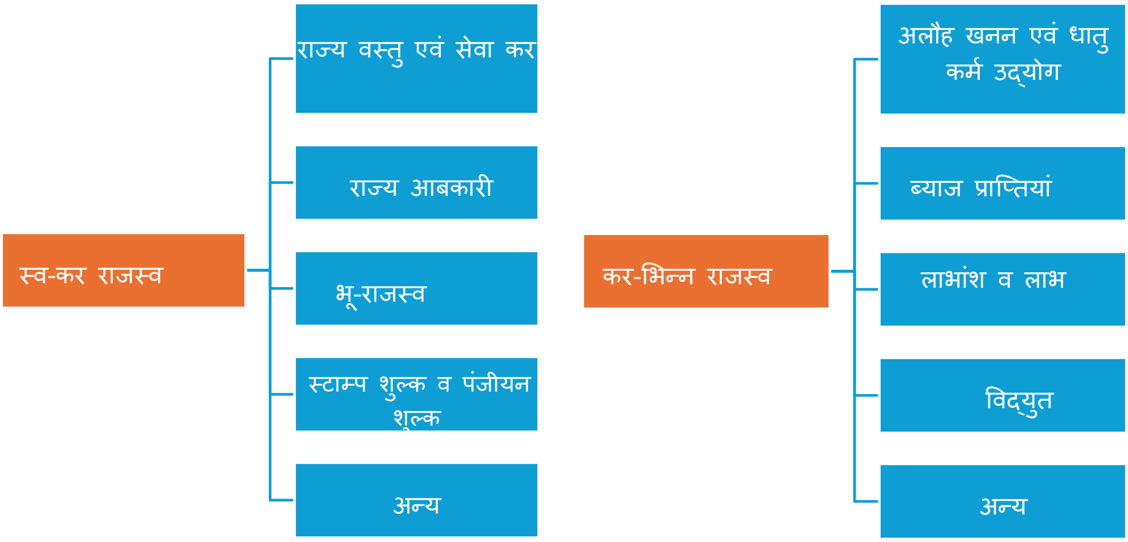

(i) स्व-कर राजस्व

स्व-कर राजस्व वह राजस्व है, जो राज्य सरकार द्वारा संविधान के अंतर्गत उसे प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अधिरोपित करों से एकत्र किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के वास्तविक तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान व वास्तविक का विवरण **तालिका 1.6** में दिया गया है।

तालिका 1.6: राज्य का स्व-कर राजस्व: 2023-24 (वास्तविक) एवं 2024-25 (बजट अनुमान, संशोधित अनुमान व वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

स्व-कर राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	5,339.89	6,552.00	6,010.00	5,816.61
राज्य आबकारी	2,692.33	2,884.00	2,902.00	2,698.23
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,753.73	2,080.00	1,975.00	1,842.30
वाहन कर	781.74	902.24	884.44	907.04
स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क	440.37	625.53	668.01	491.12
विद्युत पर कर व शुल्क	369.07	550.85	551.20	494.88
भू-राजस्व	7.03	17.84	16.97	15.59
माल व यात्री कर	70.88	65.82	74.53	76.04
अन्य	380.25	1,422.40	444.16	430.19
योग	**11,835.29**	**15,100.68**	**13,526.31**	**12,772.00**

स्रोत: वित्त लेखे व राज्य के बजट दस्तावेज

राज्य ने ₹ 2,328.68 करोड़ की कमी के साथ उसके बजट अनुमानों का केवल 84.57 प्रतिशत प्राप्त किया, हालांकि संशोधित अनुमान अधिक सटीक थे (94.42 प्रतिशत की प्राप्ति)। शीर्ष

तीन कर स्रोत– राज्य वस्तु एवं सेवा कर, राज्य आबकारी व बिक्री कर, कुल राजस्व का 81 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, जिससे क्षेत्र-विशेष झटकों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न होती है।

वर्ष 2015-25 के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृत्ति, अंतर्राज्यीय तुलना एवं इसके घटकों का विश्लेषण **चार्ट 1.10, 1.11 व 1.12** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.10: 2015-25 के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृत्ति

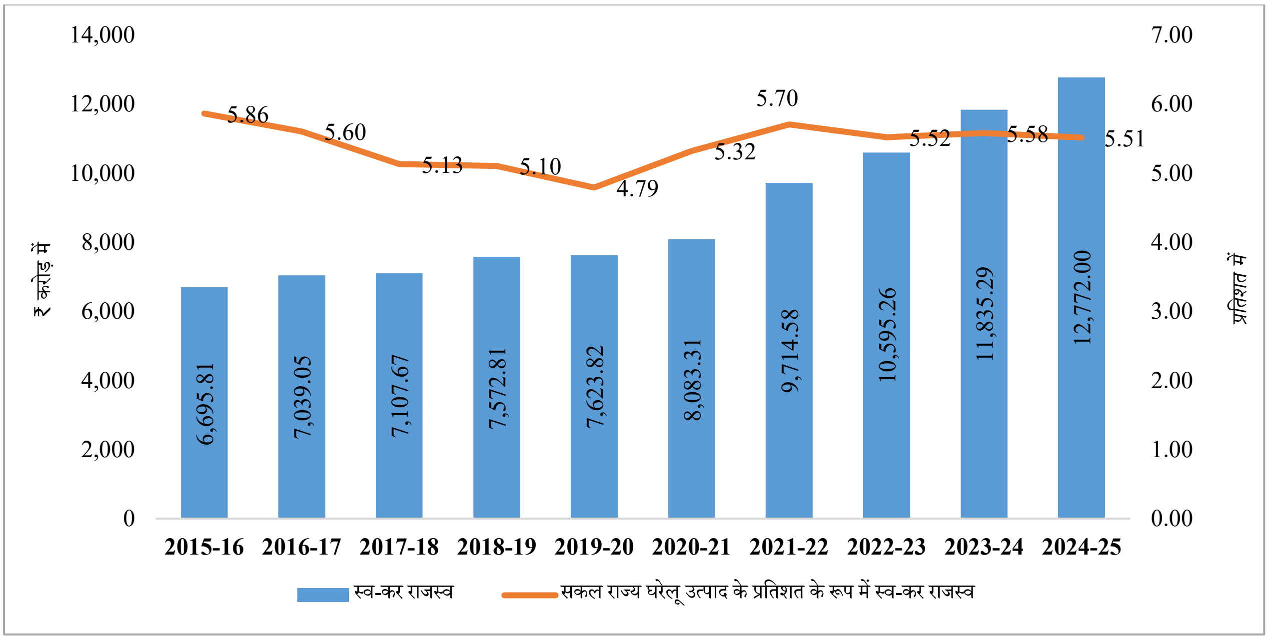

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.11 स्व-कर राजस्व-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की अंतर्राज्यीय तुलना

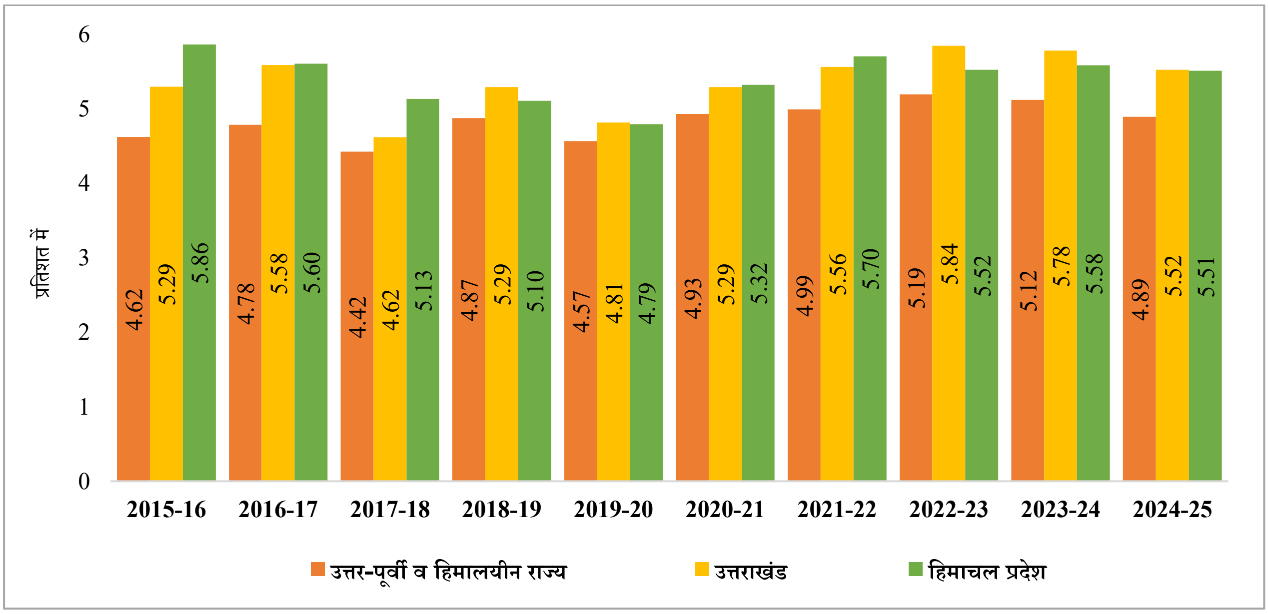

चार्ट 1.12: राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

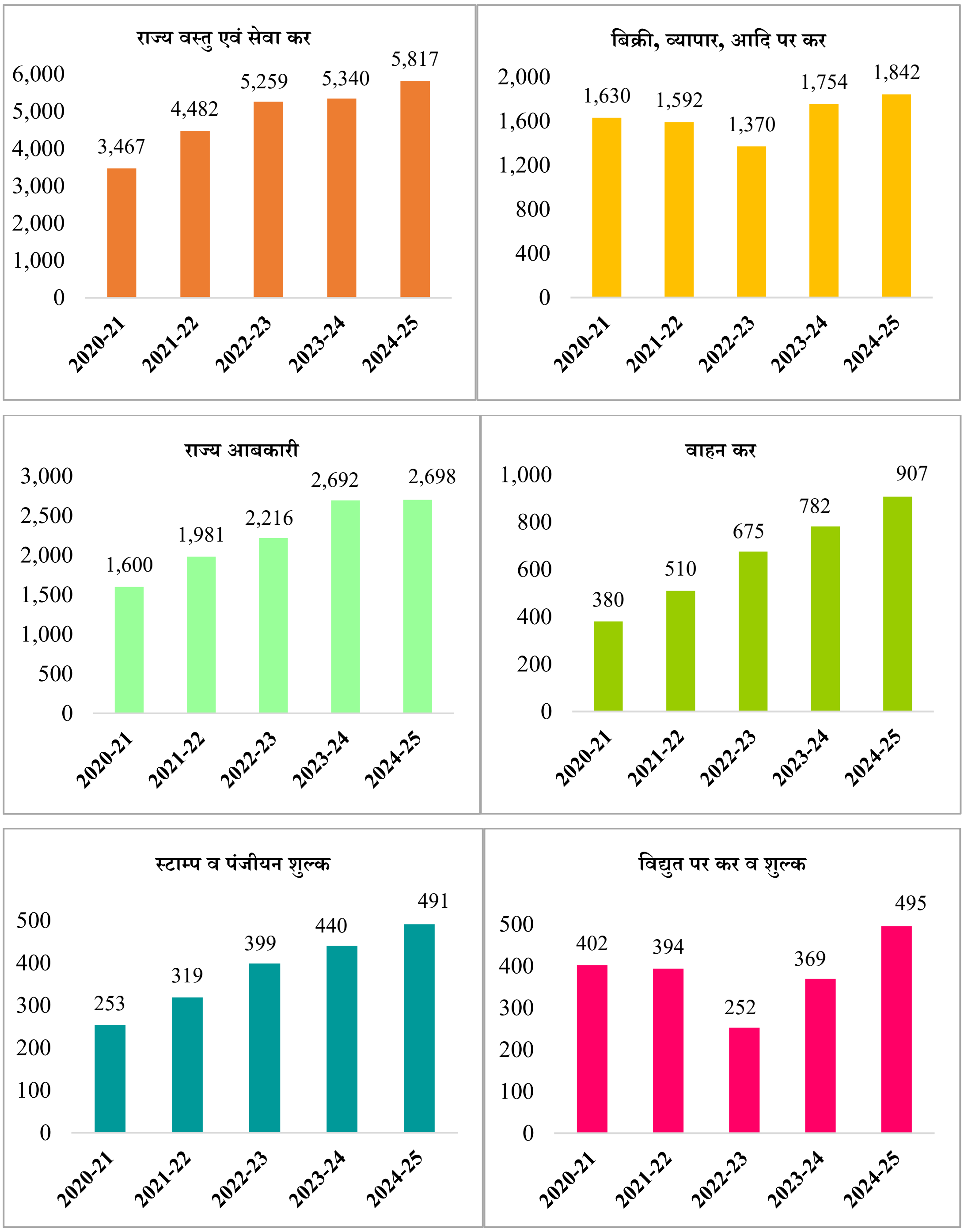

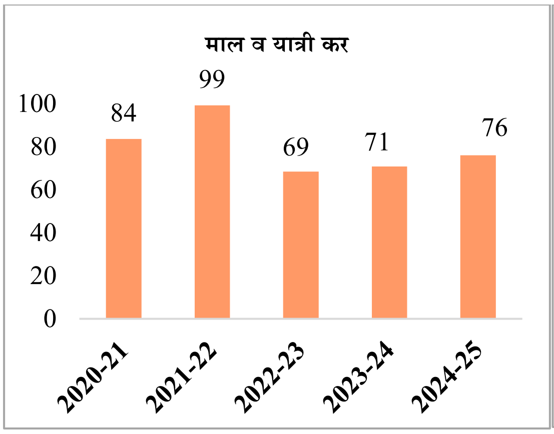

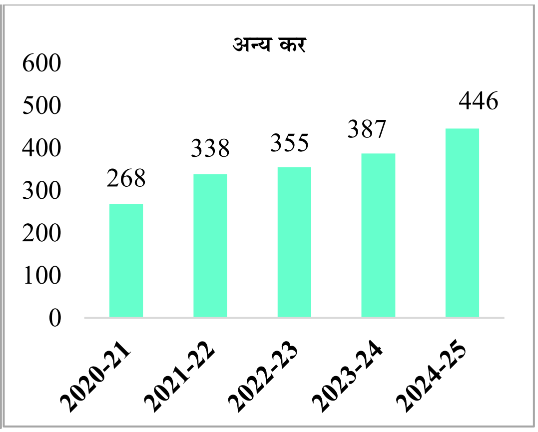

विगत वर्ष की तुलना में कर राजस्व के वृद्धि/कमी वाले प्रमुख स्रोतों का लघु शीर्ष-वार विवरण नीचे बॉक्स में दिया गया है:

राज्य वस्तु एवं सेवा कर:

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के इनपुट कर क्रेडिट का पारस्परिक उपयोग (लघु शीर्ष 105) ₹1,759.32 करोड़ से बढ़कर ₹1,941.08 करोड़ हो गया।
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (लघु शीर्ष 106) में कर घटक के एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर-अंतरण का आवंटन, ₹1,043.00 करोड़ से बढ़कर ₹1,156.47 करोड़ हो गया।

बिक्री व व्यापार पर कर:

- मूल्य वर्धित कर प्राप्तियां (लघु शीर्ष 111) ₹1,689.80 करोड़ से बढ़कर ₹1821.89 करोड़ हो गई।

राज्य आबकारी:

- शराब (लघु शीर्ष 104) ₹223.15 करोड़ से बढ़कर ₹244.59 करोड़ हो गई।
- विदेशी शराब व स्पिरिट (लघु शीर्ष 105) ₹1,468.42 करोड़ से बढ़कर ₹1,499.46 करोड़ हो गई।

वाहन कर:

- भारतीय मोटर वाहन अधिनियम (लघु शीर्ष 101) के तहत प्राप्तियां ₹134.73 करोड़ से बढ़कर ₹160.37 करोड़ हो गईं।
- राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम (लघु शीर्ष 102) के तहत प्राप्तियां ₹607.58 करोड़ से बढ़कर ₹707.57 करोड़ हो गईं।

स्टाम्प व पंजीयन शुल्क:

- स्टाम्प की बिक्री (लघु शीर्ष 102) ₹299.59 करोड़ से बढ़कर ₹338.36 करोड़ हो गई।

विद्युत पर कर व शुल्क:

- विद्युत की खपत व बिक्री पर कर (लघु शीर्ष 101) ₹368.19 करोड़ से बढ़कर ₹493.44 करोड़ हो गया।

माल व यात्री कर:

- कर संग्रह- माल कर (लघु शीर्ष 104) ₹66.85 करोड़ से बढ़कर ₹72.87 करोड़ हो गया।

वर्तमान वर्ष के दौरान हुई प्रमुख वृद्धि के कारण नीचे दिए गए हैं:

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर में वृद्धि मुख्य रूप से 'राज्य वस्तु एवं सेवा कर में कर घटक के एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर-अंतरण का आवंटन' के तहत 10.87 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुआ।
- वाहन कर में वृद्धि मुख्य रूप से 'राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत प्राप्तियों' के तहत 16.46 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई।
- विद्युत पर कर व शुल्क में वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत की खपत व बिक्री पर कर' के तहत 34.01 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई।

(ii) कर-भिन्न राजस्व

राज्य के कर-भिन्न राजस्व का तात्पर्य राज्य सरकार के करों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों यथा किराया, शुल्क, रॉयल्टी व अन्य प्राप्तियों से मिली प्राप्तियों से हैं।

कर-भिन्न राजस्व के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक **तालिका 1.7** में दिए गए हैं।

तालिका 1.7: कर-भिन्न राजस्व: 2023-24 (वास्तविक) एवं 2024-25 (बजट अनुमान, संशोधित अनुमान व वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

कर-भिन्न राजस्व	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 (वास्तविक)
विद्युत	1,667.35	2,017.26	2,067.59	1,894.30
ब्याज प्राप्तियां	126.06	73.38	535.34	556.18
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	331.73	353.62	353.55	358.16
लाभांश व लाभ	191.17	191.99	181.77	191.04
पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में अंशदान एवं वसूली	177.23	135.52	130.46	130.80
वानिकी एवं वन्य जीवन	89.95	87.11	91.83	85.66
अन्य	437.39	781.83	870.05	481.36
योग	**3,020.88**	**3,640.71**	**4,230.59**	**3,697.50**

स्रोतः वित्त लेखे एवं राज्य के बजट दस्तावेज

कर-भिन्न राजस्व में 22.40 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि वास्तविक कर-भिन्न राजस्व संशोधित अनुमान की तुलना में काफी नीचे (12.60 प्रतिशत) था। कर-भिन्न राजस्व में विद्युत क्षेत्र व ब्याज प्राप्तियां प्रमुख योगदानकर्ता रहीं। विद्युत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः रेणुकाजी बांध परियोजना हेतु राज्यांश के रूप में विगत वर्ष के मात्र ₹63.57 करोड़ की तुलना में लाभार्थी राज्यों से ₹200.03 करोड़ की प्राप्ति के कारण हुई।

ब्याज प्राप्तियों में विगत वर्ष (वास्तविक) से 341 प्रतिशत की दर्ज की गई वृद्धि मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से गत वर्ष के ₹36.74 करोड़ के सापेक्ष प्राप्त

₹411.50 करोड़ के कारण हुई। आगे की जांच से उजागर हुआ कि ₹411.50 करोड़ में से ₹350 करोड़ हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त ब्याज से संबंधित थे। कॉर्पोरेशन की वर्ष 2022-23 की बैलेंस शीट के अनुसार उसे ₹757.05 करोड़ की संचयी हानि हुई। ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि एक बार की और अस्थायी प्रतीत होती है, जो मुख्य रूप से घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हुई थी। हालांकि यह अल्पकालिक राजकोषीय दृश्य में सुधार करता है परन्तु यह राजस्व के किसी स्थिर या आवर्ती स्रोत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।

वर्ष 2015-25 के दौरान कर-भिन्न राजस्व एवं वर्ष 2020-25 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटकों की प्रवृत्तियां **चार्ट 1.13** व **चार्ट 1.14** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.13: कर-भिन्न राजस्व की प्रवृत्ति

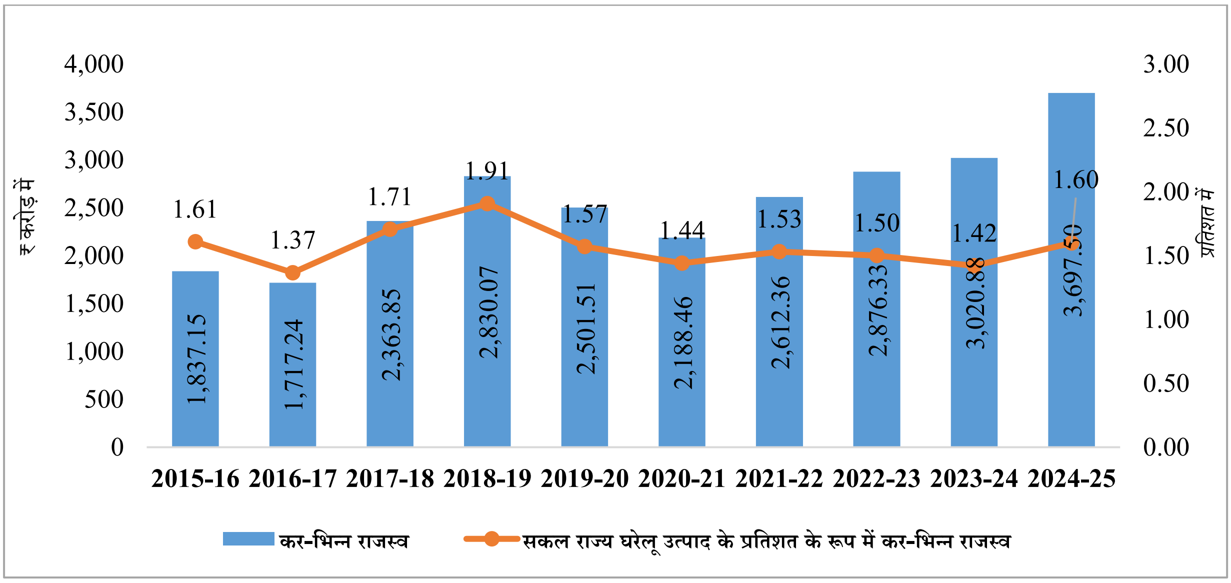

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखे

कर-भिन्न राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मात्र 1.5 प्रतिशत पर विगत एक दशक से मामूली उतार-चढ़ाव के साथ स्थिर बने रहना एक वित्तीय कमजोरी है, क्योंकि यह ठहराव उपयोगकर्ता शुल्क से संसाधन बढ़ाने, लाभांश को अधिकतम करने अथवा आर्थिक वृद्धि के अनुरूप राज्य की परिसंपत्तियों का कुशलतापूर्वक मुद्रीकरण करने में विफलता को परिलक्षित करता है, जिससे राज्य की सतत, स्वायत्त आय की क्षमता कमजोर होती है। वर्ष 2024-25 में कर-भिन्न राजस्व में आया बड़ा उछाल ब्याज प्राप्तियों के एकमुश्त भुगतान के कारण रहा, जो धारणीय नहीं है, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेद में चर्चा की गई है।

चार्ट 1.14: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

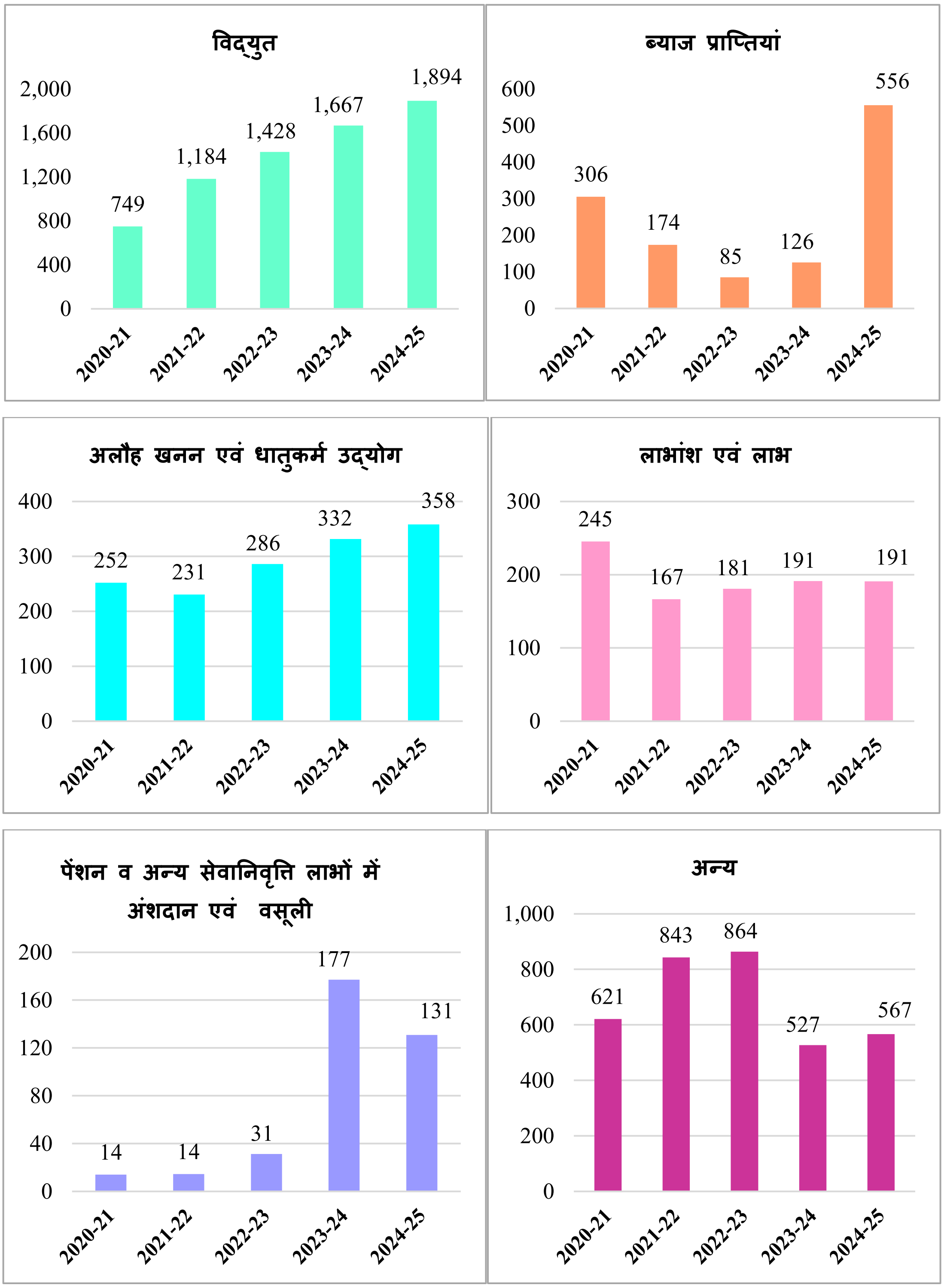

स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्तीय लेखा

विगत वर्ष की तुलना में कर राजस्व के वृद्धि/कमी वाले कर-भिन्न राजस्व के प्रमुख स्रोतों का लघु शीर्ष-वार विवरण नीचे बॉक्स में दिया गया है :

विद्युत:

- हाइडेल जनरेशन (लघु शीर्ष 800) से प्राप्तियां ₹ 1,667.35 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,894.30 करोड़ हो गईं।

ब्याज प्राप्तियां:

- सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियां (लघु शीर्ष 190) ₹ 36.74 करोड़ से बढ़कर ₹ 411.50 करोड़ हो गई, जो 1020 प्रतिशत की वृद्धि है।

अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग:

- खनिज रियायत शुल्क, किराए व रॉयल्टी (लघु शीर्ष 102) के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 311.27 करोड़ से बढ़कर ₹ 352.79 करोड़ हो गईं।

पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में अंशदान व वसूली:

- सदस्यता व अंशदान (लघु शीर्ष 101) के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 26.35 करोड़ से घटकर ₹ 19.19 करोड़ हो गईं।
- अन्य प्राप्तियां (लघु शीर्ष 800) ₹ 150.87 करोड़ से घटकर ₹ 111.59 करोड़ हो गई।

ख. संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश

संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश के घटकों की प्रवृत्ति **तालिका 1.8** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.8: संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश के घटक

(₹ करोड़ में)

संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	1,419.55	2,105.41	2,227.15	2,845.13	3,119.54
निगम कर	1,429.44	2,202.48	2,644.66	2,813.87	3,030.83
निगम कर के अतिरिक्त आय कर	1,464.84	2,169.83	2,579.80	3,249.67	3,865.36
सीमा शुल्क	257.07	510.58	309.82	328.53	543.46
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	160.44	265.82	97.22	124.32	104.56
सेवा कर	19.39	87.35	12.36	1.73	0.30
अन्य कर[3]	3.19	7.57	12.97	11.47	17.19
योग	**4,753.92**	**7,349.04**	**7,883.98**	**9,374.72**	**10,681.24**

स्रोत: वित्तीय लेखे

पांच वर्षों में कुल अंतरणों में दोगुने से भी अधिक उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 124.68 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। राजस्व प्राप्ति में योगदान भी लगभग दोगुना बढ़कर 14.22 प्रतिशत से 26.13 प्रतिशत हो गया। निगम कर के अतिरिक्त आय कर प्रमुख योगदानकर्ता बन गया। दूसरी ओर, सीमा शुल्क व केंद्रीय उत्पाद शुल्क में तीव्र उतार-चढ़ाव देखा गया, जिसमें उल्लेखनीय गिरावट की अवधि भी शामिल हैं। यह अस्थिरता राज्य की राजकोषीय योजना में अनिश्चितता ला सकती है।

[3] इसमें संपत्ति पर कर, आय व व्यय पर अन्य कर तथा माल और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संघीय करों व शुल्कों में कुल राज्यांश का प्रतिशत **चार्ट 1.15** में दिया गया है।

चार्ट 1.15: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संघीय करों व शुल्कों में कुल राज्यांश

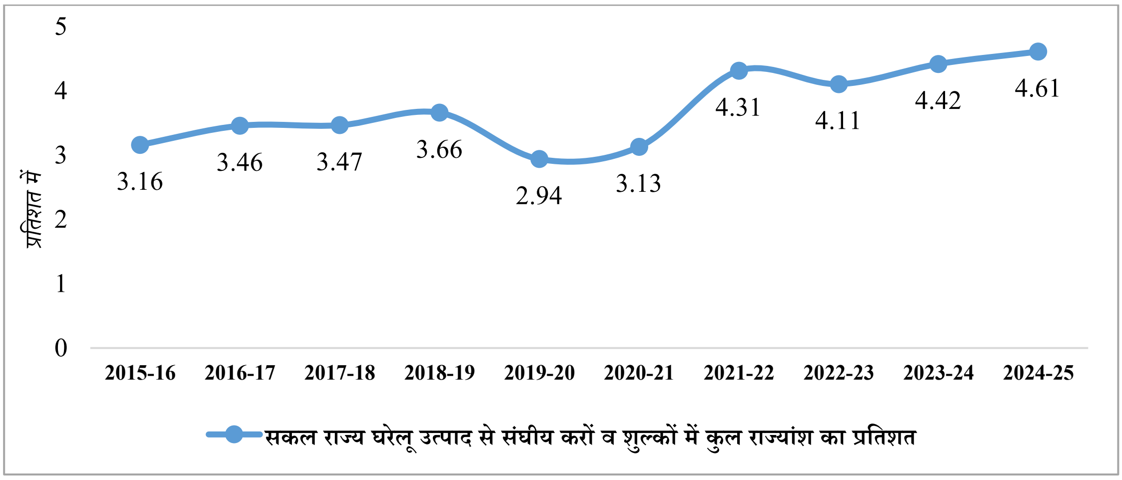

संघीय करों व शुल्कों में अधिक हिस्सेदारी यह दर्शाती है कि राज्य को राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि का लाभ मिल रहा है, जिससे उसके स्व-राजस्व संग्रह की सीमितताओं की आंशिक भरपाई हो रही है।

ग. भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान की प्रवृत्ति एवं इसके घटक **तालिका 1.9** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.9: भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	4,221.29	5,420.75	4,736.66	5,328.69	6,154.58
वित्तायोग अनुदान	12,424.10	11,044.26	10,489.70	8,738.16	7,431.54*
राज्यों/विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,767.19	1,168.31	1,507.57	875.30	135.49
योग	**18,412.58**	**17,633.32**	**16,733.93**	**14,942.15**	**13,721.61**
गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि/गिरावट	15.52	-4.23	-5.10	-10.71	-8.17
राजस्व प्राप्तियों में सहायता-अनुदान का प्रतिशत	55.06	47.26	43.93	38.14	33.57

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

* *वित्त आयोग अनुदान में हस्तांतरणोत्तर राजस्व घाटा अनुदान (₹ 6,258 करोड़), स्थानीय निकायों हेतु अनुदान (₹ 610.48 करोड़ जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु ₹ 8.67 करोड़ शामिल हैं) तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु सहायता-अनुदान (₹ 378.40 करोड़); राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि हेतु सहायता-अनुदान (₹ 184.66 करोड़) शामिल हैं।*

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान का प्रतिशत **चार्ट 1.16** में दिया गया है।

चार्ट 1.16: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान का प्रतिशत

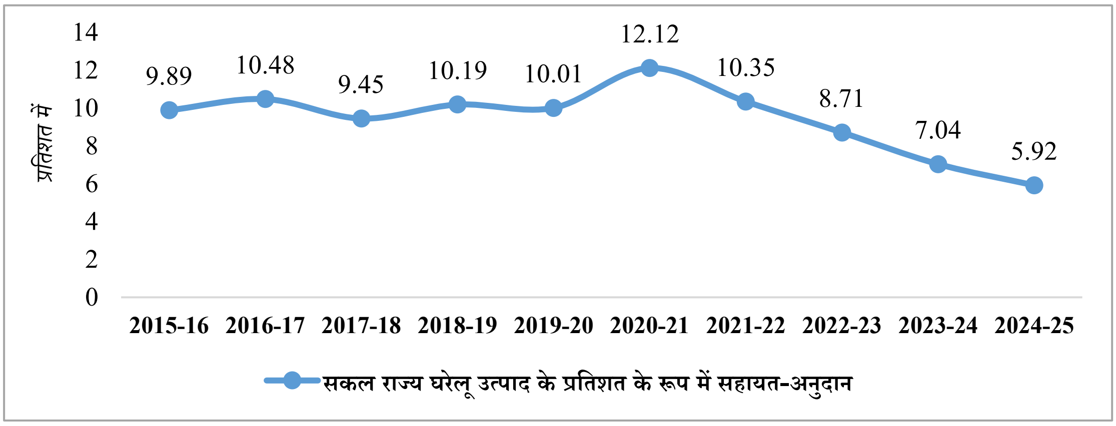

विगत पांच वर्षों (2020-25) में भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान (**तालिका 1.9**) में घटती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। सहायता-अनुदान में वर्ष दर वर्ष की कमी मुख्य रूप से वित्तायोग अनुदान के तहत हस्तांतरणोत्तर राजस्व घाटा अनुदान में निरंतर कमी के कारण थी, जो वर्ष 2020-21 के ₹ 11,430.85 करोड़ से घटकर वर्ष 2024-25 में ₹ 6,258 करोड़ (45.25 प्रतिशत) हो गई तथा राज्यों/विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/अनुदान के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से हुई राजस्व हानि हेतु राज्य सरकार को दी गई क्षतिपूर्ति वर्ष 2020-21 के ₹ 1,763.53 करोड़ से घटकर वर्ष 2024-25 में ₹ 50.93 करोड़ (97.11 प्रतिशत) रह गई।

दशक-भर (2015-16 से 2024-25) की प्रवृत्ति का विश्लेषण (**चार्ट 1.7** से **1.16**) राज्य की वित्तीय स्थिति में क्रमिक संरचनात्मक कमजोरी को उजागर करता है, जिसका मुख्य कारण भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों में सतत गिरावट रहा, जिसने बढ़े हुए कर हस्तांतरण से हुए लाभों को काफी हद तक समायोजित कर दिया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियों-से-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात घटकर एक दशक के निचले स्तर 17.64 प्रतिशत पर आ गया है, जो मुख्य रूप से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 12.12 प्रतिशत (2020-21) से घटकर 5.91 प्रतिशत (2024-25) पर आ जाने, अर्थात 50 प्रतिशत से अधिक की तेज गिरावट के कारण हुआ, जो छः प्रतिशत अंक से अधिक की हानि को दर्शाता है तथा इसका मुख्य कारण वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति जैसे प्रमुख केंद्रीय अनुदानों की समाप्ति है। संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश लगातार बढ़ते हुए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4.61 प्रतिशत तक पहुंच गया परन्तु यह वृद्धि केवल आंशिक संतुलन प्रदान कर सकी जो अनुदानों में आई भारी गिरावट की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं थी। राजस्व प्राप्तियों का संकुचन एवं राज्य के स्व-राजस्व की सीमित उत्प्लावकता ने राजकोषीय विस्तार को सीमित कर दिया। इसने प्रतिबद्ध राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु उधार पर निर्भरता को बढ़ा दिया, जिससे पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध संसाधनों में कमी आई तथा दीर्घकालिक विकास व राजकोषीय धारणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(i) केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान

वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु दिए गए ₹ 6,154.58 करोड़ के अनुदानों में से प्रमुख योजनाओं को दी गई राशि **तालिका 1.10** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.10: अनुदान प्राप्त करने वाली प्रमुख योजनाएं

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	2023-24	2024-25	विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना	617.56	634.82	2.79
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	99.46	871.39	776.10
समग्र शिक्षा अभियान - माध्यमिक शिक्षा	485.97	526.20	8.28
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम - मनरेगा	402.54	413.58	2.74
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएँ	0	367.24	-
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	310.12	363.59	17.24
एकीकृत बाल विकास सेवाएं	322.24	350.76	8.85

स्रोत: वित्तीय लेखे

(ii) पंद्रहवां वित्त आयोग अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान राज्यों को स्थानीय निकायों एवं स्वास्थ्य क्षेत्र, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि व राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए प्रदान किए गए। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण **तालिका 1.11** में दिया गया है।

तालिका 1.11: सहायता-अनुदान की अनुशंसित, वास्तविक रूप से जारी व अंतरित राशि

(₹ करोड़ में)

अंतरण		2024-25 के लिए 15वें वित्तायोग की अनुशंसा	2024-25 के दौरान भारत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से जारी	राज्य सरकार द्वारा जारी (भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि का कुल प्रतिशत)
(i) पंचायती राज संस्थानों को अनुदान		**352.00**	**229.19**	**229.19 (100)**
(अ) प्रदर्शन/ टाइड अनुदान		211.20	88.39	88.39 (100)
(ब) सामान्य मूल/ अनटाइड अनुदान		140.80	140.80	140.80 (100)
(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान		**181.00**	**168.16**	**168.16 (100)**
(अ) एक मिलियन से कम आबादी वाले शहर (प्रदर्शन/ टाइड अनुदान)		72.40	67.26	67.26 (100)
(ब) एक मिलियन से कम आबादी वाले शहर (सामान्य मूल/ अनटाइड अनुदान)		108.60	100.90	100.90 (100)
स्थानीय निकायों हेतु कुल		533.00	397.35	397.35 (100)
(iii) स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान		**108.00**	**0**	**0**
स्थानीय निकायों हेतु कुल (i+ii+iii)		**641.00**	**397.35**	**397.35 (100)**
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	केंद्रांश	378.40	378.40	378.40 (100)
	राज्यांश	41.60	41.60	41.60 (100)
राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	केंद्रांश	94.60	94.60	94.60 (100)
	राज्यांश	10.40	10.40	10.40 (100)
राज्य आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन निधि हेतु कुल		**525.00**	**525.00**	**525.00 (100)**

स्रोत: 15वीं वित्तायोग रिपोर्ट व विभागीय जानकारी

* *तालिका में दर्शाए आंकड़े वर्ष 2024-25 के दौरान वास्तविक रूप से जारी किए गए हैं एवं ये वित्त लेखाओं के आंकड़ों से मेल नहीं खाते क्योंकि वित्त लेखाओं में गत वर्ष के अनुदान शामिल हैं जो वर्ष 2024-25 में जारी किए गए हैं।*

1.2.2 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां, यथा विनिवेश से प्राप्त आय, ऋण व अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/व्यापारिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार के ऋण व अग्रिम शामिल हैं।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों एवं उसके घटकों की प्रवृत्ति **तालिका 1.12** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.12: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटक की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्त्रोत	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पूंजीगत प्राप्तियां	7,313.64	5,643.99	15,680.34	10,550.74	12,584.52
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	2.88	7.01	12.59	2.20	0.00
ऋण व अग्रिम की वसूली	23.02	40.73	82.79	27.40	184.64
लोक ऋण प्राप्तियां	7,287.74	5,596.26	15,584.96	10,521.14	12,399.88
आतंरिक ऋण #	*6,692.87*	*4,703.98*	*14,845.14*	*8,871.99*	*9,878.19*
भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम *	*594.87*	*892.28*	*739.82*	*1,649.15*	*2,521.69*
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में)					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-4.56	12.16	12.71	10.49	9.20
पूंजीगत प्राप्तियां	-1.52	-22.83	177.82	-32.71	19.28
ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	-1.57	-23.21	178.49	-32.49	17.86
आतंरिक ऋण	-8.73	-29.72	215.59	-40.24	11.34
भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम	744.03	50.00	-17.09	122.91	52.91

स्रोत: वित्त लेखे।

\# *इसमें अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष/विशेष आहरण सुविधा के अंतर्गत निवल आंकड़े शामिल हैं।*

* *वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान, इसमें वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में क्रमशः ₹ 1,717 करोड़ व ₹ 2,695.22 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें राज्य को स्वयं के स्रोतों से चुकाना नहीं है।*

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत प्राप्तियां **चार्ट 1.17** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.17: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत प्राप्तियां

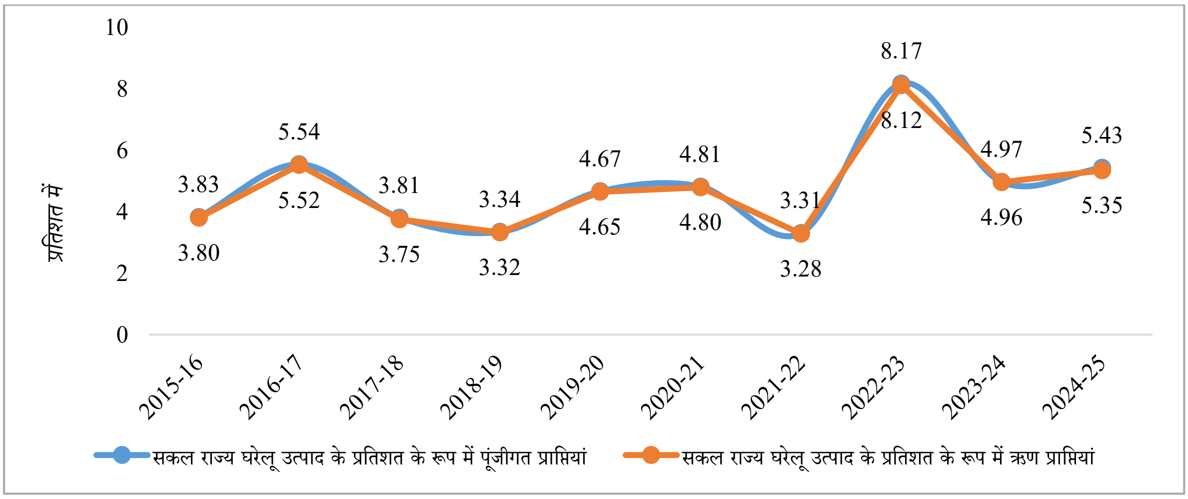

वर्ष 2015-21 की अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों में उल्लेखनीय अस्थिरता देखी गई। वर्ष 2021-22 में इनमें तेज गिरावट आई परन्तु वर्ष 2022-23 में 177.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए मजबूती से उभरीं, जिसका मुख्य कारण आंतरिक ऋण में पर्याप्त वृद्धि रहा। लोक ऋण प्राप्तियों का पूंजीगत प्राप्तियों में अत्यधिक प्रभुत्व रहा और चरम वर्षों में इनका योगदान 98 प्रतिशत से अधिक रहा। आंतरिक ऋण में बड़ा उतार-चढ़ाव देखा गया, जबकि भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिमों की प्रवृत्ति अस्थिर रही।

विविध पूंजीगत प्राप्तियां तथा ऋण व अग्रिमों की वसूली नगण्य बनी रहीं जो कुल में संयुक्त रूप से दो प्रतिशत से भी कम रहीं। समग्र ऋण रूपरेखा उधार पर अत्यधिक निर्भरता को रेखांकित करती है। जहां सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि प्रदर्शित हुई, वहीं पूंजीगत प्राप्तियां असंगत रूप से बढ़ती-घटती रहीं, जिससे आर्थिक प्रदर्शन के साथ उनका कमजोर सामंजस्य प्रतिबिम्बित होता है। यह परिलक्षित करता है कि प्राप्तियां मूलभूत आर्थिक वृद्धि कारकों की तुलना में उधार से संबंधित निर्णयों से अधिक प्रभावित रहीं।

1.2.3 वित्त आयोग के प्राक्कलन एवं वास्तविक

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित राजस्व, घाटा और सकल घरेलू उत्पाद तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के वास्तविक आंकडें **तालिका 1.13** में दिए गए हैं।

तालिका 1.13: 15वें वित्तायोग के प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक आंकडें

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	प्राक्कलन	वास्तविक	प्राक्कलन	वास्तविक	प्राक्कलन	वास्तविक	प्राक्कलन	वास्तविक	प्राक्कलन	वास्तविक
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी चालू मूल्य)	1,94,550	1,51,905	1,92,362	1,70,376	2,14,484	1,92,026	2,40,222	2,12,169	2,70,130	2,31,690
स्व-राजस्व प्राप्तियां	13,500	10,272	13,249	12,327	15,261	13,472	17,679	14,856	20,586	16,470
राज्य का स्व-कर राजस्व	11,272	8,083	9,565	9,715	11,026	10,595	12,783	11,835	14,898	12,772
राज्य स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	2,228	2,188	3,684	2,612	4,235	2,876	4,896	3,021	5,688	3,698
संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	6,833	4,754	5,466	7,349	6,081	7,884	6842	9,375	7,774	10,681
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (+)/राजस्व अधिशेष (-)	-0.10	0.06	-0.50	-0.65	-0.80	3.30	-1.20	2.62	-1.70	2.94
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा (+)	4.50	3.75	4.00	3.08	3.50	6.45	3.00	5.31	3.00	5.44

स्रोत: वित्त लेखे एवं पंद्रहवीं वित्त आयोग रिपोर्ट

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं स्व-राजस्व में वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। तथापि वास्तविक प्राप्तियां प्राक्कलनों से लगातार कम रही, जो आकलनों व

परिणामों के मध्य अंतर को दर्शाती हैं। इसके अतिरिक्त राजकोषीय संकेतक बजट अनुमानों से बढ़ते विचलन को दर्शाते हैं। लगातार वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वास्तविक राजस्व घाटा व राजकोषीय घाटा प्राक्कलित स्तरों से अधिक बना रहा, जो राजस्व जुटाने एवं/या व्यय प्रबंधन पर दबाव को इंगित करता है। यद्यपि राज्य को संघीय करों व शुल्कों में बढ़ते अंश का लाभ मिला तथापि यह अतिरिक्त समर्थन उभरते राजकोषीय असंतुलनों को पूरी तरफ समायोजित नहीं कर सका।

1.2.4 व्यय

सरकारी व्यय को राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण व अग्रिम में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय में विभागों के रखरखाव, मरम्मत एवं दिन-प्रतिदिन के कार्यों की लागत शामिल होती है, जिसमें प्रशासनिक व स्थापना व्यय भी सम्मिलित हैं। पूंजीगत व्यय का संबंध परियोजनाओं के प्रारंभिक निर्माण एवं परिसंपत्तियों में स्वीकृत सुधार या अतिरिक्त निर्माण से होता है। ऋण एवं अग्रिमों में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व अन्य संस्थाओं को प्रदान की गई वह राशि शामिल होती है, जिसकी वसूली समय के साथ की जाती है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यय तथा इसके घटकों के अंश का विवरण **तालिका 1.14, चार्ट 1.18** व **चार्ट 1.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14: कुल व्यय एवं उसके घटक

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय	39,164.25	42,601.89	50,564.72	50,468.37	53,668.04
राजस्व व्यय	33,534.93	36,194.54	44,425.26	44,731.63	47,676.96
पूंजीगत व्यय	5,309.21	6,029.38	6,028.89	5,629.79	5,956.83
ऋण व अग्रिम	320.11	377.97	110.57	106.95	34.25
आकस्मिक निधि में विनियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.18: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय

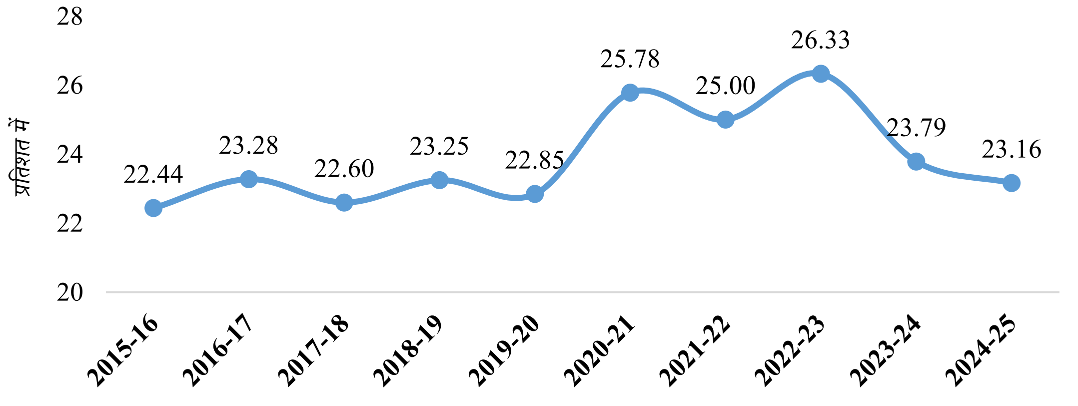

चार्ट 1.19: कुल व्यय : इसके घटकों के अंश की प्रवृत्ति

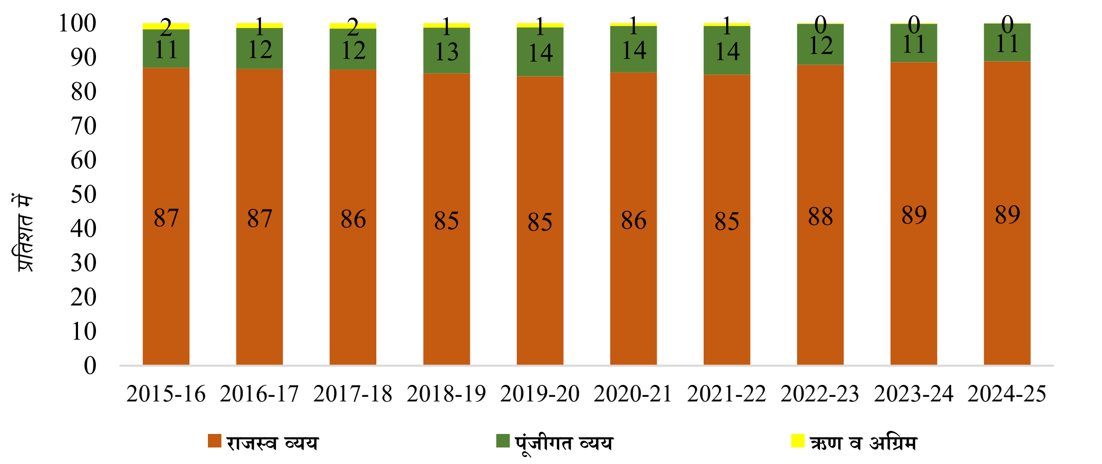

स्रोत: वित्तीय लेखे

उपरोक्त से निम्नलिखित मुद्दे उभरते हैं:

अधारणीय राजस्व-व्यय अंतराल : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय **(चार्ट 1.18)** सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्ति **(चार्ट 1.7)** से लगातार अधिक रहा। वर्ष 2024-25 में कुल व्यय 23.16 प्रतिशत रहा जबकि राजस्व प्राप्ति 17.64 प्रतिशत तक घट गई। इस 5.51 प्रतिशत के उल्लेखनीय अंतराल की पूर्ति पूर्णतः उधार से की गई, जिससे उच्च राजकोषीय घाटा एवं लगातार बढ़ता ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात सुनिश्चित होता है, जो भविष्यगामी बजटों पर दबाव उत्पन्न करता है।

व्यय संरचना: राजस्व व्यय (वेतन, पेंशन व ब्याज भुगतान जैसी प्रतिबद्ध मदों पर खर्च) बजट पर हावी रहा, जिसने दशक के दौरान कुल व्यय का 85 प्रतिशत से 89 प्रतिशत लगातार उपयोग किया **(चार्ट 1.19)**। इसके विपरीत पूंजीगत व्यय, जो बुनियादी ढांचे व दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक है, 11 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के बीच सीमित रहा। यह विकृत व्यय संरचना सुझाव देती है कि उधारों का एक बड़ा हिस्सा राजस्व लेखा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग की जाती रही है, जिससे पूंजीगत निवेश के लिए राजकोषीय विस्तार सीमित रह जाता है।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2025) में सचिव (वित्त) ने बताया कि लेखापरीक्षा ने कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय में 13.56 प्रतिशत से 11.10 प्रतिशत की गिरावट देखी है, जबकि इस अवधि में 2.46 प्रतिशत अंक की कमी का अर्थ प्रति वर्ष लगभग 0.25 प्रतिशत अंक की औसत गिरावट है। उन्होंने आगे बताया कि पूंजीगत निवेश का वास्तविक मौद्रिक मूल्य वास्तव में बढ़ा है।

क्षेत्र-वार कुल व्यय

क्षेत्र-वार व्यय का संघटन **तालिका 1.15** में दिया गया है तथा कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्षित अंश **चार्ट 1.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्षित अंश

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	13,623.80	14,289.39	18,060.65	19,503.14	20,700.79
सामाजिक सेवाएं	14,580.00	15,807.72	19,370.51	19,066.53	19,806.38
आर्थिक सेवाएं	10,630.97	12,119.10	13,016.90	11,791.75	13,126.62
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान एवं ऋण व अग्रिम)	329.48	385.68	116.66	106.95	34.25

स्रोत: वित्तीय लेखे

चार्ट 1.20: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष अंश

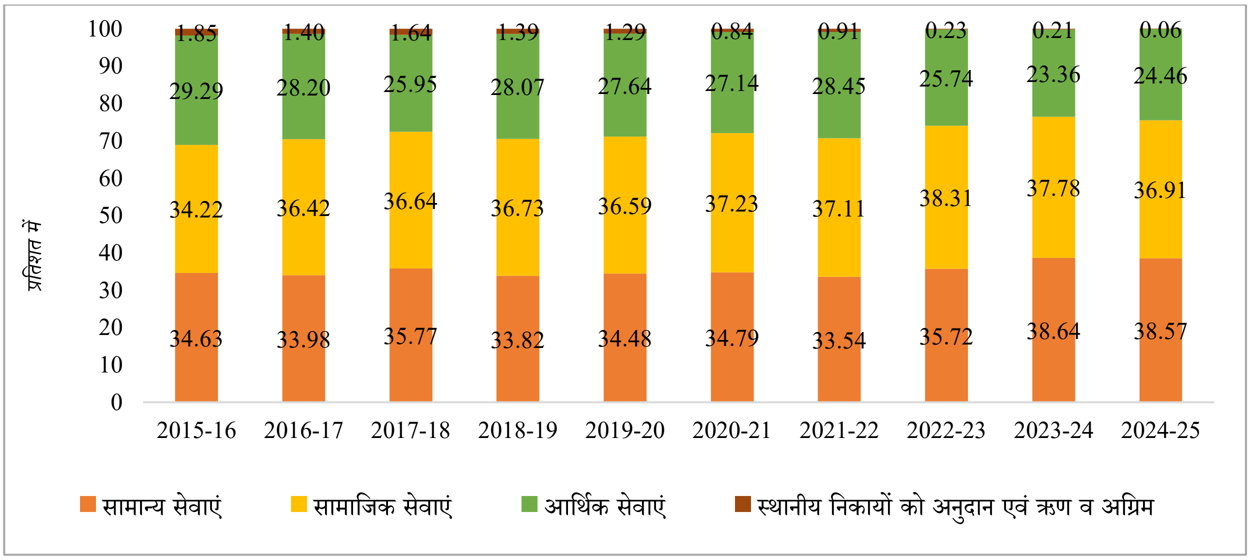

स्रोत: वित्तीय लेखे

विगत 10 वर्षों में व्यय वृद्धि मुख्यतः सामान्य व सामाजिक सेवाओं पर केंद्रित रही है, जो राजस्व-प्रधान एवं कल्याण-आधारित प्राथमिकताओं को दर्शाती है। पूंजी-सृजन करने वाली आर्थिक सेवाओं में एक संकीर्ण दायरे में बदलाव आया है, जो वर्ष 2015-16 में चरम पर पहुँचने के बाद वर्ष 2024-25 में घटकर सबसे निचले स्तर पर आ गई।

1.2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय वर्तमान सेवा स्तर बनाए रखने एवं पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के बुनियादी ढांचे व सेवा नेटवर्क में किसी वृद्धि के रूप में परिणत नहीं होते। राजस्व व्यय में वृद्धि, कुल व्यय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्ति से इसके अनुपात को **तालिका 1.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.16: राजस्व व्यय - मूल मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल व्यय	39,164.25	42,601.89	50,564.72	50,468.37	53,668.04
राजस्व व्यय	33,534.93	36,194.54	44,425.26	44,731.63	47,676.96
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	100.29	97.01	116.63	114.19	116.65
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	85.63	84.96	87.86	88.63	88.84

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	22.08	21.24	23.14	21.08	20.58
राजस्व प्राप्तियां	33,438.27	37,309.30	38,089.50	39,173.04	40,872.35
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,51,905	1,70,376	1,92,026	2,12,169	2,31,690
वर्ष-दर वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)					
राजस्व व्यय	9.13	7.93	22.74	0.69	6.58
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि	-4.56	12.16	12.71	10.49	9.20

स्रोत: वित्तीय लेखे

राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख अंश है, जो वर्षों से लगातार 85-89 प्रतिशत के मध्य रहा। राजस्व प्राप्ति में इसका अंश अधिकांश वर्षों में 100 प्रतिशत से अधिक रहा, जो वर्ष 2024-25 में 116.65 प्रतिशत के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया, जो निरंतर राजस्व घाटे को दर्शाता है। यह परिचायक है कि वर्तमान प्राप्ति दैनिक संचालन की पूर्ति हेतु अपर्याप्त हैं, जिससे उधारों पर निर्भरता आवश्यक हो जाती है। राजस्व व्यय-से-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 20-23 प्रतिशत के मध्य बना हुआ है, जिससे यह संकेत मिलता है कि राज्य के उत्पादन का लगभग एक-चौथाई अंश राजस्व व्यय के लिए है।

सचिव (वित्त) ने बताया कि (दिसंबर 2025) वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में उच्च वृद्धि मुख्य रूप से वेतन संशोधन के कारण थी, जिसे वर्ष 2023-24 राजस्व व्यय वृद्धि को 0.69 प्रतिशत तक कम करते हुए सरकार ने बाद में नियंत्रित कर लिया।

क. क्षेत्र-वार राजस्व व्यय

क्षेत्र-वार राजस्व व्यय का संघटन **तालिका 1.17** में दिया गया है तथा विभिन्न क्षेत्रों का राजस्व व्यय में सापेक्षित अंश **चार्ट 1.21** में दर्शाया गया है। विस्तृत क्षेत्र-वार व्यय **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.17: क्षेत्र-वार राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	13,454.26	13,899.76	17,763.27	19,146.43	20,372.44
सामाजिक सेवाएं	12,843.81	13,882.41	17,408.48	17,322.92	17,888.09
आर्थिक सेवाएं	7,227.49	8,404.66	9,247.42	8,262.28	9,416.43
सहायता-अनुदान एवं योगदान	9.37	7.71	6.09	0.00	0.00

स्रोत: वित्तीय लेखे

चार्ट 1.21: राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्षित अंश

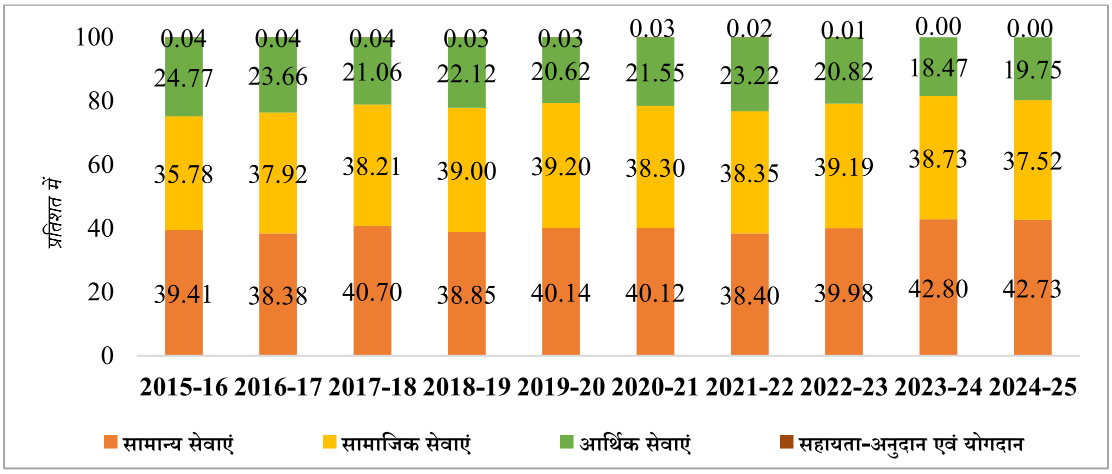

स्रोतः सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त चार्ट वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्षित अंश को दर्शाता है, जिससे बढ़ती निश्चित लागतों और विकास-उन्मुख खर्च के लिए घटती प्राथमिकता की स्पष्ट प्रवृत्ति उजागर होती है। राज्य के राजस्व व्यय का 80 प्रतिशत से अधिक अंश की खपत सामाजिक सेवाओं व सामान्य सेवाओं दोनों में होती है। इस उच्च सांद्रता से बजट अत्यधिक अनम्य हो जाता है। जब सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्ति में गिरावट हो रही है **(चार्ट 1.7)**, तो आर्थिक सेवाओं पर व्यय का अपेक्षाकृत छोटा अंश राजकोषीय समायोजन के दौरान अधिक संकुचन का सामना करता है, जो खर्च की गुणवत्ता और राज्य की मध्यावधि विकास संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

ख. प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखाओं पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान; वेतन एवं मजदूरी पर व्यय; तथा पेंशन शामिल होते हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला प्रभार होता है। प्रतिबद्ध व्यय के घटक **तालिका 1.18** में दिए गए हैं तथा प्राप्तियों व अन्य व्यय हेतु शेष राजकोषीय विस्तार के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय **चार्ट 1.22** में दिया गया है।

तालिका 1.18: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
वेतन व मजदूरी [4]	13,411.41	13,880.31	17,587.18	17,124.03	17,461.50
पेंशन पर व्यय	6,088.39	6,398.91	9,283.87	9,212.64	9,543.85
ब्याज भुगतान	4,472.45	4,640.79	4,828.64	5,648.37	6,260.93
योग	**23,972.25**	**24,920.01**	**31,699.69**	**31,985.04**	**33,266.28**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय	71.48	68.85	71.36	71.50	69.77

स्रोतः वित्त लेखे

[4] इसमें सहायता-अनुदान (वेतन): 2020-21 (₹ 1,507.74 करोड़); 2021-22 (₹ 1,687.79 करोड़); 2022-23 (₹ 1,736.31 करोड़); 2023-24 (₹ 1,771.45 करोड़) व 2024-25 (₹ 1,814.02 करोड़)।

हिमाचल प्रदेश में प्रतिबद्ध व्यय का उच्च स्तर राजकोषीय लचीलेपन को गंभीर रूप से सीमित करता है। वर्ष 2024-25 में वेतन, पेंशन व ब्याज पर प्रतिबद्ध व्यय ₹ 33,266 करोड़ तक पहुंच गया। छठे वेतन आयोग के संशोधनों एवं बकाया भुगतान के लागू होने के बाद, वर्ष 2022-23 में पेंशन व वेतन के अंतर्गत सबसे तेज वृद्धि देखी गई। वर्ष 2022-23 में अकेले पेंशन व्यय में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई (₹ 6,399 करोड़ से ₹ 9,284 करोड़) और तब से यह उच्च स्तर पर बनी हुई है। जब सब्सिडी (₹ 1,872 करोड़) शामिल की गई, तो राजस्व प्राप्ति का लगभग 86 प्रतिशत उपभोग करते हुए "अनिवार्य" व्यय ₹ 35,139 करोड़ तक बढ़ गया। दूसरे शब्दों में वित्त वर्ष 2024-25 में विवेकाधीन या विकासात्मक खर्च के लिए केवल 14 प्रतिशत राजस्व उपलब्ध था। यह एक अत्यंत संकीर्ण राजकोषीय विस्तार है, जो कम पूंजीगत निवेश एवं नई पहलों के लिए राज्य की उधारों पर निर्भरता को स्पष्ट करता है। तुलनात्मक रूप से कई समकक्ष राज्यों में अनिवार्यता कहीं कम है - उदाहरण के लिए, अरुणाचल का प्रतिबद्ध व्यय लगभग 42 प्रतिशत व उत्तराखंड का लगभग 55-60 प्रतिशत है, जिससे उन्हें अधिक संभावना मिलती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उभरते जोखिम, जैसे जलवायु-संबंधी आपदाएं यथा बाढ़ व भूस्खलन, जो अचानक राहत एवं पुनर्निर्माण व्यय में अचानक वृद्धि कर सकती हैं, बजटीय बफर की आवश्यकता को और अधिक रेखांकित करते हैं तथा आने वाले वर्षों में अनुशासित राजकोषीय प्रबंधन का महत्व प्रकट करते हैं।

चार्ट 1.22: राजस्व व्यय एवं शेष राजकोषीय विस्तार के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय

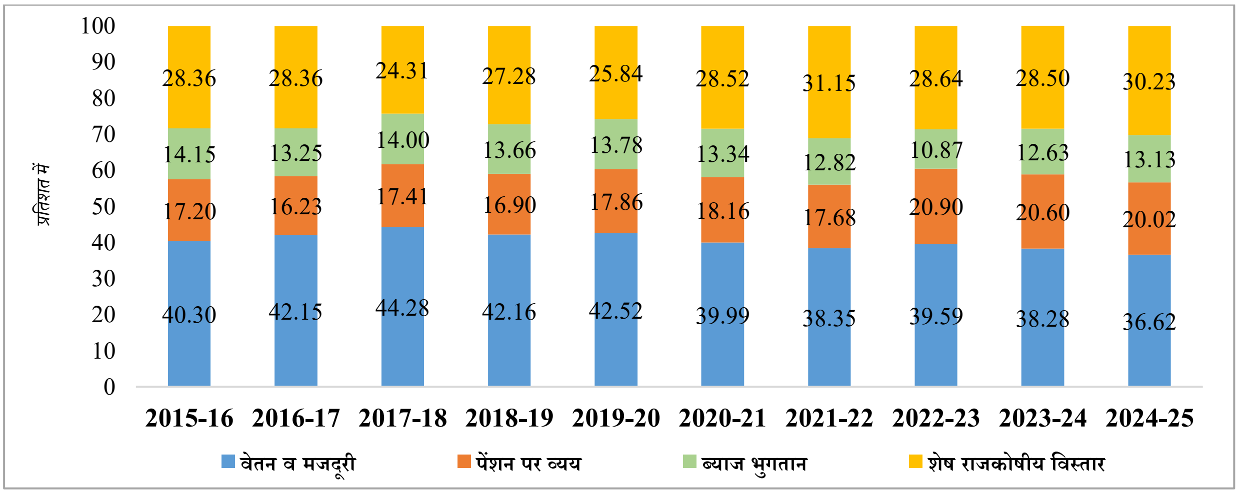

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि विगत दशक में राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय (वेतन व मजदूरी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान) का अंश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। राजस्व व्यय का लगभग दो-तिहाई से तीन-चौथाई पूर्व-प्रतिबद्धता है, जिससे विकासात्मक या विवेकाधीन व्यय के लिए सीमित राजकोषीय विस्तार बचता है।

ग. सब्सिडी

सब्सिडी खर्च हिमाचल के वित्त पर प्रभाव डालने वाला एक और क्षेत्र है। हालांकि यह वेतन या पेंशन की तुलना में छोटे पैमाने पर है, परन्तु कुछ क्षेत्रों में सब्सिडी बढ़ी है, जिसने बजट के लचीलेपन पर दबाव डाला है। वर्ष 2024-25 में कुल सब्सिडी ₹ 1,872 करोड़ थी - जो राजस्व

व्यय का लगभग चार प्रतिशत है। प्रमुख सब्सिडी वाले क्षेत्रों में विद्युत (विद्युत टैरिफ सब्सिडी), परिवहन तथा खाद्य एवं आपूर्ति शामिल हैं।

विभाग-वार प्रमुख सब्सिडी (2020-25) तथा वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 हेतु सब्सिडी की प्रवृत्तियों का विश्लेषण **तालिका 1.19** व **चार्ट 1.23** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान विभाग-वार सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	ऊर्जा	520.45	419.99	1,044.03	933.29	942.85
2	खाद्य और आपूर्ति	239.97	314.53	337.20	210.90	179.75
3	परिवहन	171.20	171.20	201.21	412.15	542.00
4	कृषि	108.18	87.73	126.76	80.39	66.34
5	बागवानी	111.20	101.23	118.61	86.12	99.96
6	अन्य	89.63	93.31	145.51	45.50	41.30
	कुल सब्सिडी	**1,240.63**	**1,187.99**	**1,973.32**	**1,768.35**	**1,872.20**

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.23: सब्सिडी की प्रवृत्तियों का विश्लेषण

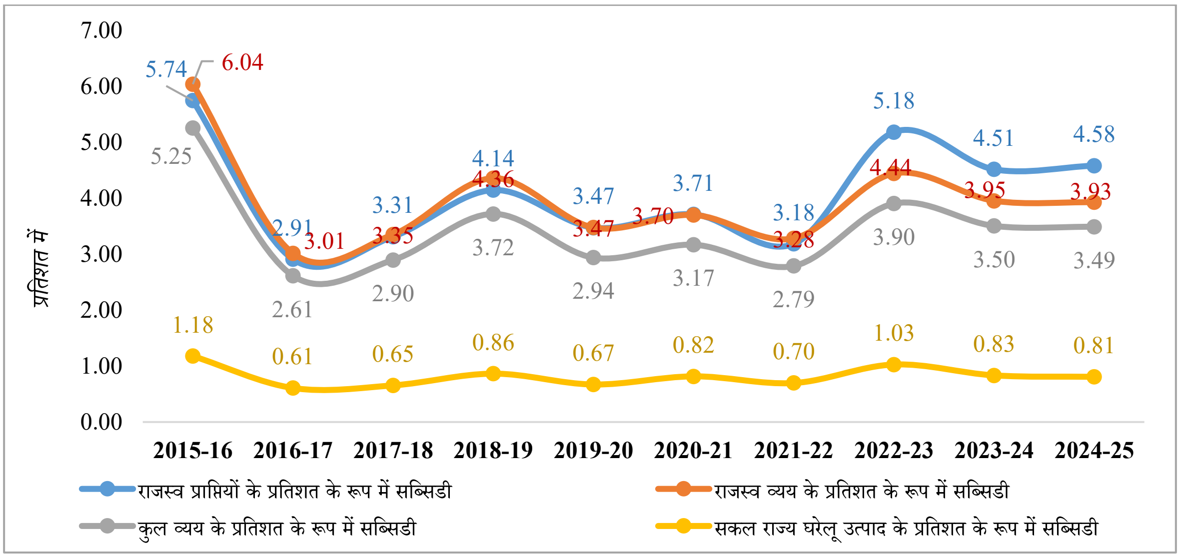

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि -

- राज्य की कुल सब्सिडी का एक महत्वपूर्ण अंश लगातार ऊर्जा क्षेत्र की ओर नीतियुक्त टैरिफ कटौती (रोल-बैक) के माध्यम से दिया जाता है। ये वृद्धि सीधे सरकार के सब्सिडी वाले या निःशुल्क विद्युत प्रदान करने के जानबूझकर लिए गए नीतिगत निर्णयों से होती है - यह एक लक्ष्यित उपाय है जिसे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने, किसानों को कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने तथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर आर्थिक गतिविधि को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी सहायता, श्रेणी-वार रोल-बैक सब्सिडी तथा समायोजित सब्सिडी की स्थिति **तालिका 1.20, 1.21 व 1.22** में दी गई है।

तालिका 1.20: राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान दावा की गई सब्सिडी	कुल सब्सिडी	राज्य सरकार द्वारा जारी	अंत शेष
2020-21	110.08	462.56	572.64	520.45	52.19
2021-22	52.19	457.20	509.39	419.99	89.40
2022-23	89.40	946.90	1,036.30	1,044.03	-7.73
2023-24	-7.73	941.87[5]	934.14	933.29	0.85
2024-25	0.85	1,649.80	1,650.65	942.85	707.80[6]

तालिका 1.21: रोल-बैक सब्सिडी की श्रेणी/क्षेत्र-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कृषि	घरेलू	व्यावसायिक	वृहद विद्युत प्रदाय	अन्य*	कुल
2020-21	20.22	442.33	0.00	0.00	0.00	**462.56**
2021-22	22.27	434.92	0.00	0.00	0.00	**457.20**
2022-23	30.08	760.79	13.25	115.31	27.48	**946.90**
2023-24	27.37	876.50	1.25	11.23	2.68	**919.04**
2024-25	41.76	1,174.10	46.27	307.12	80.56	**1,649.80**

** "अन्य" में थोक आपूर्ति, जल शक्ति, मध्यम व लघु विद्युत प्रदाय, अघरेलू/अव्यावसायिक, सड़क लाइट व अस्थायी आपूर्ति शामिल हैं।*

तालिका 1.22: समायोजित सब्सिडी का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विद्युत शुल्क के प्रति समायोजित सब्सिडी	राज्य सरकार के किसी अन्य बकाया के प्रति समायोजित सब्सिडी	कुल समायोजित सब्सिडी
2020-21	400.85	199.60	520.45
2021-22	299.99	120.00	419.99
2022-23	254.61	0	254.61
2023-24	368.18	0	368.18
2024-25	493.25	0	493.25

- समायोजित सब्सिडी से न केवल राज्य की राजस्व प्राप्तियों में अपितु इसके राजस्व व्यय में भी न्यूनोक्ति होती है, जिससे राज्य के लेखाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
- परिवहन में कुल सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा था। सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम को उल्लेखनीय सब्सिडी प्रदान करती है (जैसे महिलाओं, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों आदि को निःशुल्क एवं रियायती यात्रा सुविधा एवं घाटे वाले मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन)। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों, विशेष रूप से दूर-दराज एवं सेवा-वंचित क्षेत्रों में रहने वालों को विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन

---

5 *इसमें वर्ष के दौरान ₹ 919.04 करोड़ एवं वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कम दावा की गई ₹ 22.83 करोड़ की सब्सिडी शामिल है।*

6 *हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जून 2025 के माह में जारी।*

सेवाएं मिलें, क्योंकि भले ही ये मार्ग घाटे में चलने वाले हो, फिर भी सार्वजनिक परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

- खाद्य एवं आपूर्ति सब्सिडी सामाजिक कल्याण की आधारशिला हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि आवश्यक वस्तुएं प्रत्येक परिवार तक पहुंचें। वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य गेंहू, चावल, दालें, चीनी, तेल व आयोडीन युक्त नमक जैसी मुख्य खाद्य वस्तुओं की खरीद और आपूर्ति की गारंटी देता है, जिससे गरीबी रेखा से ऊपर तथा नीचे दोनों प्रकार के परिवारों का पोषणीय कल्याण सुनिश्चित होता है।
- वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्ति-से-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात घटकर दशक के न्यूनतम स्तर 17.64 प्रतिशत पर आ गया **(चार्ट 1.7)**। इसी अवधि में सब्सिडी पर व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.58 प्रतिशत बना रहा **(चार्ट 1.23)**। संकुचित राजस्व आधार के परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ यह है कि राज्य की राजस्व क्षमता का अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा सब्सिडियों में पहले ही खर्च हो जाता है, जिससे पूंजीगत निवेश हेतु उपलब्ध राजकोषीय विस्तार कम हो जाता है और राज्य उच्च खपत व कमजोर वृद्धि के चक्र में फंसा रहता है।

इस प्रतिबद्ध व्यय चक्र से बाहर निकलना चुनौतीपूर्ण है। लचीलापन पुनःस्थापित करने के लिए व्यय सुधार की तत्काल आवश्यकता है। इसमें वेतन एवं पेंशन व्यय की वृद्धि को कम करने के उपायों के साथ-साथ सब्सिडियों का युक्तिकरण तथा बेहतर ढंग से लक्ष्य करना शामिल हो सकता है। सरकार ने इन आवश्यकताओं को स्वीकार किया है; उसे सब्सिडियों को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित करना, कर्मचारियों से संबंधित लागतों का प्रबंधन करना एवं दक्षता में सुधार के विकल्पों का अन्वेषण करना होगा, जिससे प्रतिवर्ष लगभग ₹ 400 करोड़ की राशि मुक्त हो सकती है- यह निधियां पूंजीगत निवेश या अधिक प्रभाव वाले सामाजिक कार्यक्रमों में लगाई जा सकती हैं।

हिमाचल प्रदेश का बजट नए उपायों के बिना वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, आदि जैसे मौजूदा अनिवार्य व्ययों से इस प्रकार बंधा हुआ है कि लगभग समस्त नई राजस्व प्राप्तियां तुरंत ही खर्च हो जाती हैं, जिससे नई परियोजनाओं हेतु कोई निधियां शेष नहीं रहती।

घ. स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता **तालिका 1.23** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.23: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
(अ) स्थानीय निकाय					
नगर निगम व नगर पालिकाएं	814.58	800.71	903.04	970.76	653.71
पंचायती राज संस्थाएं	1,176.07	1,148.28	1,753.44	1,193.24	2,406.93
कुल (अ)	**1,990.65**	**1,948.99**	**2,656.48**	**2,164.00**	**3,060.64**

संस्थानों को वित्तीय सहायता	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
(ब) अन्य					
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	944.59	1,031.74	1,157.21	1,208.67	1,531.41
विकास प्राधिकरण	238.37	331.69	330.42	337.65	388.97
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थान	458.23	673.60	671.32	446.70	532.71
अन्य संस्थान	931.27	994.78	1031.51	935.19	717.29
कुल (ब)	**2,572.46**	**3,031.81**	**3,190.46**	**2,928.21**	**3,170.38**
योग (अ+ब)	**4,563.11**	**4,980.80**	**5,846.94**	**5,092.21**	**6,231.02**
जिसमें, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ कुल सहायता-अनुदान	1,039.73	833.26	1,376.62	911.05	1,183.20
राजस्व व्यय	33,534.93	36,194.54	44,425.26	44,731.63	47,676.96
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता	13.61	13.76	13.16	11.38	13.07

स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से प्राप्त जानकारी।

वित्तीय सहायता में वर्ष-दर-वर्ष उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव प्रदर्शित हुआ, विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं को किए जाने वाले आवंटनों व पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु अनुदानों में। जहां नगरपालिकाओं के लिए वित्तपोषण में कमी आई है, वहीं पंचायती राज संस्थाओं व शैक्षणिक संस्थानों को दिए जाने वाले आवंटन में वृद्धि हुई, जो ग्रामीण विकास एवं शिक्षा की ओर नीतिगत प्राथमिकता को दर्शाता है। इस अस्थिरता के बावजूद, परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान पर्याप्त बने हुए हैं, जो अवसंरचना विकास के लिए निरंतर प्रयासों को परिलक्षित करते हैं।

वित्तीय सहायता राजस्व व्यय का लगभग 11 से 14 प्रतिशत हिस्सा सतत बनी रही, जो इसे एक स्थिर एवं महत्वपूर्ण राजकोषीय घटक के रूप में रेखांकित करता है।

1.2.4.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसी अचल बुनियादी संपत्तियों के निर्माण पर हुआ व्यय है। केंद्र व राज्य दोनों में पूंजीगत व्यय की पूर्ति बजटीय सहायता एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/बजट से इतर संसाधनों से की जा रही है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/निगमों में किए गए निवेश भी शामिल हैं। विगत 10 वर्षों, अर्थात वर्ष 2015-25 के दौरान राज्य में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में उसका विवरण **चार्ट 1.24** में दिया गया है।

चार्ट 1.24: राज्य में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति

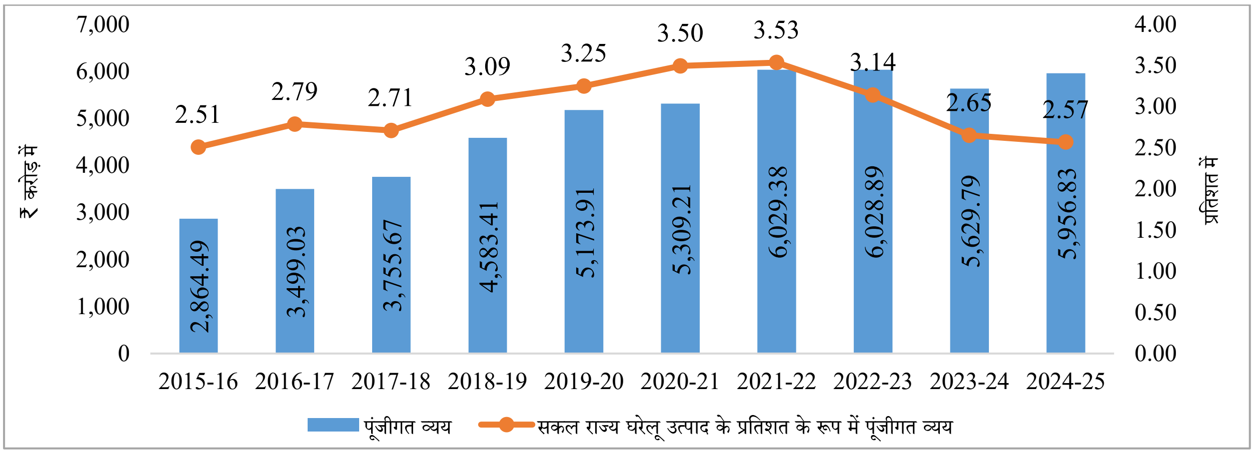

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत परिव्यय लगभग ₹ 6,000 करोड़ ही रहा (कुल व्यय का लगभग 11 प्रतिशत), जो राज्य के वार्षिक पेंशन व्यय से भी कम है। वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.53 प्रतिशत के शिखर पर पहुंचने के बाद पूंजीगत व्यय में लगातार गिरावट आई और वर्ष 2024-25 में यह घटकर 2.57 प्रतिशत रह गया **(चार्ट 1.24)**। पूंजीगत व्यय में यह गिरावट ठीक उसी समय हुई है, जब सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां भी घटकर वर्ष 2024-25 में दशक के न्यूनतम स्तर 17.64 प्रतिशत पर आ गई **(चार्ट 1.7)**। क्योंकि प्रतिबद्ध व्ययों (वेतन, ब्याज व पेंशन) का भुगतान पहले करना अनिवार्य होता है, इसलिए संकुचित राजस्व आधार ने घाटे के प्रबंधन के लिए सरकार को लचीले पूंजीगत व्यय बजट को कटौती का प्राथमिक लक्ष्य बनाने के लिए विवश किया।

पूंजीगत व्यय की कुल व्यय से अंतर्राज्यीय तुलना **चार्ट 1.25** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.25: पूंजीगत व्यय की कुल व्यय से अंतर्राज्यीय तुलना

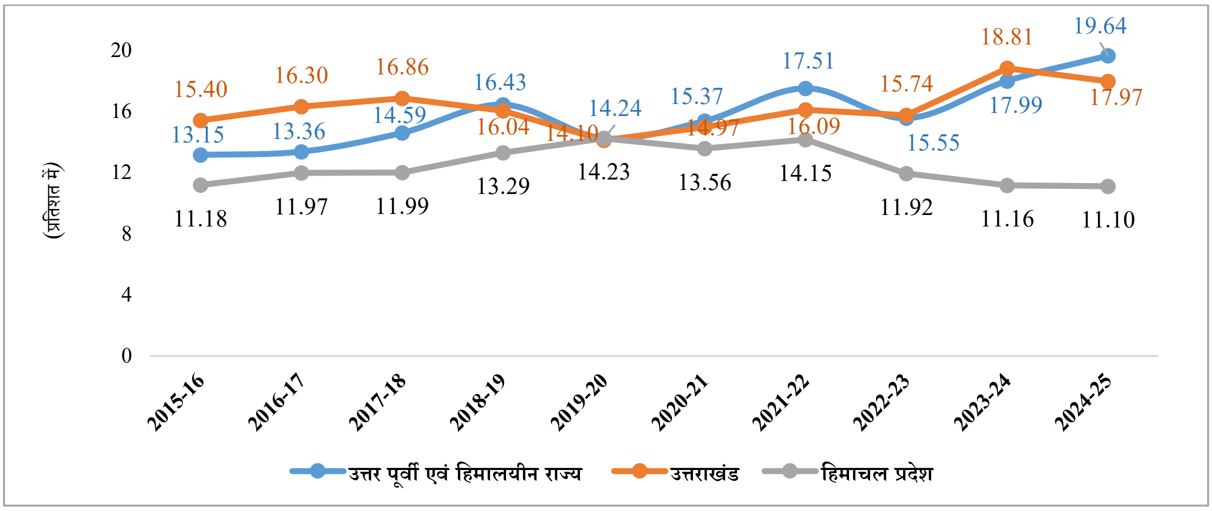

क. क्षेत्र-वार पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय का क्षेत्र-वार संघटन एवं उसके सापेक्षित अंश को **तालिका 1.24** व **चार्ट 1.26** में दर्शाया गया है। क्षेत्र-वार व्यय का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.24: क्षेत्र-वार पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सामान्य सेवाएं	169.54	389.63	297.38	356.71	328.35
सामाजिक सेवाएं	1,736.19	1,925.31	1,962.03	1,743.61	1,918.29
आर्थिक सेवाएं	3,403.48	3,714.44	3,769.48	3,529.47	3,710.19
ऋण व अग्रिम	320.11	377.97	110.57	106.95	34.25

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.26: पूंजीगत व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्षित अंश

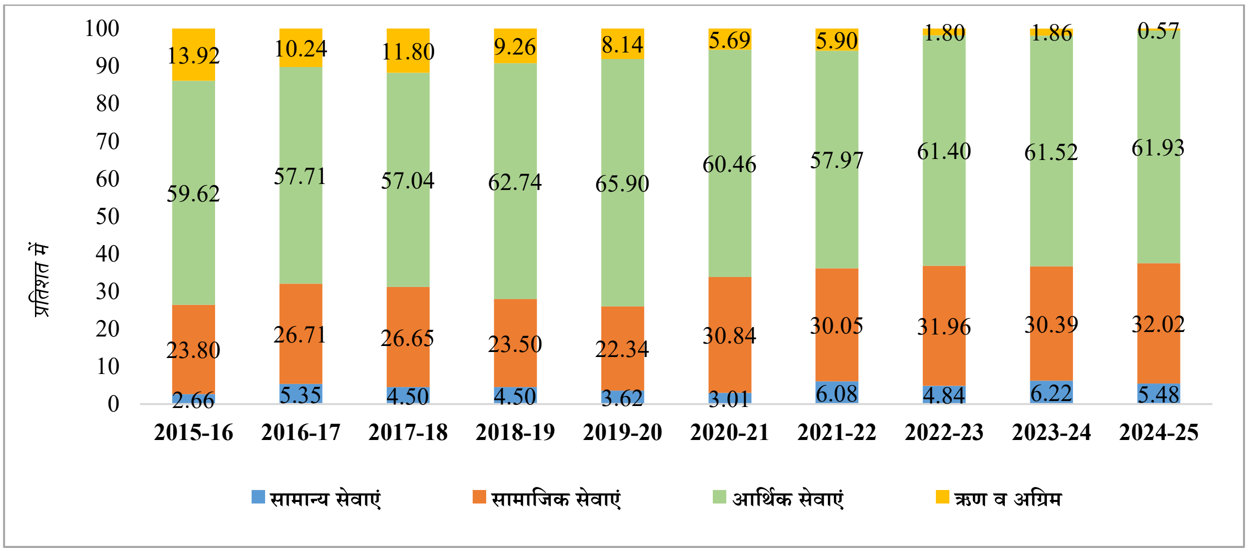

स्रोत: वित्त लेखे

पूंजीगत व्यय के संघटन **(चार्ट 1.26)** से प्रदर्शित हुआ कि वर्ष 2024-25 में आर्थिक सेवाओं (अवसंरचना, उद्योग आदि) पर लगातार बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च हुआ, जो 65.90 प्रतिशत के उच्चतम स्तर तक पहुंच कर 61.93 प्रतिशत पर स्थिर हुआ। यद्यपि आर्थिक सेवाओं पर उच्च व्यय सामान्यतः वृद्धि के लिए सकारात्मक माना जाता है, तथापि इस व्यय को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.57 प्रतिशत तक घटे समग्र पूंजीगत व्यय (जैसाकि **चार्ट 1.24** में दर्शाया गया है) के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। राज्य मूलतः सबसे उपयुक्त क्षेत्र को सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित कर रहा था परन्तु कुल आवंटन तेजी से घट रहा था।

चार्ट 1.27: वस्तु शीर्ष-वार वर्गीकरण

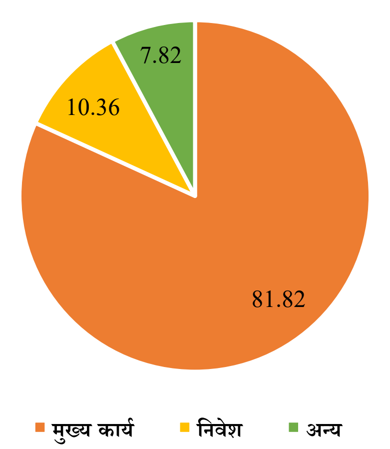

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय की माह-वार प्रवृत्ति एवं मुख्य शीर्ष-वार तुलना **चार्ट 1.28** व **1.29** में दी गई है।

चार्ट 1.28: पूंजीगत व्यय की माह-वार प्रवृत्ति

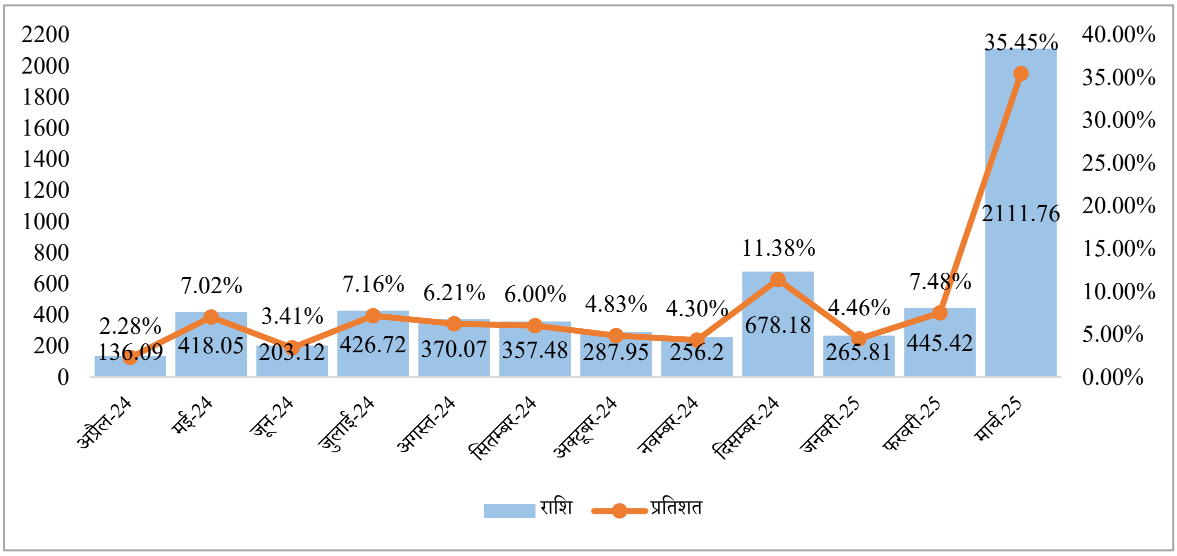

चार्ट 1.29: गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय की मुख्य शीर्ष-वार तुलना

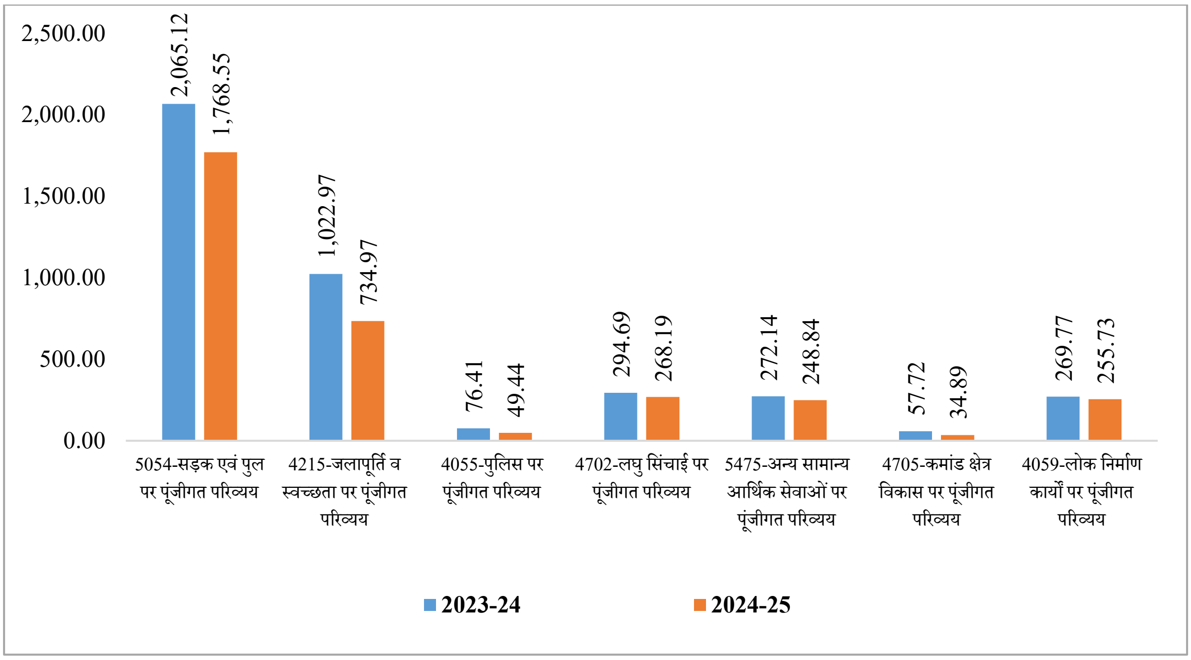

वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय का संघटन सामान्य सेवाओं के अंश में वृद्धि को परिलक्षित करता है, जो वर्ष 2015-16 के 2.66 प्रतिशत से दोगुने से बढ़कर 5.48 प्रतिशत से अधिक हो गया तथा यह प्रशासनिक व सामान्य अवसंरचना की ओर अधिक आवंटन को प्रतिबिम्बित करता है। दशक के दौरान कुल पूंजीगत व्यय बजट में सामाजिक सेवाओं का अंश 23.80 प्रतिशत से बढ़कर 32.02 प्रतिशत हो गया। इसके साथ मिल कर संकुचित राजस्व आधार ने कुल पूंजीगत व्यय में व्यापक कटौती हेतु बाध्य किया। क्योंकि राज्य का बजट संकुचित हो रहा था तथा प्रशासन पर अधिक धनराशि खर्च हो रही थी, अतः आर्थिक सेवाओं का क्षेत्र–जो रोजगार सृजन एवं भविष्यगामी राजस्व का आधार होता है–पर्याप्त वित्तपोषण से वंचित रह गया, इससे राज्य को निवेश करना और भविष्य की वृद्धि सुनिश्चित करना कठिन हो गया तथा परिणामस्वरूप वह निम्न-वृद्धि के चक्र में फंस गया।

ख. निवेश की गुणवत्ता

कंपनियों, निगमों व अन्य निकायों में निवेश

31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार का कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश ₹ 6,239.08 करोड़ था, जिसमें सरकारी कंपनियां (₹ 2,292.85 करोड़), सहकारी सोसायटियां (₹ 36.98 करोड़), सांविधिक निगम/ बोर्ड (₹ 2,797.64 करोड़), अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियां व साझेदारी (₹ 1,098.24 करोड़) तथा सहकारी बैंक (₹ 13.37 करोड़) शामिल थे।

कंपनियों, निगमों एवं सहकारी बैंकों व सोसायटियों में निवेश पर प्रतिफल की प्रवृत्ति, सरकारी उधारों की लागत और निवेश पर प्रतिफल के मध्य का अंतर **चार्ट 1.30** में दर्शाया गया है। किए गए निवेश पर प्रतिफल की तुलना में सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर **चार्ट 1.31** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.30: निवेश एवं प्रतिफल

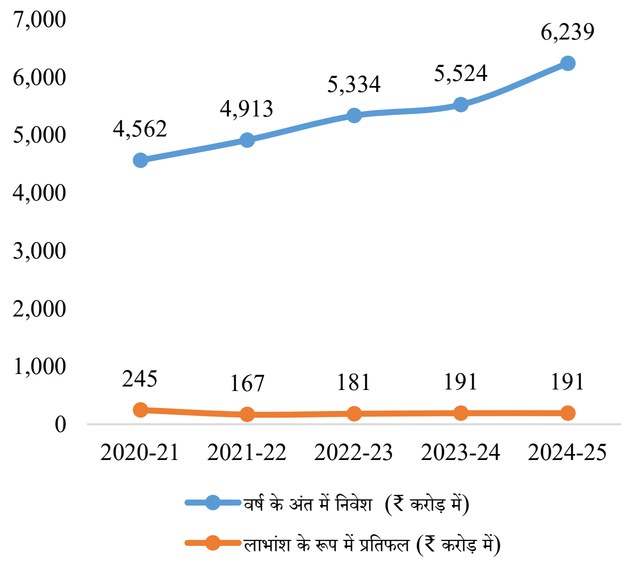

चार्ट 1.31: निवेश पर प्रतिफल की दर की तुलना में सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर

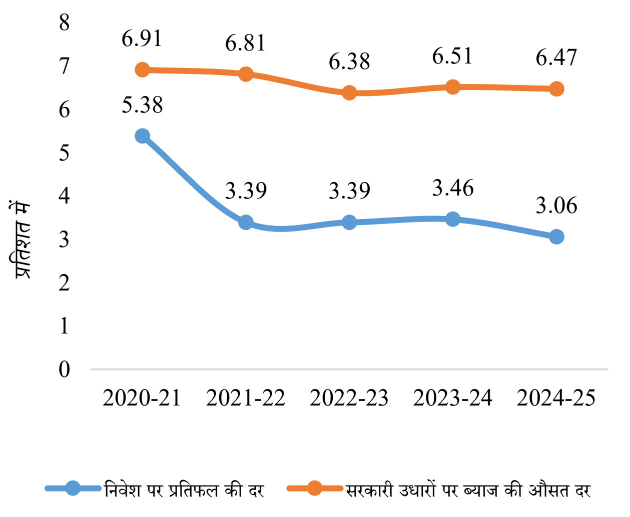

कुल निवेश (₹ 6,239.08 करोड़) में से 93.10 प्रतिशत छः कंपनियों (हिमाचल पथ परिवहन निगम: ₹ 1,793.55 करोड़, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड - ₹ 904.54 करोड़, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड: ₹ 1,086.89 करोड़, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन: ₹ 461.83 करोड़, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड: ₹ 460.05 करोड़, सतलुज जल विद्युत निगम: ₹ 1,098.14 करोड़) में निवेश किया गया।

राज्य सरकार को प्राप्त ₹ 191.04 करोड़ के कुल लाभांश (राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/सोसायटी से) में से लगभग 99 प्रतिशत लाभांश राज्य के एक ही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सतलुज जल विद्युत निगम) से प्राप्त हुआ, जबकि अधिकांश राज्य-स्वामित्व वाले उद्यमों ने लाभांश का कोई प्रतिफल नहीं दिया। तथ्य यह है कि सतलुज जल विद्युत निगम के अतिरिक्त राज्य के निवेशों पर प्रभावी प्रतिफल लगभग 'शून्य' रहा। वहीं दूसरी ओर, राज्य उसके उधार पर औसतन 6.47 प्रतिशत की ब्याज दर से भुगतान करता है। इसका अर्थ यह है कि हिमाचल लगभग ~6.5 प्रतिशत की दर से धन उधार ले रहा है और उसे ऐसी संस्थाओं में

निवेश कर रहा है, जो <1 प्रतिशत प्रतिफल देती हैं, इससे नकारात्मक स्प्रेड एवं निवल राजकोषीय हानि हो रही है। अतः प्रतिफल की आशा में लिया गया ऋण अधिकांशतः बजट को राहत देने के बजाय बोझ ही बढ़ा रहा है। इसके अतिरिक्त कई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को समय-समय पर बजटीय सहायता या उद्धार पैकेज की आवश्यकता होती है, जिससे व्यय बढ़ता है। उदाहरणार्थ (अनुवर्ती परिच्छेद में बताया गया है), वर्ष 2024-25 में हिमाचल पथ परिवहन निगम को बस खरीद एवं ऋण चुकौती हेतु ₹ 472 करोड़ को "निवेश" के रूप में प्राप्त करना वास्तव में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मिला अनुदान है।

इसी भांति वर्ष 2015-16 में राज्य ने विद्युत वितरण सुधारों के लिए लागू उदय योजना के तहत ₹ 2,890 करोड़ का डिस्कॉम ऋण अपने ऊपर ले लिया, जिससे सरकारी ऋण बढ़ गया (यद्यपि इससे उपक्रम को राहत मिली)। यदि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सुधार नहीं करते, तो ऐसी आकस्मिक देयताएं प्रत्यक्ष देयताओं में परिवर्तित हो सकती हैं - जो एक स्पष्ट राजकोषीय जोखिम है।

लाभांश की कम वसूली

तेरहवें वित्त आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों द्वारा सरकारी इक्विटी पर न्यूनतम पांच प्रतिशत लाभांश अदायगी की अनुशंसा की थी (दिसंबर 2009)। राज्य सरकार ने अनुशंसा को स्वीकार करते हुए उसके सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (कल्याण व उपयोगिता क्षेत्र को छोड़कर) को निर्देश दिया (जुलाई 2011) कि वे राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों पर न्यूनतम 5 प्रतिशत प्रतिफल का भुगतान, कर के पश्चात लाभ का 50 प्रतिशत की सीमा तक करेंगे।

विगत वितीय वर्ष (2023-24) के दौरान के राज्य के 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों[7] ने उनके नवीनतम अंतिमिकृत लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित किया; तथापि राज्य के मात्र दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने लाभांश घोषित किया। राज्य सरकार जारी निर्देशों के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य के दस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ₹ 16.07 करोड़ का लाभांश प्राप्त करने की पात्र थी। तथापि दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों[8] से केवल ₹ 0.51 करोड़ ही वास्तव में प्राप्त हुए। इनमें से राज्य के केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने निर्धारित दरों पर लाभांश का भुगतान किया। राज्य के आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कोई लाभांश घोषित/अदा नहीं किया।

---

7 हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा निगम लिमिटेड, हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड, रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकास निगम एचपी लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

8 हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड

सहायता-अनुदानों का निवेश (पूंजीगत व्यय) के रूप में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को शीर्ष 5055-00-190-02-43 (₹ 452.23 करोड़), 5055-00-789-01-43 (₹ 15.11 करोड़) व 5055-00-796-01-43 (₹ 5.40 करोड़) के अंतर्गत कुल ₹ 472.73 करोड़ के - निवेश जारी किए, जिन्हें पूंजीगत परिव्यय के व्यय के रूप में वर्गीकृत किया। इसमें से ₹ 412.73 करोड़ (दिसंबर 2024 में ₹ 272.40 करोड़ व मार्च 2025 में ₹ 140.33 करोड़) 327 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद हेतु जारी किए गए तथा ₹ 60 करोड़ हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा बसों की खरीद के लिए पूर्व में लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु जारी किए गए।

सरकारी लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार, निवेश से तात्पर्य उस व्यय से है जो वित्तीय या टिकाऊ परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु किया जाता है, जिनमें सरकार को स्वामित्व या नियंत्रण प्राप्त होता है। ऐसे व्यय का उद्देश्य या तो सरकार के स्वामित्व वाली स्थायी प्रकृति की पूंजीगत परिसंपत्तियों में वृद्धि करना होता है या आवर्ती देयताओं को कम करना होता है। अतः निवेश में सरकार के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के सृजन के प्रयोजनार्थ शेयरों, इक्विटी, प्रतिभूतियों, निक्षेप तथा इसी प्रकार के अन्य लेन-देन की खरीद शामिल होती है। इसके विपरीत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ संस्थानों या निकायों को दिए गए सहायता-अनुदान को अनुदानदाता (सरकार) की लेखा-बहियों में पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे निर्मित परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास न होकर प्राप्तकर्ता एजेंसी के पास होता है।

वर्तमान मामले में राज्य सरकार द्वारा जारी निधियों से खरीदी गई इलेक्ट्रिक बसों का स्वामित्व सरकार के बजाय हिमाचल पथ परिवहन निगम के पास होगा। अतः यह व्यय पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता-अनुदान है तथा इसे पूंजीगत निवेश के रूप में दर्ज करने के स्थान पर सरकार के लेखाओं के राजस्व प्रभाग में पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु सहायता-अनुदानों के प्रासंगिक शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था। ***व्यय को गलत बुक करना राज्य के लेखाओं में पूंजीगत व्यय की अत्योक्ति एवं राजस्व घाटे की ₹ 472.73 करोड़ तक न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ।*** यह भी पाया गया कि 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद हेतु आवंटन-पत्र अप्रैल 2025 में जारी किया गया। इसी भांति वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 96.75 करोड़ की राशि को निवेश (बसों की खरीद हेतु पूर्व में लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए ₹ 55 करोड़; नादौन में कार्यशाला हेतु भूमि की खरीद के लिए ₹ 6.82 करोड़; ई-चार्जिंग अवसंरचना के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को किया गया ₹ 11.43 करोड़ का भुगतान एवं ई-बसों की खरीद के लिए ₹ 23.50 करोड़ शामिल हैं) के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसे राजस्व प्रभाग के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु सहायता-अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।

सचिव (वित्त) के साथ हुई अंतिम बैठक (दिसंबर 2025) में यह आश्वासन दिया गया कि निवेश को हिमाचल पथ परिवहन निगम के औपचारिक शेयरों या इक्विटी में परिवर्तित कर के सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम का कार्यान्वयन

उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	अनिवार्य सुधार (लक्ष्य)	हिमाचल प्रदेश सरकार/ डिस्कॉम की उपलब्धि/परिणाम
I. वित्तीय सुधार		
ऋण अधिग्रहण	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डिस्कॉम के 75% ऋण का अधिग्रहण: ₹ 2,890.50 करोड़ (30.09.2015 तक)।	उदय योजना एवं त्रिपक्षीय समझौतों के प्रावधानों के अनुसार, वर्ष 2016-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऋण का अधिग्रहण करके 30 सितंबर 2015 को राज्य डिस्कॉम (हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड) से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 3,854.00 करोड़) में से कुल ऋण ₹ 2,890.50 करोड़ का अधिग्रहण किया। समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड को फरवरी 2021 तक उदय ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की बाध्यता थी। उदय समझौते की शर्तों के अनुसार, डिस्कॉम ने फरवरी 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए ₹ 911.12 करोड़ का ब्याज अदा किया। इसके पश्चात ₹ 2,890.50 करोड़ की राशि, जो उदय योजना के अंतर्गत सब्याज ऋण के रूप में प्रदान की गई थी, को वर्ष 2020-21 के दौरान 75 प्रतिशत (₹ 2,167.50 करोड़) अनुदान व 25 प्रतिशत (₹ 723.00 करोड़) इक्विटी में परिवर्तित किया जाना था। तथापि उक्त ऋण को अब तक (नवंबर 2025 तक) अनुदान व इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया गया है, जबकि राज्य सरकार उदय योजना के अंतर्गत जारी बांडों पर ब्याज एवं मूलधन का नियमित रूप से भुगतान कर रही है। इसके अतिरिक्त 24 जनवरी 2017 को हिमाचल प्रदेश सरकार एवं हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के मध्य एक द्विपक्षीय समझौता भी किया गया, इस नए समझौते के अनुसार उदय बांडों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऋण का अधिग्रहण किए जाने के बावजूद, ऋण की परिपक्वता अवधि वर्ष 2031-32 तक हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड पर मूलधन ऋण राशि व उस पर देय ब्याज (लगभग 7.88 प्रतिशत) का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार को करने की देयता थी। यह व्यवस्था उदय योजना की मूल भावना के प्रतिकूल थी, क्योंकि ऋण को अनुदान अथवा इक्विटी में परिवर्तित किए जाने से वित्तीय भार हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड से हटकर राज्य सरकार की बैलेंस शीट पर स्थानांतरित होना था। इस परिवर्तन में विफलता के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड को उसके लेखाओं में वार्षिक ब्याज भुगतान की देयता दर्ज करना जारी रखना पड़ा, जो वित्त वर्ष 2024-25 तक बढ़कर ₹ 911.12 करोड़ हो गई। ऋण अदायगी बाध्यता (ब्याज भुगतान) की यह अस्थायी बुकिंग, जिसे राज्य सरकार द्वारा अवशोषित किया जाना चाहिए था (अनुदान/इक्विटी में परिवर्तन के माध्यम से), ने "हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की हानि को गंभीर रूप से बढ़ा दिया," जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति उस स्थिति से कहीं अधिक खराब दिखाई दी, जो उदय योजना को इच्छानुसार लागू किए जाने से होती।
ऋण पुनर्मूल्यांकन	बकाया ऋण (₹ 963 करोड़) को ~3% कम ब्याज पर पुनर्मूल्यांकित/बॉड में परिवर्तित किया	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के ₹ 963.50 करोड़ के कुल ऋण में से ₹ 138.50 करोड़ को शामिल नहीं किया गया क्योंकि उसे उदय प्रस्ताव से पहले ही चुका कर दिया गया था तथा योजना की शर्तों के तहत मौजूदा बांडों में से ₹ 500 करोड़ पुनर्गठन के लिए अयोग्य था, जिससे ₹ 325 करोड़ का पात्र ऋण (भारतीय स्टेट बैंक: ₹ 162.70 करोड़ व हिमाचल प्रदेश

<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>अनिवार्य सुधार (लक्ष्य)</th><th>हिमाचल प्रदेश सरकार/ डिस्कॉम की उपलब्धि/परिणाम</th></tr>
<tr><td></td><td>जाना।</td><td>सहकारी बैंक लिमिटेड: ₹ 162.30 करोड़ के बीच विभाजित) शेष रहा। इस शेष ₹ 325 करोड़ को हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने उदय दिशानिर्देशों की शर्त के रूप में सफलतापूर्वक पुनर्गठित किया, ब्याज दर 8.65 प्रतिशत निर्धारित की गई, पुनर्भुगतान अवधि को 15 वर्षों तक बढ़ाया गया, जिसमें 5 वर्षों की मोहलत शामिल है, जिसके बाद अंतिम 10 वर्षों में मूलधन की अदायगी की जाएगी।</td></tr>
<tr><td>आपूर्ति की औसत लागत व वसूली किए गए औसत राजस्व के अंतर को समाप्त करना</td><td>आपूर्ति की औसत लागत व वसूली किए गए औसत राजस्व के मध्य के अंतर को समाप्त करना (अर्थात राजस्व अधिशेष प्राप्त करना)।</td><td>प्राप्त किया गया: वित्तीय वर्ष 2019-20 तक हिमाचल प्रदेश ने आपूर्ति की औसत लागत - वसूली किए गए औसत राजस्व में ऋणात्मक अंतर (राजस्व अधिशेष) दर्ज किया, जो वाणिज्यिक व्यवहार्यता को दर्शाता है। परन्तु तदोपरांत यह अंतर धनात्मक (राजस्व घाटा) में बदल गया।</td></tr>
<tr><td colspan="3">II. संचालन दक्षता</td></tr>
<tr><td>तकनीकी व वाणिज्यिक हानि को घटाना</td><td>कुल तकनीकी व वाणिज्यिक हानि को 12.75% तक कम करना</td><td>सुधार किया गया: वर्ष 2024-25 के दौरान तकनीकी व वाणिज्यिक हानियां वर्ष 2015-16 में 12.92 प्रतिशत के उदय के पूर्व के स्तरों से 11.19 प्रतिशत तक कम की गईं।</td></tr>
<tr><td>तकनीकी उपाय</td><td>अनिवार्य वितरण ट्रांसफॉर्मर मीटरिंग, उपभोक्ता इंडेक्सिंग, व हानियों की जीआईएस मैपिंग।</td><td>प्रक्रियाधीन: हानियों की निगरानी एवं बिलिंग दक्षता में सुधार के लिए वितरण ट्रांसफॉर्मर मीटरिंग, उपभोक्ता इंडेक्सिंग एवं जीआईएस-आधारित हानि मैपिंग से संबंधित पहलें की गईं।</td></tr>
<tr><td>हानियों/लाभ का विवरण</td><td>डिस्कॉम (हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड) को हुई हानियों/लाभ का वर्ष-वार विवरण</td><td>डिस्कॉम उच्च संचालन लागत (विद्युत) एवं अनिवार्य वित्तीय देयताओं (वेतन आयोग) के दोहरे बोझ में संघर्ष कर रहा है, जो वर्ष 2022-23 में चरम पर था।
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>लाभ (+)/ हानि (-) (₹ करोड़ में)</th><th>कारण</th></tr>
<tr><td>2020-21</td><td>-185.32</td><td rowspan="4">वर्ष 2020-24 के दौरान हुई हानियां उच्च विद्युत व कर्मचारी लागत के कारण थीं। वर्ष 2022-23 के दौरान 6वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण वेतन/पेंशन के संशोधन के कारण हानियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।</td></tr>
<tr><td>2021-22</td><td>-103.69</td></tr>
<tr><td>2022-23</td><td>-1,316.23</td></tr>
<tr><td>2023-24</td><td>-573.46</td></tr>
<tr><td>2024-25</td><td>342.10</td><td>नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की बिक्री के कारण टैरिफ दर व अन्य आय में संशोधन के कारण।</td></tr>
</table>
संक्षेप में, उदय ऋण का परिवर्तन न करने ने न केवल तकनीकी रूप से "हानि को बढ़ाया," बल्कि दो वर्षों (2020-22) के लिए, यह एकमात्र कारक था जिसने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड को छोटे परिचालन लाभ से दर्ज निवल हानि में धकेल दिया।</td></tr>
<tr><td colspan="3">III. मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम)</td></tr>
<tr><td>ऊर्जा दक्षता</td><td>ऊर्जा कुशल एलईडी बल्बों, कृषि पंपों और</td><td>प्राप्त किया गया: एलईडी वितरण के लिए उजाला जैसे कार्यक्रमों को राज्य में व्यापक सफलता मिली। हिमाचल प्रदेश में अब तक (नवंबर 2025) 86 लाख से</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>अनिवार्य सुधार (लक्ष्य)</th><th>हिमाचल प्रदेश सरकार/ डिस्कॉम की उपलब्धि/परिणाम</th></tr>
<tr><td></td><td>औद्योगिक उपकरण (पीएटी योजना) जैसे डीएसएम हस्तक्षेपों को लागू करना।</td><td>अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं।</td></tr>
<tr><td colspan="3">IV. प्रोत्साहन वित्तपोषण</td></tr>
<tr><td>केन्द्रीय वित्तपोषण</td><td>संचालन के न्यूनतम मानदंड को पूरा करने पर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना व एकीकृत विद्युत विकास स्कीम जैसी योजनाओं के तहत अतिरिक्त/प्राथमिकता वित्तपोषण प्राप्त करना।</td><td>प्रतिभागी राज्यों को, यदि वे स्कीम में उल्लिखित संचालन के न्यूनतम मानदंड को पूरा करते हैं, तो विद्युत मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त/प्राथमिकता वित्तपोषण प्राप्त हो सकता है। तदनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड को निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से उदय योजना को लागू करने के बाद विद्युत मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से अतिरिक्त वित्तपोषण प्राप्त हुआः
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>स्कीम का नाम</th><th>राशि (₹ करोड़ में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना</td><td>118.58</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>एकीकृत विद्युत विकास स्कीम</td><td>149.32</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सार्वजनिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम</td><td>75.14</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सौभाग्य</td><td>3.71</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर</td><td>39.57</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>छत पर सौलर</td><td>9.34</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना</td><td>513.44</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>विद्युत उपयोगिताओं के विभागीय बकाया</td><td></td><td>विद्युत उपयोगिताओं के विभागीय बकाया की वर्ष-वार स्थिति:
(₹ करोड़ में)
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य</th><th>एमसी/एनएसी (नगर पंचायत)</th><th>अन्य सरकारी विभाग</th></tr>
<tr><td>2020-21</td><td>106.74</td><td>6.61</td><td>25.64</td></tr>
<tr><td>2021-22</td><td>65.57</td><td>6.05</td><td>14.21</td></tr>
<tr><td>2022-23</td><td>82.91</td><td>5.66</td><td>11.93</td></tr>
<tr><td>2023-24</td><td>102.45</td><td>7.02</td><td>17.92</td></tr>
<tr><td>2024-25</td><td>246.61</td><td>7.94</td><td>24.02</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>604.28</td><td>33.28</td><td>93.72</td></tr>
<tr><td>सकल योग:</td><td colspan="3">₹ 731.28 करोड़</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ग. राज्य सरकार के ऋण व अग्रिम

राज्य सरकार सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त कई संस्थानों/संगठनों को ऋण व अग्रिम भी प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2025 तक बकाया ऋणों व अग्रिमों की स्थिति **तालिका 1.25** में एवं विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा उसके उधारों पर हुई ब्याज प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान की स्थिति प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.25: 2020-25 के दौरान संवितरित व वसूली किए गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बकाया ऋणों का अथ शेष	**7,390.49**	**7,687.59**	**8,024.83**	**8,052.62**	**8,132.18**
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	320.12	377.97	110.57	106.95	34.25
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	23.02	40.73	82.79	27.40	184.64
बकाया ऋणों का अंत शेष	**7,687.59**	**8,024.83**	**8,052.62**	**8,132.18**	**7,981.79**
निवल योग	297.10	337.24	27.78	79.55	-150.39
प्राप्त ब्याज	248.98	97.72	15.44	47.65	422.40
सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम पर ब्याज दर (प्रतिशत)	3.37	1.27	0.19	0.59	5.19
सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.91	6.81	6.38	6.51	6.47
चुकाई गई ब्याज दर व प्राप्त ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	3.54	5.54	6.19	5.92	1.28

स्रोतः वित्त लेखे

राज्य में ऋणों व अग्रिमों को शासित करने वाला ढांचा अपर्याप्त है जिसमें प्रणालीगत सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। विद्युत क्षेत्र मुख्य समस्या है, जिसे नए ऋणों का अधिकांश हिस्सा (कुल का 97 प्रतिशत) मिलता है, जबकि इस पर ₹7,714.87 करोड़ का भारी बकाया है और विगत 10 वर्षों में इसने कोई बढ़ी राशि वापस अदा नहीं की।

राज्य हर ऋण पर पैसा भी खो रहा है क्योंकि वह उच्च दरों (6.38 से 6.91 प्रतिशत) पर उधार लेता है परन्तु वापस केवल मामूली ब्याज अर्जित करता है। यह अंतर एक बड़ा, छिपा हुआ खर्च है जो विद्युत क्षेत्र को अप्रत्यक्ष सब्सिडी देकर राज्य के बजट को खाली कर रहा है। अंततः, संयुक्त वित्तीय विफलताओं के कारण एक गंभीर नकदी संकट (**परिच्छेद 1.3.3** में संदर्भित) उत्पन्न हो गया, जो वर्ष 2020-21 से नई ऋण स्वीकृतियों में 89 प्रतिशत की भारी कटौती से प्रमाणित होता है।

1.3 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, निक्षेप, उचंत, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ लेनदेन के सम्बन्ध में प्राप्तियां एवं संवितरण जो समेकित निधि का भाग नहीं होते, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखा में रखा जाता है तथा इन पर राज्य विधायिका के मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। इनके संदर्भ में सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् बचा शेष वह उपलब्ध निधि है, जिसे सरकार विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग करती है।

1.3.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा का घटक-वार निवल शेष **तालिका 1.26** में दिया गया है।

तालिका 1.26: लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

प्रभाग	उप प्रभाग	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	16,522.64	17,006.28	17,682.25	19,337.57	20,867.39
आरक्षित निधि	(क) सब्याज आरक्षित निधि	1,882.54	1,657.90	1,664.27	1,969.07	2,739.21
	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधि	834.66	316.00	270.44	310.70	140.23
निक्षेप एवं अग्रिम	(क) सब्याज निक्षेप	7.66	14.30	17.39	16.50	16.60
	(ख) ब्याज रहित निक्षेप	3454.50	3,412.87	3591.61	3,629.99	4,013.95
	(ग) अग्रिम	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
उचंत एवं विविध	(क) उचंत	-1,539.83	-292.98	224.94	265.28	269.95
	(ख) अन्य लेखे	-1,696.28	-2,568.27	-3,645.37	-1,458.00	-0.19
	(ग) विदेशी सरकारों के लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	घ) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रेषण	(क) मनीआर्डर एवं अन्य प्रेषण	546.02	653.51	494.02	620.18	804.14
	(ख) अंतर सरकारी समायोजन लेखे	-4.11	-0.01	-0.06	0.07	0.08
योग		**20,007.29**	**20,199.09**	**20,298.98**	**24,690.85**	**28,850.84**

स्रोतः वित्त लेखे

टिप्पणी: धनात्मक आंकड़े डेबिट शेष व ऋणात्मक आंकड़े क्रेडिट शेष दर्शाते हैं।

1.3.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत निर्दिष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों हेतु सृजित की जाती है। ये निधियां राज्य की समेकित निधि के अंशों अथवा अनुदानों के योगदान से पूर्ण की जाती है। यह सब्याज आरक्षित निधियों एवं ब्याज रहित आरक्षित निधियों से मिलकर बनती है।

31 मार्च 2025 तक तीन सब्याज आरक्षित निधियां एवं चार ब्याज रहित आरक्षित निधियां थीं। 31 मार्च 2025 तक इन आरक्षित निधियों में रखी शेष निधि **तालिका 1.27** में दी गई है।

तालिका 1.27: प्रमुख आरक्षित निधियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधि का नाम	अथ शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	ब्याज प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2025 तक शेष
क	**सब्याज आरक्षित निधियां**	**1,969.07**	**1,486.58**	**76.86**	**716.44**	**2,739.21**
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	58.15	420.00	0	410.59	67.56
2	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष	1,867.46	861.53	76.86	105.57	2,623.42
3	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	43.46	205.05	0	200.28	48.23
ख	**ब्याज रहित आरक्षित निधियां**	**310.70**	**66.92**	**0**	**237.39**	**140.23**
1	औद्योगिक विकास निधि	0.16	0	0	0	0.16
2	विद्युत विकास निधि	254.32	0	0	127.79	126.53
3	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	56.22	66.92	0	109.60	13.54
4	उपभोक्ता कल्याण	0.0007	0	0	0	0.0007
सकल योग		**2,279.77**	**1,553.50**	**76.86**	**953.83**	**2,879.44**

स्रोतः वित्त लेखे

1.3.3 नकद शेष

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकारों को बैंक में न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना होगा। यदि किसी दिन न्यूनतम अनुमत से शेष कम हो जाता है तो यह कमी अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/विशेष आहरण सुविधा/अधिविकर्ष जैसे साधनों के माध्यम से पूरी की जाती है, जिसमें अर्थोपाय अग्रिम सीमा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार अधिशेष नकद शेष, जिनमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षित निधियों से प्राप्त शेष भी शामिल हैं, का निवेश भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में करती है। इन निवेशों से प्राप्त आय को '0049-ब्याज प्राप्ति' के अंतर्गत जमा किया जाता है।

राज्य सरकार से बड़े अप्रयुक्त नकद शेष उपलब्ध होते हुए भी बाजार ऋण लेना अवांछनीय है, क्योंकि इससे उत्पादक उपयोग के बजाय निष्क्रिय निधियां उत्पन्न होती हैं। वर्ष 2023-24 व 2024-25 हेतु नकद शेष व निवेश के विवरण **तालिका 1.28** में दिए गए हैं।

तालिका 1.28: नकद शेष एवं उसके निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2024 तक अथ शेष	31 मार्च 2025 तक अंत शेष
कोषागारों में नकद	0	0
पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	0	0
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	42.44	44.74
कुल	**42.44**	**44.74**
नकद शेष निवेश लेखा में रखा गया निवेश	1,457.81	0
कुल (क)	**1,500.25**	**44.74**
विभागीय अधिकारियों अर्थात लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट के पास नकद	0.16	0.16
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थाई अग्रिम	0.03	0.03
निर्धारित निधियों का निवेश	0	0
कुल (ख)	**0.19**	**0.19**
योग (क+ख)	**1,500.44**	**44.93**
वसूली किया गया ब्याज	**21.43**	**9.26**

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार 203 दिनों तक न्यूनतम दैनिक नकदी शेष बनाए रख सकी। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से 120 अवसरों पर कुल ₹ 11,276.83 करोड़ का साधारण/विशेष अर्थोपाय अग्रिम एवं 42 अवसरों पर ₹ 4,606.87 करोड़ का अधिविकर्ष लेना पड़ा, जिसमे से ₹ 1,652.42 करोड़ वर्ष के दौरान चुकाए नहीं गए। वर्ष के दौरान इसके सापेक्ष ₹ 12.40 करोड़ की राशि ब्याज के रूप में अदा की गई।

अप्रैल 2024 में नकद शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश ₹ 1,457.81 करोड़ से घटकर मार्च 2025 तक 'शून्य' हो गए। यद्यपि सरकार को वर्ष के एक महत्वपूर्ण भाग में न्यूनतम नकद शेष बनाए रखने में सफलता मिली की, तथापि चुकाए न गए शेष सहित अर्थोपाय अग्रिम व

अधिविकर्ष का बार-बार सहारा लेना नकद प्रवाह में असंतुलन एवं बढ़ते राजकोषीय दबाव को परिलक्षित करते हैं।

विगत पांच वर्ष की अवधि के दौरान नकद शेष निवेश लेखा के विवरण **तालिका 1.29** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.29: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	अंत शेष	वृद्धि (+) / गिरावट (-)	अर्जित ब्याज
2020-21	982.06	1,696.09	714.03	31.88
2021-22	1,696.09	2,568.08	871.99	55.50
2022-23	2,568.08	3,645.18	1,077.10	20.91
2023-24	3,645.18	1,457.81	-2,187.37	21.43
2024-25	1,457.81	0	-1,457.81	9.26

स्रोतः वित्त लेखे

राज्य की नकदी स्थिति सहज अधिशेष (2020-23) से गंभीर दबाव (2023-25) की स्थिति में रूपांतरित हो गई। वर्ष 2022-23 तक नकदी भंडार का संचय पूर्ववर्ती राजकोषीय विस्तार को इंगित करता है, परन्तु बाद में हुई तीव्र गिरावट प्राप्ति व व्यय के बीच बढ़ते असंतुलन को रेखांकित करती है, जिससे उधार एवं अधिविकर्ष पर निर्भरता बढ़ी (जैसाकि अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष के उपयोग से स्पष्ट है)। यह प्रवृत्ति निम्नलिखित की ओर संकेत करती है:

- हाल के वर्षों में कमजोर तरलता प्रबंधन
- आकस्मिक झटकों को सहन करने की राजकोषीय क्षमता में कमी

भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता पर बढ़ती निर्भरता से ब्याज लागत में वृद्धि होती है तथा यह राजकोषीय असंतुलनों से संबंधित समस्याओं को परिलक्षित करता है।

1.4 राजकोषीय धारणीयता

राजकोषीय धारणीयता से आशय सरकार की उस क्षमता से है जिसके तहत वह उसके राजस्व एवं व्यय का इस प्रकार प्रबंधन करती है कि वह सार्वजनिक सेवाओं, अधोसंरचना एवं ऋण पुनर्भुगतान जैसे उसके वर्तमान एवं भविष्यगामी दायित्वों को अत्यधिक उधार लिए बिना अथवा अधारणीय ऋण संचय किए बिना पूरा कर सके। इसका तात्पर्य दीर्घकाल में राजस्व सृजन एवं व्यय के मध्य एक स्थिर संतुलन बनाए रखना है। **चार्ट 1.32** एवं **चार्ट 1.33** क्रमशः वित्त वर्ष 2015-25 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की प्राप्ति व व्यय को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.32: राज्य की प्राप्तियां

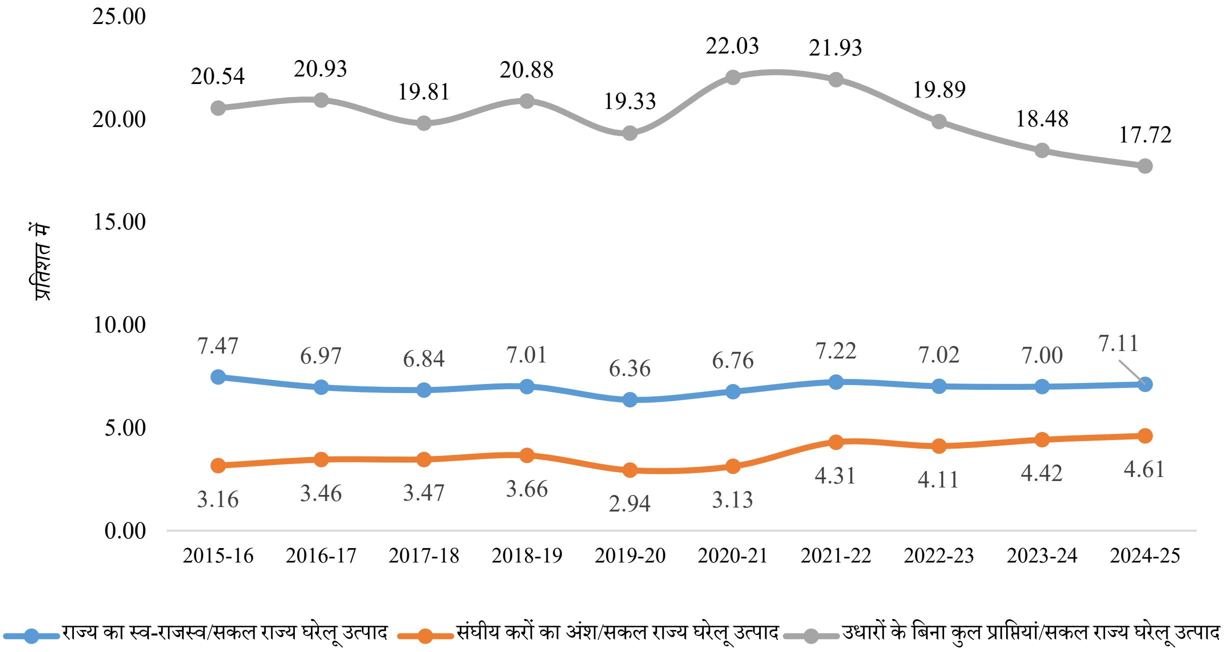

चार्ट 1.33: राज्य का व्यय

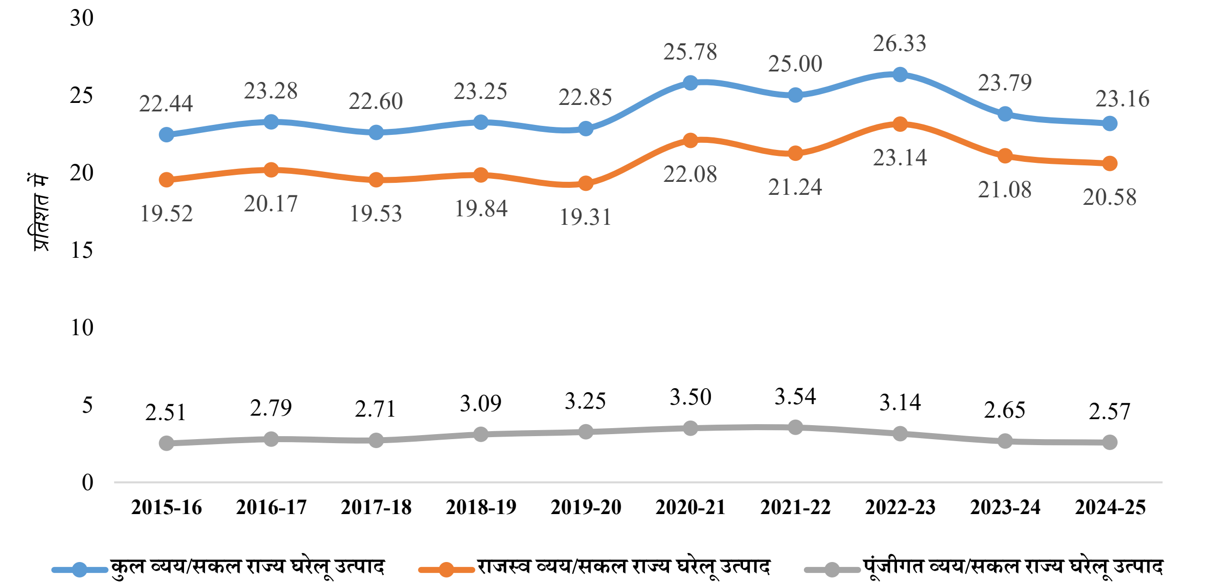

1.4.1 लोक देयता प्रबंधन

वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक के वर्षों के लिए राज्य की बकाया देयता, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसके प्रतिशत सहित **चार्ट 1.34** में दर्शाई गई है तथा अंतर-राज्य तुलना **चार्ट 1.35** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.34: बकाया लोक देयता एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद से इसका प्रतिशत

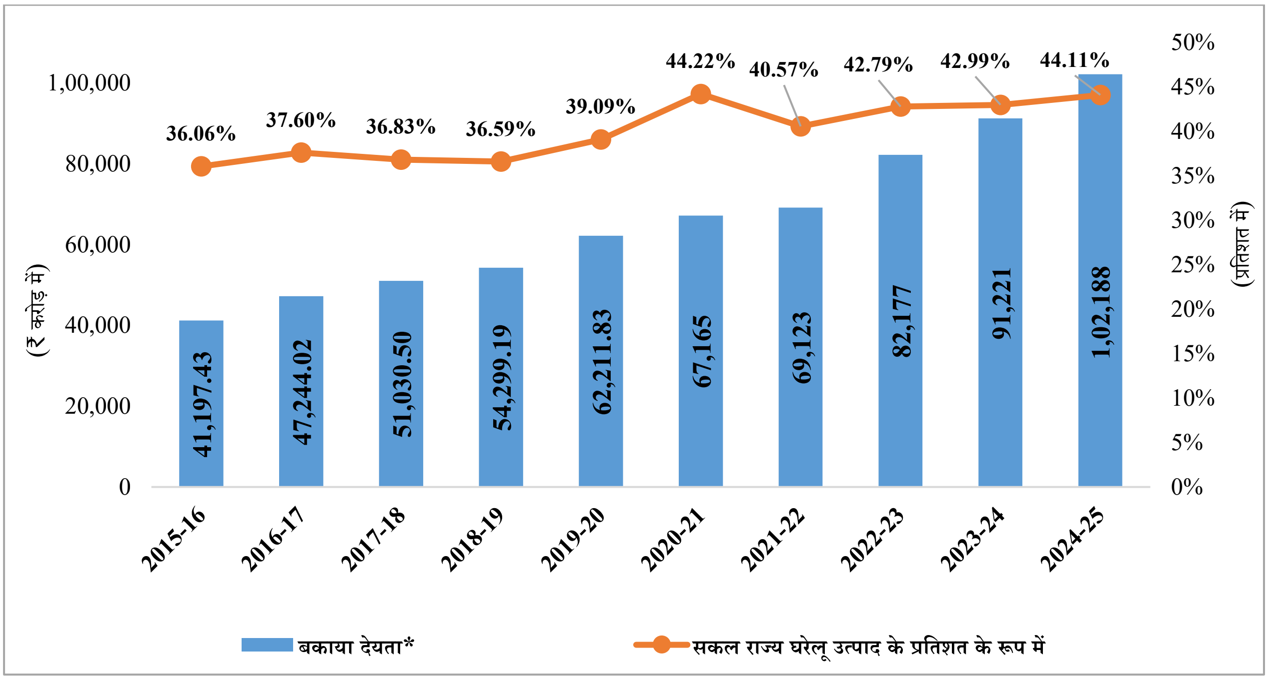

स्रोतः वित्त लेखे

* *कुल बकाया देयताएं एवं कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात की गणना वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ तथा वर्ष 2021-22 में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर की गई है।*

चार्ट 1.35: बकाया देयता-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की अंतर-राज्य तुलना

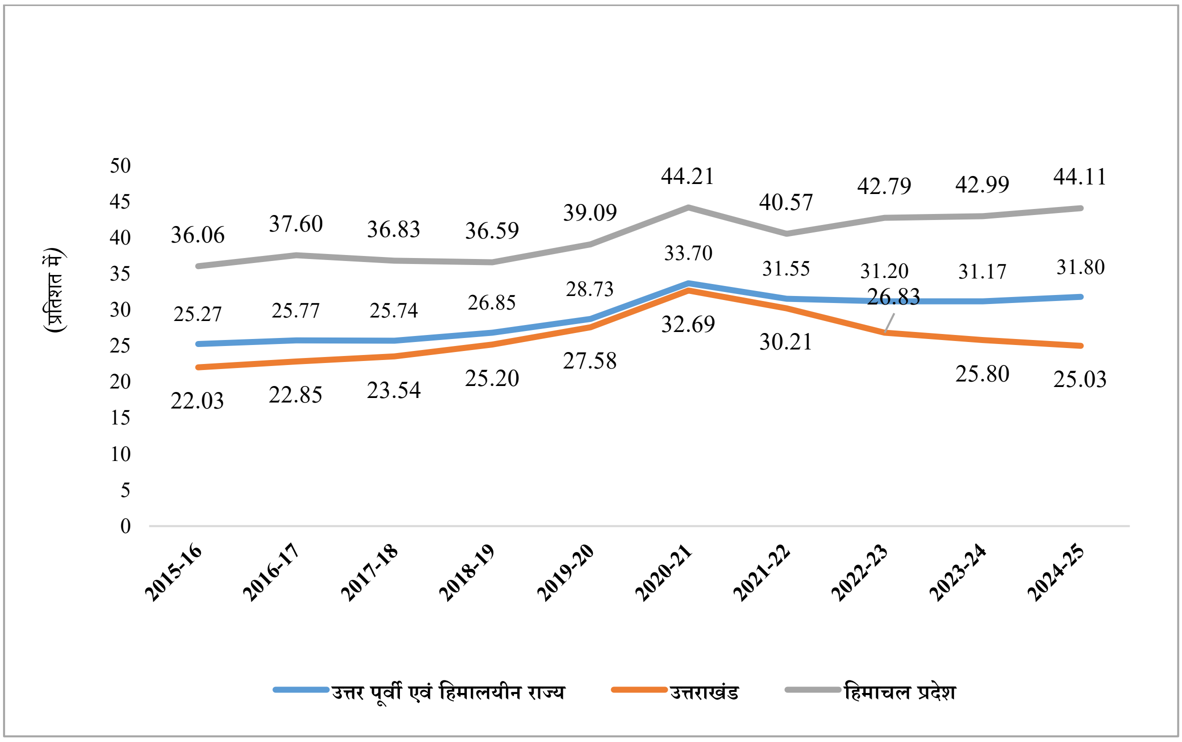

वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश का ऋण भण्डार लगभग ₹ 1.02 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 44 प्रतिशत है। एक दशक से अधिक समय से यह ऋण भार

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 35-44 प्रतिशत की सीमा में बना हुआ है, जो उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के औसत (वर्ष 2024-25 में 31.80 प्रतिशत) से काफी अधिक है तथा सभी राज्यों (केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त) के औसत (वर्ष 2024-25 में 27.94 प्रतिशत) से भी ऊपर है। इस प्रकार का उच्च ऋण, कमजोर राजस्व वृद्धि के साथ (जैसाकि परिच्छेद 1.2.1 में चर्चा की गई है) जुड़ कर दीर्घकालिक ऋण धारणीयता के लिए खतरा उत्पन्न करता है।

1.4.1.1 देयता रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार की कुल देयता राज्य के आतंरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति व वित्तीय संस्थानों से ऋण इत्यादि), केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं से मिलकर बनती हैं। 2020-21 से प्रारंभ हो कर पांच वर्ष की अवधि में राज्य की घटक-वार ऋण प्रवृत्तियां **तालिका 1.30** में प्रस्तुत है।

तालिका 1.30: घटक-वार ऋण प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय देयता के घटक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कुल बकाया देयता	**67,164.75**	**69,122.58**	**82,177.21**	**91,220.73**	**1,02,187.62**
लोक ऋण	44,462.75	48,432.22	58,951.25	65,956.90	74,410.25
आतंरिक ऋण	*42,918.21*	*44,376.03*	*55,975.16*	*61,439.29*	*67,448.38*
*भारत सरकार से प्राप्त ऋण **	*1,544.54*	*4,056.19*	*2,976.09*	*4,517.61*	*6,961.87*
लोक लेखा देयताएं	22,702.00	22,407.36	23,225.96	25,263.83	27,777.37
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	*16,522.64*	*17,006.28*	*17,682.25*	*19,337.57*	*20,867.38*
सब्याज आरक्षित निधियां	*1,882.54*	*1,657.90*	*1,664.27*	*1,969.07*	*2,739.21*
ब्याज रहित आरक्षित निधियां	*834.66*	*316.00*	*270.44*	*310.70*	*140.23*
सब्याज निक्षेप	*7.66*	*14.30*	*17.39*	*16.50*	*16.60*
ब्याज रहित निक्षेप	*3,454.50*	*3,412.88*	*3,591.61*	*3,629.99*	*4,013.95*
बकाया कुल देयता की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	7.96	2.91	18.89	11.00	12.02
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,51,905	1,70,376	1,92,026	2,12,169	2,31,690
कुल देयता/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत*)	44.21	40.57	42.79	42.99	44.11
उधार एवं अन्य देयताएं					
कुल लोक लेखा प्राप्तियां	15,032.21	6,639.75	22,371.82	14,901.51	26,622.16
कुल लोक ऋण चुकौतियां	11,141.05	4,387.28	10,135.80	7,895.87	18,168.81
उपलब्ध निवल निधियां	3,891.16	2,252.47	12,236.02	7,005.64	8,453.35
चुकौतियां/प्राप्तियां (प्रतिशत)	74.11	66.08	45.31	52.99	68.25

स्रोतः वित्त लेखे

** कुल बकाया देयताएं एवं कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात में वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 1,717 करोड़ एवं वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) तथा वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 1,144.28 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है।*

वर्ष 2024-25 के अंत में बकाया कुल देयताओं का विवरण **चार्ट 1.36** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.36: 2024-25 के अंत में बकाया कुल देयताओं का विवरण

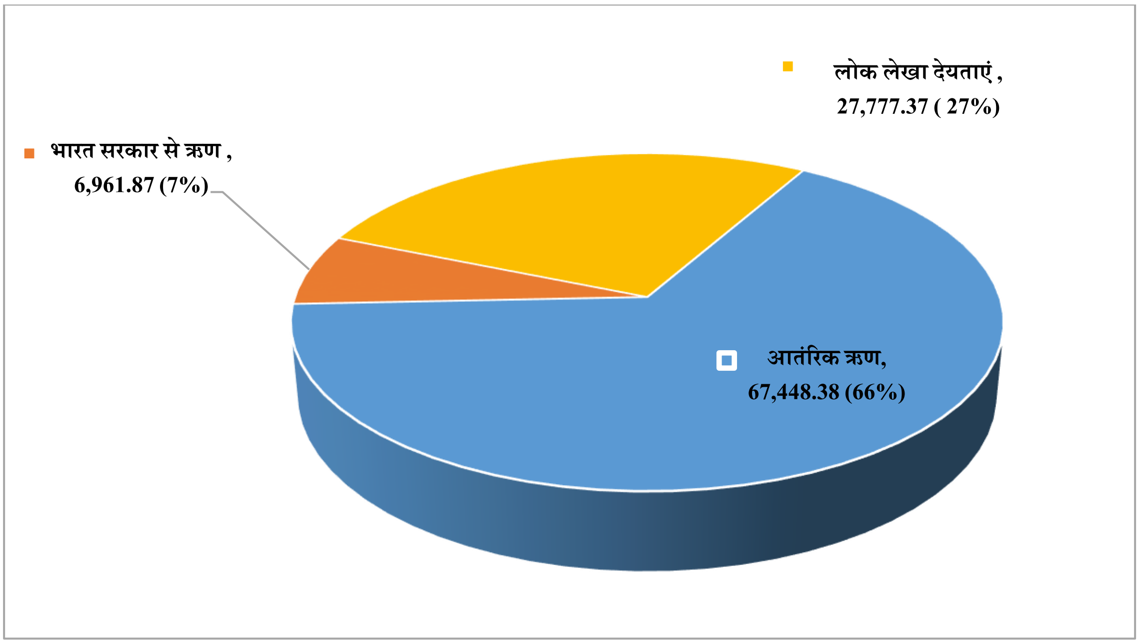

स्रोतः वित्त लेखे

चार्ट 1.37 दस वर्ष की अवधि अर्थात वर्ष 2015-25 के दौरान लिए गए आंतरिक ऋण की तुलना में चुकाए गए ऋण मात्रा को दर्शाता है।

चार्ट 1.37: लिए गए एवं चुकाए गए आतंरिक ऋण

(₹ करोड़ में)

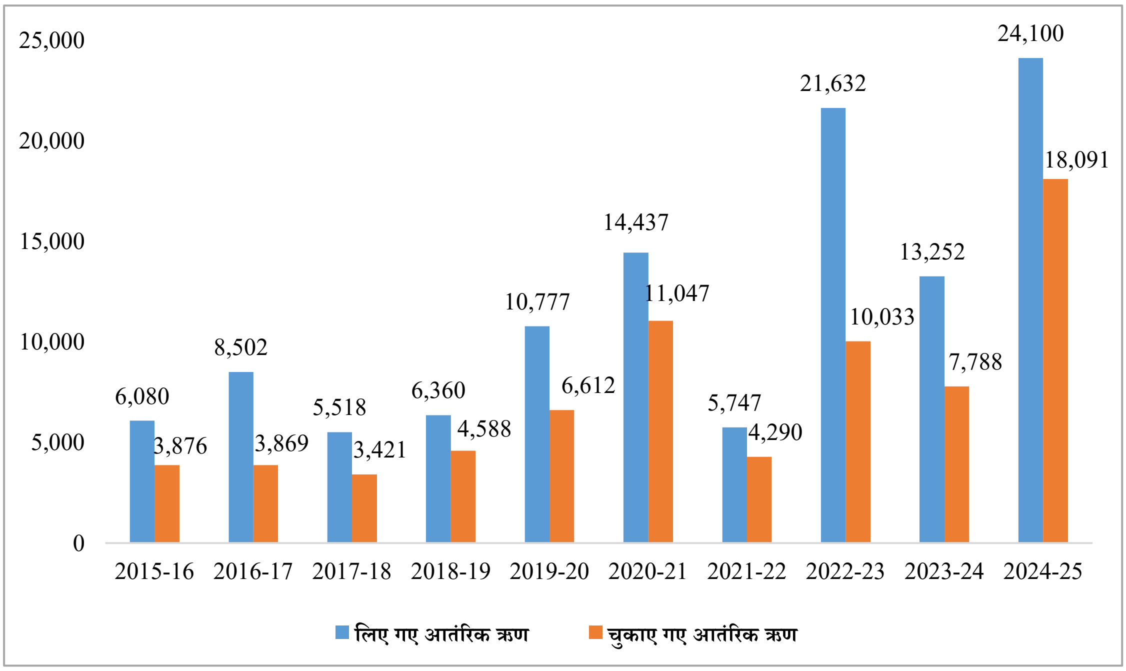

स्रोतः वित्त लेखे

यह डेटा कुल बकाया देयताओं में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है, जो वर्ष दर वर्ष उसके वित्तीय दायित्वों की पूर्ति हेतु कि राज्य की उधारों पर बढ़ती निर्भरता का परिचायक है। लोक

ऋण का घटक, विशेष रूप से आंतरिक ऋण, कुल देयताओं की समग्र वृद्धि का मुख्य प्रेरक रहा है। कुल देयता/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में उतार-चढ़ाव के बावजूद यह निरंतर उच्च स्तर पर बना रहा, जो दीर्घकालिक राजकोषीय धारणीयता के संदर्भ में चिंता का विषय है। उधारों व अन्य देयताओं की प्रवृत्तियां चक्रीय पैटर्न उजागर करती हैं। वर्ष 2022-23 व 2024-25 में उपलब्ध निवल निधियों में तीव्र वृद्धि यह दर्शाती है कि इन वर्षों में सरकार ने चुकाए गए ऋण की तुलना में कहीं अधिक नए ऋण लिए। यह आगे पांच वर्षों (वर्ष 2022-23 के अतिरिक्त) में उच्च पुनर्भुगतान/राजस्व अनुपात से भी रेखांकित होता है, जो परिचायक है कि नए उधारों का एक बड़ा हिस्सा पुराने उधार चुकाने में प्रयोग किया जा रहा है, जिससे विकासात्मक गतिविधियों के लिए बहुत कम स्थान बचता है।

1.4.1.2 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का आदर्श उपयोग पूंजी सृजन एवं विकासात्मक गतिविधियों में होना चाहिए। उधार ली गई निधियों का वर्तमान खपत की पूर्ति में तथा बकाया ऋणों के ब्याज भुगतान में उपयोग करना स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। **तालिका 1.31** व **चार्ट 1.38** में क्रमशः उधार ली गई निधियों का उपयोग एवं प्रवृत्तियां दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.31: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	कुल उधार	15,032.21$	6,639.75$	22,371.82	14,901.51	26,622.16
2	पूर्व उधारों की चुकौती (मूलधन)	11,141.04	4,387.28	10,135.80	7,895.87	18,168.81
3	निवल पूंजीगत व्यय	3,891.17	2,252.47	6,016.30	5,627.59	5,956.83
4	निवल ऋण एवं अग्रिम	--	--	27.87	82.55	-150.39
5	निवल उपलब्ध उधार से वहन किया गया राजस्व व्यय का अंश	--	--	6,191.95	1,295.50	2,646.91

स्रोतः वित्त लेखे

$ वस्तु एवं सेवा कर गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) को शामिल नहीं किया गया है।

उधार का उपयोग ऋण अदायगी हेतु तेजी से बढ़ रहा है, जिससे विकास व्यय के लिए राजकोषीय विस्तार सीमित हो रहा है। पूंजीगत परिव्यय सीमित व असंगत बना हुआ है, जो दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं को कमजोर करता है। वर्ष 2022-23 से राजस्व व्यय हेतु उधार पर निर्भरता प्राप्ति व व्यय के मध्य असंतुलन को रेखांकित करती है। बढ़ते उधारों के साथ जुड़ कर उच्च पुनर्भुगतान दायित्व ऋण धारणीयता के संबंध में गंभीर चिंता का संकेत देते हैं।

चार्ट 1.38: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियां

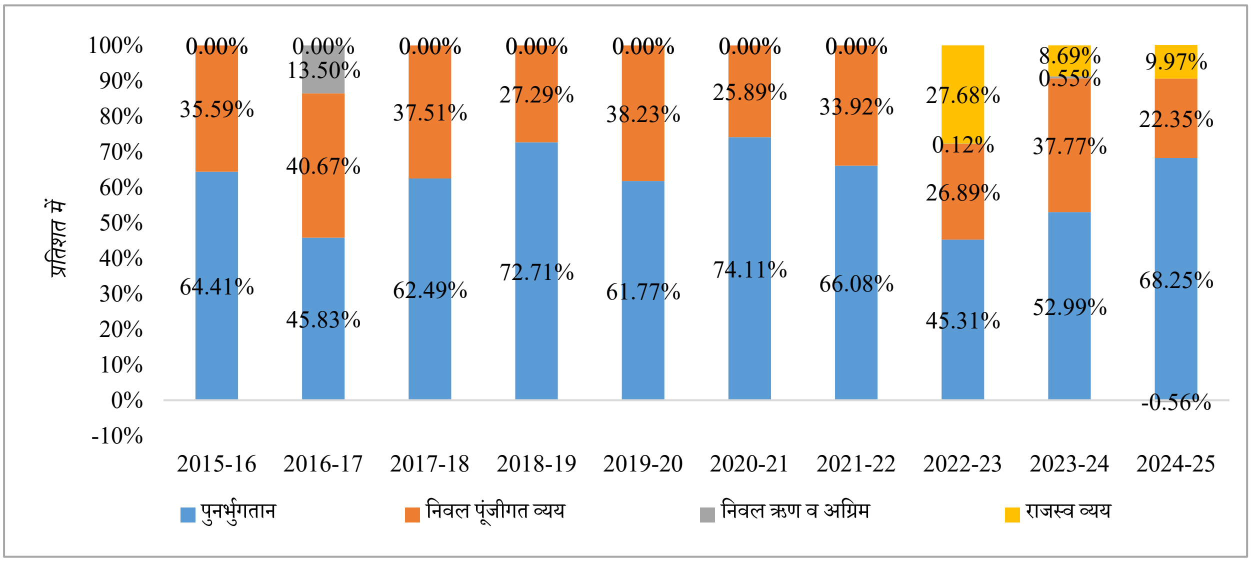

स्रोतः वित्त लेखे

1.4.1.3 ऋण रुपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान रुपरेखा ऋण चुकाने या ऋण अदायगी में सरकार की प्रतिबद्धता की परिचायक है। राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा **चार्ट 1.39** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.39: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

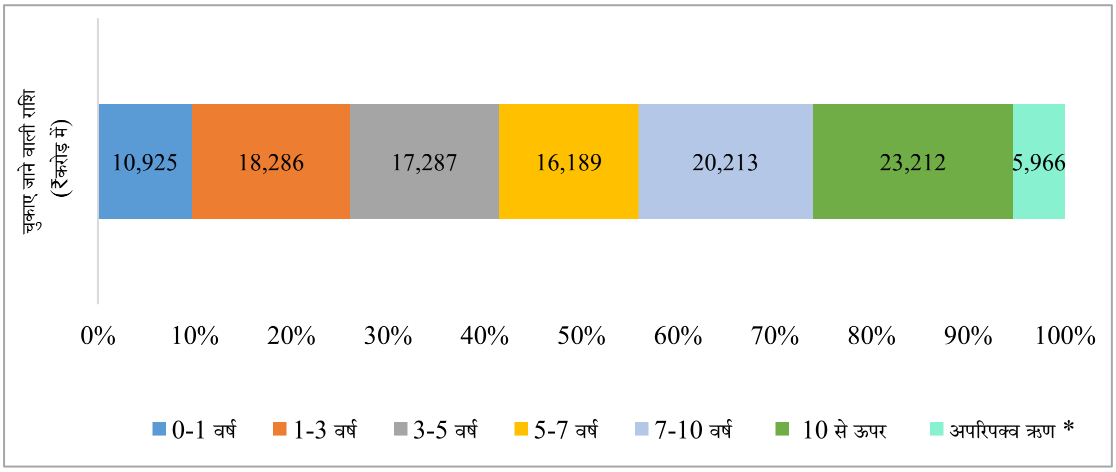

स्रोत: वित्त लेखे

* *अपरिपक्व ऋण में वस्तु एवं सेवा कर गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,144.28 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है।*

राज्य के निकट भविष्य में परिपक्व होने वाले ऋण का एक बड़ा संचय है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों (0-5 वर्ष) के भीतर ₹ 46,498 करोड़ का भुगतान देय है। कर्ज के इस भारी जमाव के कारण पुनर्वित 'रिफाइनेंसिंग' के जोखिम को बढाता है और राज्य के राजस्व संशाधनों पर भारी दबाव डालता है, क्योंकि बजट का एक बड़ा हिस्सा विकास कार्यों के बजाये कर्ज चुकाने में खर्च करना होगा। इसके अतिरिक्त, ऋण सभी परिपक्वता अवधियों में वितरित होने के कारण प्रतिवर्ष भुगतान की मांग बनी रहेगी, जिससे नए निवेशों के लिए राज्य का राजकोषीय लचीलापन गंभीर रूप से सीमित हो जाता है।

1.4.1.4 राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न

तालिका 1.32 वर्ष 2020-25 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण पैटर्न को दर्शाती है।

तालिका 1.32: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसका वित्तपोषण पैटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजकोषीय घाटे के संघटक		**-5,700.09**	**-5,244.85**	**-12,379.80**	**-1,265.73**	**-12,611.05**
1	राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	-96.66	1,114.76	-6,335.76	-5,558.59	-6,804.61
2	निवल पूंजीगत व्यय	-5,306.33	-6,022.37	-6,016.30	-5,627.59	-5,956.83
3	निवल ऋण व अग्रिम	-297.10	-337.24	-27.78	-79.55	150.39
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न						
1	बाजारी उधार	3,755.00	1,874.99	12,230.00	6,144.90	5,014.00
2	भारत सरकार से ऋण	2,217.73*	3,489.87*	636.90	1,541.52	2,444.27
3	केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	-569.10	-569.10	-569.10	-569.10	-569.10
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	204.54	151.92	-61.78	-111.68	1,564.19
5	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	985.51	483.65	675.96	1,655.33	1,529.81
6	निक्षेप व अग्रिम	81.35	-34.99	181.83	37.49	384.06
7	उचंत व विविध	-209.39	1,246.84	517.93	40.33	4.67
8	प्रेषण	-64.38	111.59	-159.55	126.29	183.97
9	आरक्षित निधि	-5.11	-743.30	-39.18	345.05	599.67
10	**सकल घाटा**	**6,396.15**	**6,011.47**	13,413.01	**9,210.13**	**11,155.54**
11	नकद शेष में वृद्धि (-)/कमी (+)	-696.06	-766.62	-1,033.18	2,055.60	1,455.51
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	**5,700.09**	**5,244.85**	12,379.83	11,265.73	**12,611.05**

स्रोत: वित्त लेखे

* *इसमें वस्तु एवं सेवा कर गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) को शामिल किया गया है।*

1.4.2 लेखापरीक्षा पश्चात् घाटा संकेतक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त लेखाओं के अनुसार राज्य का राजस्व घाटा ₹ 6,804.61 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94 प्रतिशत), राजकोषीय घाटा ₹ 12,611.05 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.44 प्रतिशत), जबकि प्राथमिक घाटा ₹ 6,350.12 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.74 प्रतिशत) था।

क. राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (जनवरी 2023 में संशोधित) के अनुसार, राज्य का लक्ष्य है:

- राजस्व घाटा समाप्त करना एवं उसके बाद राजस्व अधिशेष बनाए रखना।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के छः प्रतिशत या उससे कम स्तर पर बनाए रखना, वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में इसे सकल राज्य घरेलू

उत्पाद के 3.5 प्रतिशत या उससे कम तक सीमित करना तथा इसके पश्चात इसे तीन प्रतिशत या उससे कम स्तर पर बनाए रखना।

- बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के उस निर्धारित प्रतिशत स्तर तक घटाना, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए।

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के लिए राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त उपलब्धियों का विवरण **तालिका 1.33** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.33: राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना

राजकोषीय मापदंड		हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि				
		2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
राजस्व घाटा(-) / अधिशेष (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	ल	राजस्व अधिशेष बनाए रखा				
	उ	-0.06	0.65	-3.30	-2.62	-2.94
राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	ल	3 *प्रतिशत* या कम		6 *प्रतिशत या कम*	3.5 *प्रतिशत या कम*	
	उ	-3.75	-3.08	-6.45	-5.31	-5.44
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	ल	33.62	40.26	40.49	38.98	42.52
	उ	44.21	40.57	42.79	42.99	44.11
राज्य के स्व-कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में वेतन	ल	144.10	136.87	122.20	108.24	97.26
	उ	165.91	142.88	165.99	144.69	136.72
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	ल	12.83	13.55	14.03	14.64	14.84
	उ	13.38	12.44	12.68	14.42	15.32

टिप्पणी: राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में केवल राजस्व घाटे व राजकोषीय घाटे के लिए लक्ष्य निर्दिष्ट किए गए हैं, जबकि शेष लक्ष्य संबंधित वर्षों की मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी से निकाले गए हैं।

ल- लक्ष्य व उ- उपलब्धि

15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं वर्ष 2024-25 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों के संबंध में उपलब्धियों की तुलना में राज्य के बजट में अनुमानित लक्ष्य **चार्ट 1.40, 1.41** व **1.42** में दिए गए हैं।

चार्ट 1.40: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा

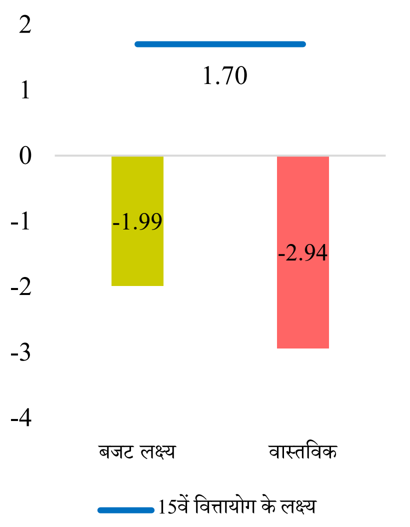

चार्ट 1.41: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा

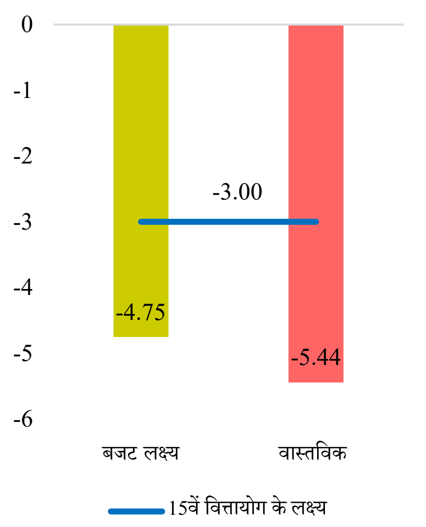

चार्ट 1.42: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया देयताएं

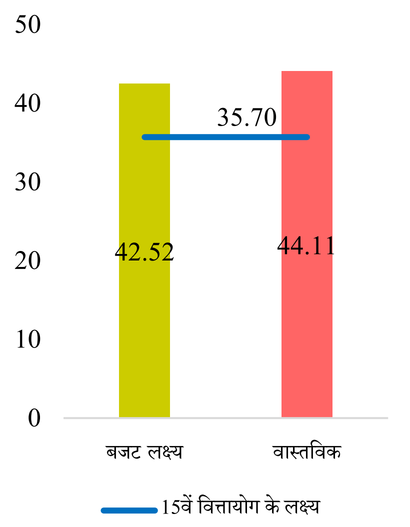

स्रोत: वित्त लेखे व बजट दस्तावेज़

वर्ष 2024-25 में उल्लेखनीय विचलन के साथ सरकार राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रखने में असमर्थ रही। इसके अतिरिक्त राजस्व घाटा व राजकोषीय घाटा दोनों बजट अनुमानों से अधिक रहें। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया देयताएं 15वें वित्तायोग के लक्ष्यों एवं राज्य के बजट अनुमान से बहुत अधिक बनी रहीं।

वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश ने उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयीन राज्यों में सबसे उच्च राजस्व घाटा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का-2.94 प्रतिशत) दर्ज किया, जबकि क्षेत्रीय औसत मात्र -0.26 प्रतिशत था। इसके विपरीत उत्तराखंड व सिक्किम जैसे राज्यों ने वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 0.39 प्रतिशत व 0.90 प्रतिशत का राजस्व अधिशेष बनाए रखा, जो हिमाचल के अपेक्षाकृत उच्च राजकोषीय तनाव को रेखांकित करता है। राज्य की राजकोषीय चुनौतियां उच्च प्रतिबद्ध व्यय दायित्वों और राजस्व प्राप्ति में कम प्रदर्शन के संयोजन से उत्पन्न होती हैं, न कि इसके केवल विशेष श्रेणी के राज्य के रूप में होने के कारण। अन्य राज्यों के साथ राजस्व/राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की तुलना **चार्ट 1.43** व **1.44** में दी गई है।

चार्ट 1.43: राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की अंतर-राज्य तुलना

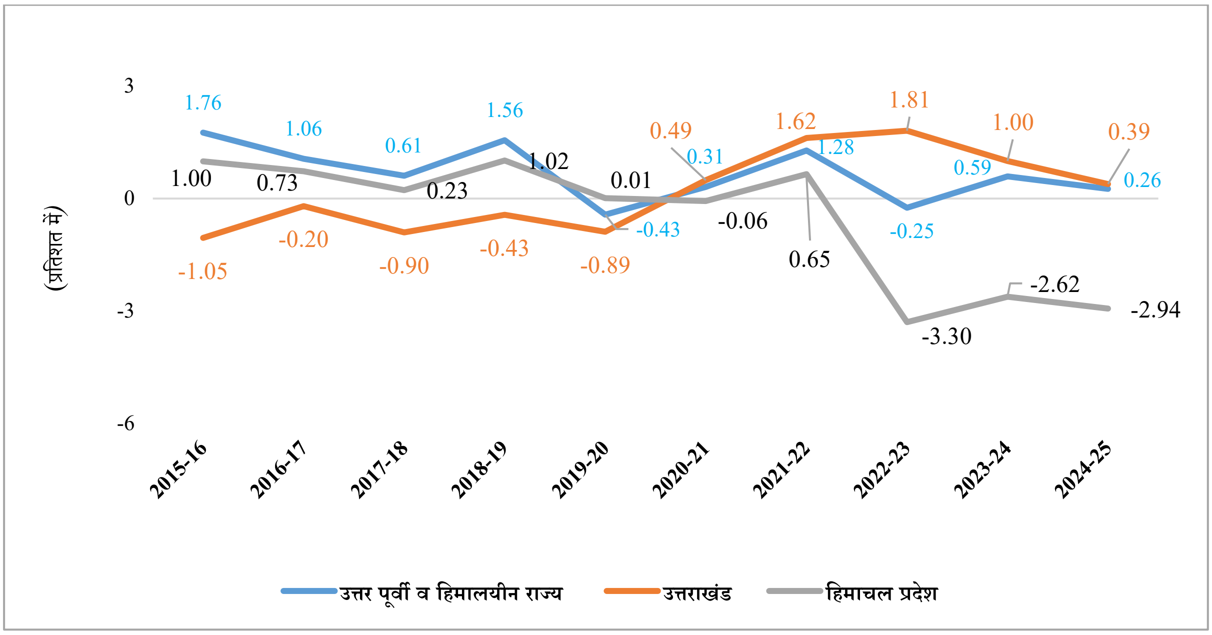

चार्ट 1.44 राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की अंतर-राज्य तुलना

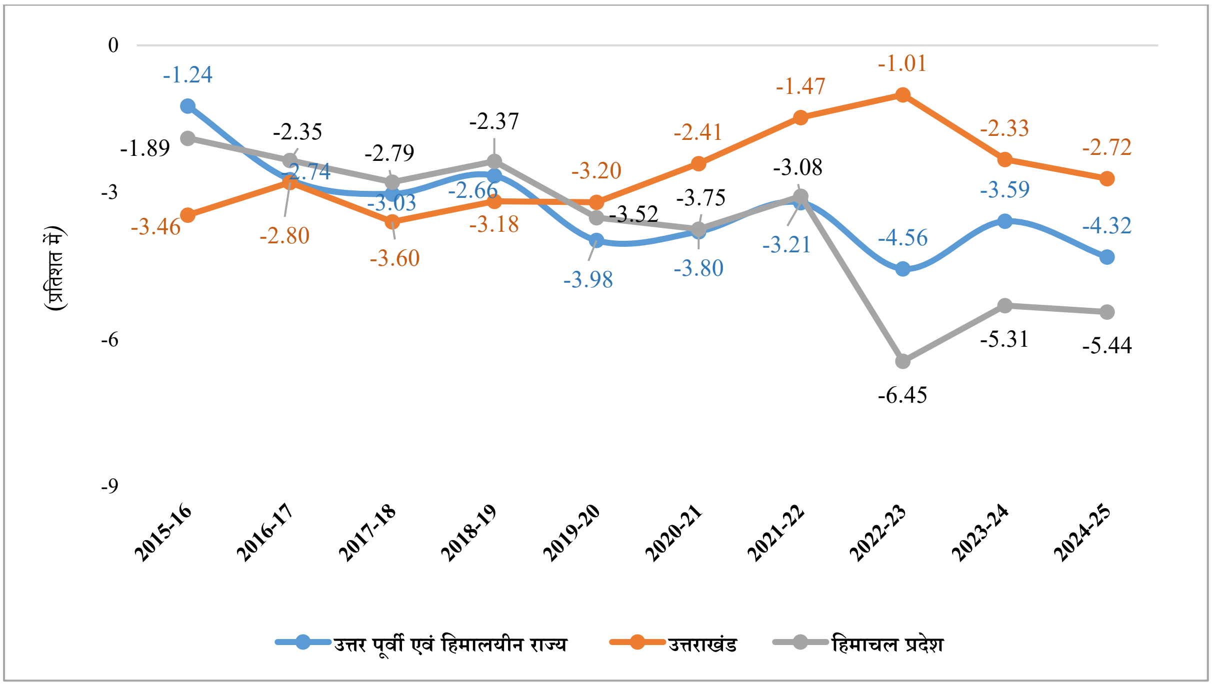

अंतिम बैठक (दिसंबर 2025) में सचिव (वित्त) ने राज्य के राजकोषीय लक्ष्यों के निर्धारण एवं उनकी उपलब्धि में पाई गई कमियों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया।

ख. लेखापरीक्षा जांच के पश्चात घाटा

राज्य का आकलित राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा विभिन्न परिस्थितियों, यथा राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण, स्पष्ट देयताओं का आस्थगन, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा न करना आदि के कारण प्रभावित होता है। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए उपरोक्त का प्रभाव लेना आवश्यक है तथा ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को

उलटना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 हेतु लेखापरीक्षा जांच के पश्चात के घाटा आंकड़े एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण क्रमशः **तालिका 1.34 व चार्ट 1.45** में विवर्णित है।

तालिका 1.34: वित्त वर्ष 2024-25 हेतु लेखापरीक्षा जांच पश्चात राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति (+) / अत्योक्ति (-))	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति (+) / अत्योक्ति (-))	संदर्भित परिच्छेद
सहायता-अनुदान का निवेश (पूंजीगत व्यय) के रूप में गलत/त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	472.73	-	1.2.4.2(ख)
संग्रहित उपकर का सरकारी लेखा में प्रेषण न करना	-27.58	-27.58	3.2.1(क)
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत रखी शेष राशि पर ब्याज का प्रावधान/भुगतान न करना	14.41	14.41	3.2.2
राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में अंशदान का हस्तांतरण न करना	7.42	7.42	3.2.2
योग	**466.98**	**-5.75**	

चार्ट 1.45: 2020-21 से 2024-25 हेतु लेखापरीक्षा जांच के पश्चात घाटे की प्रवृत्ति का विश्लेषण

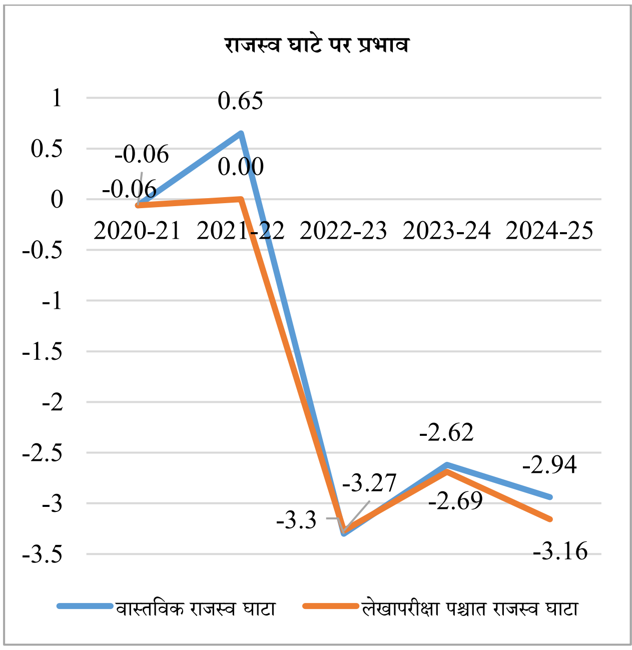

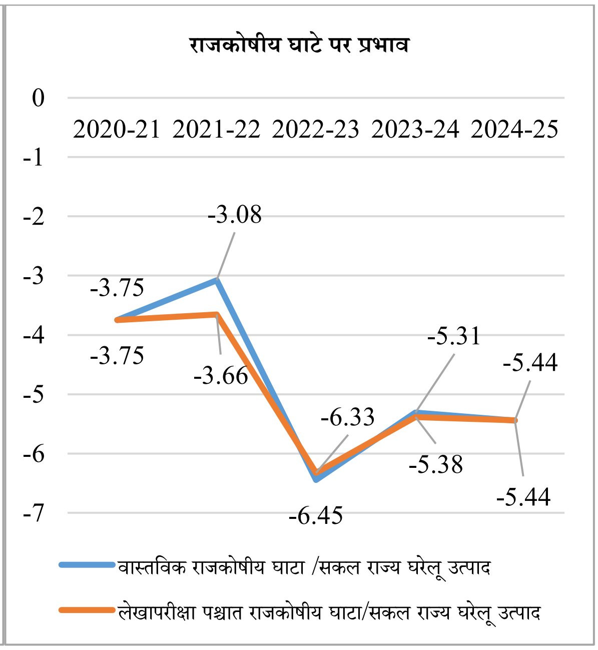

1.4.3 ऋण धारणीयता विश्लेषण

ऋण धारणीयता का तात्पर्य राज्य की वर्तमान एवं भविष्य में उसकी ऋण बाध्यताओं को पूरा करने की क्षमता से है। ऋण धारणीयता सूचकांकों में भिन्नता का विश्लेषण **तालिका 1.35** में दिया गया है।

तालिका 1.35: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ऋण धारणीयता सूचकांक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	समग्र देयताएं या समग्र ऋण	67,164.75	69,122.58	82,177.21	91,220.73	1,02,187.62
2	समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.96	2.91	18.89	11.00	12.02
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सामान्य के अर्थ में)	1,51,905	1,70,376	1,92,026	2,12,169	2,31,690
4	सामान्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत में)	-4.56	12.16	12.71	10.49	9.20
5	समग्र ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	44.21	40.57	42.79	42.99	44.11
6	**सभी प्रकार के उधारों की परिपक्वता रूपरेखा**					
6अ	0-2 वर्ष	अनुपलब्ध	13,480.94	15,839.17	17,112.79	20,291.45
6ब	2-5 वर्ष		20,443.28	23,676.80	25,005.96	26,205.65
6स	5-10 वर्ष		25,929.71	33,263.24	34,291.31	36,402.21
6द	10 वर्ष से अधिक		7,691.18	16,567.93	21,419.89	23,211.53
7	सकल उधारों की चुकौती (प्रतिशत)	91.04	99.93	74.84	86.64	87.44
8	सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार	8.96	0.07	25.16	13.36	12.56
9	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	4,472.45	4,640.79	4,828.64	5,648.37	6,260.93
10	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत में)	7.40	7.24	6.72	6.82	6.76
11	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	13.38	12.44	12.68	14.42	15.32
12	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	-96.66	1,114.76	-6,335.76	-5,558.59	-6,804.61
13	प्राथमिक राजस्व शेष	4,375.52	5,755.55	-1,507.12	89.78	-543.67
14	प्राथमिक शेष	-1,228	-604	-7,551	-5,617	-6,350
15	प्राथमिक शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-0.81	-0.35	-3.94	-2.67	-2.74
16	समग्र देयता पर निवेश के प्रतिफल व प्रभावी ब्याज दर के मध्य अंतर	-4.10	-6.00	-6.53	-6.23	-1.52
17	तरलता प्रबंधन (रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन साधन का उपयोग) (कई अवसरों पर)	63	16	70	41	162
18	ऋण धारणीयता (प्रमात्रा विस्तार + प्राथमिक शेष)	-875.54	-3,435.61	1,979.76	-1,969.05	-1,187.23
19	**डोमार अंतराल**					
क	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर अर्थ में)	1,15,894	1,21,481	1,28,779	1,37,320	1,46,553
ख	वास्तविक वृद्धि (स्थिर अर्थ में))	-4.40	4.57	6.60	6.31	5.73
ग	उपभोक्ता मूल्य सूची आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)	4.65	6.66	4.50	5.04	4.03
घ	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	7.40	7.24	6.72	6.82	6.76

क्र. सं.	ऋण धारणीयता सूचकांक	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
ड	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर-मुद्रास्फीति)	2.75	0.58	2.22	1.78	2.73
च	वृद्धि ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि-वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	-7.15	3.99	4.38	4.53	3.00

स्रोतः सम्बंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।

समग्र देयताएं या समग्र ऋण में लोक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम सहित) व लोक लेखा देयताओं (ब्याज एवं ब्याज रहित आरक्षित निधि व निक्षेप सहित) के साथ अन्य देयताएं शामिल होती हैं।

प्राथमिक राजस्व शेष: राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय+ ब्याज भुगतान, जहां (-) प्राथमिक शेष का अर्थ प्राथमिक घाटा अथवा प्राथमिक घाटे का अर्थ प्राथमिक शेष से है।

प्राथमिक शेष : कुल प्राप्तियां (निवल उधार) -कुल व्यय (निवल ब्याज भुगतान), जहां (-) प्राथमिक शेष का अर्थ प्राथमिक घाटा अथवा प्राथमिक घाटे का अर्थ प्राथमिक शेष से है।

प्रभावी ब्याज दर: {ब्याज भुगतान/[(विगत व चालू वित्तीय वर्ष का औसत बकाया ऋण (ब्याज रहित देयताओं के अतिरिक्त)]}

*प्रमात्रा विस्तार : ब्याज विस्तार * ऋण*

सकल ऋण एवं वृद्धि

पांच वर्ष की अवधि में 10.56 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए सकल देयताओं में लगातार वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 में ऋण वृद्धि उसके उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिसके पश्चात 2023-25 के दौरान यह लगभग 11-12 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। ऋण-से-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात प्रारंभ में घटा परन्तु वर्ष 2024-25 में पुनः 44.11 प्रतिशत तक बढ़ गया, जो संकेत देता है कि पूर्व में प्राप्त राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लाभ को बनाए नहीं रखा जा सका।

ऋण अदायगी एवं ब्याज का भार

पांच वर्ष की अवधि के दौरान ब्याज भुगतान में औसतन 8.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। प्रभावी ब्याज दर 7.40 प्रतिशत से घटकर 6.76 प्रतिशत हो गई, जो अपेक्षाकृत अनुकूल उधारी शर्तों को परिलक्षित करती है। हालांकि ब्याज-से-राजस्व प्राप्ति अनुपात वर्ष 2021-22 के 12.44 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 15.32 प्रतिशत हो गया (अर्थात राजस्व के प्रत्येक एक रुपये में से ₹0.15 ब्याज भुगतान में व्यय हो रहा है), जो बढ़ते हुए राजकोषीय दबाव को प्रतिबिम्बित करता है।

चार्ट 1.46 राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का अंतर-राज्यीय तुलनात्मक विश्लेषण

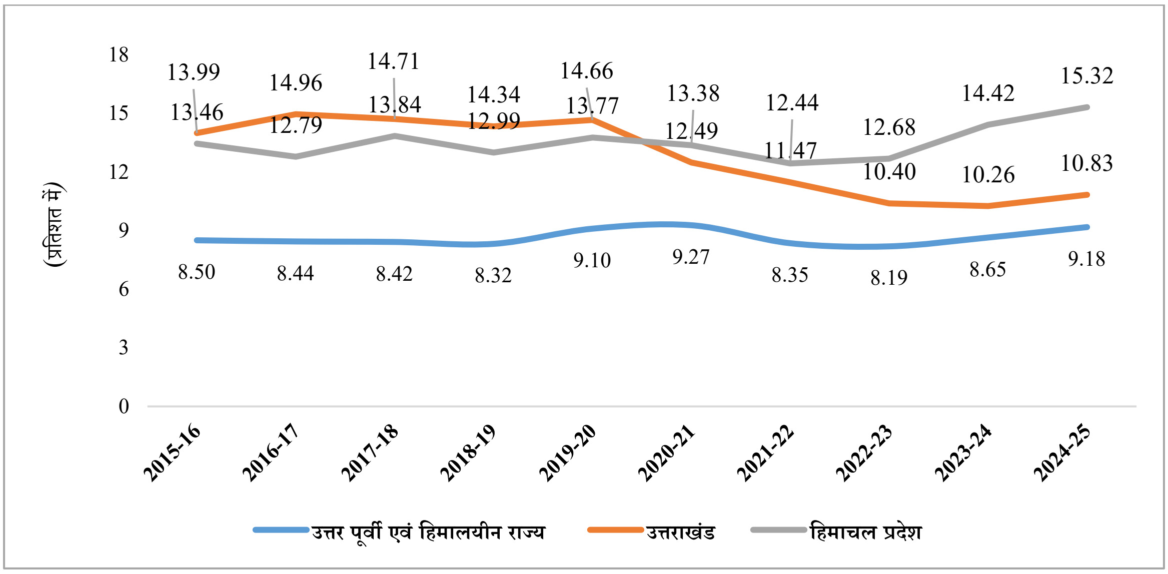

प्राथमिक एवं राजस्व शेष

वर्ष 2020-2025 के दौरान राज्य ने निरंतर राजकोषीय दबाव का अनुभव किया, जो उसके उच्च प्राथमिक घाटे (राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान) से परिलक्षित होता है, जिसका अर्थ है कि सरकार केवल नई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ही नहीं, अपितु वर्तमान व्ययों की पूर्ति तथा पूर्व ऋणों की ब्याज दायित्वों के निर्वहन हेतु भी उधार ले रही थी। वित्त वर्ष 2024-25 में प्राथमिक घाटा सकल राज्य घरलू उत्पाद के लगभग तीन प्रतिशत के स्तर पर रहा, जो परिचायक है कि ऋण अभी भी घटते मार्ग पर नहीं है। वर्ष 2022-23 व 2024-25 में प्राथमिक राजस्व शेष ऋणात्मक हो गया, जो वर्तमान दायित्वों की पूर्ति में संरचनात्मक दबाव को प्रतिबिम्बित करता है।

पुनर्भुगतान एवं तरलता

ऋण पुनर्भुगतान की बाध्यताएं उधारों के एक बड़ा हिस्से (सकल उधारों का 75 से 100 प्रतिशत) का उपभोग कर लेती हैं, जिससे नए निवेश के लिए सीमित स्थान बचता है (मात्र 0.07 से 25 प्रतिशत निवल उधार उपलब्ध)। वर्ष 2024-25 में भारतीय रिज़र्व बैंक सुविधाओं पर तरलता की निर्भरता उल्लेखनीय रूप से बढ़ी (162 अवसर), जो नकदी प्रवाह में असंगतियों को रेखांकित करती है।

राजकोषीय धारणीयता एवं डोमार अंतराल

वर्ष 2022-23 के अतिरिक्त ऋण धारणीयता सूचकांक अधिकांश वर्षों में ऋणात्मक रहा, जो ऋण को स्थिर करने के लिए वृद्धि दर व राजकोषीय संतुलन के पर्याप्त न होने को परिलक्षित करता हैं। वर्ष 2021-22 से डोमार अंतराल (वृद्धि - ब्याज अंतर) धनात्मक हो गया, जो संकेत देता है कि ऋण सैद्धांतिक रूप से धारणीय है क्योंकि वास्तविक वृद्धि वास्तविक ब्याज से अधिक है। हालांकि निरंतर घाटे इस सैद्धांतिक लाभ का क्षरण कर देते हैं।

ऋण धारणीयता सुनिश्चित करने हेतु राज्य को राजस्व घाटे को नियंत्रित करते हुए, सब्सिडियों के युक्तिकरण तथा कर एवं कर-भिन्न राजस्व में सुधार के माध्यम से राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को मज़बूत करना होगा। ऋण प्रबंधन परिपक्वता अवधि को लंबा करने एवं उधार लागत को कम करने पर केंद्रित होना चाहिए, जबकि व्यय पुनर्संरचना में प्रतिबद्ध व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्राथमिक शेष को अधिशेष की दिशा में पुनर्स्थापित करना तथा तरलता प्रबंधन को सुदृढ़ करना पुनर्भुगतान जोखिमों को कम करने साथ ही दीर्घकालिक राजकोषीय धारणीयता की सुरक्षा हेतु अत्यावश्यक है।

1.4.4 गारंटी - आकस्मिक देयताओं की स्थिति

गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर वे आकस्मिक देयताएं है, जो उधारकर्ताओं की दी गई गारंटियों के बकाया होने की स्थिति में उत्पन्न होती है। सांविधिक निगमों, बोर्डों, स्थानीय निकायों व सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा लिए गए ऋणों पर राज्य गारंटी देता है। हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अनुसार बकाया गारंटियां विगत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। विगत पांच वर्षों की गारंटियों का विवरण तथा कुल प्राप्तियों के सापेक्ष बकाया गारंटियों की स्थिति **तालिका 1.36** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.36: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि पर लागू अधिकतम सीमा (अर्थात गत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 40 प्रतिशत)	12,296.80	13,375.31	14,923.72	15,235.80	15,669.22
वर्ष के प्रारंभ में गारंटी की बकाया राशि	1,889.33	2,141.76	1,884.61	1,780.64	1,744.81
वर्ष के अंत में गारंटी की बकाया राशि	2,141.76	1,884.61	1,780.64	1,744.81	1,895.59

स्रोत: वित्त लेखे

विगत पांच वर्षों (2020-25) के दौरान कोई गारंटी राशि लागू नहीं की गई। 31 मार्च 2025 तक ₹ 1,895.59 करोड़ की बकाया गारंटियां मुख्यतः विद्युत क्षेत्र (₹ 1,358.78 करोड़), सहकारी बैंक (₹ 273.61 करोड़) तथा सड़क एवं परिवहन क्षेत्र (₹ 162.95 करोड़) से संबंधित थीं। बकाया गारंटियां विगत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के मात्र 4.84 प्रतिशत के बराबर हैं, जो निर्धारित 40 प्रतिशत की सीमा से काफी कम है।

1.4.5 राजकोषीय धारणीयता के मार्ग

राजस्व में वृद्धि एवं व्यय के युक्तिकरण के माध्यम से घाटों में सुधार किया जा सकता है। इसमें कर अनुपालन का सुदृढ़ीकरण, कर आधार का विस्तार, उपयोगकर्ता शुल्कों का पुनरीक्षण तथा निष्क्रिय सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण शामिल है। व्यय पक्ष में, सब्सिडियों का बेहतर लक्ष्यीकरण, वेतन एवं पेंशन व्यय की वृद्धि पर नियंत्रण, तथा व्यय का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करना प्रमुख कारक हैं। उत्पादक पूंजीगत निवेश को प्राथमिकता देना तथा पारदर्शी व दक्ष उधार प्रबंधन के माध्यम से ऋण प्रबंधन में सुधार करना राजकोषीय दबाव को और कम कर सकता है। ये उपाय मिल कर राजकोषीय विस्तार का सृजन करते हैं तथा राजस्व,

राजकोषीय व प्राथमिक घाटों को सतत रूप से कम करने में सहायक होते हैं। इन पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई हैं।

1.4.5.1 राज्य के राजस्व में सुधार

अप्रयुक्त राजस्व संभावनाओं का यदि प्रभावी रूप से दोहन किया जाए, तो वे राजकोषीय अवकाश में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती हैं तथा ऋण पर निर्भरता को कम कर सकती हैं। राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टाम्प शुल्क व आबकारी जैसे प्रमुख कर स्रोतों में निर्धारण संबंधी अक्षमताएं, अव-मूल्यांकन एवं सीमित प्रवर्तन तंत्र के कारण राजस्व वृद्धि मंद बनी रहती है। निम्न उपयोगकर्ता शुल्क, कमजोर लागत वसूली एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों व निवेशों पर अपर्याप्त प्रतिफल सहित कर-भिन्न राजस्व की अपर्याप्त प्राप्ति भी राजकोषीय विस्तार को सीमित करती है। लंबित बकाया (कर एवं कर-भिन्न) की समयबद्ध वसूली भी राजकोषीय विस्तार को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क. राजस्व बकाया

31 मार्च 2025 तक राजस्व के मूल शीर्षों के संदर्भ में राजस्व बकाया ₹ 7,910.47 करोड़ था, जिसमें से ₹ 1,329.70 करोड़ (17 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया था, जैसाकि **तालिका 1.37** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.37: राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2025 तक बकाया राशि	पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	006- वस्तु एवं सेवा कर	3,112.56	167.39
2.	0039-राज्य आबकारी	421.70	290.38
3.	0040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	4,271.02	863.23
4.	0042-यात्री व माल कर	13.37	5.66
5.	0045-अन्य कर व शुल्क	91.82	3.05
योग		**7,910.47**	**1,329.70**

स्रोतः आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई जानकारी

ख. निर्धारण में बकाया

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर, वाहन कर एवं विलासिता कर के संदर्भ में वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या, निर्धारण हेतु लंबित मामले, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले एवं वर्ष की समाप्ति में अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या की जानकारी तालिका **1.38** में दशाई गई है।

तालिका 1.38: निर्धारण में बकाया

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष		2024-25 के आरंभ में लंबित मामले	2024-25 के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	निर्धारण हेतु देय कुल मामले	2024-25 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	केन्द्रीय बिक्री कर	15,168	605	15,773	1,194	14,579	7.57
2		मूल्य वर्धित कर	16,824	1,811	18,635	3,077	15,558	16.51
3	वस्तु एवं सेवा कर		160	36	196	18	178	9.18
4	विलासिता कर		853	-	853	97	756	11.37
5	वाहन कर		1,780	-	1,780	-	1,780	0
योग			**34,785**	**2,452**	**37,237**	**4,386**	**32,851**	**11.78**

स्रोतः आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई जानकारी

वर्ष 2024-25 के दौरान निर्धारण मामलों की समग्र निपटान दर मात्र 12 प्रतिशत रही, जो उल्लेखनीय बकाया को परिलक्षित करती है। मूल्य वर्धित कर श्रेणी में सर्वाधिक निपटान हुआ, जिसके बाद विलासिता कर का स्थान रहा। नए मामलों के जुड़ने के बावजूद 32,851 मामलों का बड़ा बैकलॉग लंबित बना हुआ है, जो निर्धारण प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार की आवश्यकता को प्रतिबिम्बित करता है।

ग. विभाग द्वारा पाई गई कर चोरी (अपवंचन) का विवरण

पाए गए कर चोरी के मामले, अंतिमिकृत मामले एवं अतिरिक्त कर की उठाई गई मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

संबंधित विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान पता लगाए गए कर चोरी के मामलों, निपटाए गए मामलों एवं अतिरिक्त कर की मांग के विवरण को **तालिका 1.39** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.39: पाए गए कर चोरी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2024 के आरंभ में लंबित मामले	2024-25 के दौरान पाए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण की गई व अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2025 तक अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि	
1	वस्तु एवं सेवा कर	465	2,338	2,803	2,274	4.75	529
2	राज्य आबकारी	115	746	861	800	1.79	61
3	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	58	12	70	12	0.72	58

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2024 के आरंभ में लंबित मामले	2024-25 के दौरान पाए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण की गई व अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2025 तक अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि	
4	यात्री व माल कर	33	562	595	459	10.26	136
5	माल एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	17	149	166	149	0.15	17
योग		**688**	**3,807**	**4,495**	**3,694**	**17.67**	**801**

स्रोतः आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई जानकारी

1.4.5.2 व्यय पक्ष के मुद्दे

क. प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी से वित्तीय तनाव

चार्ट 1.47 व चार्ट 1.48 वित्त वर्ष 2020-25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में क्रमशः प्रतिबद्ध व्यय व सब्सिडी को एक साथ दर्शाते हैं।

चार्ट 1.47: राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय व सब्सिडी

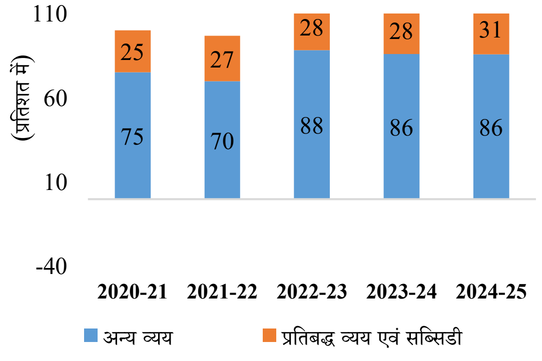

चार्ट 1.48: राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय व सब्सिडी

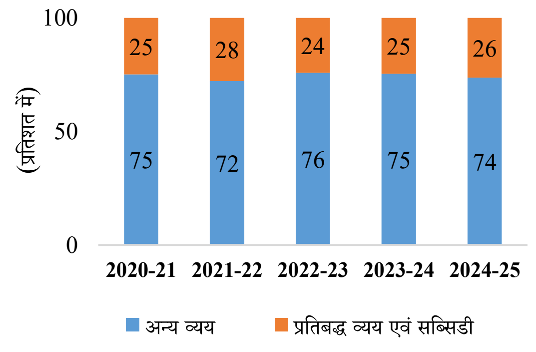

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का प्रतिबद्ध व्यय ₹ 33,266.46 करोड़ रहा, जिसमें वेतन (₹ 17,461.50 करोड़), पेंशन (₹ 9,543.85 करोड़) व ब्याज भुगतान (₹ 6,260.93 करोड़) शामिल थे, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 81 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त सब्सिडी ₹ 1,872.20 करोड़ थी, जिससे कुल कठोर व्यय ₹ 35,138.66 करोड़ हो गया, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 86 प्रतिशत था। इस प्रकार के व्यय की उच्च व अनम्य प्रकृति राजकोषीय विस्तार को उल्लेखनीय रूप से संकुचित कर देती है, जिससे राज्य के पूंजीगत निवेश एवं विकासात्मक प्राथमिकताओं हेतु संसाधन आवंटित करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

राजकोषीय नम्यता बढ़ाने तथा एक धारणीय राजकोषीय मार्ग सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडियों के युक्तिकरण, बेहतर लक्ष्यीकरण तथा वेतन एवं पेंशन प्रतिबद्धताओं के विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से व्यय सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

ख. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी की प्रवृत्तियों का आकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को भी दर्शाता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तथा राज्य को लंबे समय तक अभीष्ट लाभों से वंचित रखता हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उधार ली गई निधियां ऋण व ब्याज देयताओं की चुकौती के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने आती हैं। अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण **तालिका 1.40** में दर्शाया गया है (जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्त लेखाओं के **परिशिष्ट-IX** हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित है)।

तालिका 1.40: अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 तक अपूर्ण कार्यों की आयु रुपरेखा			
वर्ष	**अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या**	**अनुमानित लागत**	**किया गया व्यय**
2013-14 तक	11	246.02	275.93
2014-15	1	15.04	5.37
2015-16	3	37.68	34.60
2016-17	2	55.62	52.22
2017-18	6	45.20	32.69
2018-19	1	13.69	13.30
2021-22	5	55.31	28.80
2022-23	7	371.27	168.43
2023-24	4	73.80	47.48
2024-25	1	13.53	3.07
योग	**41**	**927.16**	**661.89**

31 मार्च 2025 तक अपूर्ण कार्यों की विभाग-वार रुपरेखा		
विभाग	**अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या**	**किया गया व्यय**
जल शक्ति विभाग	23	417.90
लोक निर्माण (सड़कें व पूल)	18	243.99
योग	**41**	**661.89**

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 तक इन 41 चल रही परियोजनाओं पर ₹ 927.16 करोड़ की अनुमानित लागत में से ₹ 661.89 करोड़ खर्च किए गए। इसलिए इन 41 परियोजनाओं के न पूरे होने के कारण ₹ 661.89 करोड़ का पूंजीगत व्यय अवरुद्ध रहा।

ग. राजकोषीय विस्तार पर चुकाई न गई देयताएं

चुकाई न की गई/आस्थगित देयताओं का यदि समय पर समाधान न किया जाएं तो वे भविष्य के विकासात्मक व बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए उपलब्ध राजकोषीय विस्तार को कम कर देंगी। पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता की कमी उत्पन्न करने के अतिरिक्त इससे राज्य की संसाधन जुटाने की क्षमता सतत रूप से प्रभावित होती है, जिससे समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य एवं दीर्घकालिक धारणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार पर ₹ 21.83 करोड़ की चुकाई न गई ब्याज देयताएं थीं (राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि: ₹ 14.41 करोड़ व राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि: ₹ 7.42 करोड़), जिनका उस सीमा तक राजकोषीय धारणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इन चुकाई न गई देयताओं का संचयी मूल्य ₹ 21.83 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.01 प्रतिशत एवं राजकोषीय घाटे के 0.17 प्रतिशत के बराबर है।

लेखापरीक्षा की अनुशंसा है कि राज्य सरकार सभी चुकाई न गई देयताओं का पारदर्शी रूप से प्रकटीकरण करे तथा उनके समाधान हेतु उपयुक्त प्रावधान सुनिश्चित करे, ताकि इन दायित्वों के समयबद्ध निर्वहन के माध्यम से भविष्य में राजकोषीय दबाव से बचा जा सके।

1.5 निष्कर्ष

वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश के वित्त में राजकोषीय दबाव प्रतिबिम्बित हुआ तथा यद्यपि राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर्ज की गई तथापि दीर्घकालिक धारणीयता के संदर्भ में स्पष्ट तनाव के कोई संकेत परिलक्षित नहीं हुए।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 9.20 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि राज्य के स्व-राजस्व को जुटाने में समानुपातिक वृद्धि या किसी भी सार्थक राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में परिवर्तित नहीं हुई।

कर व कर-भिन्न राजस्व दोनों ही बजट प्राक्कलनों से कम रहे, जिसने राजस्व पूर्वानुमान, अनुपालन प्रवर्तन एवं कर आधार के सीमित विस्तार में समस्याएं रेखांकित की।

कुल व्यय का लगभग 85 से 89 प्रतिशत राजस्व लेखा पर हुआ। वेतन, पेंशन व ब्याज भुगतान जैसी प्रतिबद्ध देयताओं ने राजस्व प्राप्ति का लगभग 81 प्रतिशत अवशोषित किया, जिससे कल्याण एवं विकासात्मक व्यय हेतु केवल 19 प्रतिशत ही उपलब्ध रहा, जिससे ऋण का बोझ और बढ़ गया।

सार्वजनिक निवेशों पर प्रतिफल चिंताजनक रूप से कम था, क्योंकि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व अन्य निकायों में निवेशित ₹6,239 करोड़ से केवल ₹191 करोड़ का ही लाभ हुआ तथा लाभार्थियों से ऋण की वसूली नगण्य रही, जो परिचायक है कि राज्य की परिसंपत्तियां पर्याप्त प्रतिफल उत्पन्न नहीं कर रही हैं।

राज्य का राजस्व घाटा व राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्यों से लगातार अधिक रहे हैं, जिसमें ₹ 6,805 करोड़ का राजस्व घाटा व ₹ 12,611 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.44 प्रतिशत) का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया। चिंताजनक रूप से इस घाटे पूर्ति के उद्देश्य से लिए गए उधार का एक बड़ा हिस्सा नए पूंजीगत व्यय को निधि देने के बजाय पुराने ऋणों को चुकाने में उपयोग किया जा रहा है। ऋण चुकाने के लिए उधार लेने की यह प्रथा एक ऋण जाल की स्थिति पैदा करती है, क्योंकि इससे उत्पादक संपत्तियों का सृजन नहीं होता जो भविष्य में राजस्व उत्पन्न कर सकें।

यह पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने में राजकोषीय घाटे की कमजोर क्षमता को रेखांकित करता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में, रिपोर्टों से पूंजीगत परिव्यय में उल्लेखनीय कमी परिलक्षित होती है, जो राज्य के तंग वित्तीय हालात का सीधा परिणाम है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया देयताओं के अनुपात में लगातार बढ़ती प्रवृत्ति रही जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रही। यह राज्य पर बढ़ाते हुए ऋण बोझ का परिचायक है जो उसकी आर्थिक वृद्धि से अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है।

समग्र रूप से, हिमाचल प्रदेश दैनिक व्यय को पूरा करने के लिए भी उधार लेने के चक्र में फंसा हुआ है, विकासात्मक निवेश को प्राथमिकता देने में विफल रहा है, तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में निरंतर संरचनात्मक एवं परिचालन संबंधी अक्षमताएं प्रदर्शित कर रहा है।

1.6 अनुशंसाएं

- **राजकोषीय सुदृढ़ीकरण एवं ऋण :** राजस्व घाटे व राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए एक विश्वसनीय एवं समयबद्ध रोडमैप को तत्काल लागू करते हुए, अधारणीय ऋण वृद्धि को रोकने हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों का कड़ाई से पालन किया जाए।

- **व्यय संरचना:** पूंजीगत व्यय के अंश में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए तथा अनुत्पादक राजस्व व्यय (वर्तमान में 85-89 प्रतिशत) के अंश को एक साथ कम करते हुए व्यय संरचना का पुनर्संतुलन किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उधारों का उपयोग मुख्यतः उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन में हो, पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण को प्राथमिकता दी जाए।

- **राजस्व जुटाना- राज्य के स्व-कर राजस्व (कर व कर-भिन्न) का सुदृढ़ीकरण:** राजस्व पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार किया जाए तथा कर अनुपालन के प्रवर्तन को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया जाए, ताकि राज्य के स्व-कर राजस्व को जुटाने में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि समानुपातिक रूप से सुनिश्चित हो सके। कर आधार के विस्तार के लिए व्यापक समीक्षा की जाए तथा वर्तमान लागत और बाज़ार मूल्यों के अनुरूप कर-भिन्न दरों का युक्तिकरण/पुनरीक्षण किया जाए।

- **प्रतिबद्ध व्यय पर अंकुश :** प्रतिबद्ध देयताओं (वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान) की वृद्धि पर अंकुश लगाने हेतु कठोर उपाय लागू किए जाए, ताकि राजस्व प्राप्तियों को विवेकाधीन कल्याणकारी एवं विकासात्मक गतिविधियों के लिए मुक्त किया जा सके। इसके लिए पेंशन सुधार तथा प्रशासनिक व्ययों के युक्तिकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

- **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन एवं ऋण स्थिति की समीक्षा:** राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों की व्यवस्थित एवं समयबद्ध प्रदर्शन समीक्षा की जाए। घाटे में चल रही संस्थाओं के विनिवेश या पुनर्गठन हेतु स्पष्ट नीति

लागू की जाए तथा लाभार्थियों से ऋणों की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र प्रवर्तित किया जाए, ताकि निवेशों से पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त हो सके।

- **उधार की प्रथा:** ऋण जाल से तुरंत बाहर निकलने के लिए पुराने ऋणों का पुनर्भुगतान करने हेतु नए उधार लेने से बचा जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी नए उधार केवल उत्पादक पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए ही उपयोग किए जाए।
- **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (पीएफएम) का सुदृढ़ीकरण:** क्षमता निर्माण, लेखांकन प्रणालियों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रणों के माध्यम से पीएफएम में लगातार बनी हुई संरचनात्मक व परिचालन संबंधी अक्षमताओं का समाधान किया जाए।

अध्याय-II
बजटीय प्रबंधन

अध्याय II: बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय हिमाचल प्रदेश की बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा करता है, जो बजट अनुमानों एवं वास्तविक व्यय के मध्य निरंतर होने वाले विचलनों को रेखांकित करता है। इसमें व्यय आधिक्य, बार-बार होने वाली बचतें तथा अंतिम समय में निधियों के अभ्यर्पण जैसे मुद्दे चिह्नित किए गए हैं, जो वित्तीय योजना, व्यय नियंत्रण तथा अनुपालन में व्याप्त कमियों को प्रतिबिम्बित करते हैं।

2.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान की अनुच्छेद 202 के अनुपालन में राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में उस वर्ष हेतु राज्य की अनुमानित प्राप्तियों व व्यय का विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरणी (बजट)" कहा जाता है, प्रस्तुत की जानी है। व्यय के अनुमान, व्यय की "प्रभारित" एवं "दत्तमत" मदों[1] को अलग-अलग प्रदर्शित करते हैं तथा राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायिका से प्राधिकार लेना आवश्यक होता है।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 (अध्याय-3) के अनुसार राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 202(1) के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व राज्य विधानमंडल के समक्ष राज्य की उस वर्ष हेतु अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरणी (बजट)" कहा जाता है, रखवाएंगे । वित्त विभाग समय-समय पर बजट अनुमान तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी करेंगे। सभी विभाग उन दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

बजट में निम्नलिखित आवश्यक तत्व शामिल होंगे, अर्थात्–

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त किये जाने वाले समस्त राजस्व की अनुमानित राशि।

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम व परियोजना के समस्त व्यय का अनुमान।

(ग) समस्त ब्याज व ऋण-अदायगी प्रभारों और ऋणों से संबंधित किसी भी पुनर्भुगतान का अनुमान।

(घ) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार मध्यावधि राजकोषीय योजना।

(ङ) समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली अन्य कोई भी जानकारी।

2.2 बजट प्राक्कलन तथा अपेक्षा व वास्तविक के मध्य का अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों व लोक व्यय का कुशल प्रबंधन, संसाधनों के इष्टतम उपयोग, स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी क्षमता के सुदृढ़ीकरण तथा राजकोषीय लक्ष्यों की

---

[1] **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, ऋण चुकौती, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभार गठित करती है तथा इनके लिए विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती। **दत्तमत व्यय:** अन्य सभी व्यय हेतु विधायिका की सम्मति आवश्यक होती है।

प्राप्ति में संतुलन बनाए रखता है। निरंतर बचत/आधिक्य अंतर्निहित बजटीय प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता को इंगित करते हैं।

राज्य विधानमंडल से प्राप्त कुल विनियोजन, वास्तविक व्यय व बचत का विवरण **तालिका 2.1** में सारांशित किया गया है।

तालिका 2.1: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बजट प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

दत्तमत / प्रभारित	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान / विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-)	2024-25 के दौरान अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	44,255.56	3,986.71	48,242.27	44,164.96	4,077.31	1,412.54	34.64
	II. पूंजीगत	6,319.64	2,483.06	8,802.70	6,339.76	2,462.94	160.89	6.53
	III. ऋण व अग्रिम	28.20	160.48	188.68	34.25	154.43	3.05	1.98
कुल		**50,603.40**	**6,630.25**	**57,233.65**	**50,538.97**	**6,694.68**	**1,576.48**	**23.55**
प्रभारित	I. राजस्व	6,339.24	263.24	6,602.48	6,592.90	9.58	0.72	7.52
	II. पूंजीगत	0.00	23.22	23.22	24.34	-1.12	0.00	0.00
	III. ऋण व अग्रिम	5,479.11	10,137.07	15,616.18	18,168.81	-2,552.63	0.00	0.00
कुल		**11,818.35**	**10,423.53**	**22,241.88**	**24,786.05**	**-2,544.17**	**0.72**	**-0.03**
आकस्मिक निधि में विनियोजन (यदि कोई हो)		0	0	0	0	0	0	0
सकल योग		**62,421.75**	**17,053.78**	**79,475.53**	**75,325.02**	**4,150.51**	**1,577.20**	**23.52**

स्रोतः हिमाचल प्रदेश के 2024-25 के विनियोजन लेखे।

टिप्पणीः उपरोक्त प्रदर्शित व्यय सकल आंकड़ों को दर्शाता है, जिसमें राजस्व शीर्ष (₹ 3,080.90 करोड़) व पूंजीगत शीर्ष (₹ 407.28 करोड़) के अंतर्गत व्यय लेखों में समायोजित की गई वसूली की राशियों को शामिल नहीं किया गया है।

दत्तमत प्रभाग में बड़ी बचतें कमजोर योजना व निष्पादन का संकेत देती हैं। प्रभारित ऋण एवं अग्रिमों में उल्लेखनीय आधिक्य अपर्याप्त पूर्वानुमान को परिलक्षित करता है। भविष्य में ध्यान बजट अनुमान की सटीकता में सुधार तथा ऋण व अग्रिम संवितरण की निगरानी को सुदृढ़ करने पर होना चाहिए।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति **तालिका 2.2** में दी गई हैं।

तालिका 2.2: वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 में मूल बजट, संशोधित अनुमान व वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट	52,471.52	53,484.78	54,592.02	56,683.70	62,421.75
अनुपूरक बजट	9,125.12	2,229.94	13,141.07	10,307.59	17,053.78
कुल बजट	61,596.64	55,714.72	67,733.09	66,991.29	79,475.53
संशोधित अनुमान	53,460.19	48,833.63	62,871.45	61,624.73	74,758.38
वास्तविक व्यय	53,138.53	50,129.36	63,463.35	62,023.95	75,325.02

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बचत	8,458.11	5,585.36	4,269.74	4,967.34	4,150.51
मूल प्रावधान से अनुपूरक का प्रतिशत	17.39	4.17	24.07	18.18	27.32
कुल प्रावधान से कुल बचत/आधिक्य का प्रतिशत	13.73	10.02	6.30	7.41	5.22
कुल बजट - संशोधित अनुमान	8,136.45	6,881.09	4,861.64	5,366.56	4,717.15
संशोधित अनुमान - वास्तविक व्यय	321.66	-1,295.73	-591.90	-399.22	-566.64
(कुल बजट के प्रतिशत के रूप में कुल बजट - संशोधित अनुमान	13.21	12.35	7.18	8.01	5.94
कुल बजट के प्रतिशत के रूप में (संशोधित अनुमान - वास्तविक व्यय)	0.52	-2.33	-0.87	-0.60	-0.71

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे व बजट दस्तावेज़।

अनुपूरक बजटों पर निर्भरता में वृद्धि हुई, विशेषकर वर्ष 2022-23 व 2024-25 में, जो बजट निर्माण के चरण में निम्नतर इष्टतम अनुमान को इंगित करती है। वर्ष 2024-25 में बचत वर्ष 2020-21 के ₹ 8,458.11 करोड़ से घटकर ₹ 4,150.51 करोड़ रह गई। यह व्यय प्रबंधन में सुधार का संकेत देता है, किंतु साथ ही संसाधनों के निरंतर अल्प उपयोग को भी दर्शाता है। संशोधित अनुमान लगातार कुल बजट से कम रहे, जो बजट निरूपण के समय राजस्व अथवा संसाधन उपलब्धता के अधिक अनुमान की ओर संकेत करता है। वास्तविक व्यय प्रायः संशोधित अनुमानों से अधिक रहा, जो या तो अत्यधिक सतर्क संशोधित अनुमान धारणाओं को दर्शाता है अथवा अंतिम तिमाही में व्यय के दबाव को प्रतिबिम्बित करता है।

समग्र रूप से बजट की विश्वसनीयता में सुधार हुआ है (कम बचत तथा कुल बजट-संशोधित अनुमान के मध्य कम अंतर), किंतु योजना निर्माण की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, विशेषकर अनुपूरक मांगों पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए।

चार्ट 2.1 बजट अनुमान, संशोधित अनुमान व वास्तविक को दर्शाती प्रवृत्ति

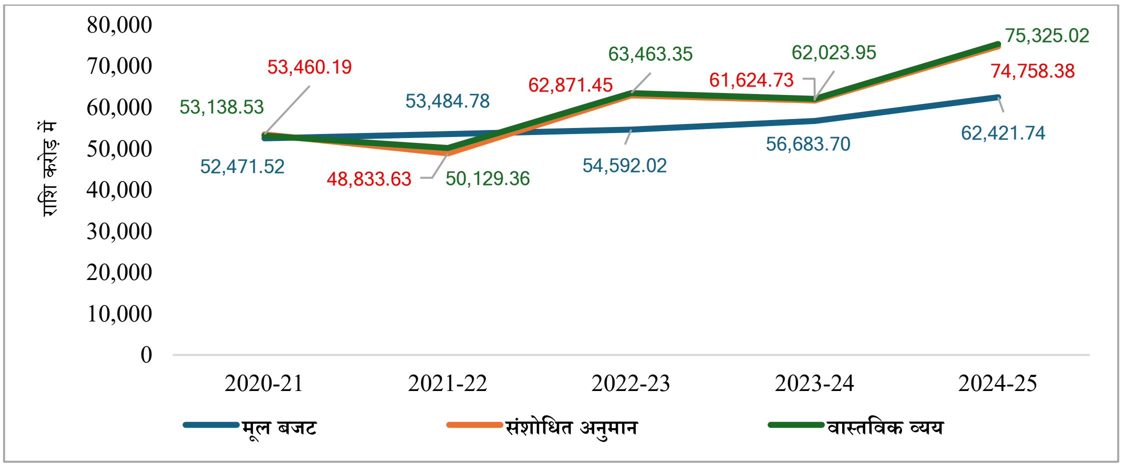

2.2.1 बजटीय प्रावधानों एवं व्यय का घटक/अदायगी-वार विश्लेषण

वित्त वर्ष 2024-25 हेतु बजट व व्यय का घटक-वार विश्लेषण **तालिका 2.3** में सारांशित किया गया है। विनियोजन लेखाओं में भिन्नता के मामलों में प्राप्त स्पष्टीकरणों का सारांश **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: वर्ष 2024-25 हेतु घटक-वार बजट व व्यय

घटक	कुल बजट	कुल व्यय	कुल बजट	कुल व्यय	कुल बजट के प्रति व्यय
	(₹ करोड़ में)		*(प्रतिशत में)*		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3/2*100)
प्रतिबद्ध व्यय	35,524.40	33,266.28	44.70	44.16	93.64
राज्य स्कीम व अन्य व्यय	37,718.11	36,695.53	47.46	48.72	97.29
केंद्र प्रायोजित योजनाओं का केंद्रांश	5,340.80	4,507.27	6.72	5.98	84.39
केंद्र प्रायोजित योजनाओं का राज्यांश	892.21	855.94	1.12	1.14	95.93
कुल	**79,475.53**	**75,325.02**			
बाहय सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1,403.21	1,280.31	1.77	1.70	91.24

स्रोत: विनियोजन एवं वित्त लेखे; हिमाचल प्रदेश राज्य, 2024-25

राज्य स्कीमों का अंश सर्वाधिक है तथा इनमें 97.29 प्रतिशत उपयोग दर्शाया गया है, जो संसाधनों के कुशल उपयोग को परिलक्षित करता है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में केंद्रांश का उपयोग सबसे कम (84.39 प्रतिशत) रहा, जो निधियां विलम्ब से जारी करना, प्रशासनिक बाधाओं या राज्य द्वारा केंद्र की निधियों के पूर्ण आहरण में अक्षमता की ओर संकेत करता है।

चार्ट 2.2: वर्ष 2024-25 के दौरान विनियोजन लेखाओं में भिन्नताओं के स्पष्टीकरण सारांश

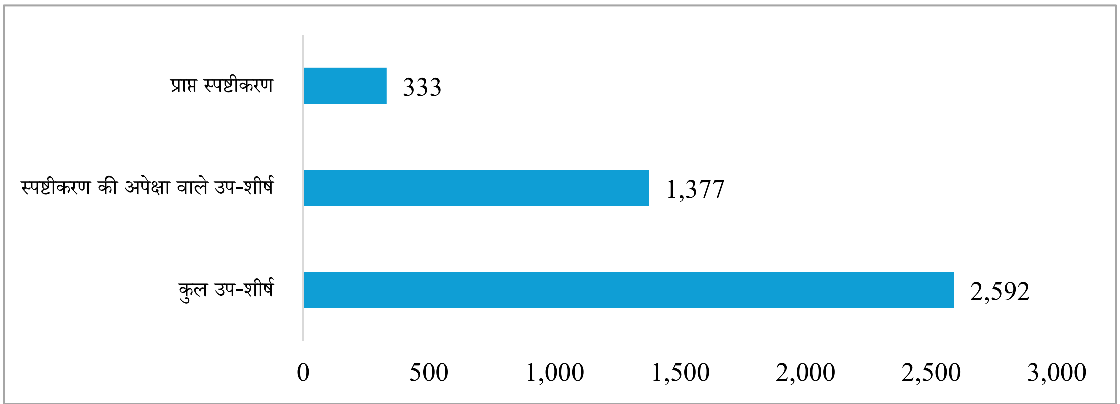

स्रोत: विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखों के मामलों में से केवल 24 प्रतिशत (333 मामलों) के लिए ही स्पष्टीकरण प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश (1,377) पुनर्विनियोजन से संबंधित थे।

2.3 बजट संघटन आउटटर्न

व्यय संघटन आउटटर्न

व्यय संघटन आउटटर्न निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य पुन: आवंटन से व्यय संघटन में हुए अंतर में दिए योगदान की अधिकतम सीमा को मापता है।

अनुदानों, आधिक्य व बचत का वर्ष-वार विश्लेषण, राज्य के बजट कार्यान्वयन एवं वित्तीय प्रबंधन की दक्षता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: वर्ष-वार अनुदान, आधिक्य एवं बचत

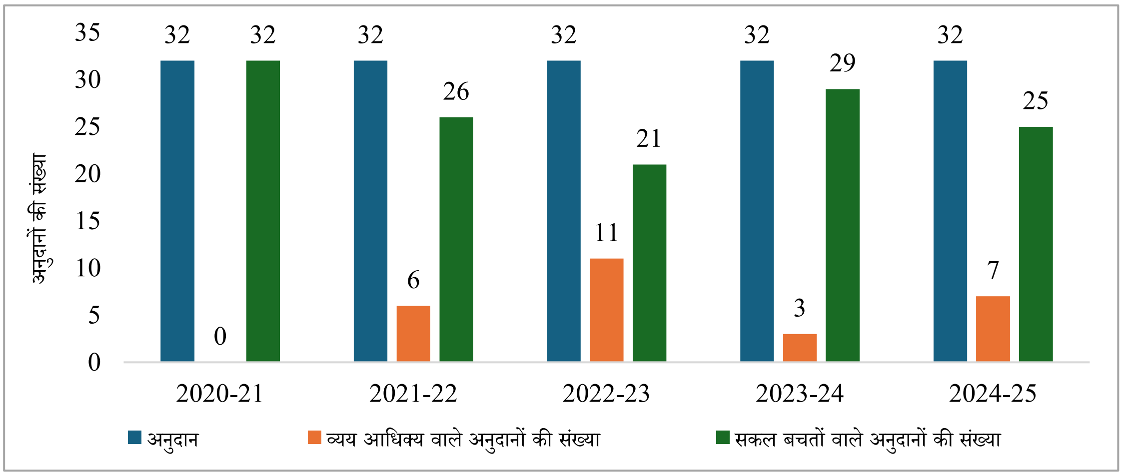

वित्त वर्ष 2024-25 हेतु व्यय संघटन आउटटर्न **तालिका 2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4: वित्त वर्ष 2024-25 में व्यय संघटन का समग्र विचलन

प्रभाग	समग्र विचलन (प्रतिशत में)	विचलन की सीमा (प्रतिशत में)	अनुदानों की संख्या
राजस्व (दत्तमत)	(-) 8.45	0 से ± 25	28
		± 25 से ± 50	4
		± 50 से ± 100	0
पूंजीगत (दत्तमत)	(-) 29.11	0 से ± 25	18
		± 25 से ± 50	8
		± 50 से ± 100	5
राजस्व (प्रभारित)	(-) 0.14	0 से ± 25	8
		± 25 से ± 50	1
		± 50 से ± 100	2
पूंजीगत (प्रभारित)	16.33	0 से ± 25	2
		± 25 से ± 50	0
		± 50 से ± 100	2

टिप्पणी: पूंजीगत (दत्तमत) प्रभाग में एक अनुदान के लिए कोई बजट प्रावधान या व्यय नहीं किया गया। राजस्व (प्रभारित) प्रभाग में 15 अनुदानों के लिए कोई बजट प्रावधान या व्यय नहीं किया गया। इसी तरह पूंजीगत (प्रभारित) प्रभाग में 28 अनुदानों के लिए कोई बजट प्रावधान या व्यय नहीं किया गया।

राजस्व (दत्तमत) व्यय अपेक्षाकृत स्थिर रहा, जिसमें अधिकांश विचलन ± 25 प्रतिशत के भीतर सीमित रहे। पूंजीगत (दत्तमत) व्यय में उल्लेखनीय कम व्यय देखा गया, जिसमें लगभग एक-तिहाई विचलन है। पांच अनुदानों में उच्च विचलन (50 से 100 प्रतिशत) पूंजीगत परियोजनाओं की योजना व कार्यान्वयन में समस्याओं को दर्शाता है। पूंजीगत (प्रभारित) व्यय में अधिक व्यय की प्रवृत्ति देखी गई, जो केवल कुछ अनुदानों में केंद्रित थी, जो कुछ क्षेत्रों में निम्नतर इष्टतम व्यय नियंत्रण को परिलक्षित करता है।

2.4 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे संविधान के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित विनियोजन अधिनियम की अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की

राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। इन लेखाओं में वास्तविक व्यय को सकल आधार पर मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को अलग-अलग करके दर्शाया जाता है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुसार है तथा यह कि संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के तहत प्रभारित व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। वह ये भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों तथा निर्देशों के अनुरूप है।

2.5 बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया

2.5.1 विधिक प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन आहरित नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 की धारा 37(3) में प्रावधान है कि "राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप से अथवा विनियोजन या अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने के अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया जाएगा जिससे किसी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा विधिक रूप से अधिकृत कुल अनुदान या विनियोजन की सीमा से अधिक व्यय हो।"

यह पाया गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान नौ अनुदानों के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 16 मामलों में मूल बजट अनुमानों/अनुपूरक मांगों में कोई प्रावधान न होने के बावजूद ₹ 438.66 करोड़ (**परिशिष्ट 2.1**) का व्यय किया गया।

उपरोक्त के प्रत्युत्तर में सचिव (वित्त) ने (दिसंबर 2025) बताया कि इन अधिकांश मामलों में व्यय न्यायालयीन प्रकरणों से उत्पन्न हुए हैं अथवा मुख्यमंत्री द्वारा वित्त विभाग के माध्यम से स्वीकृत किए गए हैं। इन व्ययों का स्वरूप ऐसा है कि बजट निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया के दौरान इनका पूर्वानुमान करना संभव नहीं होता, जिससे प्राधिकार के उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न हुई।

2.5.2 व्यय आधिक्य एवं इसका विनियमन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को अनुदान/विनियोजनों से अधिक आहरण को राज्य विधायिका से विनियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत व्यय आधिक्य का विनियमन किया जाता है।

क. चालू वर्ष के दौरान व्यय आधिक्य

वर्ष 2024-25 के दौरान सात अनुदानों एवं चार विनियोजनों के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण से ₹ 3,102.88 करोड़ का अधिक व्यय किया गया, जैसाकि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2024-25 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले व्यय आधिक्य

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या / विनियोजन	अनुदान/विनियोजन विवरण	विनियमन की आवश्यकता वाले व्यय आधिक्य की राशि
01	विधानसभा (पूंजीगत-दत्तमत)	12.67
01	विधानसभा (राजस्व-प्रभारित)	0.35
03	न्याय प्रशासन (पूंजीगत-प्रभारित)	4.75
04	सामान्य प्रशासन (पूंजीगत-दत्तमत)	35.64
04	सामान्य प्रशासन (राजस्व-प्रभारित)	0.04
09	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (पूंजीगत-दत्तमत)	27.56
16	वन एवं वन्य जीवन (राजस्व-दत्तमत)	30.47
23	विद्युत विकास (राजस्व-दत्तमत)	361.68
25	सड़क और जल परिवहन (पूंजीगत-दत्तमत)	29.00
26	पर्यटन और नागरिक उड्डयन (पूंजीगत-दत्तमत)	48.10
29	वित्त (पूंजीगत-प्रभारित)	2,552.63
योग		**3,102.88**

स्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल व्यय आधिक्य का 82 प्रतिशत से अधिक पूंजीगत-प्रभारित अनुदान संख्या 29- वित्त के तहत किया गया। बजट प्रावधान से व्यय आधिक्य 6003-00-110 के तहत (i)- भारतीय रिजर्व बैंक से साधारण अर्थोपाय अग्रिम एवं (ii) भारतीय रिजर्व बैंक से कमी व अधिविकर्ष, में हुआ। अनुदान संख्या 23- विद्युत विकास (राजस्व-दत्तमत) के तहत व्यय आधिक्य मुख्य रूप से रेणुकाजी डेम के विस्थापितों को क्षतिपूर्ति (₹ 385.19 करोड़) से संबंधित था।

अनुदान संख्या 10-लोक निर्माण की समीक्षा के दौरान पांच उप-शीर्षों के तहत आवंटित अनुदान से व्यय आधिक्य पाया गया। विवरण **तालिका 2.6** में दिया गया है।

तालिका 2.6: अनुदान संख्या 10 में व्यय आधिक्य

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय	आधिक्य
4059-80-051-03-S00N	7.44	0.95	0.00	8.39	19.42	11.03
3054-04-105-17-S00N	24.54	0.00	2.91	27.45	32.33	4.88
4059-01-051-07-S00N	8.00	5.00	0.00	13.00	17.66	4.66
4059-01-051-38-S00N	0.00	19.15	0.00	19.15	19.57	0.42
3054-80-004-01-S00N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07

उप-नियंत्रक (वित्त एवं लेखा), लोक निर्माण विभाग ने बताया (सितंबर 2025) कि शीर्ष 4059-80-051-03-S00N - विश्राम/सर्किट हाउसों का निर्माण - के तहत ₹ 22.61 करोड़ (अनुपूरक अनुदान मांग के अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ₹ 14.22 करोड़ प्राप्त हुए, जिससे प्रावधान ₹ 8.39 करोड़ से बढ़कर ₹ 22.61 करोड़ हो गया) के बजट प्रावधान के सापेक्ष ₹ 19.42 करोड़ का व्यय किया गया। इसी प्रकार, शीर्ष 4059-01-051-07-S00N–कार्यालय भवन–लोक निर्माण के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान मांग के अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ₹ 7.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई तथा कुल ₹ 20 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष ₹ 17.66 करोड़ का

व्यय किया गया; अतः इन शीर्षों के अंतर्गत कोई व्यय आधिक्य नहीं हुआ। उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि अनुपूरक अनुदान मांग के अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात प्रदान की गई अतिरिक्त राशि अनियमित थीं तथा विधायिका की स्वीकृति के बिना जारी की गई थीं।

ख. विगत वर्ष के व्यय आधिक्य का विनियमन

विगत वर्षों से संबंधित ₹ 3,700.11 करोड़ का संवितरित आधिक्य, जो राज्य विधायिका से विनियमन हेतु लंबित है, **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: विनियमन की आवश्यकता वाला विगत वर्षों का व्यय आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान संख्या/ विनियोजन	अनुदान/ विनियोजन विवरण	विनियमन की आवश्यकता वाले आधिक्य की राशि
2021-22	05	भू-राजस्व व जिला प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	466.96
		भू-राजस्व व जिला प्रशासन (पूंजीगत-दत्तमत)	20.24
	06	आबकारी एवं कराधान (पूंजीगत-दत्तमत)	0.15
	07	पुलिस एवं संबद्ध संगठन (पूंजीगत-दत्तमत)	8.47
		पुलिस एवं संबद्ध संगठन (राजस्व- प्रभारित)	0.00 (₹ 3)
	08	शिक्षा (पूंजीगत-दत्तमत)	15.04
	09	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (पूंजीगत-दत्तमत)	18.25
	12	बागवानी (पूंजीगत-दत्तमत)	24.16
	17	चुनाव (पूंजीगत-दत्तमत)	19.30
	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी (पूंजीगत-दत्तमत)	74.67
	20	ग्रामीण विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	4.84
	23	विद्युत विकास (राजस्व-दत्तमत)	1,036.98
		विद्युत विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	74.92
	25	सड़क एवं जल परिवहन (पूंजीगत-दत्तमत)	13.82
	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण (पूंजीगत-दत्तमत)	3.40
	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास (पूंजीगत-प्रभारित)	0.00 (₹ 68)
	30	विविध सामान्य सेवाएं (पूंजीगत-दत्तमत)	0.98
2022-23	05	भू-राजस्व व जिला प्रशासन (पूंजीगत-दत्तमत)	10.28
	07	पुलिस एवं संबद्ध संगठन (पूंजीगत-दत्तमत)	25.82
	08	शिक्षा (राजस्व-प्रभारित)	0.20
	09	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (पूंजीगत-दत्तमत)	157.18
	12	बागवानी (पूंजीगत-दत्तमत)	2.23
	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (पूंजीगत-प्रभारित)	0.00 (₹ 1,276)
	14	पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन (राजस्व-दत्तमत)	3.09
	17	चुनाव (राजस्व-दत्तमत)	2.70
	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व-दत्तमत)	3.91
		उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी (पूंजीगत-दत्तमत)	1.86

वर्ष	अनुदान संख्या/ विनियोजन	अनुदान/ विनियोजन विवरण	विनियमन की आवश्यकता वाले आधिक्य की राशि
	20	ग्रामीण विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	0.35
	21	सहकारिता (पूंजीगत-दत्तमत)	5.25
	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (राजस्व-दत्तमत)	65.08
	23	विद्युत विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	36.76
	25	सड़क एवं जल परिवहन (राजस्व-दत्तमत)	0.15
		सड़क एवं जल परिवहन (पूंजीगत-दत्तमत)	61.37
	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण (पूंजीगत-दत्तमत)	6.30
	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास (राजस्व-दत्तमत)	75.41
	29	वित्त (राजस्व-दत्तमत)	201.89
	30	विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व-दत्तमत)	0.85
		विविध सामान्य सेवाएं (पूंजीगत-दत्तमत)	1.46
2023-24	03	न्याय प्रशासन (पूंजीगत-दत्तमत)	0.29
	04	सामान्य प्रशासन (पूंजीगत-दत्तमत)	0.02
	05	भू राजस्व एवं जिला प्रशासन (पूंजीगत-दत्तमत)	89.07
	08	शिक्षा (पूंजीगत-दत्तमत)	2.49
	09	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (पूंजीगत-दत्तमत)	2.76
	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (पूंजीगत-प्रभारित)	0.00(₹ 344)
	16	वन एवं वन्यजीव (राजस्व- प्रभारित)	0.02
	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी (पूंजीगत-दत्तमत)	65.00
	23	विद्युत विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	4.65
	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण (पूंजीगत-दत्तमत)	8.20
	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास (राजस्व-दत्तमत)	96.92
		शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास (पूंजीगत-दत्तमत)	5.74
	29	वित्त (राजस्व-दत्तमत)	980.63
योग:			**3,700.11**

स्रोत: विनियोजन लेखे

राज्य की समेकित निधि से किए गए व्यय पर विधायी निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए इन व्यय आधिक्यों का यथाशीघ्र विनियमन किया जाना आवश्यक है तथा ऐसे व्यय आधिक्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा उपाय किए जाने चाहिए।

2.5.3 अनावश्यक सिद्ध हुए अनुपूरक अनुदान

संविधान का अनुच्छेद 205 मूल प्रावधानों से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान अथवा विनियोजन की मांग का प्रावधान करता है।

पाया गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान 13 मामलों **(परिशिष्ट 2.2)** में ₹ 1,575.44 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए जाने के बावजूद व्यय मूल प्रावधानों तक भी नहीं पहुंच सका। इसी प्रकार 48 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) ₹ 4,791.13 करोड़ के अनुपूरक

प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए **(परिशिष्ट 2.3)**, क्योंकि अनुपूरक प्रावधानों की पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

अनुदान संख्या 09-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की समीक्षा के दौरान पाया गया कि लेखा शीर्ष 4210-03-105-03-03-S00N-31 (मशीनरी व उपकरण) के तहत ₹ 3.86 करोड़ के मूल प्रावधान के साथ डॉ. राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टांडा, हिमाचल प्रदेश में गुर्दे प्रत्यारोपण सर्जरी विभाग के लिए मशीनरी व उपकरण की पांच वस्तुओं की खरीद हेतु ₹ 1.61 करोड़ का अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान दिया गया। हालांकि, इस शीर्ष के तहत केवल ₹ 3.33 करोड़ का व्यय हुआ, जिससे संपूर्ण अतिरिक्त अनुदान अप्रयुक्त रह गया।

उपरोक्त के प्रत्युत्तर में निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान ने बताया (सितंबर 2025) कि बोलीदाताओं अपर्याप्त प्रतिक्रिया के कारण ₹ 1.61 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

अन्य अनुदान संख्या 10 - लोक निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान देखा गया कि पांच मामलों में अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल अनुदान के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। विवरण **तालिका 2.8** में दिए गए हैं।

तालिका 2.8: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल अनुदान	व्यय
5054-04-337-09-C90	394.86	296.56	0.00	691.42	366.92
5054-04-337-02-S00N	207.31	48.09	42.50	297.90	194.19
5054-04-101-01-S00N	42.78	17.00	0.00	59.78	22.83
5054-04-337-17-S00N	3.50	2.80	12.00	18.30	2.80
4216-01-106-01-S00N	8.50	1.00	0.00	9.50	5.03

उप नियंत्रक (वित्त व लेखा), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने बताया (सितंबर 2025) कि वर्ष 2024-25 के दौरान कोषागार से बिल की मंजूरी न होने के कारण मूल बजट अप्रयुक्त/अल्प प्रयुक्त रहा, अधिकांश मार्च 2025 के दौरान प्राप्त हुआ अन्यथा अतिरिक्त राशि का उपयोग किया जा सकता था। यह भी कहा गया कि परियोजनाओं के पूर्ण होने की प्रत्याशा में निष्पादन स्कंध की मांग के अनुसार अनुपूरक अनुदान की मांग की गई थी। अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति, नई परियोजनाओं के वित्तपोषित, लागत वृद्धि की पूर्ति तथा महत्वपूर्ण आवश्यकताओं हेतु निधियों के पुनः आवंटित के लिए अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता को सही ठहराने के लिए नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है।

उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि विभाग ने निर्धारित अवधि के भीतर अतिरिक्त निधियों को व्यय करने एवं उसे समुचित रूप से अवशोषित करने की उसकी क्षमता का यथार्थ आकलन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक आवंटन हुआ।

2.5.4 निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन का अर्थ है किसी अनुदान के अंतर्गत एक विनियोजन इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी विनियोजन इकाई में निधियों का अंतरण। वर्ष 2024-25

के दौरान 32 अनुदानों के अंतर्गत ₹ 2,967.93 करोड़ की राशि के पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए। सभी पुनर्विनियोजन आदेश मार्च माह में, अधिकांशतः मार्च 2025 के अंतिम दिनों में जारी किए गए।

इसके अतिरिक्त दो स्कीमों **(परिशिष्ट 2.4 - क्रम संख्या 1 व 2)** में पुनर्विनियोजन आदेशों के माध्यम से ₹ एक करोड़ या उससे अधिक के प्रावधान में की गई कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि इन मामलों में व्यय अधिक हुआ। 31 स्कीमों **(परिशिष्ट 2.4 - क्रम संख्या 3 से 33)** में प्रावधान में की गई वृद्धि भी अनावश्यक सिद्ध हुई, क्योंकि इन मामलों में व्यय या तो मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान के बराबर अथवा उस स्तर तक भी नहीं पहुंच सका।

अनुदान संख्या 09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की समीक्षा के दौरान पाया गया कि फर्नीचर की खरीद हेतु लेखा शीर्ष 2210-05-105-13-S00N-33 (सामग्री एवं आपूर्ति) के अंतर्गत डॉ. राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हमीरपुर के लिए मूल प्रावधान ₹ 1.60 करोड़ था, जिसे पुनर्विनियोजन के माध्यम से बढ़ा कर ₹8.30 करोड़ कर दिया गया। ₹ 9.90 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष केवल ₹ 2.89 करोड़ ही व्यय किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.01 करोड़ की राशि अव्ययित/व्यपगत हो गई।

प्रत्युत्तर में, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान ने बताया (सितंबर 2025) कि बिल महाविद्यालय के पक्ष में ही (आहरण एवं संवितरण अधिकारी) तैयार किए गए थे, किंतु कोषागार ने यह आपत्ति लेते हुए बिल वापस कर दिए कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी के खाते में निधियां रखना अनुमत नहीं है तथा निर्देश दिया कि भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में किया जाएगा। परिणामस्वरूप निधियां अव्ययित रह गई।

इसी प्रकार, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला में न्यूक्लियर मेडिसिन एवं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पृथक ब्लॉक के निर्माण हेतु लेखा शीर्ष 4210-03-105-01-S00N-37 (सामग्री एवं आपूर्ति) के अंतर्गत ₹ 7.01 करोड़ के मूल प्रावधान को पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 3.35 करोड़ बढ़ाया गया। हालांकि ₹3.35 करोड़ की संपूर्ण राशि अप्रयुक्त रही, क्योंकि केवल ₹6.65 करोड़ का व्यय हुआ।

दूसरे मामले में निदेशक, चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान से दस्तावेज एवं औचित्य मांगे गए थे। निदेशक, चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान ने उत्तर में बताया (सितंबर 2025) कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त धनराशि के अनुरोध (04.01.2025) को स्वास्थ्य सचिव को भेज (10.01.2025) दिया गया था। अन्य लेखा शीर्षों में निधियां उपलब्ध न होने के कारण मार्च 2025 में निधियों के डायवर्जन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे तकनीकी परीक्षण एवं बजट मिलान के उपरांत 29.03.2025 को अनुमोदित किया गया। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला में न्यूक्लियर मेडिसिन एवं ऑन्कोलॉजी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की अत्यावश्यक आवश्यकता के आधार पर डायवर्जन को उचित ठहराया गया। विभाग ने दावा किया कि किसी लापरवाही के कारण नहीं अपितु प्रक्रियात्मक कारणों से विलम्ब हुआ। फलस्वरूप, ₹ 3.25 करोड़ के बिल वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में प्रस्तुत किए जाने के कारण कोषागार द्वारा पास नहीं किए गए।

अनुदान संख्या 10 - लोक निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान पाया गया कि सात मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ। विवरण **तालिका 2.9** में दिया गया है।

तालिका 2.9: अनुदान संख्या 10 में अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल बजट	पुनर्विनियोजन	व्यय
5054-04-337-02-S00N	207.31	48.09	255.40	42.50	194.19
3054-04-105-02-S00N	265.84	0.00	265.84	7.68	248.97
3054-04-105-19-S00N	196.37	0.00	196.37	0.15	178.25
5054-04-337-17-S00N	3.50	2.80	6.30	12.00	2.80
2216-05-053-01-S00N	12.48	0.00	12.48	0.25	6.76
3054-80-001-01-S00N	57.50	0.00	57.50	2.27	54.15
3054-80-001-05-S00N	5.19	0.00	5.19	0.02	3.93

लेखा शीर्ष 3054-04-105-02-S00N अन्य सड़क रखरखाव के अंतर्गत मेहली-शोघी सड़क की विशेष मरम्मत/जीर्णोद्धार की मांग के लिए ₹ 7.68 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया, जिसे जुलाई एवं नवंबर 2024 में अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त लेखा शीर्ष 5054-04-337-17-S00N मशीनरी एवं उपकरण की खरीद के अंतर्गत ₹ 12 करोड़ की राशि का पुनर्विनियोजन दो उद्देश्यों, अर्थात् बैली सस्पेंशन ब्रिज (सन्धापट्टन-भरोल, मंडी-II) की खरीद तथा बैली ब्रिज की खरीद के लिए एकमुश्त बजट प्रावधान हेतु किया गया, जिसे अगस्त 2024 में अनुमोदित किया गया। हालांकि पुनर्विनियोजन के माध्यम से बढ़ाई गई यह अतिरिक्त निधियां कोषागार द्वारा बिल पास न करने के कारण व्यय नहीं की जा सकी और इसलिए अनावश्यक सिद्ध हुई।

2.5.5 अव्ययित राशि व अभ्यर्पित विनियोजन एवं बड़ी बचत/ अभ्यर्पण

बजट प्रस्तावों में सभी संभावित व्यय को उचित स्तर तक अनुकूलित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि व्यय की गुणवत्ता व बजट में आवंटित निधियों के कम उपयोग के मध्य संतुलन बनाया जा सके। अनुमोदित बजट के भीतर इष्टतम पुनःआवंटन के लिए व्यय इकाइयों द्वारा समय पर अभ्यर्पण करना एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

अनुदानों एवं विनियोजनों के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2024-25 के दौरान 14 मामलों (10 अनुदानों के अंतर्गत) में प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत (अभ्यर्पण के अतिरिक्त) हुई **(परिशिष्ट 2.5)**। साथ ही यह भी पाया गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान एक विनियोजन (28-शहरी विकास, नगर व ग्राम नियोजन एवं आवास-पूंजीगत) के अंतर्गत ₹ 0.35 करोड़ के कुल अनुदान के प्रति कोई भी व्यय नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान छः अनुदानों के अंतर्गत सात मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें पाई गई **(परिशिष्ट 2.6)**।

अनुदान संख्या 10 की समीक्षा के दौरान उप नियंत्रक (वित्त व लेखा) ने बताया (सितंबर 2025) कि निरंतर बचतों के बावजूद बढ़े हुए बजट अनुमान प्रायः कार्यों में संभावित विलम्ब व

अप्रत्याशित व्यय की आशंका, मुद्रास्फीति, भूमि अधिग्रहण, भू-वैज्ञानिक चुनौतियों, ठेकेदार संबंधी मुद्दे तथा कोषागार द्वारा टोकन मंजूरी न दिए जाने जैसे प्रणालीगत व आर्थिक कारकों के संयोजन का परिणाम होते है।

वर्ष 2024-25 के दौरान उपयोग के प्रतिशत के अनुसार समूहबद्ध अनुदानों का विवरण एवं कुल बचत को **परिशिष्ट 2.7** व **चार्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

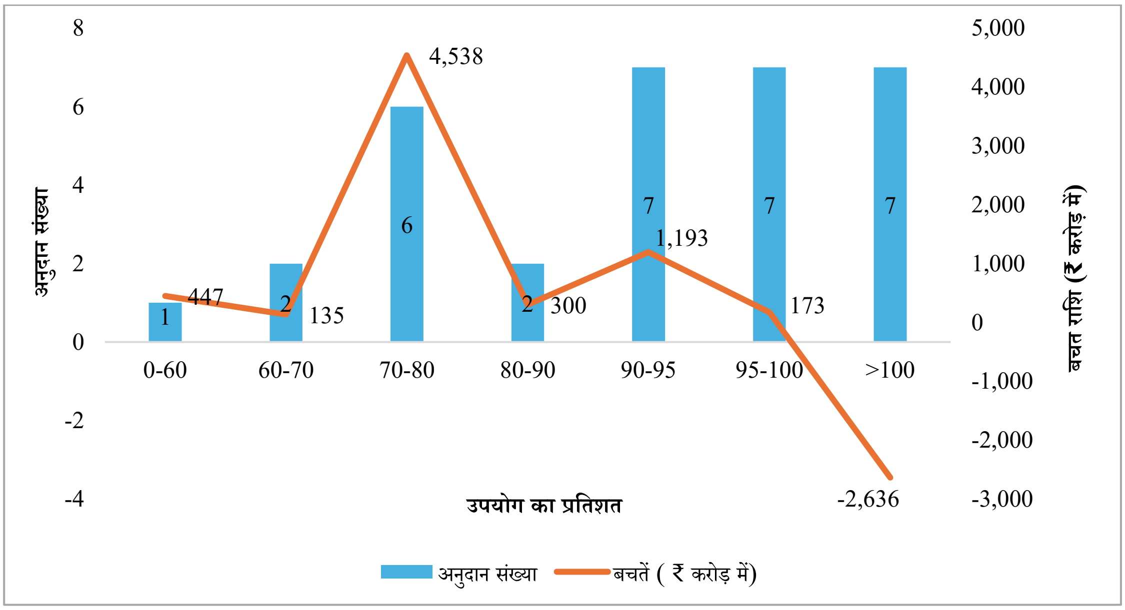

स्रोत: विनियोजन लेखे

यह देखा गया कि 32 अनुदानों व 11 विनियोजनों के तहत हुई ₹ 5,676.18 करोड़ **(परिशिष्ट 2.8)** की बचतें अभ्यर्पित नहीं की गईं।

चार्ट 2.5: वर्ष 2024-25 हेतु बचत व अभ्यर्पण (₹ करोड़ में)

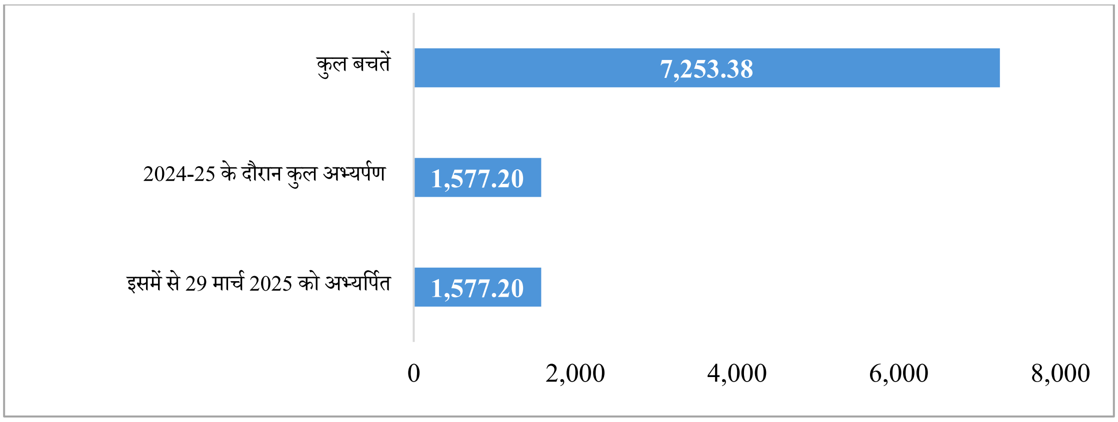

स्रोत: विनियोजन लेखे; हिमाचल प्रदेश सरकार, 2024-25

2.5.6 स्कीमों में बजट प्रावधान एवं वास्तविक वित्तपोषण

यह देखा गया कि 14 स्कीमों के तहत ₹ 673.11 करोड़ (प्रत्येक योजना में ₹ 10 करोड़ या अधिक) का बजट प्रावधान था परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया, जो स्कीमों का कार्यान्वयन न होने के रूप में परिणत हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट 2.9** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त सात स्कीमों के तहत, ₹ 587.86 करोड़ का स्वीकृत परिव्यय था, जिसे संशोधित परिव्यय में पूर्णतः वापस ले लिया गया, जैसाकि **परिशिष्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

2.5.7 त्रैमासिक व्यय सीमा का पालन न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 41(3) में प्रावधान है कि विशेष रूप से वित्त वर्ष के अंतिम माह में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचना चाहिए। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए वित्त विभाग दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

तालिका 2.10: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय का तीव्र प्रवाह

अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष में कुल व्यय का प्रतिशत
वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च- 2025)	26,868.10	35.67
वर्ष का अंतिम माह (मार्च 2025)	13,843.41	18.38
वर्ष का अंतिम दिन (31 मार्च 2025)	266.14	0.35

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल मासिक प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां व नकद शेष) एवं व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 2.6** व **चार्ट 2.7** में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.6: प्राप्तियों का प्रवृत्ति विश्लेषण (माह-वार)

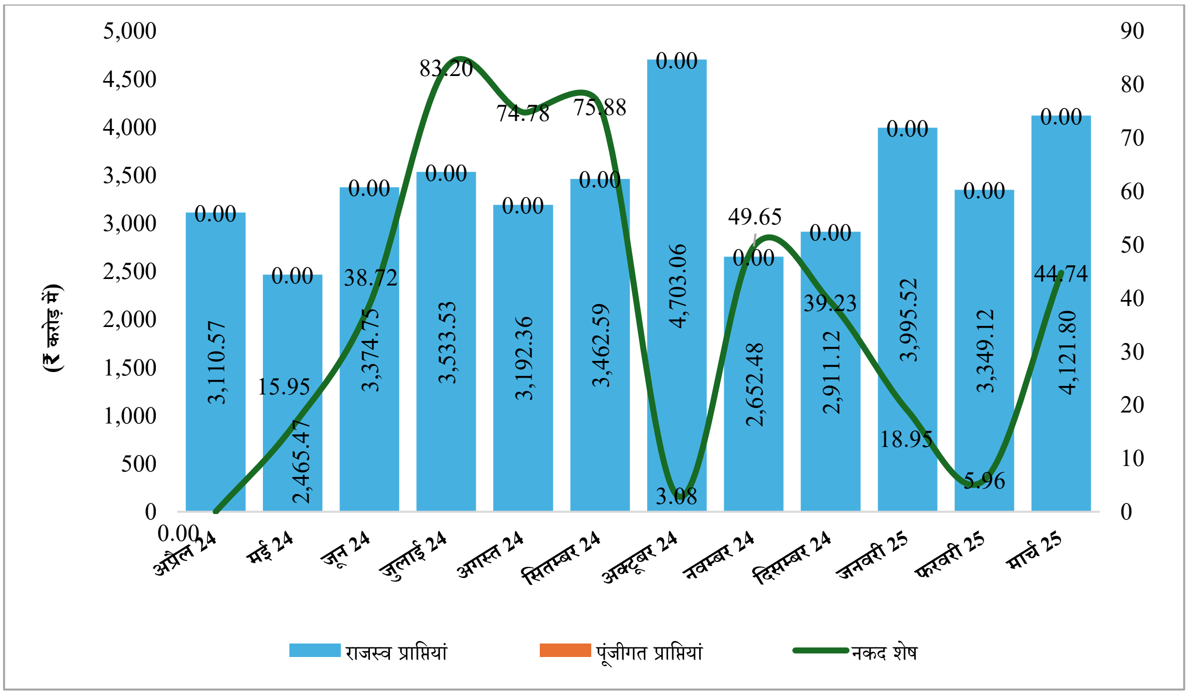

वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्व प्राप्तियों पर अत्यधिक निर्भरता रही, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों का योगदान शून्य रहा। वित्तीय प्रवाह को विविधता देने के लिए पूंजी जुटाने की रणनीतियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। वर्ष के अंत तक बेहतर तरलता स्थिति कुछ सुधारात्मक कार्रवाई होने को परिलक्षित करती है।

चार्ट 2.7: व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण (माह-वार)

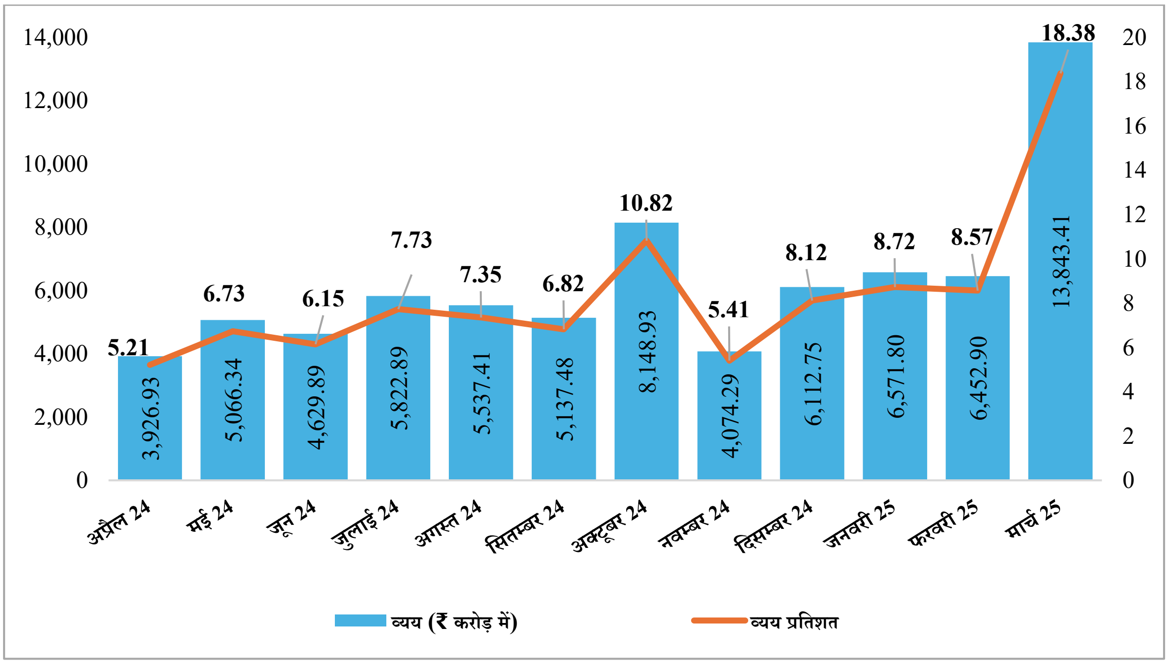

वित्तीय विश्लेषण से ₹ 75,325 करोड़ का कुल व्यय उजागर हुआ, जिसमें अप्रैल 2024 के ₹ 3,927 करोड़ से लेकर मार्च 2025 में ₹ 13,843 करोड़ के असाधारण उच्चतम स्तर तक उल्लेखनीय मासिक उतार-चढ़ाव हैं। व्यय पैटर्न वर्षभर काफी अस्थिरता प्रदर्शित हुआ, जिसमें औसत मासिक व्यय ₹ 6,277 करोड़ रहा। कुल वार्षिक व्यय का 18.38 प्रतिशत विशेष रूप से मार्च 2025 में रहा, जो सामान्य मासिक आवंटन की तुलना में दोगुने से भी अधिक है और इसे वर्ष का सर्वाधिक एकल-मासिक व्यय बनाता है। चार्ट से मौसमी प्रवृत्तियां भी उजागर होती हैं, जहां अक्टूबर 2024 में ₹ 8,149 करोड़ (10.82 प्रतिशत) का एक अन्य उल्लेखनीय उछाल देखा गया, जो व्यय व्यवहार में संभावित चक्रीय पैटर्न की ओर संकेत करता है।

चार्ट 2.8: 2024-25 के दौरान मुख्य शीर्ष 4210- चिकित्सा व लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के तहत माह-वार व्यय

(₹ करोड़ में)

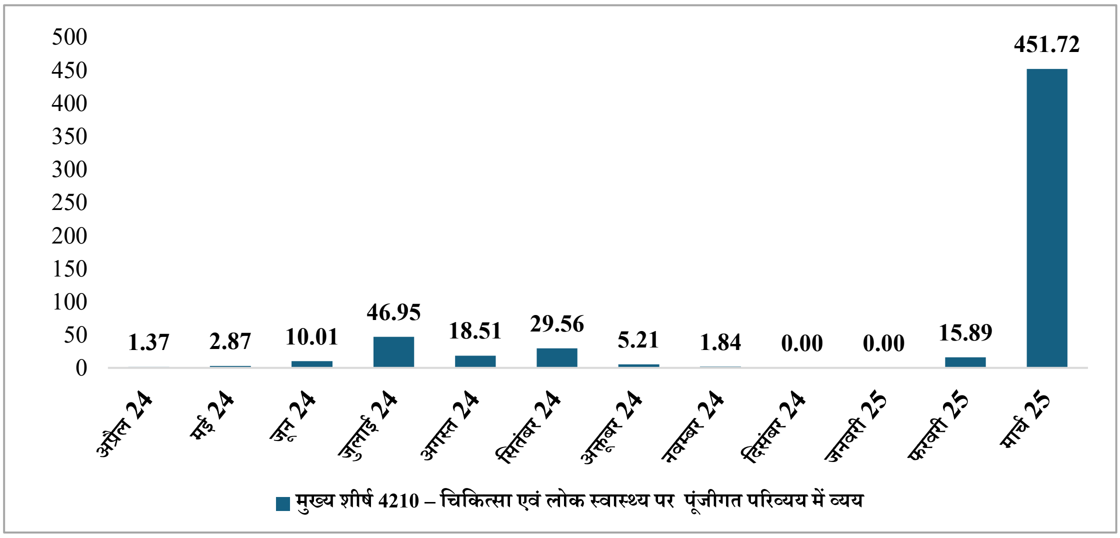

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय व चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि मुख्य शीर्ष 4210 के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के प्रति व्यय स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में विलम्ब हुआ।

इसके अतिरिक्त 73 उप-शीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) कुल ₹ 1,040.44 करोड़ का संपूर्ण व्यय केवल मार्च 2025 माह में ही किया गया **(परिशिष्ट 2.11)**।

व्यय की स्थिर गति बनाए रखना सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इससे राजकोषीय असंतुलन व अस्थायी नकदी संकट की स्थिति से बचाव होता है। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान व्यय को चरणबद्ध रूप से नियंत्रित करने के उद्देश्य से तिमाही-वार प्रतिशत (प्रथम तिमाही: 20 प्रतिशत; द्वितीय तिमाही: 25 प्रतिशत; तृतीय तिमाही: 30 प्रतिशत; व चतुर्थ तिमाही: 25 प्रतिशत) निर्धारित किए (सितंबर 1995 में)। सभी अनुदानों के अंतर्गत किए गए व्ययों का त्रैमासिक विवरण **परिशिष्ट 2.12** में दर्शाया गया है।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2025) में सचिव (वित्त) ने पुष्टि की कि लेखापरीक्षा द्वारा बजटीय अनुशासन से संबंधित उठाई गई चिंताओं, जिनमें बजट पूर्वानुमान, अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग, अधिक एवं अव्ययित व्यय व वर्षांत में व्यय का तीव्र प्रवाह जैसे मुद्दे शामिल हैं– पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उल्लिखित त्रुटियों के लिए जिम्मेदार संबंधित चूककर्ता विभागों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

2.6 राज्य की चयनित केंद्र प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन

(i) जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन में वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करने की परिकल्पना की गई है। हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु मुख्य अभियंता, जल शक्ति विभाग एकल नोडल एजेंसी है। जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशों (13 जुलाई 2021) के अनुसार केन्द्रीय अंश के साथ राज्य के समकक्ष अंश को राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के खाते में जारी किया जाता है। निधियों का आगे का आवंटन अनुमोदित जिला कार्य योजनाओं के आधार पर जिलों को किया जाता है, जिसकी आहरण सीमा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके आधार पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के माध्यम से कार्यों को कार्यान्वित करता है और तृतीय पक्ष निरीक्षण के बाद एकल नोडल खाते से सीधे निष्पादन एजेंसियों को भुगतान जारी करने के लिए पीएफएमएस पद्धति में भुगतान सलाह जारी करता है। अर्जित ब्याज को उसी खाते में जमा किया जाता है एवं उपयोग को दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

विगत तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) हेतु एकल नोडल एजेंसी के खाते में जल जीवन मिशन के तहत प्राप्त निधियों, किए गए व्यय व बचत/आधिक्य की स्थिति **तालिका 2.11** में दी गई है।

तालिका 2.11: जल जीवन मिशन में निधियों का प्रवाह

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	अनुमोदित आवंटन		केंद्रांश पर अर्जित ब्याज	समुदाय का अंश	प्राप्त कुल निधियां	व्यय		जमा किया ब्याज	कुल व्यय	अंत शेष
		भारत सरकार का अंश	राज्यांश				भारत सरकार का अंश	राज्यांश			
2022-23	850.16	1,344.94	232.77	14.45	0.81	2,443.13	1,615.00	197.56	5.59	1,818.15	624.98
2023-24	624.98	402.34	42.19	8.56	0.54	1,078.61	882.59	98.07	14.45	995.10	83.51
2024-25	83.51	137.48	17.79*	1.23	0.54	240.56	203.20	22.58	8.56	234.34	6.22

** इसमें अगले वित्तीय वर्ष में जारी किए गए ₹2.52 करोड़ शामिल हैं।*

स्रोत: विभागीय आंकड़े

हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन का वित्तीय प्रदर्शन निधियों के कम उपयोग के एक आवर्ती पैटर्न को प्रकट करता है। वर्ष 2022-23 में भारत सरकार से जारी पर्याप्त राशि व राज्य के समकक्ष अंश के बावजूद, काफी बड़ा अंत शेष राशि बचा था। यद्यपि विभाग ने निधियों की देर से प्राप्ति और प्रक्रियात्मक विलम्ब को कारण बताया तथापि तथ्य यह है कि स्कीम एक बहु-वर्षीय कार्यान्वयन चक्र में संचालित होती है और निरंतर ऐसी बचत कमजोर योजना, अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन एवं कार्यान्वयन स्तर पर खराब अवशोषण क्षमता को परिलक्षित करती है।

जल जीवन मिशन योजना स्कीम के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान निम्नलिखित बातें देखी गईं:

(i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि 30 सितंबर 2022 व 1 अक्टूबर 2022 को जल जीवन मिशन के तहत केंद्रांश (दूसरे चरण की पहली किस्त) के ₹336.23 करोड़ जारी होने के सापेक्ष ₹37.36 करोड़ का आनुपातिक राज्यांश एकल नोडल एजंसी के खाते में 19 नवंबर 2022 को जमा किया गया, अर्थात् केंद्रांश की प्राप्ति की तिथि से 48 दिनों के विलम्ब के बाद। इसमें समकक्ष राज्यांश के अंतरण हेतु निर्धारित 40 दिनों की अनुमत सीमा से आठ दिनों का अतिरिक्त विलम्ब शामिल था।

विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए विलम्ब का कारण प्रशासनिक कारणों को बताया।

(ii) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 230(8) एवं भारत सरकार के ज्ञापन के अनुसार, एकल नोडल एजेंसी के खाते में रखी निधियों पर अर्जित ब्याज केंद्र व राज्य के अंशों में विभाजित किया जाना अपेक्षित है, जिसे प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संबंधित समेकित निधियों में प्रेषित किया जाए। अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि यद्यपि जल जीवन मिशन की निधियों पर अर्जित ब्याज की विधिवत गणना की गई थी तथापि उसके प्रेषण में निर्धारित समय सीमा के प्रति वर्ष 2022-23 (10 मई 2023 को जमा) व वर्ष 2024-25 (05 मई 2025 को जमा) के दौरान एक माह का विलम्ब हुआ।

विभाग ने विलम्ब का कारण बैंकों व चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ खातों के मिलान में समय लगने को बताया।

(ii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भारत सरकार द्वारा असंबद्ध बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में प्रारंभ किया गया था।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निधियां भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश को 90:10 के अनुपात में स्वीकृत व जारी की जाती है तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम सड़क विकास एजेंसी के माध्यम से भेजी जाती है, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम के तहत निधियों की प्राप्ति, प्रबंधन व उपयोग हेतु जिम्मेदार एकल नोडल एजेंसी है। एकल नोडल एजेंसी के खाते से व्यय भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंताओं/ अधिशासी अभियंताओं की अध्यक्षता वाली जिला परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के माध्यम से किया जाता है। ठेकेदारों के बिलों की जांच जिला परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के स्तर पर की जाती है एवं उन्हें राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को भेजा जाता है, जहां मांग का परीक्षण किया जाता है, स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा एकल नोडल एजेंसी के खाते के माध्यम से बैंक को निधियां जारी करने का प्राधिकार दिया जाता है।

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एकल नोडल एजेंसी के खाते की समग्र वित्तीय स्थिति **तालिका 2.12** में दी गई है।

तालिका 2.12: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निधि प्रवाह

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	भारत सरकार का अंश	राज्यांश	ब्याज व अन्य राज्य प्राप्तियां	कुल	व्यय	अंत शेष
2022-23	660.35	587.00	65.23	-131.01	1,181.57	670.91	510.66
2023-24	510.66	408.76	45.41	101.14	1,065.97	599.95	466.02
2024-25	462.79	572.06	99.73	82.68	1,217.26	933.73	283.53

स्रोत: विभागीय आंकड़े

उपरोक्त से स्पष्ट है कि तीनों वर्षों में निरंतर बचत हुई, जो अनुमानित बजट प्रावधानों की बार-बार प्राप्ति न होने को दर्शाता है।

वित्त मंत्रालय के निर्देशों (मार्च 2021, संशोधित फरवरी 2023) के अनुसार, राज्य द्वारा प्राप्त केन्द्रांश को 21 दिनों के भीतर (बाद में, समतुल्य राज्य अंश के साथ 30 दिनों के भीतर) एकल नोडल एजेंसी के खाते में अंतरित किया जाना है, जिसमें अप्रैल 2023 से लागू हुआ कि 30 दिनों के बाद भी विफल रहने की स्थिति में सात प्रतिशत वार्षिक की दर से दंडात्मक ब्याज देय होगा। लेखापरीक्षा संवीक्षा में केन्द्रांश के अंतरण में 53 दिन (2022-23), 49 दिन (2023-24) व 60 दिन (2024-25) का विलम्ब तथा राज्यांश के अंतरण में क्रमशः 57, 49 व 109 दिन का विलम्ब उजागर हुआ। बार-बार का यह विलम्ब निर्धारित समयसीमाओं के अनुपालन की कमी को प्रतिबिम्बित करता हैं। अप्रैल 2023 से 30 दिनों से अधिक विलंबित अंतरण पर देय दंडात्मक ब्याज (केन्द्रांश पर) वर्ष 2023-24 व 2024-25 के लिए ₹ 3.55 करोड़

आंका गया, जैसाकि **परिशिष्ट 2.13** में दर्शाया गया है, जो भारत की समेकित निधि में जमा करने हेतु देय है।

विलंबित प्रेषण के ये उदाहरण सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों की अनुपालन-हीनता एवं स्कीम की निधियों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासन के अभाव के परिचायक हैं।

(iii) राष्ट्रीय आयुष मिशन

भारत सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को आयुष स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए लागू कर रही है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को संसाधन आवंटन जनसंख्या, पिछड़ेपन एवं प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश (एक पहाड़ी राज्य) के लिए वित्तपोषण पैटर्न 90:10 के अनुपात में है। हिमाचल प्रदेश का आयुष निदेशालय सूचित संसाधन पूल के आधार पर राज्य वार्षिक कार्य योजना तैयार करता है और इसे सचिव, आयुष के माध्यम से आयुष मंत्रालय को अग्रेषित करता है। मूल्यांकन समिति द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना का मूल्यांकन किया जाता है तथा मिशन निदेशालय की बैठकों में अनुमोदित किया जाता है, जिसके बाद राज्य आयुष सोसायटी की एकल नोडल एजेंसी के खाते में निधियां जारी की जाती हैं। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एकल नोडल एजेंसी के खाते की समग्र वित्तीय स्थिति **तालिका 2.13** में दी गई है।

तालिका 2.13: राष्ट्रीय आयुष मिशन में निधि प्रवाह

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	अनुमोदित आवंटन		जारी निधियां		हुआ व्यय	अंत शेष
		भारत सरकार का अंश	राज्यांश	भारत सरकार का अंश	टॉप अप सहित राज्यांश		
2022-23	39.34	77.47	8.61	19.37	2.15	39.59	21.27
2023-24	21.27	73.18	8.13	55.96	6.22	55.89	27.56
2024-25	27.56	57.98	6.44	28.99	3.22	21.42	38.35

स्रोत: विभागीय आंकड़े

व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा।

(i) देय उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के प्रति 75 प्रतिशत उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की प्राप्ति।

(ii) एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में उपलब्ध निधि कुल स्वीकृति राशि (राज्यांश सहित) के 12.5 प्रतिशत से कम होनी चाहिए।

(iii) राज्य को केंद्र व राज्य दोनों अंशों को 30 दिनों के भीतर एकल नोडल एजेंसी में जारी करना होगा, और 30 दिनों की अवधि के बाद ब्याज लागू किया जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उजागर हुआ कि यद्यपि मंत्रालय द्वारा ₹18.16 करोड़ के अनुमानित संसाधन पूल की सूचना दी गई थी एवं राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2024 थी, राज्य ने योजना 17 मई 2024 को विलम्ब से प्रस्तुत की, जिसे

मिशन निदेशालय ने 17 सितंबर 2024 को अनुमोदित किया (केंद्र ₹57.98 करोड़ + राज्य ₹6.44 करोड़)।

इसके अतिरिक्त राज्य वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के बावजूद निधियों की स्वीकृति में विलम्ब हुआ। मंत्रालय ने 04.02.2025 को केवल ₹28.99 करोड़ (केन्द्रांश) जारी किए, जबकि राज्य सरकार ने ₹32.21 करोड़ (राज्यांश सहित) 26.03.2025 को जारी किए। अतः, बजट प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विलम्ब हुआ।

आगे, एकल नोडल एजेंसी कैश बुक की समीक्षा में यह भी उजागर हुआ कि जनवरी 2025 तक अनुमोदित प्रस्ताव (₹8.05 करोड़) से 12.5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक शेष राशि रखी गई थी। अतिरिक्त राशि को इस तरह रोके रखने से मंत्रालय से बाद में निधियां जारी करने में भी विलम्ब हुआ।

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों (13 जुलाई 2023) के अनुपालन में राज्य आयुष सोसायटी ने सितंबर 2025 से एकल नोडल एजेंसी -स्पर्श मॉडल में सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड किया।

(iv) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार की एक व्यापक पहल है, जिसे सभी लोगों को समान, सस्ती व गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2013 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें दो उप-मिशन; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से ग्रामीण व शहरी दोनों आबादी पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके मुख्य घटकों में, स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, प्रजनन-मातृ-नवजात-शिशु व किशोर स्वास्थ्य तथा संक्रामक एवं गैर-संक्रामक रोगों का प्रबंधन शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत योजना एवं बजट बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना की तैयारी से होती है, जिसे जिला स्वास्थ्य प्राधिकरणों व संबंधित विभागों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाता है। राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में जिले की स्वास्थ्य कार्य-योजना को एकीकृत किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित गतिविधियां, संसाधनों की आवश्यकता व परिणाम लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ड्राफ्ट राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाता है, जहां इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा मूल्यांकित किया जाता है तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है। स्वीकृति के बाद भारत सरकार स्वीकृत बजट की जानकारी राज्य को देते हुए एकल नोडल एजेंसी के खाते के माध्यम से निधियों को किस्तों में जारी करती है। विगत तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कुल वित्तीय स्थिति **तालिका 2.14** में दी गई है।

तालिका 2.14: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में निधि प्रवाह

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमोदित आवंटन		अथ शेष	जारी निधियां		अर्जित ब्याज + विविध प्राप्तियां	हुआ व्यय	जमा ब्याज	अंत शेष
	भारत सरकार का अंश	राज्यांश		भारत सरकार का अंश	टॉप अप सहित राज्यांश				
2022-23	525.94	58.44	72.23	354.70	97.24	3.90	421.25	18.20	88.62
2023-24	545.33	60.59	88.62	310.12	107.79	2.65	468.77	2.65	37.76
2024-25	565.70	62.86	37.76	363.59	124.13	5.03	494.91	1.82	33.78

स्रोत: विभागीय आंकड़े

वित्त मंत्रालय के निर्देशों (मार्च 2021) के अनुसार राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के उसके खाते में प्राप्त केन्द्रांश को प्राप्ति की तिथि से 21 दिनों के भीतर संबंधित एकल नोडल एजेंसी के खाते में स्थानांतरित करना होगा तथा संबंधित राज्यांश यथाशीघ्र परन्तु केन्द्रांश जारी करने की तिथि से 40 दिनों से पहले जारी किया जाए। हालांकि वित्त मंत्रालय के नवीनतम आदेश (फ़रवरी 2023) के अनुसार केंद्र व राज्य दोनों अंशों को 30 दिनों के भीतर एकल नोडल एजेंसी के खाते में स्थानांतरित करना अपेक्षित है।

हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार द्वारा समय पर निधियां स्वीकृत होने के बावजूद, एकल नोडल एजेंसी के खाते में निधियां जमा करने में लगातार विलम्ब देखा गया, जो 31 से 59 दिनों तक रहा।

वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को प्राप्त/क्रेडिट हुए सहायता-अनुदान का विवरण **तालिका 2.15** में दिया गया है।

तालिका 2.15: 2024-25 में हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को प्राप्त/क्रेडिट हुए सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भारत सरकार की स्वीकृति तिथि	भारत सरकार का अंश	राज्यांश	एकल नोडल एजेंसी में क्रेडिट होने की तिथि	विलम्ब (दिनों में)
1	07.05.2024	88.43	9.83	13.06.2024	7
2	30.07.2024	88.43	9.83	30.08.2024	1
3	12.09.2024	19.46	2.16	14.10.2024	2
4	14.11.2024	76.37	8.49	30.12.2024-13.01.2025	16-29
5	13.02.2025	90.90	10.10	12.03.2025, 24.03.2025 व 28.03.2025	9-13

स्रोत: विभागीय आंकड़े

इस प्रकार, वर्ष 2024-25 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को ₹ 363.59 करोड़ (केन्द्रांश) व ₹ 40.41 करोड़ (राज्यांश) प्राप्त हुए। हालांकि स्वीकृत निधियां क्रेडिट होने में विलम्ब एवं उपयोग में अंतर ने कार्यक्रम की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अप्रैल 2024 में सभी अधिसूचित 31 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे "प्रजनन एवं बाल

स्वास्थ्य व स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लेक्सिबल पूल" के तहत एसएनए-स्पर्श में ऑनबोर्डिंग गतिविधियां यथाशीघ्र शुरू करें। बाद में मंत्रालय ने व्यय विभाग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनबोर्डिंग से छूट देने का अनुरोध किया; हालांकि व्यय विभाग ने प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए केवल जून 2025 तक की छूट प्रदान की।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि इन निर्देशों का पालन करते हुए हिमाचल प्रदेश के मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने पहले के एकल नोडल एजेंसी के खातों को बंद करते हुए 6 सितंबर 2025 को शून्य कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक में एकल नोडल एजेंसी का एक नया आहरण खाता खोला गया और संचालित किया गया तथा ₹ 176.04 करोड़ की पहली मातृ स्वीकृत राशि सितंबर 2025 में प्राप्त हुई, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एसएनए-स्पर्श प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनबोर्डिंग पूर्ण हुआ।

(v) प्रधानमंत्री - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन

भविष्य की महामारियों और स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना, निगरानी एवं शोध क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन प्रस्तुत किया गया, जो एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है।

प्रधानमंत्री - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जिला स्वास्थ्य प्राधिकरणों के साथ परामर्श कर वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तैयार की जाती है। यह कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती है, जहां इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा मूल्यांकित किया जाता है तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की संस्तुति के आधार पर मंत्रालय का अनुमोदन प्रदान किया जाता है। स्वीकृति के बाद स्वीकृत बजट को किस्तों में राज्य सरकार को जारी किया जाता है, ताकि इसे राज्य स्वास्थ्य सोसायटी की एकल नोडल एजेंसी के खाते में आगे क्रेडिट किया जा सके। विगत तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) में हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की समग्र वित्तीय स्थिति **तालिका 2.16** में दी गई है।

तालिका 2.16: प्रधानमंत्री - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन में निधि प्रवाह

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमोदित आवंटन		अथ शेष	जारी निधियां		हुआ व्यय	अंत शेष
	भारत सरकार का अंश	राज्यांश		भारत सरकार का अंश	टॉप अप सहित राज्यांश		
2022-23	39.22	4.36	0	27.58	3.06	9.98	20.76
2023-24	50.32	5.57	20.76	15.69	1.74	15.27	23.22
2024-25	60.66	6.74	23.22	44.82	4.98	52.90	20.04

स्रोत: विभागीय आंकड़े

हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का वित्तीय प्रदर्शन निधियों के अल्प उपयोग का एक पुनरावृत्त पैटर्न दर्शाता है। निरंतर उल्लेखनीय अंत शेष बना रहा, जो कार्यान्वयन में देरी एवं सार्वजनिक निधियों की कम दक्षता को परिलक्षित करता है।

इसके अतिरिक्त विभाग ने नवंबर 2024 में एक एसएनए-स्पर्श खाता (GOHPSPARSH HP 216) खोला और दिसंबर 2024 में हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत पहली मातृ स्वीकृति प्राप्त की।

2.6.1 एकल नोडल एजेंसी

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत हर केंद्र प्रायोजित स्कीम हेतु किसी एकल नोडल एजेंसी के माध्यम से निधियां जारी करना एवं उसके उपयोग की निगरानी को अनिवार्य किया (मार्च 2021)। प्रत्येक एकल नोडल एजेंसी के पास किसी अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक समर्पित बैंक खाता होना चाहिए। राज्य सरकार को प्राप्त केन्द्रांश को समतुल्य राज्यांश सहित संबंधित एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तांतरित करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में वी.एल.सी. डेटा (कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश द्वारा वाउचर स्तर का संकलन) एवं एकल नोडल एजेंसी - सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली रिपोर्ट का विश्लेषण किया और पाया कि एकल नोडल एजेंसी के खातों में केंद्र व राज्य के अंश के स्थानांतरण के डेटा में विसंगति थी, जैसाकि **तालिका 2.17** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.17: केंद्र व राज्य के अंश के स्थानांतरण में विसंगति

(₹ करोड़ में)

डेटा का स्रोत	प्राप्त केन्द्रांश	अंतरित केन्द्रांश	अंतरित राज्यांश	राज्य द्वारा जारी की गई कम राशि
वी.एल.सी.	6,154.58	--	--	--
एकल नोडल एजेंसी - सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली	4,090.75	4,280.44	796.59	--
राशि में अंतर	2,063.83	--	--	--

केंद्र प्रायोजित स्कीम की निधियों के एकल नोडल एजेंसी के खातों में अंतरण में विलम्ब एवं परिणामी दंडात्मक ब्याज

मार्च 2021 में जारी तथा फरवरी 2023 में संशोधित वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार केंद्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को जारी केन्द्रांश को संबंधित राज्यांश के साथ 21 दिनों के भीतर एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया। अप्रैल 2023 से 30 दिनों से अधिक का विलम्ब होने पर प्रति वर्ष सात प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज देय होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह की लेखापरीक्षा में इन निर्देशों की अनुपालन-हीनता उजागर हुई। मार्च 2025 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त निधियों को संबंधित एकल नोडल एजेंसी के खातों में अप्रैल से जुलाई 2025 के मध्य अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष में हस्तांतरित किया गया। केंद्रीय निधियों का केवल एक छोटा हिस्सा ही निर्धारित 30-दिवसीय अवधि के भीतर हस्तांतरित किया गया तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मामले में लेखापरीक्षा की तिथि तक राज्यांश हस्तांतरित नहीं किया

गया। केंद्रीय अनुदानों के एकल नोडल एजेंसी के खाते में अंतरण में विलम्ब की विस्तृत स्थिति व विश्लेषण **तालिका 2.18** व **चार्ट 2.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18: एकल नोडल एजेंसी के खातों में अंतरण में विलम्ब

(₹ करोड़ में)

स्कीम का नाम	भारत सरकार द्वारा जारी		एकल नोडल एजेंसी में अंतरण की देय तिथि	कोषागार द्वारा एकल नोडल एजेंसी में केन्द्रांश का अंतरण				एकल नोडल एजेंसी में राज्यांश का अंतरण	
	तिथि	राशि		तिथि	केन्द्रांश	विलम्ब (दिनों में)	ब्याज	तिथि	राज्यांश
प्रधानमंत्री आवास योजना	25.03.2025	288.94	23.04.2025	19.07.2025	25.00	87	0.42	22.07.2025	9.54
				21.07.2025	28.97	89	0.49	19.07.2025	3.22
				24.04.2025	14.45	01	0.00*	24.04.2025	17.74
				10.06.2025	44.21	48	0.41		
				23.07.2025	60.81	91	1.06		
				21.06.2025	115.50	59	1.31		
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	21.03.2025	309.32	19.04.2025	22.04.2025	51.14	3	0.03	29.03.2025	35.26
				30.04.2025	52.09	11	0.11		0
				09.04.2025	54.00	0	0.00		0
				06.05.2025	152.09	17	0.50		0
योग		**598.26**			**598.26**		**4.32**		**65.76**

*स्रोत: पीएफएमएस (एसएनए-06 - केंद्र व राज्य की जारी राशि एवं 15 - राज्य कोषागार से एकल नोडल एजेंसी के खाते में केन्द्रांश के अंतरण में विलम्ब पर ब्याज की रिपोर्ट): *₹ 27,712/- मात्र*

चार्ट 2.9: एकल नोडल एजेंसी के खाते में केंद्रांश का अंतरण *(₹ करोड़ में)*

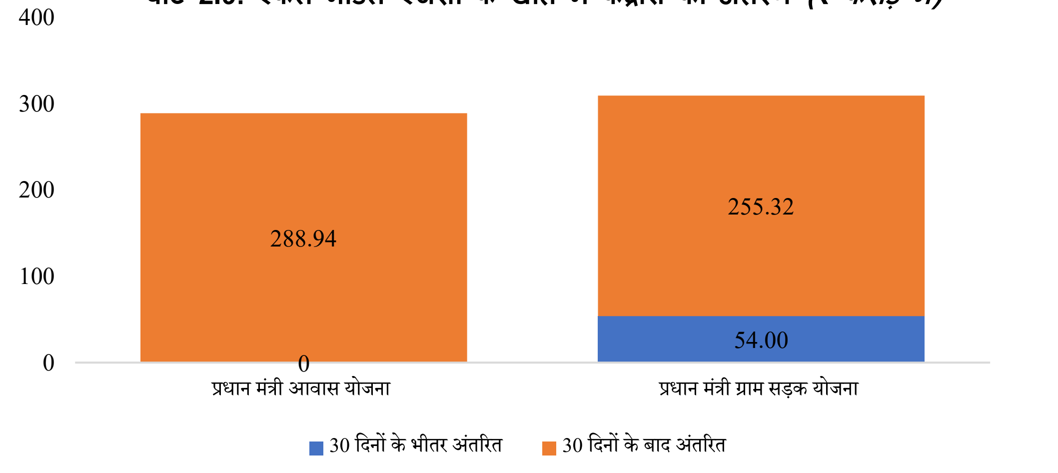

स्रोत: पीएफएमएस (एसएनए-06 - केंद्र व राज्य की जारी राशि का डेटा)

वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य को इन स्कीमों के तहत ₹ 598.26 करोड़ प्राप्त हुए (प्रधानमंत्री आवास योजना: ₹ 288.94 करोड़ व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: ₹ 309.32 करोड़)। इनमें से केवल ₹ 54 करोड़ (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) ही निर्धारित 30-दिवसीय अवधि के भीतर संबंधित एकल नोडल एजेंसी के खातों में हस्तांतरित किए गए, जबकि शेष ₹ 544.26 करोड़ नियत तिथि के बाद हस्तांतरित किए गए। निधियों का विलंबित हस्तांतरण ₹ 4.32 करोड़ की परिहार्य दंडात्मक ब्याज देयता में परिणत हुआ।

अगले वित्तीय वर्ष में स्कीम की निधियां जारी करना परिचायक है कि केंद्र सरकार से प्राप्त राशियों को अस्थायी रूप से राज्य सरकार द्वारा रोका गया, जिससे नकदी प्रवाह की मांग को प्रभावी समर्थन मिला तथा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में योगदान दिया। यह प्रथा निर्धारित केंद्र प्रायोजित स्कीम निधि-प्रवाह तंत्र के अनुकूल नहीं है और स्कीम की निधियों के समय पर उपयोग के उद्देश्य को विफल करती है। इस विलम्ब का प्रधानमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्यान्वयन की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जो दोनों ही ग्रामीण आवास व अवसंरचना विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं।

राज्य सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय की समयसीमाओं का पालन न करने के कारण न केवल राज्य कोषागार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा अपितु महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में भी बाधा आई। अतः एकल नोडल एजेंसी निधि-प्रवाह दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने एवं ऐसे विलम्बों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है।

2.6.2 एकल नोडल एजेंसी - स्पर्श

सामान्य वित्तीय नियम, 2017 का नियम 230 (7), जो यह निर्धारित करता है कि जहां तक संभव हो, सभी भुगतानों के संबंध में 'जस्ट इन टाइम रिलीज़' (समय पर धन जारी करने) के सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए', के आलोक में तथा केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर नकद प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने के उद्देश्य से, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित स्कीम निधियों के लिए एकल नोडल एजेंसी - स्पर्श (रियल टाइम सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड क्विक ट्रांसफर्स) नामक एक वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। इसे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवम् सूचना प्रणाली एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के एक एकीकृत ढांचे के माध्यम से प्रगतिशील तरीके से लागू किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में 43 राज्य-संलग्न योजनाओं को पहले ही एकल नोडल एजेंसी - स्पर्श में स्थानांतरित किया जा चुका है, जबकि 76 राज्य-संलग्न योजनाओं का स्थानांतरण अभी लंबित है। 08.09.2025 तक एकल नोडल एजेंसी के खाते में अव्ययित शेष राशि ₹ 628.51 करोड़ थी।

2.6.3 चयनित अनुदानों की विस्तृत समीक्षा में देखे गए अन्य मुद्दे

वर्ष 2024-25 में, दो अनुदानों: अनुदान संख्या 09: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा अनुदान संख्या 10: लोक निर्माण कार्य - सड़कें, पुल व भवन की समीक्षा की गई। निम्नलिखित समस्याएं देखी गईं:

(i) बजट व्यपगत होने से बचाने के लिए निधि का आहरण (अनुदान संख्या 09)

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के कोषागार नियम 183(3)(v) के अनुसार तत्काल संवितरण आवश्यकता के बिना कोषागार से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाए।

(क) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, हिमाचल प्रदेश के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान पाया गया कि विभाग ने वर्ष 2024-25 के दौरान शीर्ष 4210-01-110-01 SOON-31 (मशीनरी व उपकरण) के तहत ₹15.36 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रावधान किया था। विभाग ने 28 मार्च 2025 को यह राशि कोषागार से आहरित कर के कार्यालय के बैंक खाते में जमा कर दी।

(ख) बजट 2023-24 में राज्य सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत हमीरपुर, चंबा व नाहन में तीन नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 90:10 के अनुपात में ₹ नौ करोड़ (भारत सरकार का अंश) स्वीकृत किए (जनवरी 2024)। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक ने भी प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से अनुरोध (21 दिसंबर 2024) किया था। हालांकि राज्य सरकार ने ₹ 10 करोड़ (₹ नौ करोड़ - केन्द्रांश व ₹ एक करोड़ - राज्यांश) की स्वीकृति विलम्ब से 10 मार्च 2025 को दी। इसके बाद विभाग ने धन आहरित किया (मार्च 2025) तथा उसे उसके बैंक खाते में रख लिया। यह निधि संबंधित कॉलेजों को अप्रैल-मई 2025 में, अर्थात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद जारी की गई।

मशीनरी व उपकरणों की तत्काल आवश्यकता या खरीद के बिना निधियों का आहरण, आवश्यकता-आधारित व्यय एवं बजट अनुशासन के सिद्धांत का उल्लंघन है।

(ii) कोषागार द्वारा बिल पास न करने के कारण बजट का व्यपगत होना (अनुदान संख्या 09)

मांग संख्या 09 के अंतर्गत अभिलेखों की जांच से उजागर हुआ कि दिसंबर-मार्च 2025 के दौरान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं दंत चिकित्सा कॉलेज, शिमला के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने स्वीकृत बजट के सापेक्ष बिल तैयार किए। हालांकि बजट प्रावधानों व स्वीकृतियों की उपलब्धता के बावजूद संबंधित कोषागारों ने 31 मार्च 2025 तक इन बिलों को पास नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप निधियां व्यपगत हो गई। इसके अतिरिक्त बिलों की समय पर मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा की गई किसी भी अनुवर्ती कार्रवाई का कोई प्रमाण अभिलेखों में नहीं मिला। यह वित्तीय अनुशासन की कमी एवं कमजोर बजटीय प्रबंधन को परिलक्षित करता है। इन बिलों का विवरण **तालिका 2.19** में दिया गया है।

तालिका 2.19: व्यपगत राशि का विवरण

क्र. सं.	विभाग/संस्थान	बिल संख्या / टोकन संख्या व तिथि	लेखा शीर्ष/ स्कीम	राशि *(₹ करोड़ में)*	टिप्पणी
1	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय (इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं दंत चिकित्सा कॉलेज, शिमला)	जनवरी-मार्च 2025 के मध्य तैयार किए गए विभिन्न बिल	मांग संख्या 09 के तहत व्यय के मानक उद्देश्य 20, 27 व 37 (मुख्य शीर्ष 2210 व 4210)	3.85	मुख्य कोषागार अधिकारी, शिमला को बिल प्रस्तुत किए गए, परन्तु वर्ष की समाप्ति तक पास नहीं हुए।

क्र. सं.	विभाग/संस्थान	बिल संख्या / टोकन संख्या व तिथि	लेखा शीर्ष/ स्कीम	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
2	स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय	100887 दिनांक 26-03-2025	2210-06-200-05 - मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना (बेबी केयर किट्स)	6.65	बिल कोषागार को भेजा गया, पास नहीं हुआ
3	स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय	100863 दिनांक 09-01-2025	2210-06-200-06 - मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना	0.08	-तदैव-
4	स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय	100870 दिनांक 24-03-2025	2210-01-001-01 - कार्यालय व्यय (डाक टिकट)	0.01	-तदैव-
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	100422 से 100572 (दिसंबर 2024 से मार्च 25)	मुख्य शीर्ष 2210 व 2211 के अंतर्गत व्यय के मानक उद्देश्य 20 (अन्य शुल्क)	0.23	--

निधियों की उपलब्धता तथा स्वीकृति जारी होने के बावजूद ₹10.82 करोड़ (चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के तहत ₹3.85 करोड़, स्वास्थ्य सेवाओं के तहत ₹6.74 करोड़ व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के तहत ₹0.23 करोड़) की राशि के बिल, कोषागार द्वारा पास न किए जाने और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव के कारण व्यपगत हो गए।

जिला कोषागार अधिकारी व मुख्य कोषागार अधिकारी, शिमला ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि प्राप्तियों व भुगतानों के मध्य मिलान न होने के कारण बिलों का भुगतान नहीं किया जा सका, साथ ही प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के दिए गए निर्देशों (अप्रैल 2025) के अनुसार इन बिलों को आपत्तियों के साथ संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को वापस कर दिया गया।

यह विभागों और कोषागार के मध्य अपर्याप्त समन्वय, समय पर निगरानी के अभाव एवं हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन को परिलक्षित करता है। वर्ष की समाप्ति में स्वीकृत बजट प्रावधानों का व्यपगत होना बजट आवंटन के मूल उद्देश्य को ही विफल करता है तथा उस सीमा तक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वितरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

(iii) आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने में विलम्ब (अनुदान संख्या 09 व 10)

हिमाचल प्रदेश बजट नियम-पुस्तिका के अनुसार विभागाध्यक्षों से वित्त विभाग को बजट अनुमान एवं आधिक्य व अभ्यर्पण की विवरणियां 1 अक्टूबर व 15 जनवरी (या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले) तक प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त वित्त (बजट) विभाग द्वारा पत्र संख्या एफआईएन-ए-सी (6)1/2024 दिनांक 26 जुलाई 2024 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार, आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणियों की प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम विवरणी क्रमशः 31 अक्टूबर 2024, 31 दिसंबर 2024 व 20 मार्च 2025 तक प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नांकित निदेशकों ने आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणियां प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सारणी का पालन नहीं किया।

तालिका 2.20 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (अनुदान संख्या 09) के तहत पांच निदेशालयों व लोक निर्माण (अनुदान संख्या 10) के तहत दो निदेशालयों के संबंध में आवश्यक समय-सीमा, प्रस्तुतीकरण की वास्तविक तिथियों एवं हुए विलम्ब का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.20: आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणियों का प्रस्तुतीकरण

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	अपेक्षित तिथियां	वास्तविक प्रस्तुतीकरण	विलम्ब (दिनों में)	कारण
अनुदान संख्या 9 (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)					
1	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	31-10-24 (प्रथम)	26-12-2024	-	द्वितीय विवरणी भी समय पर भेज दी गई थी परन्तु संशोधन के कारण संशोधित विवरणी फरवरी में भेजी गई।
		31-12-24 (द्वितीय)	11-02-2025	41	
		20-03-25 (अंतिम)	26-03-2025	05	
2	स्वास्थ्य सेवाएं	31-10-24 (प्रथम)	प्रस्तुत नहीं की गई	-	क्षेत्रीय कार्यालयों से जानकारी के देर से प्राप्त होने के कारण विलम्ब हुआ।
		31-12-24 (द्वितीय)	26.12.2024	--	
		20-03-25 (अंतिम)	22-03-2025	01	
3	आयुष	31-10-24 (प्रथम)	25-11-2024	24	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के जनजातीय व पिछड़े क्षेत्रों में होने से रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी।
		31-12-24 (द्वितीय)	27-01-2025	26	
		20-03-25 (अंतिम)	25-03-2025	04	
4	दंत स्वास्थ्य सेवाएं	31-10-24 (प्रथम)	प्रस्तुत नहीं की गई	-	वरिष्ठ सहायक का पद रिक्त होने के कारण विवरणियां नहीं भेजी जा सकी और बजट का कार्यभार संभालने वाले संबंधित सहायक को इस विषय की जानकारी नहीं थी।
		31-12-24 (द्वितीय)	11-02-2025	41	
		20-03-25 (अंतिम)	प्रस्तुत नहीं की गई	-	
5	स्वास्थ्य सुरक्षा व विनियमन	31-10-24 (प्रथम)	24-10-2024	समय पर प्रस्तुत की गई	--
		31-12-24 (द्वितीय)	08.01.2025	07	
		20-03-25 (अंतिम)	27-03-2025	06	
अनुदान संख्या 10 (लोक निर्माण कार्य)					
1	मुख्य वास्तुकार	31-10-24 (प्रथम)	प्रस्तुत नहीं की गई	--	--
		31-12-24 (द्वितीय)	14.01.2025	13	
		20-03-25 (अंतिम)	19-03-2025	--	

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	अपेक्षित तिथियां	वास्तविक प्रस्तुतीकरण	विलम्ब (दिनों में)	कारण
2	प्रमुख अभियंता	31-10-24 (प्रथम)	18-02-2025	109	प्रमुख अभियंता ने सितंबर 2024 और पुनः दिसंबर 2024 में पांच मुख्य अभियंताओं से जानकारी मांगी परन्तु सभी अंचलों ने आवश्यक जानकारी 9 जनवरी 2025 को ही उपलब्ध कराई, जो निर्धारित तिथियों के काफी बाद थी।
		31-12-24 (द्वितीय)		48	
		20-03-25 (अंतिम)	प्रस्तुत नहीं की गई	--	

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया है कि किसी भी निदेशालय ने निर्धारित समय-सीमा का पूर्णतः पालन नहीं किया। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन की प्रथम विवरणी के अतिरिक्त अन्य सभी निदेशालयों ने या तो उनकी विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत की (एक से 109 दिनों तक का विलम्ब) या उन्हें प्रस्तुत करने में पूरी तरह विफल रहे। इस तरह का विलम्ब वित्त विभाग के निर्देशों की अवहेलना है तथा बजटीय नियंत्रण ढांचे को कमजोर करता है। इन विवरणियों के विलम्ब से या प्रस्तुत न किए जाने से वित्त विभाग की समय पर पुनर्विनियोजन करने, अनुपूरक प्रावधानों की आवश्यकता का आकलन करने एवं परिहार्य बचत या व्यपगत को रोकने की क्षमता बाधित होती है।

विभाग के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणियां विलम्ब से प्रस्तुत करने या न करने के परिणामस्वरूप वास्तविक बचत समय पर प्रदर्शित नहीं हो पाती, जिसके कारण वित्त विभाग समय पर पुनर्विनियोजन करने या अभ्यर्पित निधियों का कहीं और उपयोग करने में असमर्थ रहता है। परिणामस्वरूप वह निधियां, जिसे अन्य प्राथमिकता वाली योजनाओं हेतु लाभकारी रूप से उपयोग किया जा सकता था, अवरुद्ध रही और अंततः व्यपगत हो गई, जिससे कुशल बजटीय प्रबंधन का उद्देश्य ही विफल हो गया।

(iv) केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि

भारत सरकार की दिनांक 31.03.2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से तत्कालीन केंद्रीय सड़क निधि का नाम बदलकर केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि कर दिया गया है। सड़क एवं अवसंरचना निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास व रखरखाव, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे में सुरक्षा सुधार, राज्य व ग्रामीण सड़कों तथा अन्य अधोसंरचना आदि के लिए किया जाएगा।

वर्तमान लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार केंद्र से राज्य को प्राप्त होने वाले अनुदानों को प्राथमिक रूप में मुख्य शीर्ष 1601 के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में बुक किया जाना है। इसके पश्चात इस प्रकार प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक मुख्य शीर्ष (शीर्षों) के माध्यम से लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8449-103-केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से आर्थिक सहायता के तहत स्थानांतरित किया जाना है।

वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार को केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि हेतु ₹130.96 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने यह अनुदान लोक लेखा की निधि में स्थानांतरित नहीं किया, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अभी तक इस निधि का सृजन ही नहीं किया गया है।

उप-नियंत्रक (वित्त एवं लेखा), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने उत्तर में तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (सितंबर 2025) कि मार्च 2025 के दौरान कोषागार द्वारा बिलों को स्वीकृत न किए जाने के कारण इस शीर्ष के तहत ₹8.79 करोड़ की राशि लंबित रही। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के लिए मुख्य शीर्ष 8449-103 के अंतर्गत लोक लेखा निधि के सृजन का मामला अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश के साथ उठाया गया (जून 2022)। सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अभी भी प्रतीक्षित है।

2.7 निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश का समग्र बजट ₹79,475.53 करोड़ है, जबकि वास्तविक उपयोग ₹75,325.02 करोड़ (94.78 प्रतिशत) रहा। दत्तमत प्रभाग में बड़ी बचतें कमजोर योजना व कार्यान्वयन का संकेत देती है। अनुपूरक प्रावधानों पर निर्भरता विशेष रूप से वर्ष 2022-23 व वर्ष 2024-25 में बढ़ती जा रही है, जो बजट स्तर पर अपर्याप्त अनुमान को इंगित करती है। पूंजीगत (दत्तमत) व्यय में उलेखनीय कम व्यय पाया गया, जिसमें लगभग एक-तिहाई का विचलन पाया गया।

नौ अनुदानों के तहत 16 मामलों में बिना किसी बजट प्रावधान के ₹438.66 करोड़ का व्यय किया गया।

सात अनुदानों एवं चार विनियोजनों के तहत राज्य विधायिका के प्राधिकरण से ₹3,102.88 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण हुआ।

13 मामलों में ₹1,575.44 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंच पाया, तथा 31 मामलों में ₹199.39 करोड़ का विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान/अनुपूरक प्रावधान तक नहीं पहुंचा।

14 स्कीमों में ₹673.11 करोड़ का बजट प्रावधान था परन्तु कोई भी व्यय नहीं किया गया, जो स्कीमों का कार्यान्वयन न होने के रूप में परिणत हुआ।

केंद्र प्रायोजित स्कीमों में राज्य सरकार ने भारत सरकार के अंश को विलम्ब के साथ जारी किया।

2.8 अनुशंसाएं

1. बजट निर्माण एवं अनुमान की सटीकता को सुदृढ़ करना

राज्य सरकार एक मध्यावधि व्यय रूपरेखा स्थापित करें, जो विभागीय बजट सीमाओं को विगत व्यय की प्रवृत्तियों व यथार्थवादी राजस्व पूर्वानुमानों से जोड़ता हो। विभागों से यह अपेक्षित हो कि वे प्रत्येक वर्ष बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय की तुलना करते हुए अंतर विश्लेषण करें तथा अगले बजट निरूपण से पूर्व 10 प्रतिशत से अधिक के विचलनों का औचित्य सिद्ध करें। वित्त विभाग भी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवम् सूचना प्रणाली में डेटा-संचालित पूर्वानुमान उपकरणों को भी एकीकृत कर सकता है ताकि निरंतर हो रहे कम या अधिक बजट निर्माण को चिह्नित किया जा सके।

2. निधियों का समयबद्ध एवं जवाबदेह उपयोग सुनिश्चित करना

सरकार त्रैमासिक व्यय सीमा लागू करें एवं इसके अनुपालन को अगली किस्तें जारी करने के लिए एक पूर्व-शर्त बनाया जाए। कोषागार प्रणालियां व्यय में असामान्य वृद्धि या अंतिम समय में किए जाने वाले अभ्यर्पण के लिए स्वचालित अलर्ट उत्पन्न करे। विभागीय सचिव व्यय की समान गति एवं उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के साथ त्रैमासिक वित्तीय समीक्षा बैठकें करें।

3. विधायी एवं वित्तीय अनुपालन को सुदृढ़ करना

राज्य सरकार विनियोजन बिल पास होने के बाद जारी की गई सभी स्वीकृतियों की संवीक्षा करने और संविधान के अनुच्छेद 202-205 के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग में एक बजट अनुपालन प्रकोष्ठ स्थापित करने पर विचार करें। ई-बजट प्रणाली में विनियोजन के बाद अनधिकृत स्वीकृतियों को रोकने के लिए स्वचालित सत्यापन नियंत्रण शामिल किया जाए। लोक लेखा समिति के साथ घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से सभी बकाया व्यय आधिक्य के विनियमन में तेजी लाई जाए।

4. निगरानी, पारदर्शिता एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना

सरकार सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवम् सूचना प्रणाली एकीकरण के माध्यम से कोषागार, एकल नोडल एजेंसी व विभागीय लेखों के मध्य मासिक मिलान को अनिवार्य करें। प्रत्येक विभाग वित्त विभाग के पोर्टल पर त्रैमासिक बजट निष्पादन रिपोर्ट प्रकाशित करें। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं वित्त कर्मियों के लिए वित्तीय नियमों, पुनर्विनियोजन व अभ्यर्पण प्रक्रियाओं पर समय-समय पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

अध्याय-III

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं

अध्याय III: वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं

यह अध्याय विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा तैयार व प्रस्तुत किए गए राज्य सरकार के लेखाओं की गुणवत्ता का अवलोकन प्रस्तुत करते हुए निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निर्देशों के अनुपालन की सीमा का विश्लेषण करता है। वित्तीय नियमों, प्रक्रिया व निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस अनुपालना की प्रास्थिति पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रतिवेदनों में व्याप्त जानकारी की प्रासंगिकता व विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

लेखाओं की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

3.1 राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से बजट से इतर उधार

राज्य सरकार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय एवं इस कार्यालय को इस संबंध में सूचित किया (अप्रैल 2024) कि वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य ने बजट से इतर किसी प्रकार का बजट उधार नहीं लिया।

3.2 सरकार की अप्रदत्त देयताएं

अप्रदत्त देयताएं जैसे संग्रहित उपकर को निर्दिष्ट निकायों/संस्थाओं को हस्तांतरण न करना, दीर्घकालिक राजकोषीय एवं शासन संबंधी गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं। ये चुकाए न गए दायित्व समय के साथ संचित होते जाते हैं, जिससे छिपी हुई देयताएं सृजित होती हैं जो राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति को विकृत कर देती हैं। उपकर हस्तांतरण में विलम्ब से उन अभीष्ट विकासात्मक या कल्याणकारी परिणामों में बाधा आती है, जिससे उन्हें अधिरोपित करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। समय के साथ इस तरह की प्रथाएं जनता के विश्वास को कम कर सकती हैं, अनुपालन व जवाबदेही संबंधी चिंताएं उत्पन्न कर सकती हैं, जो भविष्य में व्यय के दबाव के रूप में परिणत होती हैं, जिससे राजकोषीय विस्तार सीमित हो जाता है एवं राजकोषीय धारणीयता कमजोर होती है। ऐसे मामलों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.2.1 संग्रहित उपकर का सरकारी खाते में प्रेषण न होना एवं अल्प-हस्तांतरण

उपकर सरकार द्वारा किसी विशिष्ट एवं निर्धारित प्रयोजनार्थ उद्ग्रहित एक प्रकार का कर है, जिससे उत्पन्न राजस्व का उपयोग केवल उसी घोषित उद्देश्य के लिए किया जाना है। हिमाचल प्रदेश में लक्ष्यित विकासात्मक पहलों हेतु संसाधन जुटाने के लिए दुग्ध उपकर, प्राकृतिक खेती उपकर एवं पर्यावरण उपकर सहित विभिन्न उपकर अधिरोपित किए गए हैं।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 यह अनिवार्य करता है कि सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व एवं धन को भारत की समेकित निधि या राज्य के लोक लेखा में जमा किया जाए तथा व्यय अथवा विनियोजन विधि के अनुसार ही किया जाए।

हिमाचल प्रदेश में, सरकार मुख्य रूप से दो प्रमुख स्रोतों - विद्युत की खपत व आबकारी/शराब की बिक्री - पर तीन प्रमुख श्रेणियों के उपकर उद्ग्रहित करती हैं, जिनमें से प्रत्येक को विशिष्ट

विकासात्मक उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया है। इसलिए राजकोषीय पारदर्शिता व जवाबदेही बनाए रखने के लिए ऐसे एकत्रण का उचित सरकारी लेखा में समय पर एवं पूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

(क) विद्युत की खपत पर उपकर (हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2024 के अंतर्गत) [1]

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 में धारा 3-ए व 3-बी को जोड़कर नवंबर 2024 से हिमाचल प्रदेश में दो नए उपकर - ऊर्जा खपत पर दुग्ध उपकर एवं ऊर्जा खपत पर पर्यावरण उपकर - लागू किए गए। राज्य सरकार को समय-समय पर इन उपकरों की दर में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है; हालांकि किसी भी एक संशोधन की दर अधिनियम के तहत निर्धारित आधार दर के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

उपकर का नाम; लेखा शीर्ष	संग्रहण दर	प्राथमिक उद्देश्य (निर्धारण)
दुग्ध उपकर 0043-00-101-02	ऊर्जा की खपत की प्रति इकाई पर ₹ 0.10	राज्य में दूध उत्पादन व खरीद को बढ़ावा देना तथा दूध उत्पादकों का उत्थान करना।
पर्यावरण उपकर 0043-00-101-03	उपभोक्ता श्रेणी के आधार पर भिन्न-भिन्न दरें[2] (₹ 0.02 से ₹ 6.00 प्रति इकाई तक) (उदाहरणार्थ स्टोन क्रशर व इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए उच्च दरें)।	राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना एवं पर्यावरण की रक्षा करना।

वर्ष 2024-25 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने राज्य सरकार की ओर से ऊर्जा उपभोक्ताओं से कुल ₹ 27.58 करोड़ की राशि एकत्र की। इसमें दुग्ध उपकर के ₹ 12.65 करोड़ एवं पर्यावरण उपकर के ₹ 14.93 करोड़ शामिल थे। हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी प्राप्तियों को राज्य की समेकित निधि में तत्काल जमा करना अपेक्षित है।

---

1 अधिसूचना संख्या एलएलआर-डी(6)-29/2024-लूज़ दिनांक 16.11.2024 के अनुसार, दुग्ध उपकर व पर्यावरण उपकर का कार्यान्वयन हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का अधिनियम संख्या 7) के प्रावधानों द्वारा शासित है, जिसने 2009 के मूल अधिनियम में धारा 3-ए (दुग्ध उपकर) व 3-बी (पर्यावरण उपकर) को सम्मिलित किया।

2

उपभोक्ताओं की श्रेणी	उपकर की दर (प्रति इकाई)
लघु औद्योगिक विद्युत	₹ 0.02
मध्यम औद्योगिक विद्युत	₹ 0.04
वृहद औद्योगिक विद्युत	₹ 0.10
वाणिज्यिक	₹ 0.10
अस्थायी कनेक्शन और स्टोन क्रशर	₹ 2.00
इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन	₹ 6.00

सांविधिक प्रावधानों के विपरीत, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने उपकर संग्रहण को सरकारी खाते में जमा नहीं किया। इसके बजाय निधियां बोर्ड के चालू खाते में ही रखी गई, जो राज्य की समेकित निधि में सरकारी राजस्व का हस्तांतरण न होने के रूप में परिणत हुई।

मुख्य लेखा अधिकारी (वित्त एवं लेखा स्कंध), हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने उसके प्रत्युत्तर में बताया (अगस्त 2025) कि नकदी प्रवाह की कमी के कारण राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड को देय रोलबैक सब्सिडी के सापेक्ष संग्रहित उपकर राशि को समायोजित किया था।

इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा ₹27.58 करोड़ के संग्रहित सांविधिक उपकरों को राज्य की समेकित निधि में जमा न करना, प्रयोज्य वित्तीय नियमों व संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। इस चूक से न केवल राज्य की राजस्व प्राप्तियों में न्यूनोक्ति एवं राजस्व घाटे में सम्बंधित अत्योक्ति में परिणत हुई अपितु इससे हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2024 में अंतर्निहित विधायी उद्देश्य का भी उल्लंघन हुआ। संग्रहण को सरकारी लेखाओं से बाहर रख कर, बोर्ड ने राज्य में दुग्ध उत्पादन व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्धारित निधियों के उपयोग में प्रभावी रूप से बाधा डाली।

अंतिम बैठक के दौरान वित्त विभाग ने स्वीकार किया (दिसंबर 2025) कि इन उपकर प्राप्तियों को हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड को देय सब्सिडी के सापेक्ष समायोजित करना अनुचित प्रक्रिया है तथा यह आश्वासन दिया गया कि उपकरों से प्राप्त इन राशियों के लेखांकन को सुव्यवस्थित करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

(ख) आबकारी/शराब की बिक्री पर उपकर

ये उपकर (दुग्ध उपकर व प्राकृतिक खेती उपकर) शराब की बोतलों की बिक्री या निर्यात पर लगाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य कृषि और पशुपालन विकास के लिए निधियां जुटाना है। सांविधिक प्रावधानों के अनुसार प्राप्त आय को निर्धारित प्रयोजनों की पूर्ति हेतु उपयोग के लिए नामित लाभार्थी विभागों में तत्काल जमा करना अपेक्षित था।

उपकर का नाम; लेखा शीर्ष	संग्रहण दर	प्राथमिक उद्देश्य (निर्धारण)
दुग्ध उपकर (0039-00-104-04)	₹10 प्रति बोतल (शराब की बिक्री या निर्यात पर)	राज्य में दूध उत्पादन एवं खरीद को प्रोत्साहित करना तथा दूध उत्पादकों का उत्थान करना।
प्राकृतिक खेती उपकर; (0039-00-104-06)	₹ दो व ₹ पांच प्रति बोतल (शराब की बिक्री अथवा निर्यात पर)।	राज्य में सतत एवं रसायन-मुक्त कृषि के संवर्धन एवं विकास के लिए निधि सृजन करना।

वर्ष 2024-25 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग ने शराब पर उपकर के रूप में कुल ₹166.54 करोड़ (दुग्ध उपकर: ₹141.92 करोड़ व प्राकृतिक खेती उपकर: ₹24.62 करोड़) एकत्र किए। हालांकि इसके सापेक्ष पशुपालन विभाग को केवल ₹75.17 करोड़ (दुग्ध उपकर में से) ही हस्तांतरित किए गए, जो मार्च 2025 तक नामित लाभार्थी विभागों को ₹91.37 करोड़ का हस्तांतरण न होने में परिणत हुआ। अतः आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दुग्ध उपकर व

प्राकृतिक खेती उपकर (वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान शराब की बिक्री से एकत्र) की आय में से ₹91.37 करोड़ को अनधिकृत रूप से अपने पास रखना, निर्धारित निधि के संचालन संबंधी सिद्धांतों का उल्लंघन था, क्योंकि इन प्राप्तियों को नामित लाभार्थी विभागों को तत्काल हस्तांतरित नहीं किया गया। अतः धन को रोके रखने से न केवल संबंधित विकास योजनाओं जैसे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और दूध उत्पादकों को सहायता देने वाली योजनाओं को अपेक्षित वित्तीय संसाधनों से वंचित किया गया, बल्कि यह सार्वजनिक निधियों का अनधिकृत विनियोजन भी था। परिणामस्वरूप राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति एवं राज्य के राजस्व घाटे का विरूपण हुआ।

अंतिम बैठक में वित्त विभाग ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (दिसंबर 2025) कि वित्त वर्ष 2025-26 से प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्धारित निधियों को उनके अभीष्ट उद्देश्यों के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा संग्रहित कुछ निर्धारित दुग्ध उपकर की प्राप्तियों को सीधे लाभार्थी विभाग (यथा पशुपालन विभाग) की लेखा-बहियों में लेखांकित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त वित्त विभाग ने (दिसंबर 2025 में) लेखापरीक्षा द्वारा रेखांकित किए गए संवैधानिक एवं लेखांकन सिद्धांत को स्वीकार किया और इस सुझाव से सहमति व्यक्त की कि सभी उपकर प्राप्तियों का लोक लेखा के अंतर्गत सही ढंग से लेखांकन किया जाए।

3.2.2 अप्रदत्त ब्याज देयताएं

सरकार पर सब्याज निक्षेप/आरक्षित निधियों में निहित राशियों पर ब्याज प्रदान करने एवं चुकाने की देयता होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 अप्रैल 2024 तक सब्याज निक्षेप/आरक्षित निधियों के तहत रखे ₹ 101.61 करोड़ के शेष पर ₹ 21.83 करोड़ ब्याज का भुगतान अपेक्षित था, जैसाकि **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है। ब्याज देयता का भुगतान न करना उस सीमा तक राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति/राजस्व घाटे व राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ।

तालिका 3.1: सब्याज निक्षेप/आरक्षित निधियों के संबंध में अप्रदत्त ब्याज देयता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	सब्याज निक्षेप का नाम/शीर्ष	1 अप्रैल 2024 तक अथ शेष	ब्याज की गणना का आधार	प्रावधान न किए गए ब्याज की राशि
1.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	58.15	वर्ष 2024-25 के दौरान अधिविकर्ष पर ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए 8.46 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई है।	14.41
2.	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	43.46		7.42
योग		**101.61**		**21.83**

स्रोत: वित्त लेखे 2024-25

3.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

राज्य सरकार ने 15 मई 2003 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अप्रैल 2019 से परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की, जिसमें कर्मचारी

का अंशदान 10 प्रतिशत एवं नियोक्ता का अंशदान 14 प्रतिशत था। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने परिभाषित अंशदान आधारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को वापस लेते हुए अधिसूचना संख्या एफआईएन (पीइएन) ए (3)-1/ 2023, दिनांक 04.05.2023 के माध्यम से 01.04.2023 से पुरानी पेंशन योजना, जो एक परिभाषित लाभ प्रदान करती है, पुनः लागू कर दी।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान वित्त लेखाओं के अनुसार ₹8.94 करोड़ (कर्मचारी अंशदान) व ₹12.49 करोड़ (नियोक्ता अंशदान) की प्राप्तियां बुक की गईं। मार्च 2025 तक इनमें से ₹8.91 करोड़ (कर्मचारी अंशदान) व ₹12.42 करोड़ (नियोक्ता अंशदान) को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किए गए जबकि ₹0.10 करोड़ की शेष राशि का लोक लेखा में प्रेषण नहीं किया गया।

इस संदर्भ में राज्य सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2025) कि पुरानी पेंशन योजना की पुनर्बहाली के कारण राज्य के कोषागार पर होने वाले संभावित वित्तीय प्रभाव एवं राजकोषीय भार/देयता से निपटने हेतु कोई पृथक पेंशन कोष सृजित नहीं किया गया है। इस व्यय की पूर्ति राज्य के स्वयं के संसाधनों से की जाएगी तथा भारत सरकार/ पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के पास रखे उसके अंश का भी आंशिक रूप से उपयोग भविष्य की पेंशन देयताओं की पूर्ति के लिए किया जाएगा।

3.2.4 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का अंतरण न करना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3(1) के अनुसार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के अनुक्रम में श्रम उपकर नियोक्ताओं/निर्माणकर्ताओं द्वारा किए गए निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से संग्रहित किया जाए, जिसमें भूमि की लागत एवं श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के अंतर्गत देय किसी भी मुआवजे की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। सभी विभागों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया था कि वे सभी सन्निर्माण गतिविधियों पर, जिसमें स्वीकृत आवासीय भवन योजनाओं वाले व्यक्तिगत निर्माणकर्ता भी शामिल हैं, इस उपकर की वसूली करें तथा इसे राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा कराएं। संग्रहित उपकर का उपयोग राज्य के सन्निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु किया जाना है।

वर्ष 2024-25 के दौरान वित्त लेखाओं के अनुसार ₹32.27 करोड़ की अथ शेष राशि के साथ, सरकार ने मुख्य शीर्ष 8443 के अंतर्गत श्रम उपकर के रूप में ₹33.47 करोड़ संग्रहित किए तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को ₹30.38 करोड़ अंतरित किए। अतः 31 मार्च 2025 तक ₹35.36 करोड़ की राशि अंतरित नहीं की गई थी। चूंकि यह एक पास-थ्रू लेनदेन है, अतः सरकार के नकद शेष में इस राशि से अत्योक्ति हुई।

हालांकि बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उसके पास ₹952.24 करोड़ का अथ शेष था तथा वर्ष 2024-25 के दौरान उसे ₹202.49 करोड़ प्राप्त हुए (श्रम उपकर ₹153.23 करोड़ व ब्याज, आदि ₹49.26 करोड़)। वर्ष के दौरान बोर्ड ने ₹38.82 करोड़ का व्यय (₹33.27 करोड़ श्रम कल्याण गतिविधियों/स्कीमों पर खर्च किए गए) किया। वर्ष के अंत, अर्थात्

31 मार्च 2025 तक बोर्ड के पास ₹ 1,115.91 करोड़ की राशि उपलब्ध थी [अस्थायी आंकड़ा, क्योंकि बोर्ड के लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था (सितंबर 2025)]।

यह देखा गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने श्रम उपकर के लेखांकन हेतु कोई नियम निर्धारित नहीं किए तथा लोक लेखा के अंतर्गत श्रम उपकर को बुक एवं संग्रहित करने के लिए कोई पृथक उप-शीर्ष भी सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया। परिणामस्वरूप श्रम कल्याण बोर्ड को अंतरित उपकर की राशि तथा अंतरण हेतु शेष राशि का पता नहीं लगाया जा सका।

3.2.5 स्थानीय निकायों को उपकर का अंतरण न करना

स्थानीय निकायों से प्राप्त जानकारी (सितंबर 2025) के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को कोई भी उपकर प्राप्त नहीं हुआ।

3.2.6 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास की स्थापना अगस्त 2015 में खनन और खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9सी के तहत की गई। इस अधिनियम की धारा 9सी (4) के अनुसार खनन पट्टा या खनिज रियायत धारक को ट्रस्ट को चुकाई गई रॉयल्टी का दो प्रतिशत अंशदान करना अपेक्षित है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास के नियमों के अनुसार राज्य सरकार इन अंशदानों के संग्रहण, मुख्य शीर्ष '8449-123-एनएमईटी निक्षेप' के अंतर्गत लोक लेखा में जमा करने तथा इन निधियों को प्रतिमाह भारत की समेकित निधि में हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि भारत के लोक लेखा के अधीन सृजित व्यपगत न होने वाली एवं ब्याज-रहित निधि है।

वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 0.36 करोड़ के अथ शेष के साथ राज्य सरकार ने खनन धारकों से लोक लेखा संख्या 8449-00-123 के अंतर्गत सीधे ₹ 2.18 करोड़ की राशि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास अंशदान के रूप में प्राप्त की। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को ₹2.21 करोड़ हस्तांतरित किए, जिससे एनएमईटी (केंद्र को) को ₹0.32 करोड़ हस्तांतरित नहीं हुए, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के नकद शेष में अधिकता दर्ज की गई।

3.2.7 प्रतिदाय के लंबित मामले

प्रतिदाय मामलों में तत्परता संबंधित विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने लंबित प्रतिदाय मामलों के आंकड़े उपलब्ध कराए।

वर्ष 2024-25 के दौरान संबंधित विभाग द्वारा सूचित प्रतिदाय मामलों का विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2: प्रतिदाय मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	वस्तु एवं सेवा कर		बिक्री कर /मूल्य वर्धित कर		राज्य आबकारी		वाहन कर	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	148	86.64	9	0.40	15	0.41	जानकारी अभी प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2025)	
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,408	533.74	5	2.65	45	2.15		
3.	वर्ष के दौरान किए प्रतिदाय	1,142	420.41	9	1.95	42	1.35		
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिदाय	119	24.19	-	-	1	0.04		
5.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	295	174.79	5	1.08	17	1.17		

स्रोत: विभागीय जानकारी

आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कुल कर प्रतिदाय में वस्तु एवं सेवा कर का प्रभुत्व रहा, जो अधिकांश मामलों व राशि के संदर्भ में सर्वाधिक रहा। हालांकि विभाग ने वर्ष के दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिदाय राशि (₹ 420.41 करोड़ मूल्य के 1,142 मामले) पर प्रक्रिया की परन्तु प्राप्त दावों की कुल राशि (₹ 533.74 करोड़) निपटानों से कहीं अधिक थी। इस असमानता के परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में बकाया वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय देयता ₹ 86.64 करोड़ से लगभग दोगुनी बढ़कर ₹ 174.79 करोड़ हो गई। बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर एवं राज्य आबकारी श्रेणियों में मामलों की संख्या व राशि दोनों मामले में तुलनात्मक रूप से न्यूनतम गतिविधि प्रदर्शित हुई, जो ₹ 2.25 करोड़ के सकल प्रतिदाय भार को प्रतिबिम्बित करती है। इस भारी और बढ़ती वित्तीय देयता का समाधान करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर प्रतिदाय की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित व तेज करने के लिए त्वरित कार्रवाई आवश्यक है ताकि बकाया शेष में और वृद्धि को सीधे रोका जा सके।

3.2.8 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत संग्रहित अर्थदंड सरकारी खाते (गृह विभाग) के बाहर अनधिकृत रूप से रखना एवं उसका उपयोग

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक अधिकृत अधिकारी जिसे अर्थदंड अधिरोपित करने व/या उसकी वसूली करने का अधिकार है, यह सुनिश्चित करेगा कि धनराशि की वसूली की जाए, उसकी उचित जांच की जाए तथा उसे यथास्थिति कोषागार या बैंक में जमा किया जाए। हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 7(2) में यह भी अनिवार्य है कि ऐसी प्राप्तियों को बिना अनुचित विलम्ब के राज्य की समेकित निधि या लोक लेखा के उपयुक्त लेखा शीर्ष के अंतर्गत बैंक में जमा किया जाए। सरकार के किसी भी विभाग को वित्त विभाग की स्पष्ट स्वीकृति के बिना, किसी भी स्थिति में समेकित निधि या लोक लेखा से बाहर धनराशि रखने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त ये नियम वित्त

विभाग की स्पष्ट स्वीकृति के बिना विभागीय व्यय के लिए ऐसी प्राप्तियों के विनियोजन को भी प्रतिबंधित करते हैं।

राज्य के सभी 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के अभिलेखों (जून 2025 तक का अद्यतित डेटा) की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर 2021 से जुलाई 2022) से उजागर हुआ कि पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी स्थायी आदेशों (जून 2010) के आधार पर सभी पुलिस अधीक्षकों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए) के तहत अपराधियों से वसूल किए गए अर्थदंड को जमा करने के लिए एंटी-स्मोकिंग अवेयरनेस (धूम्रपान विरोधी जागरूकता) कोष शीर्षक से बचत बैंक खाते खोलने का निर्देश दिया गया था। ये निर्देश राज्य सरकार या वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना जारी किए गए थे इसलिए हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली/हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली का उल्लंघन थे। इसके अतिरिक्त सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम में संयोजित किए गए अर्थदंड के लेखांकन एवं उपयोग से सम्बंधित कोई प्रावधान नहीं है।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्रवर्तन एजेंसी को संयोजित अर्थदंड की राशि को अपने पास रखने या उसका उपयोग करने की अनुमति देता हो। राज्य वित्त विभाग की किसी स्वीकृति या सरकारी आदेश के अभाव में संग्रहित अर्थदंड सार्वजनिक प्राप्तियां होती हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली एवं हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली के अनुसार समेकित निधि/लोक लेखा में जमा किया जाना चाहिए। विभागीय मानक संचालन प्रक्रियाएं वित्तीय नियमों की अवहेलना नहीं कर सकतीं; किसी भी विचलन के लिए वित्त विभाग से लिखित स्वीकृति आवश्यक होती है।

परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 से 2025-26 (जून 2025 तक) की अवधि में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के संयोजन से संबंधित संग्रहित ₹ 5.57 करोड़ की राशि, पुलिस अधीक्षकों ने सरकारी खाते में जमा करने के बजाय, वित्त विभाग अथवा राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना खोले गए बैंक खातों में जमा की। इसमें में से ₹ 3.68 करोड़, जागरूकता शिविरों के आयोजन, सीसीटीवी, प्रदर्शन हेतु टीवी आदि की खरीद के साथ-साथ सोफा, फोटोकॉपी/प्रिंटिंग मशीन जैसे अन्य विभागीय व्ययों पर अनधिकृत रूप से उपयोग किए गए, जबकि ₹ 1.88 करोड़ इन खातों में अवरुद्ध रहें **(तालिका 3.3)**।

तालिका 3.3: अप्रैल 2018 से जून 2025 के दौरान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत प्राप्त एवं उपयोग किए गए अर्थदंड का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	अवधि*	संग्रहित व बैंक में जमा किया गया अर्थदंड	किया गया व्यय	जून 2025 तक बैंक में रखी अव्ययित राशि
1	बिलासपुर	अप्रैल 2018 से जून 2025 तक	38.76	28.54	10.21
2	चंबा	अप्रैल 2018 से जून 2025 तक	38.97	38.74	0.23
3	हमीरपुर	अप्रैल 2018 से जून 2025 तक	49.90	35.23	14.67

क्र. सं.	जिला	अवधि*	संग्रहित व बैंक में जमा किया गया अर्थदंड	किया गया व्यय	जून 2025 तक बैंक में रखी अव्ययित राशि
4	कांगड़ा	अप्रैल 2018 से जून 2025 तक	62.01	52.48	9.53
5	केलांग	अप्रैल 2018 से जून 2025 तक	25.02	10.66	14.36
6	किन्नौर	अप्रैल 2018 से जून 2025 तक	26.88	13.91	12.97
7	कुल्लू	अप्रैल 2018 से जून 2025 तक	72.80	57.36	15.44
8	मंडी	अप्रैल 2018 से जून 2025 तक	56.36	46.40	9.97
9	शिमला	अप्रैल 2018 से जून 2025 तक	92.92	40.02	52.90
10	सिरमौर	अप्रैल 2018 से जून 2025 तक	37.48	14.91	22.57
11	सोलन	अप्रैल 2018 से जून 2025 तक	20.72	15.33	5.38
12	ऊना	अप्रैल 2018 से जून 2025 तक	34.85	14.70	20.15
योग			**556.67**	**368.28**	**188.38**

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

**01/04/2018 की स्थिति के अनुसार अथ शेष व अप्रैल 2018 से जून 2025 तक वसूल किया गया अर्थदंड।*

सरकारी प्राप्तियों को सरकारी खाते से बाहर रखने एवं उनका उपयोग करने से वित्तीय नियमों के तहत परिकल्पित कोषागार जांच की अनदेखी हुई, जिससे धन के दुर्विनियोजन और दुरुपयोग का जोखिम उत्पन्न हुआ। पुलिस अधीक्षकों ने उनके उत्तरों (सितंबर 2021 से अगस्त 2025) में दोहराया कि इस कोष का संचालन पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया गया था। ये उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया को राज्य वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी तथा यह प्रचलित वित्तीय नियमों के विपरीत था।

अतः, पुलिस विभाग दवारा वित्तीय नियमों के उल्लंघन में की गयी कार्रवाई के परिणामस्वरूप सरकारी खाते में ₹5.57 करोड़ जमा नहीं किए गए, ₹3.68 करोड़ का अनधिकृत व्यय हुआ तथा बैंक खातों में ₹1.88 करोड़ अवरुद्ध रहें।

वित्त विभाग ने आश्वासन दिया (दिसंबर 2025) कि मामले की जांच की जाएगी तथा अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

पारदर्शिता से सम्बंधित मुद्दे

3.3 उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 का नियम 157 निर्धारित करता है कि सहायता-अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों या संगठनों को अनुदान के उपयोग के छः माह के भीतर सरकार को लेखापरीक्षित उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे तथा सहायता-अनुदान का उपयोग राशि प्राप्त होने के तीन माह के भीतर या सहायता-अनुदान की अगली किस्त जारी होने से पूर्व, जो भी पहले हो, किया जाए। उपयोगिता-प्रमाणपत्र जमा न होने से यह जोखिम बना रहता है कि वित्त लेखाओं में प्रदर्शित राशि लाभार्थियों तक पहुंची ही न हो।

वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 5,092.21 करोड़ के 19,522 उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुतीकरण हेतु देय थे (वर्ष 2023-24 के दौरान आहरित सहायता-अनुदान बिल)। इसके साथ ही वर्ष के आरंभ में ₹ 2,795.23 करोड़ के 2,990 उपयोगिता-प्रमाणपत्र बकाया थे। वर्ष के दौरान ₹ 4,562.91 करोड़ के 19,991 उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का निपटान कर दिया गया तथा 31 मार्च 2025 तक ₹ 3,324.53 करोड़ के 2,521 उपयोगिता-प्रमाणपत्र बकाया थे **(परिशिष्ट 3.1)**। इन बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की आयु-वार लम्बितता

(₹ करोड़ में)

उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का देय वर्ष*	लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
2018-19 से पूर्व	160	69.76
2019-20	144	57.18
2020-21	204	32.46
2021-22	239	124.23
2022-23	628	892.85
2023-24 (मार्च 2024 तक स्वीकृत)	1,146	2,148.05
योग	**2,521#**	**3,324.53#**

स्रोत: वित्त लेखा 2024-25 एवं प्रधान महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश (लेखा व हकदारी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

*टिप्पणी: *2023-24 के दौरान संवितरित सहायता-अनुदान के लिए उपयोगिता-प्रमाणपत्र वर्ष 2024-25 में ही देय होंगे, अर्थात् ऊपर उल्लिखित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है, अर्थात् वास्तविक आहरण के 12 माह बाद।*

#इसमें केंद्र प्रायोजित स्कीमों से संबंधित ₹ 1,200.49 करोड़ के 155 बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र शामिल हैं।

चार्ट 3.1: 31 मार्च 2025 तक पांच प्रमुख विभागों से संबंधित बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र

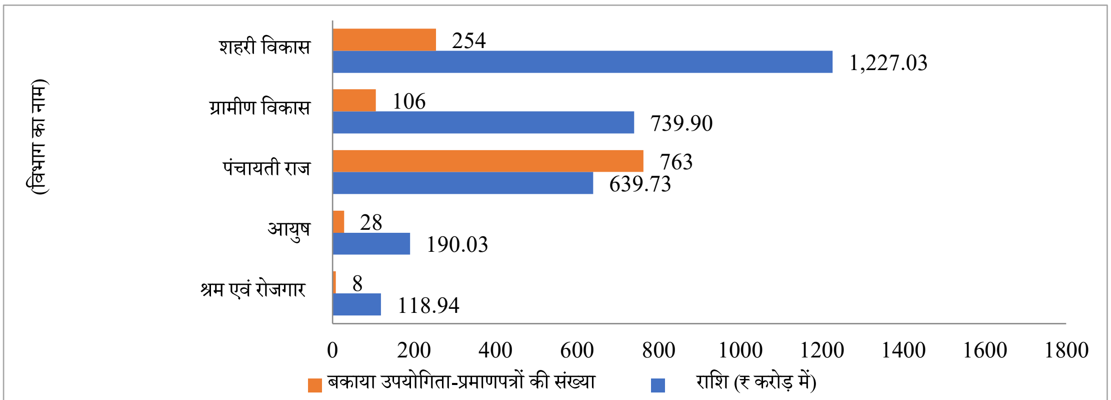

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

चार्ट 3.1 से स्पष्ट है कि ₹ 2,915.63 करोड़ अर्थात कुल बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का 87.70 प्रतिशत (₹ 3,324.53 करोड़) उपरोक्त पांच विभागों से संबंधित है।

वर्ष 2024-25 के दौरान उपरोक्त में से एक प्रमुख चूककर्ता विभाग, अर्थात् शहरी विकास विभाग (254 उपयोगिता-प्रमाणपत्र: ₹ 1,227.03 करोड़) का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा/नमूना-जांच हेतु किया गया। नमूना-जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने निम्नांकित जांच की:

- वर्ष 2016-17 से 2023-24 की अवधि से संबंधित 92 स्वीकृति आदेशों (47 उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के साथ तथा 45 उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के बिना) की संवीक्षा, यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण के संबंध में नियमों का अनुपालन किया गया या नहीं तथा यह पाया गया कि सभी स्वीकृति आदेशों में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं, यथा (i) अनुदान आवर्ती है या अनावर्ती, (ii) उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की कोई समय-सीमा (आवधिकता) नहीं की गई थी, तथा (iii) उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है या नहीं।

- लेखापरीक्षा के दौरान विभाग ने प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को ₹ 461.16 करोड़ राशि के 101 उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए।
- ₹ 547.69 करोड़ की राशि के 47 उपयोगिता-प्रमाणपत्र अभी भी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पास हैं (सितंबर 2025), जिन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- यह भी देखा गया कि विभागाध्यक्ष स्तर पर अनुदान प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता-प्रमाणपत्रों व उपयोग की गई राशि का स्वीकृत अनुदानों के साथ मिलान/समन्वय नहीं किया जा रहा है।
- उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न करना दुरुपयोग के जोखिम से युक्त है इसलिए यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करे तथा इस पहलू की बारीकी से निगरानी करे, साथ ही उपयोगिता-प्रमाणपत्र समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के लिए संबंधित व्यक्तियों की जवाबदेही तय करे।

अंतिम बैठक के दौरान वित्त विभाग ने (दिसंबर 2025) बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की गंभीरता को स्वीकार करते हुए लेखापरीक्षा को आश्वस्त किया कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा तथा कहा कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई/कदम उठाए जाएंगे और भविष्य में इन बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्रों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

3.4 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे

व्यक्तिगत निक्षेप संघ एवं राज्यों के मुख्य व लघु लेखा शीर्षों की सूची के अंतर्गत 8443-सिविल निक्षेप-106-व्यक्तिगत निक्षेप के तहत खोले गए ब्याज रहित प्रकृति के निक्षेप होते हैं।

वर्ष 2024-25 के वर्ष के दौरान राज्य की समेकित निधि से व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई।

3.5 (अ) लघु शीर्ष-800 का संचालन

अन्य प्राप्तियों एवं व्यय से सम्बंधित लघु शीर्ष-800 का परिचालन तब किया जाता है जब लेखाओं के मुख्य शीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं होते। लघु शीर्ष-800 का नियमित रूप से परिचालन बंद किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखाओं को अस्पष्ट बनाता हैं। इस बहुउद्देशीय लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बड़ी राशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को प्रभावित करता है एवं आवंटन प्राथमिकताओं व व्यय की गुणवत्ता के सटीक विश्लेषण को विकृत करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान 21 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,187.76 करोड़ राशि को लघु शीर्ष-800- अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जो कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 53,633.78 करोड़) का 2.20 प्रतिशत था। इसी भांति 46 मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2,682.95 करोड़ की राशि को 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जो कुल राजस्व व पूंजीगत प्राप्तियों (₹ 40,872.35 करोड़) का 6.56 प्रतिशत था।

हालांकि वर्ष 2024-25 के दौरान उपयुक्त वैकल्पिक लघु शीर्ष उपलब्ध होने के बावजूद लघु शीर्ष 800 के तहत गलत वर्गीकरण करने का कोई मामला नहीं पाया गया।

(ब) व्यय के मानक उद्देश्य-20 (अन्य प्रभार) के अत्यधिक उपयोग के कारण लेखांकन में अपारदर्शिता

विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत व्यय की प्राथमिक प्रकृति या उद्देश्य को दर्शाने के लिए व्यय के मानक उद्देश्य शीर्ष स्तर पर लेखांकन वर्गीकरण किया जाता है। ये शीर्ष खर्च के आर्थिक स्वरूप जैसे वेतन, कार्यालय व्यय, सहायता-अनुदान, सब्सिडी, मशीनरी एवं उपकरण या मुख्य कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक उद्देश्य (वस्तु) शीर्ष यह दर्शाता है कि पैसा किस पर खर्च किया गया है, न कि 'क्यों' या 'किस कार्य' के लिए (जोकि मुख्य व लघु शीर्ष स्तरों पर दर्ज की जाती है)। वर्गीकरण का यह स्तर विभिन्न विभागों में एकसमान बजट निर्माण, लेखांकन व व्यय के विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही लेनदेन के स्तर पर तुलनात्मकता व नियंत्रण सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

व्यय का मानक उद्देश्य-20 – अन्य प्रभार – का उद्देश्य केवल उन विविध या अवशिष्ट मदों को दर्ज करना है, जो विशिष्ट व वर्णनात्मक व्यय के मानक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आतीं। हालांकि इस अवशिष्ट शीर्ष का अत्यधिक और बार-बार उपयोग विस्तृत लेखांकन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह व्यय की वास्तविक प्रकृति को अस्पष्ट कर देता है। इसके बजाय प्रत्येक लेनदेन को उपयुक्त व वर्णनात्मक व्यय के मानक उद्देश्य (जैसे, वेतन के लिए व्यय के मानक उद्देश्य-01, किराए के लिए व्यय के मानक उद्देश्य-07, कार्यालय व्यय के लिए व्यय के मानक उद्देश्य-05, लघु कार्यों के लिए व्यय के मानक उद्देश्य-36, आदि) के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

लेखाओं की नमूना-जांच से उजागर हुआ कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 2,666.96 करोड़ की बड़ी राशि (कुल राजस्व व्यय का 5.59 प्रतिशत) को व्यय के मानक उद्देश्य-20 (अन्य प्रभार) के अंतर्गत बुक किया गया। इस तरह का विवेकहीन वर्गीकरण लेखापरीक्षा, विधायिका

व जनता के लिए व्यक्तिगत वाउचरों की विस्तृत जांच किए बिना व्यय के वास्तविक उद्देश्य का पता लगाना कठिन बना देता है। यह प्रथा पारदर्शिता, जवाबदेही व प्रभावी वित्तीय नियंत्रण को कमजोर करती है।

व्यय के मानक उद्देश्य-20 (अन्य प्रभार) के अंतर्गत बुक किए गए ₹ 2,666.96 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 1,431.85 करोड़ (54 प्रतिशत) मुख्य शीर्ष 2245 – प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत से संबंधित था, जैसाकि **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाया गया है। इस कार्यात्मक क्षेत्र के भीतर अवशिष्ट वस्तु शीर्ष का अत्यधिक उपयोग आपदा-राहत खर्च के वास्तविक संघटन को अस्पष्ट करता है, जिससे राहत और पुनर्वास उपायों पर किए गए व्यय की गुणवत्ता, दक्षता व प्रभावशीलता के सटीक विश्लेषण में बाधा आती है। व्यय के मानक उद्देश्य-20 के अंतर्गत बुक किए गए प्रमुख मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ से अधिक) का विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: व्यय के मानक उद्देश्य-20 के अंतर्गत बुक किए गए प्रमुख मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	स्कीम/उद्देश्य का नाम	व्यय
1	2245-05-101-01-S00N	आपदा राहत निधि - अंतर-लेखा लेनदेन/राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में हस्तांतरण	420.00
2	2210-06-200-08-S00N	हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (हिम केयर)	205.81
3	2245-08-797-01-S00N	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में अंतरण	205.05
4	2245-08-101-01-S00N	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	200.28
5	2801-80-001-01-S00N	ऊर्जा निदेशालय	157.52
6	2245-02-106-01-S00N	सड़क एवं पुलों की मरम्मत	129.20
7	2801-80-800-07-S10N	रेणुकाजी बांध विस्थापितों को मुआवजा	107.63
8	2245-02-109-01-S00N	क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति, ड्रेनेज व सीवरेज कार्यों पर व्यय	99.35
9	2245-80-103-01-C00N	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि पर व्यय	66.92
10	2245-02-193-01-S00N	स्थानीय निकायों व अन्य गैर-सरकारी बोर्डों/संस्थाओं को सहायता	66.63
11	2235-02-103-22-C90N	पोषण अभियान	56.31

अवशिष्ट शीर्ष व्यय के मानक उद्देश्य-20 (अन्य प्रभार) के अंतर्गत व्यय की इतनी बड़ी राशि बुक करना विस्तृत व्यय वर्गीकरण के सिद्धांत के विरुद्ध है। इस प्रकार का अवर्णनात्मक लेखांकन ₹ 2,666.96 करोड़ के व्यय की आर्थिक प्रकृति को अस्पष्ट कर देता है। और तो और उचित मद-वार विवरण के अभाव में लेखापरीक्षा खोज (ट्रेल) गंभीर रूप से प्रभावित होती है, जिससे लेनदेन की वैधता और औचित्य स्थापित करने के लिए वाउचर-स्तर पर कठिन व श्रमसाध्य जांच अनिवार्य हो जाती है। यह न केवल लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अक्षम बनाता है, बल्कि निधियों के विचलन, गलत वर्गीकरण या अनियमित व्यय के जोखिम को भी बढ़ा देता है।

अंतिम बैठक के दौरान वित्त विभाग ने लेखापरीक्षा को आश्वस्त किया (दिसंबर 2025) कि वे वर्गीकरण संबंधी त्रुटियों के सुधार हेतु मामले की जांच करेंगे तथा यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की बुकिंग कभी-कभी इसलिए होती है क्योंकि स्कीम की निधियों को अंतिम विस्तृत लेखा शीर्षों में सही ढंग से आवंटित करने से पहले आरंभ में इस अवशिष्ट शीर्ष में रखा जाता है।

माप से संबंधित मुद्दे

3.6 मुख्य उचंत एवं ऋण, निक्षेप व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को परिलक्षित करते हैं। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष एवं क्रेडिट शेष को अलग-अलग समेकित करके इन शीर्षों के तहत बकाया शेष की गणना की जाती है। विगत तीन वर्षों हेतु उल्लेखनीय उचंत मद शेष **तालिका 3.6** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.6 : उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष		2022-23		2023-24		2024-25	
		डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658	**उचंत लेखा**						
101	वेतन एवं लेखा कार्यालय - उचंत	138.84	82.14	55.47	2.54	40.03	4.41
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**56.70 डेबिट**		**52.93 डेबिट**		**35.62 डेबिट**	
102	उचंत लेखा- (सिविल)	373.26	338.42	49.79	3.53	21.65	22.96
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**34.84 डेबिट**		**46.27 डेबिट**		**1.31 क्रेडिट**	
109	रिजर्व बैंक उचंत- (मुख्यालय)	00.05	00.00	00.05	00.00	00.05	00.00
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**00.05 डेबिट**		**00.05 डेबिट**		**00.05 डेबिट**	
110	रिजर्व बैंक उचंत- (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	27.32	00.00	5.73	00.00	4.95	00.00
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**27.32 डेबिट**		**5.73 डेबिट**		**4.95 डेबिट**	
112	**स्रोत पर कर कटौती - उचंत**	00.00	81.72	00.00	42.22	00.00	15.83
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**81.72 क्रेडिट**		**42.22 क्रेडिट**		15.83 क्रेडिट	
123	**अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की समूह बीमा योजना**	00.84	00.03	00.79	00.00	00.79	00.00
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**00.81 डेबिट**		**00.79 डेबिट**		**00.79 डेबिट**	
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**263.05 क्रेडिट**		**328.95 क्रेडिट**		**294.33 क्रेडिट**	
8782	**एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण व समायोजन**						
102	लोक निर्माण प्रेषण	00.00	477.98	0.78	606.09	0.78	790.04
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**477.98 क्रेडिट**		**605.30 क्रेडिट**		**789.26 क्रेडिट**	
103	वन प्रेषण	00.00	16.67	5.77	22.44	5.77	22.44
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**16.67 क्रेडिट**		**16.67 क्रेडिट**		**16.67 क्रेडिट**	
8793	अंतर-राज्य उचंत लेखा	00.08	00.00	00.00	00.05	00.00	00.07
	निवल डेबिट/क्रेडिट	**00.08 डेबिट**		**00.05 क्रेडिट**		**00.07 क्रेडिट**	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2024-25 के वित्त लेखाओं में मुख्य शीर्ष 8658-उचंत लेखा के अंतर्गत लघु शीर्ष 101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत व 102-उचंत लेखा (सिविल), तथा मुख्य शीर्ष 8782-नकद प्रेषण के अंतर्गत 102-लोक निर्माण प्रेषण एवं 103-वन प्रेषण के अंतर्गत दर्शाए गए उचंत शेष (डेबिट/क्रेडिट) का विवरण नीचे दिया गया है:

वेतन एवं लेखा कार्यालय - उचंत (लघु शीर्ष 101): इस लघु शेष का परिचालन संघ सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालयों, संघ शासित प्रदेशों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों एवं महालेखाकार

की लेखा-बहियों में हुए अंतर्विभागीय एवं अंतर्सरकारी लेनदेनों के समायोजन हेतु किया जाता है। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किसी अन्य वेतन एवं लेखा कार्यालय (कार्यालयों) की ओर से भुगतान किया गया, जिसकी वसूली अभी शेष है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष (31 मार्च 2025) गत वर्ष के ₹ 52.93 डेबिट शेष से घट कर ₹ 35.62 करोड़ हो गया।

उचंत लेखा - सिविल (लघु शीर्ष 102): वे लेन-देन जो कुछ जानकारी/दस्तावेजों (चालान, वाउचर आदि) के अभाव में व्यय/प्राप्ति लेखाओं के अंतिम शीर्ष में नहीं लिए जा सकते, उन्हें आरंभिक तौर पर इस उचंत शीर्ष के अंतर्गत बुक किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान इस लेखा में प्राप्तियां क्रेडिट की जाती हैं एवं व्यय डेबिट किए जाते हैं तथा अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने पर क्रमश: माइनस क्रेडिट व माइनस डेबिट द्वारा इसका निपटान किया जाता है। 31 मार्च 2025 तक इस लघु शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1.31 करोड़ का बकाया क्रेडिट शेष था, जिसका तात्पर्य है कि 'भुगतान किया गया' परन्तु कुछ विवरणों के अभाव में इसे व्यय के अंतिम शीर्ष में डेबिट नहीं किया जा सका।

लोक निर्माण कार्य प्रेषण (लघु शीर्ष 102): वर्ष 2024-25 तक इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 789.26 करोड़ का निवल क्रेडिट शेष था। निपटान/समायोजन होने पर राज्य सरकार के नकद शेष में वृद्धि होगी। यह प्रेषण उन चेकों से सम्बंधित हैं जो लोक निर्माण विभाग द्वारा कोषागार में जमा होते हैं।

वन प्रेषण (लघु शीर्ष 103): इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 16.67 करोड़ का निवल क्रेडिट शेष था। निपटान/समायोजन होने पर राज्य सरकार का नकद शेष घट जाएगा। यह प्रेषण उन चेकों से सम्बंधित हैं जो वन मण्डल पार्टियों को जारी करते हैं।

वर्ष की समाप्ति पर इस शीर्ष (लोक लेखा) के तहत भारी शेष राशि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को अधिकतम सीमा तक विकृत कर देती है, क्योंकि इन व्ययों/प्राप्तियों को उनके अंतिम लेखा शीर्षों में बुक नहीं किया जा सका तथा यह राज्य की समेकित निधि से बाहर ही रहे।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष का निपटान न होने से प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों एवं राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत शेष (जो वर्ष-दर-वर्ष आगे ले जाए जाते हैं) की सटीकता प्रभावित होती है।

3.7 विभागीय आंकड़ों का मिलान

राजस्व/व्यय पर प्रभावी बजटीय नियंत्रण रखने तथा लेखाओं की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्तीय नियमावली में निर्धारित है कि मुख्य नियंत्रण अधिकारियों/ नियंत्रण अधिकारियों से उनकी लेखा-बहियों में दर्ज प्राप्तियों व व्यय का प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के आंकड़ों के साथ प्रत्येक माह मिलान करना अपेक्षित है।

विगत तीन वर्षों के दौरान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा राज्य की प्राप्तियों व व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति **तालिका 3.7** व **चार्ट 3.2** में दी गई है।

तालिका 3.7: नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्ति व व्यय के मिलान की स्थिति

वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की संख्या	प्राप्ति/व्यय का मिलान करने वाले नियंत्रण अधिकारियों की संख्या		
		पूर्णतः मिलान	आंशिक मिलान	मिलान नहीं किया गया
प्राप्तियां				
2022-23	102	102	-	-
2023-24				
2024-25	103	78	11	14
व्यय				
2022-23	102	102	-	-
2023-24				
2024-25	103	67	34	2

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित जानकारी

चार्ट 3.3: वर्ष 2022-25 के दौरान प्राप्ति एवं व्यय के मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)

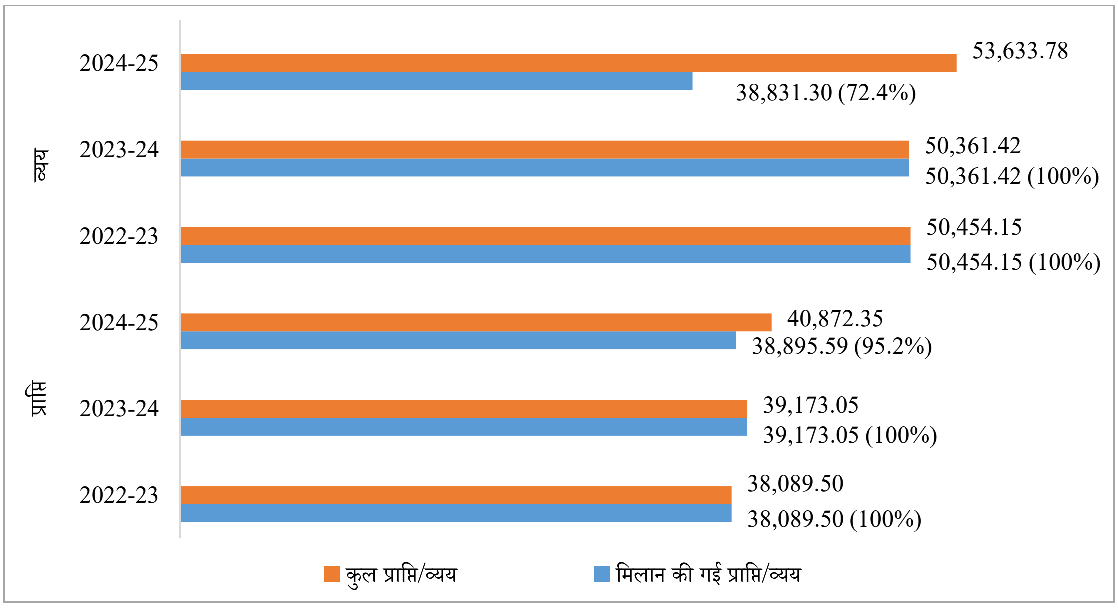

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित जानकारी

तालिका 3.7 से स्पष्ट है कि वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी 102 नियंत्रक अधिकारियों ने उनके आंकड़ों (प्राप्ति व व्यय, दोनों) को राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखा-बहियों से पूर्णतः मिलान किया था। हालांकि वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 40,872.35 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में से ₹ 38,895.59 करोड़ (अर्थात 95.16 प्रतिशत) का ही पूर्ण मिलान किया गया, जबकि व्यय (राजस्व व पूंजीगत) के मामले में ₹ 53,633.78 करोड़ के कुल आंकड़ों में से; ₹ 38,831.30 करोड़ (अर्थात 72.40 प्रतिशत) का ही पूर्ण मिलान हो पाया।

सभी प्राप्तियों एवं व्यय सम्बन्धी मिलान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

3.8 नकद शेष का मिलान

31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार का नकद शेष प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश के लेखाओं के अनुसार ₹ 59.06 करोड़ (डेबिट) था, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे ₹ 14.79 करोड़ (डेबिट) सूचित किया गया। इस प्रकार, इसमें ₹ 73.85 करोड़ (डेबिट) का मिलान न किया गया निवल अंतर था, जो मुख्य रूप से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), कोषागार/ भारतीय रिज़र्व बैंक और एजेंसी बैंक के मध्य मिलान हेतु लंबित आंकड़ों के कारण था।

राज्य में भुगतान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्रणाली को राज्य की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के साथ जोड़ने (इंटीग्रेशन) के बाद भी सूचित किए गए लेनदेन में अंतर बना हुआ है; क्योंकि राज्य आईएफएमएस की रिपोर्ट लेनदेन की तिथि के आधार पर होती है, जबकि ई-कुबेर प्रणाली लेनदेन की रिपोर्ट स्क्रॉल तिथि के आधार पर करता है।

3.9 मंडलाधिकारियों के पास रखी अव्ययित राशि

संहिता संबंधी प्रावधानों के अनुसार लोक निर्माण-कार्य मण्डलों को गैर-सरकारी एजेंसियों से निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त निधियां मुख्य शीर्ष 8443-सिविल निक्षेप के तहत लघु शीर्ष 108 - लोक निर्माण-कार्य निक्षेप के अंतर्गत क्रेडिट करना अपेक्षित है। संबंधित निक्षेप कार्यों का व्यय भी उसी लेखा शीर्ष से किया जाता है। मण्डलों के मासिक लेखाओं में लोक निर्माण मण्डलों द्वारा निक्षेपों की प्रेषण न की गई राशि राज्य के लोक लेखा के तहत मुख्य शीर्ष 8671-विभागीय शेष, 101-सिविल के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है एवं तदोपरांत सरकारी लेखाओं का भाग बनती है। हालांकि निक्षेप कार्यों हेतु प्राप्त निधियों का प्रेषण सरकारी लेखाओं में करने के बजाय वह लोक निर्माण मण्डलों द्वारा संचालित मंडलाधिकारियों के बैंक खातों में रखी जा रही है और इसीलिए यह भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य के नकद शेष का भाग नहीं बन रही है।

31 मार्च 2025 तक वित्त लेखाओं के अनुसार विगत तीन वर्षों से लगातार ₹ 0.16 करोड़ (डेबिट) की छोटी राशि मुख्य शीर्ष 8671 (लोक लेखा) के अंतर्गत रखी थी।

माप से सम्बंधित मुद्दे

3.10 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर संघ एवं राज्यों के लेखाओं का रूप निर्धारित कर सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक चार भारत सरकार लेखांकन मानक अधिसूचित किए हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों का अनुपालन एवं उनमें हुई कमियों का विवरण **तालिका 3.8** में दिया गया है।

तालिका 3.8: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	**लेखांकन मानक**	**भारत सरकार लेखांकन मानक का सार**	**राज्य सरकार द्वारा अनुपालन**	**कमी**
1.	भारत सरकार लेखांकन मानक -1:	सरकार द्वारा दी गई गारंटी - डिस्क्लोज़र आवश्यकताएं	अनुपालन किया गया *(वित्त लेखाओं की विवरणी 9 व 20)*	क्षेत्र-वार ब्यौरे विवरणी 9 में दर्शाए गए हैं, जबकि क्षेत्र-वार व वर्ग-वार ब्यौरे वित्त लेखाओं की विवरणी 20 में दर्शाए गए हैं।
2.	भारत सरकार लेखांकन मानक -2:	सहायता-अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	आंशिक अनुपालन किया गया *(वित्त लेखाओं की विवरणी 10)*	वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान के कुल मूल्य के संबंध में सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
3.	भारत सरकार लेखांकन मानक -3:	सरकारों द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	अनुपालन किया गया *(वित्त लेखाओं की विवरणी 7 व 18)*	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के ब्यौरे विवरणी 7 व 18 में दिए गए हैं।
4	भारत सरकार लेखांकन मानक -4:	अवधि पूर्व समायोजन	आंशिक अनुपालन किया गया *(वित्त लेखाओं की विवरणी 17)*	वर्ष 2024-25 के दौरान एक के बाद एक दिए गए ऋणों के एक भाग को समायोजित किया गया।

स्त्रोत: वित्त लेखे

3.11 स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

31 मार्च 2025 तक 32 स्वायत्त निकायों में से 19 स्वायत्त निकायों से सम्बंधित 44 लेखे वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक लंबित थे, जैसाकि **परिशिष्ट 3.3** में विवर्णित है।

उपरोक्त परिशिष्ट से स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अतिरिक्त, जिसने वर्ष 2014-15 से उसके लेख प्रस्तुत ही नहीं किए, 19 निकायों/प्राधिकरणों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में एक से दो वर्ष तक की लंबितता थी।

लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं का पता न चल पाने का जोखिम बना रहता है अतः लेखाओं को यथाशीघ्र अंतिम रूप देकर लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

अन्य मुद्दे

3.12 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 23 व 24 में प्रावधान है कि संबंधित प्राधिकारी चल व अचल संपत्ति, जैसा भी मामला हो, की हानि की विस्तृत जांच करेगा तथा विस्तृत जांच पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित प्राधिकारी उसकी विस्तृत रिपोर्ट यथोचित माध्यम से सरकार को उचित कार्यवाही हेतु भेजेगा, जिसकी एक प्रति महालेखाकार को प्रेषित की जाएगी। नियम 145(5) में निर्धारित है कि यदि सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा, धोखाधड़ी अथवा शरारत के कारण माल ख़राब हो जाता है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी।

31 मार्च 2024 तक दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के 15 मामले ₹ 38.39 लाख से अंतर्ग्रस्त थे। वर्ष 2024-25 के दौरान इनमें से ₹ 2.92 लाख की राशि वाले पांच मामलों का समायोजन/निपटान किया गया। 31 मार्च 2025 तक ₹ 35.47 लाख से अंतर्ग्रस्त दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के 10 मामले अभी भी लंबित हैं। लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों का विवरण

(₹ लाख में)

विभाग/ निगम का नाम	दुर्विनियोजन/ हानि/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, चोरी, हानि आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलम्ब के कारण					
			विभागीय एवं आपराधिक जांच हेतु प्रतीक्षित		विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई किन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया		आपराधिक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया गया किन्तु राशि की वसूली लंबित	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
शिक्षा	3	2.95	4	5.10	2	25.37	4	5.00
भू-राजस्व	1	0.91						
बागवानी	1	1.54						
पुलिस	1	0.08						
होम गार्ड	2	25.37						
वन	2	4.62						
योग	**10**	**35.47**	**4**	**5.10**	**2**	**25.37**	**4**	**5.00**

स्रोत: विभागीय डेटा / सूचना

कुल (10) मामलों में से दो मामलों (₹ 25.37 लाख) के संबंध में विभागीय कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी परन्तु उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया, जबकि चार मामलों (₹ पांच लाख) में विभागीय व आपराधिक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी परन्तु वसूली लंबित थी।

लंबित मामलों का आयु-रूपरेखा एवं चोरी एवं सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या **तालिका 3.10** में सारांशित की गई है।

तालिका 3.10: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि की रूपरेखा

(₹ लाख में)

<table>
<tr><th colspan="3">लंबित मामलों की आयु-रुपरेखा</th><th rowspan="2">लंबित मामलों की प्रकृति</th><th rowspan="2">मामलों की संख्या</th><th rowspan="2">अंतर्ग्रस्त राशि</th></tr>
<tr><th>वर्ष सीमा</th><th>मामलों की संख्या</th><th>अंतर्ग्रस्त राशि</th></tr>
<tr><td>0-5</td><td>0</td><td>0.00</td><td>चोरी के मामले</td><td>2</td><td>1.07</td></tr>
<tr><td>5-10</td><td>02</td><td>4.39</td><td rowspan="3">सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि</td><td rowspan="3">8</td><td rowspan="3">34.40</td></tr>
<tr><td>10-15</td><td>05</td><td>4.80</td></tr>
<tr><td>15 व अधिक</td><td>03</td><td>26.28</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>10</td><td>35.47</td><td>कुल</td><td>10</td><td>35.47</td></tr>
</table>

स्रोत: विभागीय डेटा / सूचना

कुल 10 मामलों में से, ₹ 1.07 लाख के दो मामले सरकारी धन/भंडार की चोरी से संबंधित थे, जबकि ₹ 34.40 लाख से जुड़े आठ मामले सरकारी सामग्री के गबन/नुकसान से संबंधित थे, जो पांच साल से अधिक पुराने थे, जिनमें तीन मामले 15 साल से अधिक पुराने थे।

उपरोक्त मुद्दों पर राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को आवश्यक निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए हैं।

3.13 राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करते ही, संबंधित विभाग से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रत्येक परिच्छेदों पर लोक लेखा समिति से औपचारिक प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर समिति को स्वतः संज्ञान व्याख्यात्मक टिप्पणी (सुओ-मोटो नोट्स) प्रस्तुत करना/ उनके स्तर पर

कार्रवाई करना अपेक्षित होता है। सचिव (वित्त) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित परिच्छेदों पर संबंधित विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई की निगरानी करेंगे।

पहली उद्घाटन बैठक में उत्तर प्रस्तुत न करने/लंबित होने के मामलों के संदर्भ में लोक लेखा समिति ने प्रधान सचिव (वित्त) के साथ चर्चा की तथा वित्त विभाग को राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं अन्य प्रतिवेदनों के उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 तक के राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं तथा लोक लेखा समिति की बैठक में उन पर चर्चा की जा चुकी है, परन्तु वर्ष 2022-23 व 2023-24 के राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तर/चर्चा अभी भी लंबित है।

3.14 निष्कर्ष

वर्ष 2024-25 के दौरान हिमाचल प्रदेश में वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं की जांच में निरंतर बनी रहने वाली प्रणालीगत कमियां उजागर हुई, जो राज्य की वित्तीय विवरणियों की पारदर्शिता, सटीकता व विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं। यद्यपि सरकार ने कुछ क्षेत्रों—जैसे अधिकांश नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों का पूर्ण मिलान एवं अधिसूचित लेखांकन मानकों का आंशिक अनुपालन में प्रगति की है तथापि वित्तीय प्रबंधन की शुद्धता को कई बुनियादी कमियां प्रभावित कर रही हैं।

संग्रहित उपकरों का हस्तांतरण न करने और आरक्षित निधियों पर ब्याज का भुगतान न करने जैसे दृष्टांत नकद शेष में अत्योक्ति एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुए, जिससे राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति विकृत हुई। विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी खाते से बाहर सार्वजनिक प्राप्तियों को रखने और उनका उपयोग करने की प्रथा संवैधानिक व वित्तीय प्रावधानों का उल्लंघन करती है, जो सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का जोखिम उत्पन्न करती है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता को कम करती है।

उपयोगिता-प्रमाणपत्रों की निरंतर लंबित स्थिति, स्वायत्त निकायों के लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब एवं उचंत व प्रेषण शीर्षों के तहत असमायोजित भारी शेष, कमजोर आंतरिक नियंत्रण एवं खराब अनुपालन संस्कृति को परिलक्षित करती हैं। ये कमियां इस आश्वासन में बाधा डालती हैं कि क्या अनुदान व अग्रिम उनके अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति कर पाए हैं तथा क्या लेनदेन लेखाओं में सटीक रूप से प्रतिबिम्बित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, व्यय का अपूर्ण मिलान, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ असमायोजित नकद शेष में अंतर एवं बकाया विभागीय शेष, लेखांकन अनुशासन में कमियों के परिचायक हैं।

कुल मिलाकर राज्य का वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा प्रक्रियात्मक अनुपालन-हीनता, अपर्याप्त निगरानी एवं समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव से जूझ रहा है। राज्य की वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता, पूर्णता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत जवाबदेही का सुदृढ़ीकरण, लेखाओं का समय पर मिलान एवं संवैधानिक व वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।

3.15 अनुशंसाएं

1. निधि प्रबंधन के लिए संवैधानिक व वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें कि विभागों एवं प्राधिकरणों द्वारा संग्रहित उपकर, अर्थदंड व अन्य प्राप्तियों सहित सभी सार्वजनिक धन, त्वरित रूप से राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा में जमा किया जाए। कोषागार प्रणाली के बाहर बैंक खातों में सरकारी धनराशि को रखना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए तथा किसी भी विचलन को वित्त विभाग के माध्यम से पिछली तिथि से लेखे समायोजन करके विनियमित किया जाए।

2. वित्तीय नियंत्रण एवं जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ करना

विभाग निधियों के समयबद्ध अंतरण, ब्याज देयताओं के समुचित निर्वहन एवं उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के समय पर प्रस्तुतीकरण की निगरानी हेतु एक सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित करें। वित्त विभाग को नियमों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए और वित्तीय नियमों के पालन को नियंत्रक अधिकारियों तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कार्य-निष्पादन समीक्षा के साथ जोड़ना चाहिए।

3. वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता एवं पूर्णता में सुधार करना

राज्य सरकार को सभी विभागों को यह निर्देश देना चाहिए कि वे महालेखाकार द्वारा अनुरक्षित लेखाओं के साथ अपनी प्राप्तियों और व्यय का मासिक मिलान सुनिश्चित करें तथा नियमित आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद शेष का मिलान करें। वित्तीय विवरणियों की सटीकता बढ़ाने के लिए उचंत व प्रेषण शेष की आवधिक समीक्षा तथा बकाया लेनदेन के तत्काल निपटान को संस्थागत किया जाना चाहिए।

4. लेखाओं के समयबद्ध प्रस्तुतीकरण एवं लेखांकन मानकों को अपनाने के माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि करना

स्वायत्त निकायों एवं नियामक आयोगों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने लेखे तैयार कर प्रस्तुत करें, तथा चूक के मामलों को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु वित्त विभाग को प्रेषित करें। राज्य सरकार को वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता, तुलनात्मकता और पारदर्शिता में सुधार हेतु भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों का पूर्ण अनुपालन भी सुनिश्चित करना चाहिए।

(पुरुषोत्तम तिवारी)

शिमला — **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**

दिनांक: 16 मार्च 2026 — **हिमाचल प्रदेश**

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)

नई दिल्ली — **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

दिनांक: 23 मार्च 2026

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.3, 1.2.4.1 व 1.2.4.2)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भाग-क: प्राप्तियां										
1. राजस्व प्राप्तियां	**23,440.48**	**26,264.34**	**27,367.06**	**30,950.32**	**30,742.41**	**33,438.27**	**37,309.30**	**38,089.50**	**39,173.04**	**40,872.35**
(i) कर राजस्व (अ+ब)	10,306.98	11,382.75	11,908.98	13,002.58	12,301.38	12,837.23	17,063.62	18,479.24	21,210.01	23,453.24
(अ) स्व कर राजस्व	6,695.81	7,039.05	7,107.67	7,572.81	7,623.82	8,083.31	9,714.58	10,595.26	11,835.29	12,772.00
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	1,833.16	3,342.68	3,550.34	3,466.58	4,482.15	5,259.21	5,339.89	5,816.61
बिक्री व व्यापार आदि पर कर	3,992.99	4,381.91	2,525.87	1,185.43	1,169.53	1,630.11	1,592.24	1,370.29	1,753.73	1,842.30
राज्य आबकारी	1,131.22	1,307.87	1,311.25	1,481.63	1,660.02	1,599.74	1,980.63	2,216.34	2,692.33	2,698.23
वाहन कर	317.05	279.58	367.16	408.01	465.52	380.20	510.03	675.17	781.74	907.04
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	205.52	209.16	229.18	250.55	259.58	253.36	318.60	398.75	440.37	491.12
विद्युत पर कर व शुल्क	551.06	371.67	360.79	487.08	100.86	401.76	393.51	252.25	369.07	494.88
भू-राजस्व विवरण	7.43	7.64	16.96	8.39	4.79	6.95	4.81	8.22	7.03	15.59
वस्तु व यात्री कर	115.28	121.37	111.69	104.38	104.03	83.55	99.18	68.50	70.88	76.04
अन्य कर	375.26	359.85	351.61	304.66	309.15	261.06	333.43	346.53	380.25	430.19
(ब) संघीय करों व शुल्क में राज्यांश	3,611.17	4,343.70	4,801.31	5,429.77	4,677.56	4,753.92	7,349.04	7,883.98	9,374.72	10,681.24
(ii) कर -भिन्न राजस्व	1,837.15	1,717.24	2,363.85	2,830.07	2,501.51	2,188.46	2,612.36	2,876.33	3,020.88	3,697.50
(iii) भारत सरकार से सहायता-अनुदान	11,296.35	13,164.35	13,094.23	15,117.67	15,939.52	18,412.58	17,633.32	16,733.93	14,942.15	13,721.61
2. विविध पूंजीगत प्राप्ति	**0.00**	**0.00**	**34.82**	**8.82**	**2.04**	**2.88**	**7.01**	**12.59**	**2.20**	**0.00**
3. ऋण व अग्रिम की वसूली	**25.90**	**29.50**	**39.61**	**21.83**	**21.04**	**23.02**	**40.73**	**82.79**	**27.40**	**184.64**
4. कुल राजस्व ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**23,466.38**	**26,293.84**	**27,441.49**	**30,980.97**	**30,765.49**	**33,464.17**	**37,357.04**	**38,184.88**	**39,202.64**	**41,056.99**

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**6,129.21**	**8,603.31**	**5,600.29**	**6,427.40**	**10,847.39**	**15,032.21**	**6,639.75**	**22,371.82**	**14,901.51**	**26,622.16**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष को छोड़ कर)	4,294.29	6,831.29	5,118.26	4,864.06	7,333.23	6,692.87	4,703.98	14,845.14	8,871.99	8,225.77
अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष	1,785.40	1,670.72	400.14	1,495.93	3,443.68	7,744.47	1,043.49	6,786.84	4,380.37	15,874.70
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	49.52	101.30	81.89	67.41	70.48	594.87	892.28	739.82	1,649.15	2,521.69
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**29,595.59**	**34,897.15**	**33,041.78**	**37,408.37**	**41,612.88**	**48,496.38**	**43,996.79**	**60,556.70**	**54,104.15**	**67,679.15**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8. लोक लेखा प्राप्तियां	**11,515.46**	**13,629.93**	**14,679.52**	**16,121.27**	**22,568.94**	**15,444.88**	**15,182.79**	**20,069.60**	**20,989.36**	**19,772.99**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**41,111.05**	**48,527.08**	**47,721.30**	**53,529.64**	**64,181.82**	**63,941.26**	**59,179.58**	**80,626.30**	**75,093.51**	**87,452.14**
भाग-ख: व्यय/संवितरण										
10. राजस्व व्यय	**22,302.81**	**25,344.22**	**27,053.14**	**29,443.00**	**30,730.42**	**33,534.93**	**36,194.54**	**44,425.26**	**44,731.63**	**47,676.96**
आयोजनागत	3,492.63	4,519.83	3,772.22	4,263.24	4,028.16	4,983.32	--	--	--	--
आयोजनेत्तर	18,810.18	20,824.39	23,280.92	25,178.86	26,702.27	28,551.61	--	--	--	--
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	8,788.46	9,727.97	11,009.54	11,438.34	12,335.20	13,454.26	13,899.76	17,763.27	19,146.43	20,372.44
सामाजिक सेवाएं	7,979.92	9,609.91	10,336.54	11,482.20	12,046.95	12,843.81	13,882.41	17,408.48	17,322.92	17,888.09
आर्थिक सेवाएं	5,524.47	5,996.31	5,696.77	6,512.19	6,338.01	7,227.49	8,404.66	9,247.42	8,262.28	9,416.43
सहायता-अनुदान व अंशदान	9.96	10.03	10.29	10.27	10.26	9.37	7.71	6.09	0.00	0.00
11. पूंजीगत व्यय	**2,864.49**	**3,499.03**	**3,755.67**	**4,583.41**	**5,173.91**	**5,309.21**	**6,029.38**	**6,028.89**	**5,629.79**	**5,956.83**
आयोजनागत	2,568.34	3,115.51	3,415.74	4,102.53	4,820.03	5,033.15	--	--	--	--
आयोजनेत्तर	296.15	383.52	339.93	480.88	353.04	276.06	--	--	--	--
सामान्य सेवाएं	88.51	208.37	191.78	227.13	203.74	169.54	389.63	297.38	356.71	328.35
सामाजिक सेवाएं	792.02	1,041.07	1,134.96	1,187.22	1,258.41	1,736.19	1,925.31	1,962.03	1,743.61	1,918.29
आर्थिक सेवाएं	1,983.96	2,249.59	2,428.93	3,169.06	3,711.76	3,403.48	3,714.44	3,769.48	3,529.47	3,710.19
12. ऋण व अग्रिम का संवितरण	**463.16**	**399.19**	**502.53**	**467.90**	**458.21**	**320.11**	**377.97**	**110.57**	**106.95**	**34.25**
13. कुल व्यय (10+11+12)	**25,630.46**	**29,242.44**	**31,311.34**	**34,494.31**	**36,362.54**	**39,164.25**	**42,601.89**	**50,564.72**	**50,468.37**	**53,668.04**
14. लोक ऋण की अदायगी	**3,947.73**	**3,942.84**	**3,499.84**	**4,673.34**	**6,700.75**	**11,141.05**	**4,387.28**	**10,135.80**	**7,895.87**	**18,168.81**

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष को छोड़ कर)	1,557.22	2,198.19	3,020.81	3,092.35	3,168.64	3,302.43	3,246.16	3,246.02	3,407.87	3,869.10
अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष	2,319.18	1,670.72	400.14	1,495.93	3,443.68	7,744.47	1,043.49	6,786.84	4,380.37	14,222.28
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	71.33	73.93	78.89	85.06	88.43	94.15	97.63	102.94	107.63	77.43
15. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**29,578.19**	**33,185.28**	**34,811.18**	**39,167.65**	**43,063.29**	**50,305.30**	**46,989.17**	**60,700.52**	**58,364.24**	**71,836.85**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
18. लोक लेखा संवितरण	**10,577.29**	**12,351.15**	**13,043.22**	**14,493.29**	**20,110.66**	**14,656.91**	**14,119.00**	**18,892.61**	**18,784.87**	**17,070.81**
19. राज्य सरकार द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**40,155.48**	**45,536.43**	**47,854.40**	**53,660.94**	**63,173.95**	**64,962.21**	**61,108.17**	**79,593.13**	**77,149.11**	**88,907.66**
भाग-ग:घाटा/अधिशेष										
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	**1,137.67**	**920.12**	**313.92**	**1,507.32**	**11.99**	**-96.66**	**1,114.76**	**-6,335.76**	**-5,558.59**	**-6,804.61**
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	**-2,164.08**	**-2,948.60**	**-3,869.85**	**-3,513.34**	**-5,597.05**	**-5,700.08**	**-5,244.85**	**-12,379.84**	**-11,265.73**	**-12,611.05**
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	**990.92**	**410.31**	**-81.63**	**508.18**	**-1,363.03**	**-1,227.63**	**-604.06**	**-7,551.20**	**-5,617.36**	**-6,350.12**
भाग-घ: अन्य डेटा										
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	**3,155.00**	**3,358.91**	**3,788.22**	**4,021.52**	**4,234.02**	**4,472.45**	**4,640.79**	**4,828.64**	**5,648.37**	**6,260.93**
24. स्थानीय निकाय, आदि को वित्तीय सहायता	**2,612.28**	**3,356.98**	**2,895.45**	**3,633.95**	**3,506.49**	**4,563.11**	**4,980.80**	**5,846.94**	**5,092.20**	**6,231.03**
25. अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष (दिन)	**31**	**23**	**2**	**19**	**38**	**63**	**16**	**70**	**41**	**162**
प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	**25**	**23**	**2**	**19**	**25**	**51**	**16**	**51**	**36**	**120**
प्राप्त अधिविकर्ष (दिन)	**6**	**0**	**0**	**0**	**13**	**12**	**0**	**19**	**5**	**42**
26. अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष पर ब्याज	**19.59**	**16.17**	**0**	**0.96**	**3.61**	**6.13**	**0.25**	**4.65**	**2.51**	**12.40**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**1,14,239**	**1,25,634**	**1,38,551**	**1,48,383**	**1,59,164**	**1,51,905**	**1,70,376**	**1,92,026**	**2,12,169**	**2,31,690**
28. बकाया राजकोषीय देयता (वर्ष के अंत में)	**41,197.43**	**47,244.02**	**51,030.50**	**54,299.19**	**62,211.83**	**67,164.75**	**69,122.58**	**82,177.21**	**91,220.73**	**1,02,187.62**
29. बकाया गारंटियां (वर्षांत) (ब्याज सहित)	**3,714.39**	**4,550.52**	**4,393.66**	**4,309.21**	**1,947.07**	**2,141.76**	**1,884.61**	**1,780.64**	**1,744.81**	**1,895.59**
30. गारंटी की अधिकतम राशि (वर्ष के अंत में)	**9,657.53**	**12,320.42**	**8,848.01**	**5,181.36**	**639.70**	**2,298.69**	**2,035.37**	**354.00**	**3,128.85**	**4,114.67**

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भाग-ङ: राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक (प्रतिशत में)										
I संसाधन जुटाना										
स्व-राजस्व कर /सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5.86	5.60	5.13	5.10	4.79	5.32	5.70	5.52	5.58	5.51
स्व-कर भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.61	1.37	1.71	1.91	1.57	1.44	1.53	1.50	1.42	1.60
स्व-राजस्व/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7.47	6.97	6.84	7.01	6.36	6.76	7.24	7.02	7.00	7.11
स्व-राजस्व /कुल व्यय	33.29	29.94	30.25	30.16	27.85	26.23	28.94	26.64	29.44	30.69
II व्यय प्रबधन										
कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	22.44	23.28	22.60	23.25	22.85	25.78	25.00	26.33	23.79	23.16
कुल व्यय /राजस्व प्राप्तियां	109.34	111.34	114.41	111.45	118.28	117.12	114.19	132.75	128.83	131.31
राजस्व व्यय /कुल व्यय	87.02	86.67	86.40	85.36	84.51	85.63	84.96	87.86	88.63	88.84
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय	63.52	64.62	62.59	64.80	64.23	64.37	65.55	64.05	61.14	61.36
पूंजीगत व्यय /कुल व्यय	11.18	11.97	11.99	13.29	14.23	13.56	14.15	11.92	11.16	11.10
पूंजीगत व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.51	2.79	2.71	3.09	3.25	3.50	3.54	3.14	2.65	2.57
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन										
राजस्व घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.00	0.73	0.23	1.02	0.01	-0.06	0.65	-3.30	-2.62	-2.94
राजकोषीय घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-1.89	-2.35	-2.79	-2.37	-3.52	-3.75	-3.08	-6.45	-5.31	-5.44
प्राथमिक घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.87	0.33	-0.06	0.34	-0.86	-0.81	-0.35	-3.93	-2.65	-2.74
IV ऋण धारणीयता										
बकाया देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	36.06	37.60	36.83	36.59	39.09	44.21	40.57	42.79	42.99	44.11
ब्याज भुगतान /राजस्व प्राप्तियां	13.46	12.79	13.84	12.99	13.77	13.38	12.44	12.68	14.42	15.32

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

परिशिष्ट - 1.2

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.4)

वर्ष 2024-25 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरण का सार

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2024-25	विवरण	2023-24	2024-25
भाग-क: राजस्व					
I- राजस्व प्राप्तियां	**39,173.04**	**40,872.35**	**I- राजस्व व्यय**	**44,731.63**	**47,676.96**
(i) कर राजस्व	11,835.29	12,772.00	**सामान्य सेवाएं**	**19,146.43**	**20,372.44**
(ii) कर-भिन्न राजस्व	3,020.88	3,697.50	**सामाजिक सेवाएं**	**17,322.92**	**17,888.09**
(iii) संघ करों व शुल्कों में राज्यांश	9,374.72	10,681.24	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	8,099.98	8,750.06
(iv) केंद्रीय प्रायोजित आयोजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	5,328.69	6,154.58	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,905.72	3,078.18
(v) वित्त आयोग अनुदान	8,738.16	7,431.53	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	2,438.86	2,510.85
(vi) विधानसभा वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान	875.30	135.50	सूचना एवं प्रसारण	51.46	50.34
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	53.17	54.50
			श्रम एवं श्रमिक कल्याण	336.62	315.89
			सामाजिक कल्याण एवं पोषण	3,407.58	3,084.46
			अन्य	29.52	43.81
			आर्थिक सेवाएं	**8,262.28**	**9,416.43**
			कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	2,545.30	2,574.81
			ग्रामीण विकास	1,282.55	1,943.55
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	449.75	410.00
			ऊर्जा	1,151.43	1,914.34
			उद्योग एवं खनिज	195.34	113.77
			परिवहन	2,453.12	2,269.09
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	8.44	8.72
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	176.35	182.15
			सहायता-अनुदान एवं अंशदान	**0.00**	**0.00**
II- राजस्व घाटा भाग-ख में ले जाया गया	**5,558.59**	**6,804.61**	**II-राजस्व अधिशेष भाग-ख में ले जाया गया**	**0.00**	**0.00**

विवरण	2023-24	2024-25	विवरण	2023-24	2024-25
भाग-ख: पूंजीगत					
III-स्थायी अग्रिम व नकद शेष सहित अथ नकद शेष	**3,556.04**	**1,500.44**	**III- भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त आरंभिक अधिविकर्ष**	**0.00**	**875.42**
IV- विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**2.20**	**0.00**	**IV- पूंजीगत परिव्यय**	**5,629.79**	**5,956.83**
			सामान्य सेवाएं	**356.71**	**328.35**
			सामाजिक सेवाएं	**1,743.61**	**1,918.29**
			शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	300.30	340.06
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	295.67	583.93
			जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,109.03	894.26
			सूचना एवं प्रसारण	0.47	0.80
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1.27	11.15
			समाज कल्याण एवं पोषण	35.96	88.09
			अन्य	0.91	0.00
			आर्थिक सेवाएं	**3,529.47**	**3,710.19**
			कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	7.58	42.14
			अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	24.56	30.25
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	385.47	388.53
			उर्जा	23.50	138.15
			उद्योग एवं खनिज	72.09	89.28
			परिवहन	2,680.41	2,663.49
			सामान्य आर्थिक सेवाएं	335.86	358.35
			कुल	**5,629.79**	**6,832.25**
V-ऋणों व अग्रिमों की वसूली	**27.40**	**184.64**	**V- ऋणों व अग्रिमों का संवितरण**	**106.95**	**34.25**
विद्युत परियोजनाओं से	0.00	154.28	विद्युत परियोजनाओं के लिए	98.35	27.40
सरकारी कर्मचारियों से	5.76	6.01	सरकारी कर्मचारियों के लिए	8.60	6.85
सहकारिता से	21.49	24.26	सहकारिता के लिए	0.00	0.00
अन्य से	0.15	0.09	अन्य के लिए	0.00	0.00
VI-घटा राजस्व अधिशेष	**0.00**	**0.00**	**VI- घाटा राजस्व अधिशेष**	**5,558.59**	**6,804.61**
VII- लोक ऋण प्राप्तियां	**14,901.51**	**26,622.16**	**VII- लोक ऋण कि अदायगी**	**7,895.87**	**18,168.81**
अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	8,871.99	8,225.77	**अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण**	3,407.87	3,869.10

विवरण	2023-24	2024-25	विवरण	2023-24	2024-25
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिम	4,380.37	15,874.70	अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष	4,380.37	14,222.28
केंद्र सरकार के ऋण व अग्रिम	1,649.15	2,521.69	केंद्र सरकार को ऋण व अग्रिम अदायगी	107.63	77.43
VIII- आकस्मिक निधि में विनियोजन	**0.00**	**0.00**	**VIII- आकस्मिक निधि में विनियोजन**	**0.00**	**0.00**
IX- आकस्मिक निधि में अंतरित राशि	**0.00**	**0.00**	**IX-आकस्मिक निधि से व्यय**	**0.00**	**0.00**
X- लोक लेखा प्राप्तियां	**20,989.36**	**19,772.99**	**X- लोक लेखा संवितरण**	**18,784.87**	**17,070.81**
लघु बचत व भविष्य निधि	4,794.75	5,167.31	लघु बचत व भविष्य निधि	3,139.42	3,637.50
आरक्षित निधि	1,645.78	1,553.51	आरक्षित निधि	1,300.73	953.84
निक्षेप व अग्रिम	4,071.13	4,121.65	निक्षेप व अग्रिम	4,033.64	3,737.59
उचंत व विविध	1,401.15	1474.30	उचंत व विविध	1,360.82	1,469.63
प्रेषण	9,076.55	7,456.22	प्रेषण	8,950.26	7,272.25
XI- भारतीय रिज़र्व बैंक से अंत अधिविकर्ष	**0.00**	**875.42**	**XI-अंत में नकद शेष**	**1,500.44**	**44.93**
			कोषागार व स्थानीय प्रेषण नकद	0.00	0.00
			स्थायी अग्रिम सहित विभागीय नकद शेष	0.19	0.19
			रिज़र्व बैंक में जमा	42.44	44.74
			नकद शेष निवेश	1,457.81	0.00
योग	**39,476.51**	**48,955.66**		**39,476.51**	**48,955.66**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित लेखे

परिशिष्ट - 1.3

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.5)

31 मार्च 2025 तक परिसंपत्तियों एवं देयता का सार

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 तक			31 मार्च 2025 तक
देयताएं			
61,439.29	**आंतरिक ऋण -**		**67,448.38**
	सब्याज बाज़ार ऋण	57,161.00	
	ब्याज रहित बाज़ार ऋण	0.06	
	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	10.08	
	अन्य संस्थानों से ऋण	8,624.82	
	अर्थोपाय अग्रिम	777.00	
	भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिविकर्ष	875.42	
8,929.83	केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम		**8,106.15**
	1984-85 से पूर्व ऋण	0.13	
	आयोजनेतर ऋण	0.71	
	राज्य की योजना के लिए ऋण	995.13	
	पूंजीगत निवेश हेतु ऋण के रूप में विशेष सहायता स्कीम	5,881.13	
	वस्तु एवं सेवा कर के बदले में एक के बाद एक ऋणों का भुगतान	1,144.28	
	अपरिपक्व ऋण	84.77	
5.00	**आकस्मिक निधि**		**5.00**
19,337.58	**लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि**		**20,867.39**
3,645.97	**निक्षेप**		**4,030.03**
2,279.77	**आरक्षित निधियां**		**2,879.44**
265.28	**उचंत एवं विविध शेष**		**269.95**
620.25	**प्रेषण शेष**		**804.23**
0	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**		**0.00**
0	**व्यय की तुलना में संचयी प्राप्ति आधिक्य**		**0.00**
96,522.97	**योग**		**1,04,410.57**
परिसंपत्तियां			
67,118.17	**चल परिसंपत्तियों पर पूंजीगत परिव्यय**		**73,075.00**
	कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	6,239.08	
	अन्य पूंजीगत परिव्यय	66,835.92	
8,132.18	**ऋण एवं अग्रिम**		**7,981.79**
	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	7,714.84	
	अन्य विकास ऋण	237.18	
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	29.77	

31 मार्च 2024 तक			31 मार्च 2025 तक
	अग्रिम		**0.00**
	प्रेषण शेष		**0.00**
	उचंत एवं विविध शेष		**0.00**
1,500.44	**नकद**		**44.93**
	कोषागार में नकदी एवं स्थानीय प्रेषण	0	
	भारतीय रिज़र्व बैंक में निक्षेप	44.74	
	विभागीय नकद शेष सहित	0.16	
	स्थायी नकद अग्रदाय	0.03	
	सुरक्षा जमा		
	निर्धारित निधियों का निवेश	0	
	नकद शेष निवेश	0	
19,772.18	**सरकारी लेखा में घाटा -**		**23,308.85**
	(i) चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष घटाएँ	0	
	(ii) आकस्मिक निधि में विनियोजन	0	
	वर्ष के प्रारंभ में संचित घाटा	96,522.97	
	आकस्मिक निधि		**0.00**
96,522.97	**योग**		**1,04,410.57**

परिशिष्ट - 2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.1)

बजट प्रावधान के बिना व्यय या पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान	लेखा शीर्ष	व्यय
दत्तमत			
1	03- न्याय प्रशासन	2014-00-105-03-S00N	0.00065
2	12- बागवानी	2401-00-109-31-C90N	0.36
3	14- पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन	2405-00-101-10-C80N	0.81
4		2405-00-101-10-S20N	0.20
5	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235-02-103-28-C00N	0.15
6	20-ग्रामीण विकास	2501-02-101-01-S00N	11.04
7	23-विद्युत विकास	4801-05-190-06-S00N	57.18
8		2801-80-800-07-C90N	352.18
9	25-सड़क एवं जल परिवहन	5055-00-050-03-S00N	11.08
10	31- जनजातीय विकास	2405-00-796-10-C80N	0.05
11		2405-00-796-10-S20N	0.01
12	32- अनुसूचित जाति उप योजना	2401-00-796-50-S10N	0.0041
13		2405-00-789-10-C80N	0.56
14		2405-00-789-10-S20N	0.14
प्रभारित			
15	03- न्याय प्रशासन	4059-01-051-15-S00N	4.75
16	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235-02-102-05-S00N	0.15
योग			**438.66**

परिशिष्ट - 2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.3)

अनावश्यक सिद्ध हुए अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) के मामले

क्र. स.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत
क. राजस्व (दत्तमत)					
1	06- आबकारी एवं कराधान	245.97	13.14	180.65	-65.32
2	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,738.28	81.54	2,669.02	-69.27
3	11- कृषि	410.41	33.88	346.05	-64.36
4	14-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन	483.36	27.68	469.83	-13.53
5	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	138.31	8.94	96.37	-41.94
6	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1,890.74	92.45	1,877.62	-13.13
7	31-जनजातीय विकास	2,018.40	161.06	1,678.37	-340.03
8	32-अनुसूचित जाति उप योजना	2,783.31	407.97	2,705.79	-77.51
कुल		**10,708.79**	**826.66**	**10,023.69**	**-685.10**
ख. पूंजीगत (दत्तमत)					
9	10-लोक निर्माण कार्य - सड़कें, पुल एवं भवन	1,445.30	456.11	1,259.12	-186.18
10	13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,024.47	194.59	648.71	-375.76
11	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	59.03	2.41	56.18	-2.85
12	31-जनजातीय विकास	538.17	9.59	282.13	-256.03
13	32-अनुसूचित जाति उप योजना	1,479.72	86.08	915.52	-564.20
कुल		**4,546.69**	**748.78**	**3,161.67**	**-1,385.02**
सकल योग		**15,255.48**	**1,575.44**	**13,185.36**	**-2,070.11**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 का विनियोजन लेखा

परिशिष्ट - 2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.3)

अत्यधिक सिद्ध हुए अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान (बचत)
क-राजस्व (दत्तमत)						
1	01-विधान सभा	45.22	6.38	51.59	50.94	-0.65
2	02- राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद	19.56	1.53	21.09	20.60	-0.49
3	03-न्याय प्रशासन	249.76	55.27	305.03	300.73	-4.30
4	04-सामान्य प्रशासन	240.12	24.46	264.57	247.65	-16.92
5	05-भू-राजस्व व ज़िला प्रशासन	1,536.07	538.04	2,074.11	1,921.49	-152.62
6	06- आबकारी एवं कराधान	245.97	13.14	259.11	180.65	-78.46
7	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,738.28	81.54	2,819.82	2,669.02	-150.81
8	11-कृषि	410.41	33.88	444.29	346.05	-98.24
9	12-बागवानी	380.82	23.06	403.88	381.12	-22.76
10	14-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन	483.36	27.68	511.04	469.83	-41.21
11	17-चुनाव	88.50	34.34	122.84	119.71	-3.12
12	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	138.31	8.94	147.25	96.37	-50.88
13	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1,890.74	92.45	1,983.20	1,877.62	-105.58
14	20-ग्रामीण विकास	1,738.03	421.72	2,159.75	1,867.21	-292.53
15	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	121.70	58.31	180.01	123.73	-56.28
16	25-सड़क एवं जल परिवहन	202.99	233.72	436.71	419.56	-17.15
17	26-पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	29.09	94.10	123.19	114.23	-8.96
18	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	331.11	61.66	392.77	360.97	-31.80

क्र. स.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान (बचत)
19	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन एवं आवास	529.88	116.75	646.63	622.77	-23.86
20	29-वित्त	10,316.11	765.27	11,081.38	10,781.15	-300.24
21	30-विविध सामान्य सेवाएं	94.30	22.10	116.40	109.36	-7.04
22	31-जनजातीय विकास	2,018.40	161.06	2,179.46	1,678.37	-501.09
23	32-अनुसूचित जाति उप योजना	2,783.31	407.97	3,191.28	2,705.79	-485.48
योग		**26,632.03**	**3,283.37**	**29,915.40**	**27,464.91**	**-2,450.49**
ख-पूंजीगत (दत्तमत)						
24	03-न्याय प्रशासन	5.06	31.11	36.17	35.08	-1.09
25	05-भू-राजस्व एवं ज़िला प्रशासन	4.50	21.00	25.50	20.44	-5.06
26	07-पुलिस एवं संबंद्ध संगठन	61.74	31.75	93.49	65.41	-28.08
27	08-शिक्षा	95.71	88.58	184.29	139.79	-44.50
28	10-लोक निर्माण कार्य - सड़कें, पुल एवं भवन	1,445.30	456.11	1,901.41	1,259.12	-642.29
29	11-कृषि	46.67	1.40	48.07	46.84	-1.23
30	12-बागवानी	6.59	5.00	11.59	11.48	-0.11
31	13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,024.47	194.59	1,219.06	648.71	-570.35
32	14-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन	10.87	13.40	24.27	20.71	-3.56
33	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	9.67	80.39	90.06	84.66	-5.40
34	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	24.36	92.48	116.84	99.09	-17.75
35	23-विद्युत विकास	32.76	207.23	239.99	161.80	-78.19
36	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	59.03	2.41	61.44	56.18	-5.26
37	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन एवं आवास	52.40	131.37	183.77	174.69	-9.08

क्र. स.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान (बचत)
38	30-विविध सामान्य सेवाएं	22.63	44.99	67.62	67.06	-0.56
39	31-जनजातीय विकास	538.17	9.59	547.75	282.13	-265.62
40	32-अनुसूचित जाति उप योजना	1,479.72	86.08	1,565.80	915.52	-650.28
योग		**4,919.65**	**1,497.48**	**6,417.13**	**4,088.72**	**-2,328.41**
ग. राजस्व (प्रभारित)						
41	03-न्याय प्रशासन	63.33	7.25	70.59	70.49	-0.10
42	08-शिक्षा	0.00	13.60	13.60	13.39	-0.21
43	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	3.47	3.47	0.91	-2.56
44	10-लोक निर्माण कार्य - सड़कें, पुल एवं भवन	0.00	1.49	1.49	0.59	-0.90
45	13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	0.00	1.89	1.89	1.86	-0.03
46	29-वित्त	6,255.34	10.96	6,266.30	6,261.20	-5.10
47	31-जनजातीय विकास	0.00	2.54	2.54	2.48	-0.06
योग		**6,318.68**	**41.20**	**6,359.88**	**6,350.93**	**-8.95**
घ. पूंजीगत (प्रभारित)						
48	13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	0.00	22.87	22.87	19.60	-3.28
अनुदान योग		**37,870.36**	**4,844.92**	**42,715.28**	**37,924.15**	**-4,791.13**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 का विनियोजन लेखा

परिशिष्ट - 2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.4)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निधियों का अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान की संख्या/नाम व लेखा शीर्ष	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत (-)/ अधिक (+)
पुनर्विनियोजन आदेशों के माध्यम से प्रावधान में कटौती, जो कि अधिक व्यय सिद्ध हुआ							
09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (दत्तमत)							
1	4210-03-105-08-S00N	6.60	27.00	-0.99	32.61	42.38	9.77
31-जनजातीय विकास (दत्तमत)							
2	2230-02-796-01-S00N	0.73	0.00	-0.01	0.72	0.78	0.06
प्रावधानों में वृद्धि करना अनुचित सिद्ध हुआ							
05-भू-राजस्व एवं ज़िला प्रशासन (दत्तमत)							
3	2029-00-103-01-S00N	2.05	5.99	3.40	11.43	5.97	-5.46
4	2053-00-093-01-S00N	193.31	0.00	1.58	194.89	186.94	-7.94
07-पुलिस एवं संबद्ध संगठन (दत्तमत)							
5	2055-00-101-01-S00N	63.01	0.00	2.26	65.27	59.23	-6.04
6	2055-00-109-01-S00N	790.29	0.00	10.73	801.02	742.22	-58.79
08-शिक्षा (दत्तमत)							
7	2202-01-001-01-S00N	20.46	0.00	1.42	21.88	18.40	-3.48
8	4202-01-202-01-S00N	21.06	76.87	4.14	102.07	60.60	-41.47
09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (दत्तमत)							
9	2210-05-105-13-S00N	74.30	0.00	7.81	82.11	74.21	-7.90
10	4210-03-105-01-S00N	11.86	42.43	3.35	57.64	48.34	-9.30
10-लोक निर्माण कार्य - सड़कें, पुल एवं भवन (दत्तमत)							
11	3054-04-105-02-S00N	265.84	0.00	7.68	273.52	248.97	-24.55
12	3054-80-001-01-S00N	57.50	0.00	2.27	59.78	54.15	-5.62
13	5054-04-337-02-S00N	207.31	48.09	42.50	297.90	194.19	-103.71
14	5054-04-337-17-S00N	3.50	2.80	12.00	18.30	2.80	-15.50
13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (दत्तमत)							
15	4215-01-102-24-S00N	65.81	71.62	3.19	140.62	105.65	-34.97
16	4711-01-103-02-S00N	2.95	0.00	1.11	4.06	2.49	-1.57
27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण (दत्तमत)							
17	2230-02-101-09-S00N	0.00	3.68	5.29	8.97	2.01	-6.96
18	2230-03-003-09-S00N	35.54	0.00	2.91	38.45	23.72	-14.73
28-शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन एवं आवास (दत्तमत)							
19	2217-80-191-68-C90N	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-2.00
29-वित्त (दत्तमत)							
20	2071-01-101-03-S00N	5,846.11	364.17	45.84	6,256.12	6,129.86	-126.27
31-जनजातीय विकास (दत्तमत)							
21	2251-00-796-07-C00N	0.01	0.00	1.25	1.26	0.00	-1.26
22	3054-04-796-03-S00N	27.51	0.00	1.22	28.73	20.86	-7.87
23	4059-01-796-02-S00N	5.50	0.00	1.72	7.22	4.26	-2.95

क्र.स.	अनुदान की संख्या/नाम व लेखा शीर्ष	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत (-)/ अधिक (+)
24	4215-02-796-01-S00N	1.10	0.00	4.41	5.51	0.06	-5.45
25	4702-00-796-02-S00N	0.85	3.58	3.81	8.24	3.12	-5.13
26	4702-00-796-06-S00N	6.00	0.00	1.83	7.83	4.91	-2.92
27	5054-04-796-01-S00N	28.35	3.50	6.30	38.15	28.13	-10.03
28	5054-04-796-14-S00N	0.45	0.00	10.93	11.38	0.21	-11.17
32-अनुसूचित जाति उप योजना (दत्तमत)							
29	2202-01-789-28-C90N	0.00	31.07	3.04	34.11	26.32	-7.79
30	2210-05-789-08-S00N	1.90	0.00	1.25	3.15	0.22	-2.93
31	2225-01-789-18-A00N	0.00	0.00	2.02	2.02	0.00	-2.02
32	2235-02-789-28-S00N	49.64	0.00	1.98	51.62	47.11	-4.51
33	4701-21-789-01-C90N	0.01	0.56	1.15	1.73	0.00	-1.73
कुल योग		**7,789.55**	**681.36**	**199.39**	**8,670.30**	**8,138.12**	**-532.18**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 के विनियोजन लेखे

परिशिष्ट - 2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.5)

वर्ष 2024-25 के दौरान अभ्यर्पण के बाद बड़ी बचत (*₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान*

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम व संख्या	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित	बचत (अभ्यर्पण पश्चात)
क- राजस्व (दत्तमत)						
1	05-भू-राजस्व एवं ज़िला प्रशासन	2,074.11	1,921.49	-152.62	-3.79	-148.83
2	08-शिक्षा	8,671.62	8,026.94	-644.69	-542.79	-101.90
3	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,819.82	2,669.02	-150.81	-37.03	-113.77
4	10-लोक निर्माण कार्य - सड़कें, पुल एवं भवन	3,126.48	2,382.15	-744.34	-293.70	-450.63
5	13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2,917.98	2,399.44	-518.54	-288.89	-229.65
6	20-ग्रामीण विकास	2,159.75	1,867.21	-292.53	0.00	-292.53
7	29-वित्त	11,081.38	10,781.15	-300.24	-1.90	-298.33
8	31-जनजातीय विकास	2,179.46	1,678.37	-501.09	-23.03	-478.06
9	32-अनुसूचित जाति उप योजना	3,191.28	2,705.79	-485.48	0.00	-485.48
योग		**38,221.89**	**34,431.55**	**-3,790.34**	**-1,191.14**	**-2,599.20**
ख-पूंजीगत (दत्तमत)						
10	10-लोक निर्माण कार्य - सड़कें, पुल एवं भवन	1,901.41	1,259.12	-642.29	0.00	-642.29
11	13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,219.06	648.71	-570.35	-31.83	-538.52
12	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	699.62	271.44	-428.18	0.00	-428.18
13	31-जनजातीय विकास	547.75	282.13	-265.62	-58.48	-207.14
14	32-अनुसूचित जाति उप योजना	1,565.80	915.52	-650.28	-57.74	-592.54
योग		**5,933.65**	**3,376.92**	**-2,556.72**	**-148.05**	**-2,408.67**
सकल योग		**44,155.53**	**37,808.48**	**-6,347.06**	**-1,339.19**	**-5,007.87**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 के विनियोजन लेखे

परिशिष्ट - 2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.5)

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निरंतर बचतों वाले अनुदान (₹ 100 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या /विभाग का नाम	बचत		
		2022-23	2023-24	2024-255
राजस्व (दत्तमत)				
1	8-शिक्षा	-121.60	-800.57	-644.69
2	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-207.53	-187.28	-150.81
3	10-लोक निर्माण कार्य - सड़कें, पुल एवं भवन	-552.77	-677.67	-744.34
4	20-ग्रामीण विकास	-120.02	-483.20	-292.54
5	31-जनजातीय विकास	-206.93	-328.64	-501.09
6	32-अनुसूचित जाति उप योजना	-193.90	-309.43	-485.49
पूंजीगत (दत्तमत)				
7	32-अनुसूचित जाति उप योजना	-321.78	-383.05	-650.28

स्रोत: सम्बंधित वर्षो के विनियोजन लेखे

परिशिष्ट - 2.7

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.5)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बजट एवं बचत के उपयोग का अनुदान-वार प्रतिशत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	उपयोग का प्रतिशत	उपयोग की सीमा (प्रतिशत)
1	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	776.10	329.12	-446.98	42.41	70 तक
2	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	180.11	123.82	-56.29	68.75	
3	06-आबकारी एवं कराधान	262.11	183.29	-78.82	69.93	
योग		**1,218.31**	**636.22**	**-582.09**	**52.22**	
4	31-जनजातीय विकास	2,729.75	1,962.99	-766.76	71.91	70 से 90
5	10-लोक निर्माण कार्य - सड़कें, पुल एवं भवन	5,029.38	3,641.86	-1,387.53	72.41	
6	13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	4,161.81	3,069.61	-1,092.20	73.76	
7	32-अनुसूचित जाति उप योजना	4,757.07	3,621.31	-1,135.76	76.12	
8	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	241.07	184.79	-56.28	76.65	
9	11-कृषि	492.36	392.89	-99.47	79.80	
10	24-प्रिंटिंग व स्टेशनरी	30.09	24.37	-5.72	81.00	
11	20-ग्रामीण विकास	2,173.54	1,878.89	-294.64	86.44	
योग		**19,615.08**	**14,776.71**	**-4,838.37**	**75.33**	
12	14-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन	535.32	490.55	-44.77	91.64	90 से 100
13	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	454.21	417.15	-37.06	91.84	
14	08-शिक्षा	8,869.51	8,180.11	-689.40	92.23	
15	05-भू-राजस्व एवं ज़िला प्रशासन	2,099.61	1,941.94	-157.67	92.49	
16	07-पुलिस एवं संबद्ध संगठन	1,862.08	1,744.81	-117.27	93.70	
17	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2,100.61	1,977.02	-123.59	94.12	
18	12-बागवानी	415.47	392.60	-22.87	94.49	
19	30-विविध सामान्य सेवाएं	184.02	176.41	-7.60	95.87	
20	02-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद	30.15	28.91	-1.24	95.89	
21	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन एवं आवास	830.75	797.46	-33.29	95.99	
22	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,314.69	3,188.88	-125.81	96.20	
23	21-सहकारिता	48.03	46.57	-1.46	96.96	

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	उपयोग का प्रतिशत	उपयोग की सीमा (प्रतिशत)
24	17-चुनाव	126.59	123.46	-3.12	97.53	
25	03-न्याय प्रशासन	411.79	411.05	-0.74	99.82	
योग		**21,282.82**	**19,916.91**	**-1,365.91**	**93.58**	
26	25-सड़क एवं जल परिवहन	1,092.81	1,104.66	11.85	101.08	100 से अधिक
27	16-वन एवं वन्य जीव	810.16	836.24	26.08	103.22	
28	04-सामान्य प्रशासन	346.70	365.45	18.75	105.41	
29	26-पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	716.87	756.01	39.14	105.46	
30	29-वित्त	32,970.48	35,214.67	2,244.19	106.81	
31	01-विधान सभा	85.21	97.57	12.37	114.52	
32	23-विद्युत विकास	1,337.08	1,620.57	283.48	121.20	
योग		**37,359.31**	**39,995.18**	**2,635.87**	**107.06**	

स्रोत: वित वर्ष 2024-25 के विनियोजन लेखे

परिशिष्ट - 2.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.5)

अभ्यर्पित न की गई बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम व संख्या	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पित न की गई राशि	अभ्यर्पित राशि
1	01-विधान सभा (राजस्व-दत्तमत)	45.22	6.38	51.59	50.94	-0.65	-0.65	0.00
2	02-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद (राजस्व-प्रभारित)	9.06	0.00	9.06	8.31	-0.75	-0.03	-0.72
3	02-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद (राजस्व-दत्तमत)	19.56	1.53	21.09	20.60	-0.49	-0.42	-0.06
4	03-न्याय प्रशासन (पूंजीगत-दत्तमत)	5.06	31.11	36.17	35.08	-1.09	-1.09	0.00
5	03-न्याय प्रशासन (राजस्व-प्रभारित)	63.33	7.25	70.59	70.49	-0.10	-0.10	0.00
6	03-न्याय प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	249.76	55.27	305.03	300.73	-4.30	-4.10	-0.20
7	04-सामान्य प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	240.12	24.46	264.57	247.65	-16.92	-14.73	-2.20
8	05-भू-राजस्व एवं ज़िला प्रशासन (पूंजीगत-दत्तमत)	4.50	21.00	25.50	20.44	-5.06	-5.06	0.00
9	05-भू-राजस्व एवं ज़िला प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	1,536.07	538.04	2,074.11	1,921.49	-152.62	-148.83	-3.79
10	06-आबकारी एवं कराधान (पूंजीगत-दत्तमत)	3.00	0.00	3.00	2.64	-0.36	-0.36	0.00
11	06-आबकारी एवं कराधान (राजस्व-दत्तमत)	245.97	13.14	259.11	180.65	-78.46	-66.99	-11.47
12	07-पुलिस एवं संबद्ध संगठन (पूंजीगत-दत्तमत)	61.74	31.75	93.49	65.41	-28.08	-22.39	-5.70
13	07-पुलिस एवं संबद्ध संगठन (राजस्व-दत्तमत)	1,761.43	0.00	1,761.43	1,672.23	-89.19	-7.83	-81.36
14	08-शिक्षा (पूंजीगत-दत्तमत)	95.71	88.58	184.29	139.79	-44.50	-44.50	0.00
15	08-शिक्षा (राजस्व-प्रभारित)	0.00	13.60	13.60	13.39	-0.21	-0.21	0.00

क्र. सं.	अनुदान का नाम व संख्या	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पित न की गई राशि	अभ्यर्पित राशि
16	08-शिक्षा (राजस्व-दत्तमत)	8,671.62	0.00	8,671.62	8,026.94	-644.69	-101.90	-542.79
17	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व-प्रभारित)	0.00	3.47	3.47	0.91	-2.56	-2.56	0.00
18	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	2,738.28	81.54	2,819.82	2,669.02	-150.81	-113.77	-37.03
19	10-लोक निर्माण कार्य - सड़कें, पुल एवं भवन(पूंजीगत-दत्तमत)	1,445.30	456.11	1,901.41	1,259.12	-642.29	-642.29	0.00
20	10-लोक निर्माण कार्य - सड़कें, पुल एवं भवन(राजस्व-प्रभारित)	0.00	1.49	1.49	0.59	-0.90	-0.90	0.00
21	10-लोक निर्माण कार्य - सड़कें, पुल एवं भवन(राजस्व-दत्तमत)	3,126.48	0.00	3,126.48	2,382.15	-744.34	-450.63	-293.70
22	11-कृषि (पूंजीगत-दत्तमत)	46.67	1.40	48.07	46.84	-1.23	-0.58	-0.65
23	11-कृषि (राजस्व-दत्तमत)	410.41	33.88	444.29	346.05	-98.24	-81.63	-16.60
24	12-बागवानी (पूंजीगत-दत्तमत)	6.59	5.00	11.59	11.48	-0.11	-0.11	0.00
25	12-बागवानी (राजस्व-दत्तमत)	380.82	23.06	403.88	381.12	-22.76	-22.76	0.00
26	13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (पूंजीगत-प्रभारित)	0.00	22.87	22.87	19.60	-3.28	-3.28	0.00
27	13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता(पूंजीगत-दत्तमत)	1,024.47	194.59	1,219.06	648.71	-570.35	-538.52	-31.83
28	13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व-प्रभारित)	0.00	1.89	1.89	1.86	-0.03	-0.03	0.00
29	13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व-दत्तमत)	2,917.98	0.00	2,917.98	2,399.44	-518.54	-229.65	-288.89

क्र. सं.	अनुदान का नाम व संख्या	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पित न की गई राशि	अभ्यर्पित राशि
30	14-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन (पूंजीगत-दत्तमत)	10.87	13.40	24.27	20.71	-3.56	-3.54	-0.02
31	14-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन(राजस्व-दत्तमत)	483.36	27.68	511.04	469.83	-41.21	-31.28	-9.93
32	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (पूंजीगत-दत्तमत)	699.62	0.00	699.62	271.44	-428.18	-428.18	0.00
33	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (राजस्व-दत्तमत)	76.48	0.00	76.48	57.68	-18.80	-6.80	-12.00
34	16-वन एवं वन्य जीव (पूंजीगत-दत्तमत)	7.20	0.00	7.20	2.82	-4.38	-2.97	-1.41
35	17-चुनाव (राजस्व-दत्तमत)	88.50	34.34	122.84	119.71	-3.12	-1.67	-1.46
36	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी (पूंजीगत-दत्तमत)	9.67	80.39	90.06	84.66	-5.40	-5.34	-0.06
37	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व-दत्तमत)	138.31	8.94	147.25	96.37	-50.88	-24.06	-26.82
38	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (पूंजीगत-दत्तमत)	24.36	92.48	116.84	99.09	-17.75	-16.75	-1.00
39	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (राजस्व-प्रभारित)	0.00	0.57	0.57	0.31	-0.26	-0.26	0.00
40	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (राजस्व-दत्तमत)	1,890.74	92.45	1,983.20	1,877.62	-105.58	-54.02	-51.57
41	20-ग्रामीण विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	13.65	0.00	13.65	11.54	-2.11	-2.11	0.00
42	20-ग्रामीण विकास (राजस्व-दत्तमत)	1,738.03	421.72	2,159.75	1,867.21	-292.53	-292.53	0.00

क्र. सं.	अनुदान का नाम व संख्या	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पित न की गई राशि	अभ्यर्पित राशि
43	21-सहकारिता (राजस्व-दत्तमत)	48.01	0.00	48.01	46.57	-1.44	-1.38	-0.06
44	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (राजस्व-दत्तमत)	121.70	58.31	180.01	123.73	-56.28	-54.89	-1.39
45	23-विद्युत विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	32.76	207.23	239.99	161.80	-78.19	-78.19	0.00
46	24-प्रिंटिंग व स्टेशनरी (पूंजीगत-दत्तमत)	3.75	0.00	3.75	0.00	-3.75	0.00	-3.75
47	24-प्रिंटिंग व स्टेशनरी(राजस्व-दत्तमत)	26.34	0.00	26.34	24.37	-1.97	0.00	-1.96
48	25-सड़क एवं जल परिवहन (राजस्व-दत्तमत)	202.99	233.72	436.71	419.56	-17.15	-16.34	-0.81
49	26-पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन (राजस्व-दत्तमत)	29.09	94.10	123.19	114.23	-8.96	-8.49	-0.47
50	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण (पूंजीगत-दत्तमत)	59.03	2.41	61.44	56.18	-5.26	-5.26	0.00
51	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण (राजस्व-दत्तमत)	331.11	61.66	392.77	360.97	-31.80	-29.05	-2.75
52	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन एवं आवास (पूंजीगत-प्रभारित)	0.00	0.35	0.35	0.00	-0.35	-0.35	0.00
53	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन एवं आवास (पूंजीगत-दत्तमत)	52.40	131.37	183.77	174.69	-9.08	-8.85	-0.23
54	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन एवं आवास (राजस्व-दत्तमत)	529.88	116.75	646.63	622.77	-23.86	-23.86	0.00
55	29-वित्त (पूंजीगत-दत्तमत)	6.63	0.00	6.63	3.52	-3.11	-0.08	-3.03
56	29-वित्त (राजस्व-प्रभारित)	6,255.34	10.96	6,266.30	6,261.20	-5.10	-5.10	0.00
57	29-वित्त (राजस्व-दत्तमत)	10,316.11	765.27	11,081.38	10,781.15	-300.24	-298.33	-1.90

क्र. सं.	अनुदान का नाम व संख्या	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पित न की गई राशि	अभ्यर्पित राशि
58	30-विविध सामान्य सेवाएं (पूंजीगत-दत्तमत)	22.63	44.99	67.62	67.06	-0.56	-0.55	-0.01
59	30-विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व-दत्तमत)	94.30	22.10	116.40	109.36	-7.04	-6.76	-0.28
60	31-जनजातीय विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	538.17	9.59	547.75	282.13	-265.62	-207.14	-58.48
61	31-जनजातीय विकास (राजस्व-प्रभारित)	0.00	2.54	2.54	2.48	-0.06	-0.06	0.00
62	31-जनजातीय विकास (राजस्व-दत्तमत)	2,018.40	161.06	2,179.46	1,678.37	-501.09	-478.06	-23.03
63	32-अनुसूचित जाति उप योजना (पूंजीगत-दत्तमत)	1,479.72	86.08	1,565.80	915.52	-650.28	-592.54	-57.74
64	32-अनुसूचित जाति उप योजना (राजस्व-दत्तमत)	2,783.31	407.97	3,191.28	2,705.79	-485.48	-485.48	0.00
कुल योग		**55,241.60**	**4,845.84**	**60,087.45**	**52,834.10**	**-7,253.34**	**-5,676.18**	**-1,577.17**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 के विनियोजन लेखे

परिशिष्ट - 2.9

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.6)

बिना व्यय वाली स्कीमें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या व विभाग का नाम	लेखा शीर्ष व नई स्कीम का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
1	32-अनुसूचित जाति उप योजना	5053-02-789-02-हवाई अड्डों/हेलीपोर्टों का विकास	280.77	0
2	20-ग्रामीण विकास	2515-00-198-07- 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र का ग्राम पंचायत को अनुदान	71.34	0
3	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235-60-800-06- वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि के पेंशनभोगी	60.00	0
4	23-विद्युत विकास	4801-01-190-09- एच.पी.एस.ई.बी. लिमिटेड में इक्विटी योगदान।	52.73	0
5	31-जनजातीय विकास	4702-00-796-10- प्रधानमंत्री सिंचाई योजना-हर खेत को पानी	34.24	0
6	31-जनजातीय विकास	2251-00-796-10- जीवंत ग्राम कार्यक्रम	26.50	0
7	20-ग्रामीण विकास	2505-01-702-06- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	25.67	0
8	06-आबकारी एवं कराधान	2040-00-101-03- गोवंश के लिए पशुपालन विभाग को सहायता	24.57	0
9	31-जनजातीय विकास	4702-00-796-08- लघु सिंचाई योजना पर व्यय (ए.आई.बी.पी.)	20.50	0
10	31-जनजातीय विकास	4225-02-796-03-अधोसंरचना का विकास	18.55	0
11	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	4235-02-104-01-सी सुख आश्रय भवन का निर्माण	16.45	0
12	20-ग्रामीण विकास	2515-00-197-08- 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायत समितियों को स्वास्थ्य सहायता	15.29	0
13	20-ग्रामीण विकास	2501-06-800-11- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान	14.00	0
14	16-वन एवं वन्य जीव	2406-01-102-42- भारत का राष्ट्रीय हरित मिशन	12.50	0
योग			**673.11**	**0**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 के विनियोजन लेखे

परिशिष्ट - 2.10

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.6)

संशोधित परिव्यय में पूर्ण बजट राशि वापस कर दी जाने वाली स्कीमें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम**	**लेखा शीर्ष व स्कीम का नाम**	**बजट प्रावधान**	**व्यय**
1	29-वित्त	2049-01-101-89- हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण (नया ऋण)	408.45	0
2	19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235-60-800-06- वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि के पेंशनभोगी	60.00	0
3	31-जनजातीय विकास	4702-00-796-10-प्रधानमंत्री सिंचाई योजना -हर खेत को पानी	34.24	0
4	31-जनजातीय विकास	2251-00-796-10-जीवंत ग्राम कार्यक्रम	26.50	0
5	20-ग्रामीण विकास	2505-01-702-06- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	25.67	0
6	31-जनजातीय विकास	4702-00-796-08- लघु सिंचाई योजना (ए.आई.बी.पी.) पर व्यय	20.50	0
7	16-वन एवं वन्य जीव	2406-01-102-42- हरित भारत पर राष्ट्रीय मिशन	12.50	0
योग			**587.86**	**0**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 के विनियोजन लेखे

परिशिष्ट - 2.11

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.7)

उप-शीर्ष (₹ एक करोड़ से ज्यादा) जहां संपूर्ण व्यय 2025 के मार्च माह में किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	बजट का प्रकार	मार्च माह के दौरान वास्तविक व्यय
1	01	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-01-700-16	विधान सभा के लिए आवासीय भवन	दत्तमत	40.06
2	05	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2245-80-102-01	आपदाग्रस्त क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा से निपटने की आकस्मिक योजनाओं पर व्यय	दत्तमत	6.82
3	06	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-01-106-08	आबकारी एवं कराधान के लिए आवासीय भवन	दत्तमत	1.92
4	06	राज्य उत्पाद शुल्क	2039-00-800-01	दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता राशि उपकर के रूप में एकत्र करना	दत्तमत	75.17
5	06	बिक्री, व्यापार आदि पर कर।	2040-00-101-04	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 108-एम्बुलेंस सेवाएं सहकारिता	दत्तमत	9.34
6	09	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	4210-01-110-03	दंत स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत विकास कार्य	दत्तमत	1.00
7	09	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	4210-03-101-03	राष्ट्रीय आयुष मिशन	दत्तमत	13.48
8	09	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	4210-03-105-12	राष्ट्रीय राजकोष स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम	दत्तमत	7.02
9	09	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	4210-03-105-14	नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना	दत्तमत	10.00
10	09	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2210-01-102-01	कर्मचारी राज्य बीमा योजना (अस्पताल व औषधालय)	दत्तमत	2.97
11	09	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2210-05-101-05	राष्ट्रीय आयुष मिशन	दत्तमत	14.48
12	09	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2210-06-200-07	मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष	दत्तमत	2.50
13	10	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-01-051-38	मध्यस्थता मामलों का भुगतान (भवन)	दत्तमत	19.57

क्र.सं.	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	बजट का प्रकार	मार्च माह के दौरान वास्तविक व्यय
14	11	फसल प्रबंधन पर पूंजीगत परिव्यय	4401-00-102-01	प्राकृतिक रूप से उगाए गए (रसायन मुक्त) खाद्य अनाजों की खरीद	दत्तमत	1.40
15	11	फसल प्रबंधन	2401-00-109-30	बीज व रोपण सामग्री पर उप-मिशन	दत्तमत	2.78
16	12	फसल प्रबंधन	2401-00-119-56	बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन	दत्तमत	9.72
17	13	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4701-20-800-02	अन्य व्यय	दत्तमत	9.97
18	13	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4701-21-800-01	नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना	दत्तमत	3.40
19	14	पशुपालन	2403-00-101-16	मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक इकाई	दत्तमत	3.33
20	14	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4405-00-101-07	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	दत्तमत	10.00
21	17	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-01-051-40	ईवीएमएस और वीवीपीएटी के भंडारण के लिए गोदामों का निर्माण	दत्तमत	1.75
22	18	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2851-00-102-32	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण - आत्मनिर्भर भारत	दत्तमत	2.77
23	19	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4235-02-102-05	भवनों का निर्माण	दत्तमत	87.36
24	19	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-02-102-31	आंगनवाड़ी सेवा योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण	दत्तमत	1.22
25	19	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-02-102-32	आंगनवाड़ी-सह-क्रेच	दत्तमत	2.97
26	23	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801-05-190-06	हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचपीपीसीएल)	दत्तमत	57.18
27	23	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801-01-190-13	हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (हिमुर्जा)	दत्तमत	3.74
28	23	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801-05-190-02	हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचपी एसइबीएल)	दत्तमत	34.90
29	23	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801-05-190-03	हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचपीपीटीसीएल)	दत्तमत	37.33

क्र.सं.	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	बजट का प्रकार	मार्च माह के दौरान वास्तविक व्यय
30	25	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	5055-00-050-03	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भवनों का निर्माण	दत्तमत	11.08
31	25	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	5055-00-050-12	ड्राइविंग प्रशिक्षण परीक्षण ट्रैक का निर्माण	दत्तमत	10.00
32	28	शहरी विकास	2217-80-191-51	पार्किंग का निर्माण	दत्तमत	18.61
33	28	शहरी विकास	2217-80-191-54	नगर निगम को पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए अनुदान	दत्तमत	29.08
34	28	शहरी विकास	2217-80-191-62	15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगर निगम को स्वास्थ्य अनुदान	दत्तमत	1.81
35	28	शहरी विकास	2217-80-192-04	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे)	दत्तमत	2.00
36	28	शहरी विकास	2217-80-192-27	15वें वित्त आयोग के तहत नगर पालिकाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान	दत्तमत	1.76
37	29	ब्याज भुगतान	2049-01-101-71	हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2016 (एस.डी.एल. 8.96% 2024) 8.5%	दत्तमत	6.72
38	29	ब्याज भुगतान	2049-01-101-M5	7.39% हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2034	दत्तमत	36.95
39	29	ब्याज भुगतान	2049-01-101-M6	7.41% हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2036	दत्तमत	44.46
40	29	ब्याज भुगतान	2049-01-101-M7	7.52% हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2039	दत्तमत	50.53
41	29	ब्याज भुगतान	2049-01-101-M8	7.45% हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2044	दत्तमत	37.25
42	29	ब्याज भुगतान	2049-01-101-M9	7.47% हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2033	दत्तमत	26.15
43	29	ब्याज भुगतान	2049-01-101-N1	7.44% हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2034	दत्तमत	18.60
44	29	ब्याज भुगतान	2049-01-101-N2	7.46% हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2036	दत्तमत	26.11

क्र.सं.	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	बजट का प्रकार	मार्च माह के दौरान वास्तविक व्यय
45	29	ब्याज भुगतान	2049-01-101-N3	7.35% हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2034	दत्तमत	18.38
46	29	ब्याज भुगतान	2049-01-101-N4	7.25% हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2033	दत्तमत	18.13
47	29	ब्याज भुगतान	2049-01-101-N5	7.22% हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार सुरक्षा 2039	दत्तमत	25.27
48	29	ब्याज भुगतान	2049-01-200-05	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	दत्तमत	8.22
49	29	ब्याज भुगतान	2049-05-105-02	कैम्पा फंड पर अर्जित ब्याज	दत्तमत	76.86
50	29	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	6003-00-108-02	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	दत्तमत	25.10
51	30	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059-01-051-35	राज्य सूचना आयोग भवन का निर्माण	दत्तमत	1.00
52	31	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202-01-796-07	राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल	दत्तमत	2.03
53	31	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202-02-796-02	पॉलिटेक्निक भवन	दत्तमत	2.00
54	31	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4217-01-796-01	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड में इक्विटी/निवेश	दत्तमत	5.40
55	31	सामान्य शिक्षा	2202-03-796-08	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	दत्तमत	1.95
56	31	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2210-04-796-06	आयुष	दत्तमत	1.05
57	31	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2210-06-796-22	मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष	दत्तमत	1.00
58	31	लोक निर्माण	2059-80-796-06	वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव प्रावधान	दत्तमत	3.48
59	31	जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215-01-796-09	वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव प्रावधान	दत्तमत	13.21
60	31	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-02-796-13	अल्पसंख्यकों के लिए बहु पक्षीय विकास कार्यक्रम	दत्तमत	5.56

क्र.सं.	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	बजट का प्रकार	मार्च माह के दौरान वास्तविक व्यय
61	32	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4701-20-789-04	फिना सिंह परियोजना	दत्तमत	3.36
62	32	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	4403-00-789-02	भवन (पशु चिकित्सा और पशु स्वास्थ्य)	दत्तमत	1.84
63	32	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210-02-789-03	दंत स्वास्थ्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	दत्तमत	1.00
64	32	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210-03-789-10	राष्ट्रीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम	दत्तमत	6.42
65	32	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210-04-789-01	भवन	दत्तमत	2.49
66	32	विदयुत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801-01-789-05	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इक्विटी योगदान	दत्तमत	1.25
67	32	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059-01-789-05	भवन (जेल विभाग)	दत्तमत	2.50
68	32	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059-01-789-09	संयुक्त कार्यालय भवनों और मिनी सचिवालय का निर्माण	दत्तमत	6.00
69	32	फसल पालन	2401-00-789-38	बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन	दत्तमत	3.16
70	32	फसल पालन	2401-00-789-48	बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन	दत्तमत	1.08
71	32	सामान्य शिक्षा	2202-03-789-05	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	दत्तमत	3.70
72	32	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2210-04-789-03	मौजूदा आयुष संस्थानों का उन्नयन	दत्तमत	2.24
73	32	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2210-06-789-06	मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष	दत्तमत	1.50
योग						**1,040.44**

स्रोत: वित्त वर्ष 2024-25 के विनियोजन लेखे

परिशिष्ट - 2.12

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5.7)

2024-25 के दौरान सभी मुख्य शीर्षों के लिए तिमाही-वार व्यय

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	वर्ष 2024-25 में आवंटन	व्यय					वर्ष 2024-25 में कुल व्यय	चतुर्थ तिमाही में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय	मार्च 2025 में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय
				प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च माह में			
1	01	विधान सभा	85.21	15.58	12.66	14.47	54.87	46.45	97.57	56.23	47.61
2	02	राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद	30.15	5.42	7.79	6.71	8.98	5.02	28.91	31.06	17.37
3	03	न्याय प्रशासन	411.79	113.37	104.22	90.01	103.46	50.81	411.05	25.17	12.36
4	04	सामान्य प्रशासन	346.70	66.86	82.91	80.75	134.93	79.95	365.45	36.92	21.88
5	05	भू-राजस्व एवं ज़िला प्रशासन	2,099.61	221.27	628.31	565.54	526.81	317.65	1,941.94	27.13	16.36
6	06	आबकारी एवं कराधान	262.11	20.97	24.94	18.99	118.39	104.37	183.29	64.59	56.95
7	07	पुलिस एवं संबद्ध संगठन	1,862.08	448.45	422.92	407.02	466.43	192.18	1,744.81	26.73	11.01
8	08	शिक्षा	8,869.51	1,796.65	2,060.70	2,006.66	2,316.09	939.99	8,180.11	28.31	11.49
9	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,314.69	667.49	762.22	609.44	1,149.73	712.81	3,188.88	36.05	22.35
10	10	लोक निर्माण कार्य - सड़कें, पुल और भवन	5,029.38	564.61	754.39	871.37	1,451.50	796.16	3,641.86	39.86	21.86
11	11	कृषि	492.36	55.66	129.49	57.74	150.00	93.85	392.89	38.18	23.89
12	12	बागवानी	415.47	163.99	55.64	71.22	101.76	29.01	392.60	25.92	7.39
13	13	सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	4,161.81	611.37	766.95	570.21	1,121.08	750.40	3,069.61	36.52	24.45
14	14	पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन	535.32	106.29	124.62	130.75	128.89	60.05	490.55	26.27	12.24
15	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	776.10	20.24	100.51	67.42	140.94	105.93	329.12	42.82	32.19
16	16	वन एवं वन्य जीव	810.16	124.18	188.67	180.16	343.23	236.63	836.24	41.04	28.30
17	17	चुनाव	126.59	11.25	35.15	24.70	52.36	28.80	123.46	42.41	23.33
18	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	241.07	17.30	31.20	29.79	106.51	14.73	184.79	57.64	7.97

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	वर्ष 2024-25 में आवंटन	व्यय					वर्ष 2024-25 में कुल व्यय	चतुर्थ तिमाही में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय	मार्च 2025 में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय
				प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च माह में			
19	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2,100.61	385.11	509.45	425.46	657.00	539.24	1,977.02	33.23	27.28
20	20	ग्रामीण विकास	2,173.54	455.03	692.11	298.31	433.44	241.28	1,878.89	23.07	12.84
21	21	सहकारिता	48.03	12.93	9.44	9.20	15.00	7.42	46.57	32.22	15.92
22	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	180.11	7.60	40.65	26.01	49.57	14.88	123.82	40.03	12.02
23	23	विद्युत विकास	1,337.08	298.54	216.96	387.15	717.92	446.34	1,620.57	44.30	27.54
24	24	प्रिंटिंग व स्टेशनरी	30.09	3.69	3.27	5.72	11.69	7.73	24.37	47.98	31.71
25	25	सड़क एवं जल परिवहन	1,092.81	94.15	143.12	493.41	373.98	289.15	1,104.66	33.85	26.18
26	26	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	716.87	36.94	62.13	4.83	652.12	569.43	756.01	86.26	75.32
27	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	454.21	106.17	113.88	104.01	93.09	52.41	417.15	22.32	12.56
28	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन एवं आवास	830.75	171.44	94.60	128.35	403.07	323.12	797.46	50.55	40.52
29	29	वित्त	32,970.48	5,776.99	6,656.86	9,322.41	13,458.42	5,848.70	35,214.67	38.22	16.61
30	30	विविध सामान्य सेवाएं	184.02	22.43	47.64	24.67	81.66	51.02	176.41	46.29	28.92
31	31	जनजातीय विकास	2,729.75	470.60	574.20	432.41	485.78	260.86	1,962.99	24.75	13.29
32	32	अनुसूचित जाति उप योजना	4,757.07	750.60	1,040.21	871.09	959.41	627.06	3,621.31	26.49	17.32

परिशिष्ट - 2.13

(संदर्भ: परिच्छेद 2.6)

30 दिनों से अधिक विलंबित हस्तांतरण पर ब्याज देयता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा जारी करने की तिथि	स्वीकृत राशि	नियमों के अनुसार हस्तांतरण की नियत तिथि (केंद्रांश)	एकल नोडल एजेंसी में हस्तांतरण की तिथि (केंद्रांश)	राशि हस्तांतरित	विलम्ब (दिनों में)	देय ब्याज (केंद्रांश)	राज्यांश हस्तांतरण की समय सीमा	नियमों के अनुसार हस्तांतरण की नियत तिथि (राज्यांश)	राज्यांश (₹ करोड़ में)	एकल नोडल एजेंसी (राज्यांश) को हस्तांतरण की तिथि	विलम्ब (दिनों में)
2023-24	02.03.2024	183.50	01.04.2023	20.05.2024	183.50	49	1.72	30 दिन	01.04.2023	20.40	20.05.2024	49
	28.03.2024	63.06	27.04.2024	20.05.2024	63.06	23	0.28	30 दिन	27.04.2024	7.01	20.05.2024	23
2024-25	30.09.2024	53.00	30.10.2024	16.11.2024	53.00	17	0.17	30 दिन	30.09.2024	17.67	31.12.2024	91
		53.00		07.12.2024	53.00	37	0.38			0.45	18.01.2025	109
		53.00		30.12.2024	53.00	60	0.61					
	28.01.2025	53.00	27.02.2025	13.02.2025	53.00	0	0.00	30 दिन	28.01.2025	18.12	13.02.2025	16
		79.50		21.02.2025	79.50	0	0.00					
		26.50		10.03.2025	26.50	14	0.07					
	20.03.2025	54.00	19.04.2025	09.04.2025	54.00	0	0.00	30 दिन	20.03.2025	35.26	29.03.2025	9
		51.14		22.04.2025	51.14	3	0.03					
		52.09		30.04.2025	52.09	11	0.11					
		100.00		06.05.2025	100.00	6	0.12					
		52.09		06.05.2025	52.09	6	0.06					
योग		**873.88**			**873.88**		**3.55**			**98.91**		

परिशिष्ट - 3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3)

31 मार्च 2025 तक बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		उपयोगिता-प्रमाणपत्र का योग		प्राप्त उपयोगिता- प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र /अंत शेष	
			मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**शहरी विकास**									
	2217-शहरी विकास	2016-17	4	2,27,85,000	0	0	1	14,85,000	3	2,13,00,000
		2017-18	7	12,90,00,000	0	0	2	6,75,00,000	5	6,15,00,000
		2018-19	17	27,90,48,000	0	0	12	24,90,48,000	5	3,00,00,000
		2019-20	18	3,17,47,000	0	0	8	38,50,000	10	2,78,97,000
		2020-21	31	2,11,35,25,158	0	0	25	2,08,57,62,981	6	2,77,62,177
		2021-22	91	4,19,58,43,109	0	0	50	3,37,87,35,259	41	81,71,07,850
		2022-23	140	6,00,57,02,683	0	0	35	3,48,07,20,522	105	2,52,49,82,161
		2023-24	0	0	138	9,44,85,39,072	62	78,87,71,624	76	8,65,97,67,448
		योग	**308**	**12,77,76,50,950**	**138**	**9,44,85,39,072**	**195**	**10,05,58,73,386**	**251**	**12,17,03,16,636**
	3054- सड़क एवं पुल	2023-24	0	0	3	10,00,00,000	0	0	3	10,00,00,000
		योग	**0**	**0**	**3**	**10,00,00,000**	**0**	**0**	**3**	**10,00,00,000**
	योग		**308**	**12,77,76,50,950**	**141**	**9,54,85,39,072**	**195**	**10,05,58,73,386**	**254**	**12,27,03,16,636**
2	**ग्रामीण विकास**									
	2216- आवास	2021-22	12	21,04,41,500	0	0	9	20,44,41,500	3	60,00,000
		2022-23	11	22,37,75,000	0	0	0	0	11	22,37,75,000
		2023-24	0	0	36	1,23,84,11,420	2	1,98,40,000	34	1,21,85,71,420
		योग	**23**	**43,42,16,500**	**36**	**1,23,84,11,420**	**11**	**22,42,81,500**	**48**	**1,44,83,46,420**
	2505- ग्रामीण रोजगार	2020-21	1	1,23,48,538	0	0	0	6,26,740	1	1,17,21,798
		2023-24	0	0	23	5,37,98,60,000	0	0	23	5,37,98,60,000
		योग	**1**	**1,23,48,538**	**23**	**5,37,98,60,000**	**0**	**6,26,740**	**24**	**5,39,15,81,798**

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		उपयोगिता-प्रमाणपत्र का योग		प्राप्त उपयोगिता- प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र /अंत शेष	
			मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)
	2501- विशेष कार्यक्रम	2021-22	1	16,00,000	0	0	1	16,00,000	0	0
		2022-23	5	8,93,53,836	0	0	4	1,84,33,334	1	7,09,20,502
		2023-24	0	0	71	1,08,27,30,022	38	59,45,68,110	33	48,81,61,912
		योग	**6**	**9,09,53,836**	**71**	**1,08,27,30,022**	**43**	**61,46,01,444**	**34**	**55,90,82,414**
	योग		**30**	**53,75,18,874**	**130**	**7,70,10,01,442**	**54**	**83,95,09,684**	**106**	**7,39,90,10,632**
3	**पंचायती राज**									
	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	2016-17	1	12,36,270	0	0	0	0	1	12,36,270
		योग	**1**	**12,36,270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**12,36,270**
	2515-अन्य ग्रामीण विकास प्रोग्राम	2016-17	18	6,18,69,657	0	0	1	29,50,000	17	5,89,19,657
		2017-18	32	24,65,59,103	0	0	1	19,35,450	31	24,46,23,653
		2018-19	71	29,26,62,153	0	0	8	5,05,30,594	63	24,21,31,559
		2019-20	87	36,68,45,394	0	0	8	5,20,69,529	79	31,47,75,865
		2020-21	127	28,41,28,434	0	0	16	6,21,31,547	111	22,19,96,887
		2021-22	112	30,96,68,383	0	0	22	10,09,92,223	90	20,86,76,160
		2022-23	309	5,64,77,89,596	0	0	90	1,57,33,65,565	219	4,07,44,24,031
		2023-24	0	0	3,521	5,00,14,23,160	3,369	3,97,09,14,145	152	1,03,05,09,015
		योग	**756**	**7,20,95,22,720**	**3,521**	**5,00,14,23,160**	**3,515**	**5,81,48,89,053**	**762**	**6,39,60,56,827**
	योग		757	7,21,07,58,990	3,521	5,00,14,23,160	3,515	5,81,48,89,053	763	6,39,72,93,097
4	**आयुष**									
	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2018-19	1	1,06,00,000	0	0	1	1,06,00,000	0	0
		2019-20	6	5,42,00,000	0	0	6	5,42,00,000	0	0
		2020-21	1	7,00,000	0	0	1	7,00,000	0	0
		2021-22	12	14,61,79,111	0	0	11	14,20,68,747	1	41,10,364
		2022-23	16	10,95,92,000	0	0	13	9,44,70,000	3	1,51,22,000
		2023-24	0	0	284	1,50,17,57,845	275	1,44,60,30,883	9	5,57,26,962
		योग	**36**	**32,12,71,111**	**284**	**1,50,17,57,845**	**307**	**1,74,80,69,630**	**13**	**7,49,59,326**

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		उपयोगिता-प्रमाणपत्र का योग		प्राप्त उपयोगिता- प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र /अंत शेष	
			मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)
	2211- पारिवारिक स्वास्थ्य	2022-23	5	1,67,20,10,000	0	0	0	0	5	1,67,20,10,000
		2023-24	0	0	48	2,96,52,03,667	38	2,81,18,70,667	10	15,33,33,000
		योग	**5**	**1,67,20,10,000**	**48**	**2,96,52,03,667**	**38**	**2,81,18,70,667**	**15**	**1,82,53,43,000**
	योग		**41**	**1,99,32,81,111**	**332**	**4,46,69,61,512**	**345**	**4,55,99,40,297**	**28**	**1,90,03,02,326**
5	**श्रम एवं रोजगार**									
	2230- श्रम एवं रोजगार	2023-24	**0**	**0**	11	1,20,00,00,000	3	1,06,00,000	8	1,18,94,00,000
		योग	**0**	**0**	**11**	**1,20,00,00,000**	**3**	**1,06,00,000**	**8**	**1,18,94,00,000**
	योग		**0**	**0**	**11**	**1,20,00,00,000**	**3**	**1,06,00,000**	**8**	**1,18,94,00,000**
6	**महिला एवं बाल विकास और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक**									
	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2020-21	2	31,16,00,000	0	0	1	30,11,86,976	1	1,04,13,024
		2021-22	1	10,27,78,584	0	0	0	9,29,56,584	1	98,22,000
		2022-23	1	10,00,000	0	0	0	9,44,750	1	55,250
		2023-24	0	0	2	3,59,95,000	2	3,59,95,000	0	0
		योग	**4**	**41,53,78,584**	**2**	**3,59,95,000**	**3**	**43,10,83,310**	**3**	**2,02,90,274**
	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2017-18	29	3,04,50,147	0	0	16	2,73,63,083	13	30,87,064
		2018-19	30	4,49,08,178	0	0	13	2,29,73,053	17	2,19,35,125
		2019-20	23	5,36,81,152	0	0	16	4,30,50,514	7	1,06,30,638
		2020-21	23	2,61,90,544	0	0	8	1,03,87,147	15	1,58,03,397
		2021-22	59	10,72,08,881	0	0	47	10,52,92,906	12	19,15,975
		2022-23	206	30,12,06,709	0	0	193	26,81,49,068	13	3,30,57,641
		2023-24	0	0	430	1,06,00,79,403	228	7,89,50,477	202	98,11,28,926
		योग	**370**	**56,36,45,611**	**430**	**1,06,00,79,403**	**521**	**55,61,66,248**	**279**	**1,06,75,58,766**
	योग		**374**	**97,90,24,195**	**432**	**1,09,60,74,403**	**524**	**98,72,49,558**	**282**	**1,08,78,49,040**
7	**पशुपालन**									
	2403-पशुपालन	2017-18	2	5,00,000	0	0	2	5,00,000	0	0

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		उपयोगिता-प्रमाणपत्र का योग		प्राप्त उपयोगिता- प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र /अंत शेष	
			मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)
		2018-19	11	2,58,38,600	0	0	11	2,58,38,600	0	0
		2019-20	3	25,41,000	0	0	3	25,41,000	0	0
		2020-21	8	99,44,000	0	0	6	58,65,000	2	40,79,000
		2021-22	10	11,63,91,000	0	0	7	4,42,91,000	3	7,21,00,000
		2022-23	7	8,92,85,000	0	0	4	1,02,85,000	3	7,90,00,000
		2023-24			8	8,58,73,000	4	55,11,000	4	8,03,62,000
		योग	**41**	**24,44,99,600**	**8**	**8,58,73,000**	**37**	**9,48,31,600**	**12**	**23,55,41,000**
	2404- डेयरी विकास	2023-24	0	0	25	1,06,74,00,000	13	21,60,80,000	12	85,13,20,000
		योग	**0**	**0**	**25**	**1,06,74,00,000**	**13**	**21,60,80,000**	**12**	**85,13,20,000**
	योग		**41**	**24,44,99,600**	**33**	**1,15,32,73,000**	**50**	**31,09,11,600**	**24**	**1,08,68,61,000**
8	**उद्योग**									
	2851- ग्राम एवं लघु उद्योग	2017-18	2	50,00,000	0	0	1	25,00,000	1	25,00,000
		2018-19	2	34,00,000	0	0	2	34,00,000	0	0
		2019-20	4	80,37,888	0	0	3	80,27,888	1	10,000
		2020-21	132	6,95,00,271	0	0	132	6,95,00,271	0	0
		2021-22	295	9,80,64,050	0	0	294	9,80,54,050	1	10,000
		2022-23	258	10,65,99,974	0	0	246	10,43,14,041	12	22,85,933
		2023-24	0	0	432	75,28,76,385	143	9,28,96,084	289	65,99,80,301
		योग	**693**	**29,06,02,183**	**432**	**75,28,76,385**	**821**	**37,86,92,334**	**304**	**66,47,86,234**
	योग		**693**	**29,06,02,183**	**432**	**75,28,76,385**	**821**	**37,86,92,334**	**304**	**66,47,86,234**
9	**आबकारी एवं कराधान विभाग**									
	2040- अन्य कर एवं शुल्क	2023-24	0	0	2	31,26,52,519	0	0	2	31,26,52,519
		योग	**0**	**0**	**2**	**31,26,52,519**	**0**	**0**	**2**	**31,26,52,519**
	3604- स्थानीय निकायों को मुआवजा और कार्य	2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		उपयोगिता-प्रमाणपत्र का योग		प्राप्त उपयोगिता- प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र /अंत शेष	
			मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)
	सौंपना									
	योग		**0**	**0**	**2**	**31,26,52,519**	**0**	**0**	**2**	**31,26,52,519**
10	**भाषा, कला और संस्कृति**									
	2205- कला और संस्कृति	2019-20	36	1,64,89,525	0	0	0	0	36	1,64,89,525
		2020-21	46	2,33,11,600	0	0	0	0	46	2,33,11,600
		2021-22	58	8,06,35,700	0	0	1	30,000	57	8,06,05,700
		2022-23	108	9,25,44,737	0	0	0	0	108	9,25,44,737
		2023-24	0	0	122	10,47,50,750	3	1,55,75,000	119	8,91,75,750
		योग	**248**	**21,29,81,562**	**122**	**10,47,50,750**	**4**	**1,56,05,000**	**366**	**30,21,27,312**
	2250-अन्य सामाजिक सामुदायिक सेवाएं	2023-24	0	0	1	59,712	0	0	1	59,712
		योग	**0**	**0**	**1**	**59,712**	**0**	**0**	**1**	**59,712**
	योग		**248**	**21,29,81,562**	**123**	**10,48,10,462**	**4**	**1,56,05,000**	**367**	**30,21,87,024**
11	**शिक्षा**									
	2202-सामान्य शिक्षा	2019-20	1	19,49,88,000	0	0	0	0	1	19,49,88,000
		2022-23	12	2,31,96,00,000	0	0	12	2,31,96,00,000	0	0
		2023-24	0	0	4,582	8,96,41,48,508	4,571	8,92,48,33,174	11	3,93,15,334
		2023-24	0	0	2,449	7,91,97,385	2,449	7,91,97,385	0	0
		2023-24	0	0	2,380	10,77,77,050	2,380	10,77,77,050	0	0
		2023-24	0	0	4,027	13,79,83,665	4,027	13,79,83,665	0	0
		योग	**13**	**2,51,45,88,000**	**13,438**	**9,28,91,06,608**	**13,439**	**11,56,93,91,274**	**12**	**23,43,03,334**
	योग		**13**	**2,51,45,88,000**	**13,438**	**9,28,91,06,608**	**13,439**	**11,56,93,91,274**	**12**	**23,43,03,334**
12	**वन**									
	2406- वन और वन्य जीव	2019-20	5	1,31,14,121	0	0	5	1,31,14,121	0	0
		2020-21	5	1,21,83,304	0	0	5	1,21,83,304	0	0

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		उपयोगिता-प्रमाणपत्र का योग		प्राप्त उपयोगिता- प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र /अंत शेष	
			मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)
		2021-22	76	15,01,62,925	0	0	76	15,01,62,925	0	0
		2022-23	137	22,73,60,171	0	0	83	19,10,84,666	54	3,62,75,505
		2023-24	0	0	476	1,15,71,67,663	420	1,06,06,41,490	56	9,65,26,173
		योग	**223**	**40,28,20,521**	**476**	**1,15,71,67,663**	**589**	**1,42,71,86,506**	**110**	**13,28,01,678**
	योग		**223**	**40,28,20,521**	**476**	**1,15,71,67,663**	**589**	**1,42,71,86,506**	**110**	**13,28,01,678**
13	**जनजातीय विकास**									
	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2018-19	2	24,45,689	0	0	1	8,00,000	1	16,45,689
		2019-20	4	33,76,324	0	0	3	13,05,121	1	20,71,203
		2021-22	4	6,22,83,726	0	0	1	5,17,35,000	3	1,05,48,726
		2022-23	3	3,15,66,000	0	0	0	18,65,045	3	2,97,00,955
		2023-24	0	0	5	7,32,61,000	3	5,80,31,000	2	1,52,30,000
		योग	**13**	**9,96,71,739**	**5**	**7,32,61,000**	**8**	**11,37,36,166**	**10**	**5,91,96,573**
	योग		**13**	**9,96,71,739**	**5**	**7,32,61,000**	**8**	**11,37,36,166**	**10**	**5,91,96,573**
14	**युवा सेवा एवं खेल**									
	2204- खेल एवं युवा सेवाएं	2021-22	9	2,08,00,000	0	0	0	0	9	2,08,00,000
		2022-23	57	2,90,48,000	0	0	2	1,02,00,000	55	1,88,48,000
		2023-24	0	0	9	1,54,65,000	0	0	9	1,54,65,000
		योग	**66**	**4,98,48,000**	**9**	**1,54,65,000**	**2**	**1,02,00,000**	**73**	**5,51,13,000**
	योग		**66**	**4,98,48,000**	**9**	**1,54,65,000**	**2**	**1,02,00,000**	**73**	**5,51,13,000**
15	**कृषि एवं बागवानी**									
	2401-फसल पालन	2021-22	6	7,92,00,000	0	0	6	7,92,00,000	0	0
		2022-23	13	25,97,00,000	0	0	13	25,97,00,000	0	0
		2023-24	0	0	49	2,62,04,82,000	49	2,62,04,82,000		
		योग	**19**	**33,89,00,000**	**49**	**2,62,04,82,000**	**68**	**2,95,93,82,000**	**0**	**0**
	2402- मृदा संरक्षण	2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		उपयोगिता-प्रमाणपत्र का योग		प्राप्त उपयोगिता- प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र /अंत शेष	
			मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)
		योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2019-20	2	38,02,500	0	0	0	0	2	38,02,500
		2020-21	5	43,00,000	0	0	0	0	5	43,00,000
		2021-22	2	47,10,000	0	0	0	0	2	47,10,000
		2022-23	4	3,09,80,000	0	0	0	0	4	3,09,80,000
		2023-24	0	0	54	2,78,21,69,016	53	2,77,83,69,016	1	38,00,000
		योग	**13**	**4,37,92,500**	**54**	**2,78,21,69,016**	**53**	**2,77,83,69,016**	**14**	**4,75,92,500**
	2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2023-24	0	0	0	0	0	0	0	
		योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	योग		**32**	**38,26,92,500**	**103**	**5,40,26,51,016**	**121**	**5,73,77,51,016**	**14**	**4,75,92,500**
16	**पर्यटन**									
	3452- पर्यटन	2017-18	2	5,40,000	0	0	2	5,40,000	0	0
		2018-19	2	2,00,000	0	0	1	1,00,000	1	1,00,000
		2019-20	2	8,00,000	0	0	2	8,00,000	0	0
		2020-21	1	2,00,000	0	0	1	2,00,000	0	0
		2021-22	4	32,00,000	0	0	3	2,00,000	1	30,00,000
		2022-23	8	3,42,00,000	0	0	4	3,31,50,000	4	10,50,000
		2023-24	0	0	4	2,01,10,800	3	2,01,00,000	1	10,800
		योग	**19**	**3,91,40,000**	**4**	**2,01,10,800**	**16**	**5,50,90,000**	**7**	**41,60,800**
	3053- पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	2022-23	9	2,00,00,000	0	0	0	0	9	2,00,00,000
		2023-24	0	0	105	2,73,64,261	65	89,67,781	40	1,83,96,480
		योग	**9**	**2,00,00,000**	**105**	**2,73,64,261**	**65**	**89,67,781**	**49**	**3,83,96,480**
	योग		**28**	**5,91,40,000**	**109**	**4,74,75,061**	**81**	**6,40,57,781**	**56**	**4,25,57,280**
17	**योजना**									
	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2017-18	1	84,24,396	0	0	0	0	1	84,24,396
		2020-21	3	27,01,421	0	0	0	0	3	27,01,421

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		उपयोगिता-प्रमाणपत्र का योग		प्राप्त उपयोगिता- प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र /अंत शेष	
			मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)
		2021-22	5	16,86,024	0	0	0	0	5	16,86,024
		2022-23	4	18,00,012	0	0	0	0	4	18,00,012
		2023-24	0	0	16	1,60,70,238	1	19,75,908	15	1,40,94,330
		योग	**13**	**1,46,11,853**	**16**	**1,60,70,238**	**1**	**19,75,908**	**28**	**2,87,06,183**
	योग		**13**	**1,46,11,853**	**16**	**1,60,70,238**	**1**	**19,75,908**	**28**	**2,87,06,183**
18	**पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी**									
	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2023-24	0	0	34	4,66,11,988	16	2,56,11,988	18	2,10,00,000
		योग	**0**	**0**	**34**	**4,66,11,988**	**16**	**2,56,11,988**	**18**	**2,10,00,000**
	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2021-22	2	1,05,75,000	0	0	2	1,05,75,000	0	0
		2023-24	0	0	7	94,25,000	7	94,25,000	0	0
		योग	**2**	**1,05,75,000**	**7**	**94,25,000**	**9**	**2,00,00,000**	**0**	**0**
	योग		**2**	**1,05,75,000**	**41**	**5,60,36,988**	**25**	**4,56,11,988**	**18**	**2,10,00,000**
19	**सहकारिता**									
	2408- खाद्य भंडारण एवं भंडारण	2019-20	3	8,00,000	0	0	0	0	3	8,00,000
		2020-21	8	15,17,724	0	0	3	4,75,000	5	10,42,724
		2021-22	12	15,50,000	0	0	4	6,00,000	8	9,50,000
		2022-23	21	28,00,000	0	0	7	11,00,000	14	17,00,000
		2023-24	0	0	25	23,60,886	11	11,95,893	14	11,64,993
		योग	**44**	**66,67,724**	**25**	**23,60,886**	**25**	**33,70,893**	**44**	**56,57,717**
	2425- सहकारिता	2019-20	5	3,80,000	0	0	1	30,000	4	3,50,000
		2020-21	19	23,14,500	0	0	10	8,04,500	9	15,10,000
		2021-22	17	8,30,000	0	0	15	6,30,000	2	2,00,000
		2023-24	0	0	5	1,48,79,000	5	1,48,79,000	0	0
		योग	**41**	**35,24,500**	**5**	**1,48,79,000**	**31**	**1,63,43,500**	**15**	**20,60,000**
	योग		**85**	**1,01,92,224**	**30**	**1,72,39,886**	**56**	**1,97,14,393**	**59**	**77,17,717**
20	**परिवहन विभाग**									

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		उपयोगिता-प्रमाणपत्र का योग		प्राप्त उपयोगिता- प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र /अंत शेष	
			मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)
	3075-अन्य परिवहन सेवाएं	2022-23	3	4,00,00,000	0	0	3	4,00,00,000	0	0
		2023-24	0	0	2	1,94,37,500	1	1,44,37,500	1	50,00,000
		योग	**3**	**4,00,00,000**	**2**	**1,94,37,500**	**4**	**5,44,37,500**	**1**	**50,00,000**
	3055-सड़क परिवहन	2022-23	2	10,50,00,000	0	0	2	10,50,00,000	0	0
		2023-24	0	0	37	3,20,55,00,000	37	3,20,55,00,000	0	0
		योग	**2**	**10,50,00,000**	**37**	**3,20,55,00,000**	**39**	**3,31,05,00,000**	**0**	**0**
	योग		**5**	**14,50,00,000**	**39**	**3,22,49,37,500**	**43**	**3,36,49,37,500**	**1**	**50,00,000**
21	**सैनिक कल्याण**									
	2075- विविध सामान्य सेवाएं	2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	71	5,42,06,825	70	5,37,19,825	1	4,87,000
		योग	**0**	**0**	**71**	**5,42,06,825**	**70**	**5,37,19,825**	**1**	**4,87,000**
22	**राजस्व विभाग**									
	2029-भू-राजस्व	2017-18	4	24,64,409	0	0	4	24,64,409	0	0
		2018-19	6	47,28,000	0	0	5	45,28,000	1	2,00,000
		योग	**10**	**71,92,409**	**0**	**0**	**9**	**69,92,409**	**1**	**2,00,000**
23	2011- संसद/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडल	2023-24	0	0	1	15,00,000	1	15,00,000	0	0
		योग	**0**	**0**	**1**	**15,00,000**	**1**	**15,00,000**	**0**	**0**
24	2052-सचिवालय एवं सामान्य सेवाएं	2023-24	0	0	4	2,20,65,554	4	2,20,65,554	0	0
		योग	0	0	**4**	**2,20,65,554**	**4**	**2,20,65,554**	**0**	**0**
26	2055- पुलिस	2018-19	1	25,45,891	0	0	1	25,45,891	0	0
		2023-24	0	0	1	10,00,000	1	10,00,000	0	0
		योग	**1**	**25,45,891**	**1**	**10,00,000**	**2**	**35,45,891**	**0**	**0**
27	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2021-22	0	0	0	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	9	4,45,81,000	9	4,45,81,000	0	0
		योग	**0**	**0**	**9**	**4,45,81,000**	**9**	**4,45,81,000**	**0**	**0**

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता-प्रमाणपत्र		उपयोगिता-प्रमाणपत्र का योग		प्राप्त उपयोगिता- प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र /अंत शेष	
			मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)	मदों की संख्या	राशि (₹)
28	2203- तकनीकी शिक्षा	2022-23	3	51,00,000	0		3	51,00,000	0	0
		योग	**3**	**51,00,000**	**0**		**3**	**51,00,000**	**0**	**0**
29	2215- जल आपूर्ति और स्वच्छता	2023-24	0	0	9	15,90,99,300	9	15,90,99,300	0	0
		योग	**0**	**0**	**9**	**15,90,99,300**	**9**	**15,90,99,300**	**0**	**0**
30	2801-विद्युत	2023-24	0	0	4	26,25,000	4	26,25,000	0	0
		योग	**0**	**0**	**4**	**26,25,000**	**4**	**26,25,000**	0	0
31	2810- उर्जा का गैर-पारंपरिक स्रोत	2018-19	4	20,00,000	0	0	4	20,00,000	0	0
		योग	**4**	**20,00,000**	**0**	**0**	**4**	**20,00,000**	0	0
सकल योग			**2,990**	**27,95,22,95,602**	**19,522**	**50,92,21,00,594**	**19,991**	**45,62,90,62,423**	**2,521**	**33,24,53,33,773**

परिशिष्ट - 3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.5(ब))

व्यय के मानक उद्देश्य - 20 के तहत बुक किया गया व्यय (अन्य प्रभार)

(₹ लाख में)

अनुदान	लेखा शीर्ष	दत्तमत/ प्रभारित	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय
01-विधान सभा	2011-02-101-05-S00N	दत्तमत	676.00	0.00	0.00	672.65
	2011-02-101-01-S00N	दत्तमत	40.00	0.00	0.00	40.00
	2011-02-103-01-S00N	दत्तमत	12.00	2.93	15.07	29.03
02-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद	2013-00-105-01-S00N	दत्तमत	565.00	131.00	0.00	689.72
	2012-03-102-01-S00N	दत्तमत	50.00	0.00	0.00	49.99
	2012-03-800-03-S00N	प्रभारित	9.00	0.00	6.00	15.00
	2012-03-800-02-S00N	प्रभारित	4.00	0.00	0.00	4.00
	2012-03-800-04-S00N	प्रभारित	1.50	0.00	0.00	1.50
03-न्याय प्रशासन	2014-00-119-02-S00N	दत्तमत	225.00	0.00	0.00	222.39
	2014-00-108-01-S00N	दत्तमत	95.00	105.00	0.00	200.00
	2014-00-102-01-S00N	प्रभारित	32.00	22.00	0.00	53.97
	2014-00-105-07-S10N	दत्तमत	0.01	10.00	0.00	7.55
	2014-00-114-03-S00N	दत्तमत	2.00	0.00	0.00	1.95
04-सामान्य प्रशासन	2075-00-800-14-S00N	दत्तमत	1,400.00	0.00	-60.40	1,305.37
	2053-00-800-05-S00N	दत्तमत	0.01	0.00	849.76	789.91
	2053-00-094-06-S00N	दत्तमत	50.00	0.00	504.15	536.50
	2235-60-200-27-S00N	दत्तमत	0.00	421.00	0.00	410.33
	2235-60-200-08-S00N	दत्तमत	10.00	0.00	0.00	4.83
	2052-00-090-01-S00N	दत्तमत	2.50	0.00	37.03	3.43
	2235-60-200-09-S00N	दत्तमत	2.00	0.00	0.00	1.85
	2052-00-091-01-S00N	दत्तमत	2.00	0.00	0.00	1.67
	2075-00-800-01-S00N	दत्तमत	0.07	1.02	0.00	1.09
	2075-00-800-09-S00N	दत्तमत	0.01	0.18	0.00	0.19
05-भू-राजस्व एवं ज़िला प्रशासन	2245-05-101-01-S00N	दत्तमत	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	2245-08-797-01-S00N	दत्तमत	10,500.00	10,005.43	0.00	20,505.43
	2245-08-101-01-S00N	दत्तमत	10,500.00	14,351.31	0.00	20,028.49
	2245-02-106-01-S00N	दत्तमत	5,750.00	2,000.00	5,239.83	12,919.69
	2245-02-109-01-S00N	दत्तमत	5,000.00	1,814.67	3,156.55	9,935.38
	2245-80-103-01-C00N	दत्तमत	0.11	6,692.37	0.00	6,692.48
	2245-02-193-01-S00N	दत्तमत	2,500.00	1,500.00	3,826.00	6,663.45
	2245-02-111-02-S00N	दत्तमत	4,000.00	500.00	592.29	4,644.40
	2245-02-106-01-C00N	दत्तमत	0.01	4,458.18	0.00	4,454.94
	2245-02-101-01-S00N	दत्तमत	13,000.00	0.00	-10,164.62	2,505.61

अनुदान	लेखा शीर्ष	दत्तमत/ प्रभारित	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय
	2245-02-109-01-C00N	दत्तमत	0.01	2,379.51	0.04	2,379.36
	2029-00-103-02-S00N	दत्तमत	600.00	965.88	234.12	1,770.11
	2245-02-111-01-S00N	दत्तमत	3,500.00	0.00	1,038.55	1,751.73
	2245-80-102-05-S00N	दत्तमत	5,250.00	0.00	0.00	1,745.73
	2245-80-102-05-C90N	दत्तमत	0.00	1,763.99	0.01	1,744.85
	2245-02-101-01-C00N	दत्तमत	0.01	1,693.43	0.00	1,355.96
	2245-02-113-01-S00N	दत्तमत	2,500.00	0.00	-1,111.49	893.23
	2245-02-111-01-C00N	दत्तमत	0.01	989.12	0.00	880.95
	2245-02-113-01-C00N	दत्तमत	0.01	1,687.62	0.00	851.01
	2245-80-102-01-C00N	दत्तमत	0.01	0.00	-0.01	682.48
	3454-02-110-02-S00N	दत्तमत	0.00	459.28	30.24	489.52
	2029-00-103-01-S00N	दत्तमत	0.00	455.32	359.68	396.37
	2245-02-111-02-C00N	दत्तमत	0.01	296.69	0.00	228.40
	2245-80-102-05-S10N	दत्तमत	0.00	196.00	0.00	193.87
	2245-02-193-01-C00N	दत्तमत	0.01	127.17	0.00	127.18
	2030-01-102-01-S00N	दत्तमत	15.00	0.00	0.00	9.45
	2030-02-102-03-S00N	दत्तमत	5.66	0.00	0.00	5.56
	2029-00-102-03-S00N	दत्तमत	0.00	0.00	10.00	5.00
	2030-02-102-02-S00N	दत्तमत	10.94	0.00	0.00	0.28
	2030-02-102-01-S00N	दत्तमत	100.00	0.00	0.00	0.12
06-आबकारी एवं कराधान	2039-00-001-01-S00N	दत्तमत	0.01	185.80	1,313.75	1,150.45
	2043-00-101-01-S00N	दत्तमत	129.00	367.45	0.00	496.45
	2040-00-101-01-S00N	दत्तमत	0.01	254.73	0.00	244.58
	2039-00-104-02-S00N	दत्तमत	13.00	3.00	0.00	14.46
	2039-00-102-01-S00N	दत्तमत	0.30	0.00	0.00	0.02
07-पुलिस एवं संबद्ध संगठन	2055-00-001-05-S00N	दत्तमत	0.00	0.01	132.02	130.65
	2056-00-101-01-S00N	दत्तमत	22.36	0.00	17.00	38.04
	2055-00-001-01-S00N	दत्तमत	1.77	0.00	51.30	21.03
	2055-00-001-03-S00N	दत्तमत	20.00	0.00	0.00	20.00
	2055-00-109-01-S00N	दत्तमत	25.75	0.00	0.00	17.46
	2055-00-116-01-S00N	दत्तमत	10.00	0.00	0.00	9.51
	2062-00-104-01-S00N	दत्तमत	1.89	0.00	0.70	2.58
	2070-00-107-01-S00N	दत्तमत	1.62	0.00	0.00	1.62
	2055-00-108-01-S00N	दत्तमत	2.50	0.00	0.00	1.50
	2070-00-107-02-S00N	दत्तमत	1.16	0.00	0.00	1.16
	2070-00-108-02-S00N	दत्तमत	0.01	0.00	0.34	0.35
	2055-00-108-05-S00N	दत्तमत	1.00	0.00	0.00	0.33
	2055-00-111-01-S00N	दत्तमत	0.23	0.00	0.00	0.21

अनुदान	लेखा शीर्ष	दत्तमत/ प्रभारित	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय
	2055-00-111-03-S00N	दत्तमत	0.21	0.00	0.00	0.17
	2055-00-114-01-S00N	दत्तमत	0.16	0.00	0.00	0.16
	2055-00-101-01-S00N	दत्तमत	0.50	0.00	0.00	0.04
	2055-00-003-01-S00N	दत्तमत	0.70	0.00	0.00	0.04
	2070-00-107-03-S00N	दत्तमत	0.01	0.00	0.00	0.01
08-शिक्षा	2202-02-109-15-S00N	दत्तमत	1,645.00	0.00	0.00	1,600.00
	2202-01-001-01-S00N	दत्तमत	350.00	0.00	300.00	312.00
	2202-02-109-24-S00N	दत्तमत	274.00	0.00	0.00	274.00
	2202-01-112-01-C90N	दत्तमत	236.00	0.00	0.00	236.00
	2202-02-109-01-S00N	दत्तमत	25.00	0.00	212.60	173.84
	2202-01-101-03-S00N	दत्तमत	100.00	0.00	300.00	102.26
	2202-01-101-01-S00N	दत्तमत	100.00	0.00	2.50	99.33
	2202-80-800-02-S00N	दत्तमत	70.00	0.00	30.00	95.48
	2202-80-107-22-S00N	दत्तमत	329.00	0.00	0.00	26.75
	2202-80-800-01-S00N	दत्तमत	30.00	0.00	3.00	26.28
	2202-01-102-03-S00N	दत्तमत	61.00	0.00	0.00	24.03
	2202-03-103-01-S00N	दत्तमत	10.00	0.00	0.00	8.66
	2202-02-109-14-S00N	दत्तमत	6.77	0.00	0.00	4.73
	2205-00-105-01-S00N	दत्तमत	4.00	0.00	0.00	3.07
	2202-02-001-01-S00N	दत्तमत	0.50	0.00	0.00	0.49
	2202-03-103-07-S00N	दत्तमत	0.00	0.01	0.50	0.05
09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-200-08-S00N	दत्तमत	6,581.00	7,671.80	6,328.20	20,581.00
	2210-06-200-09-S00N	दत्तमत	4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
	2211-00-200-05-S00N	दत्तमत	1,164.00	0.00	-13.46	1,150.54
	2210-06-101-21-S00N	दत्तमत	704.00	0.00	0.00	704.00
	2210-06-200-07-S00N	दत्तमत	250.00	0.00	0.00	250.00
	2210-01-110-07-S00N	दत्तमत	300.00	0.00	0.00	217.48
	2210-04-101-07-S00N	दत्तमत	100.00	0.00	0.00	64.37
	2210-06-200-03-S00N	दत्तमत	132.00	0.00	0.00	57.14
	2210-05-105-14-S00N	दत्तमत	20.00	0.00	47.05	33.98
	2210-01-110-03-S00N	दत्तमत	15.00	0.00	13.50	28.06
	2211-00-200-02-S00N	दत्तमत	57.00	0.00	0.00	22.35
	2210-06-001-04-S00N	दत्तमत	0.13	0.00	8.00	6.52
	2211-00-200-03-S00N	दत्तमत	50.00	0.00	0.00	5.00
	2210-06-102-02-S10N	दत्तमत	0.00	10.69	0.00	3.87
	2210-05-101-01-S00N	दत्तमत	6.00	0.00	56.70	3.55
	2210-02-101-01-S00N	दत्तमत	5.00	0.00	0.00	2.06
	2210-05-105-12-S00N	दत्तमत	2.00	0.00	1.00	1.97

अनुदान	लेखा शीर्ष	दत्तमत/ प्रभारित	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय
	2210-05-105-15-S00N	दत्तमत	5.00	0.00	-2.50	1.23
	2210-05-105-06-S00N	दत्तमत	1.00	0.00	2.00	1.00
	2210-05-105-20-S00N	दत्तमत	1.00	0.00	0.00	0.55
	2210-05-105-13-S00N	दत्तमत	2.20	0.00	10.00	0.32
	2210-05-105-01-S00N	दत्तमत	2.00	0.00	125.00	0.10
11-कृषि	2401-00-109-27-C90N	दत्तमत	1,025.00	0.00	0.00	880.32
	2401-00-105-12-S00N	दत्तमत	856.50	0.00	0.00	856.50
	2401-00-102-01-C90N	दत्तमत	1,279.60	0.00	0.00	562.11
	2401-00-108-15-C90N	दत्तमत	514.00	0.00	1.00	510.92
	2401-00-103-11-C90N	दत्तमत	526.00	0.00	0.00	358.11
	2401-00-102-02-C90N	दत्तमत	660.00	0.00	0.00	352.90
	2402-00-102-56-S00N	दत्तमत	526.00	0.00	0.00	216.87
	2402-00-102-55-S00N	दत्तमत	526.00	0.00	0.00	208.24
	2401-00-109-34-C90N	दत्तमत	132.00	0.00	0.00	101.09
	2401-00-109-27-S10N	दत्तमत	114.00	0.00	0.00	97.82
	2401-00-102-01-S10N	दत्तमत	142.00	0.00	0.00	86.72
	2401-00-107-09-C90N	दत्तमत	65.09	9.91	0.00	74.96
	2401-00-108-16-S00N	दत्तमत	180.00	0.00	0.00	72.42
	2401-00-108-15-S10N	दत्तमत	57.00	0.22	0.00	60.03
	2401-00-109-32-C90N	दत्तमत	66.50	0.00	0.00	52.26
	2401-00-103-11-S10N	दत्तमत	59.00	0.00	0.00	39.79
	2401-00-102-02-S10N	दत्तमत	73.00	0.00	0.00	39.72
	2401-00-110-01-S00N	दत्तमत	395.00	0.00	0.00	39.05
	2401-00-109-35-S00N	दत्तमत	100.00	0.00	0.00	38.20
	2402-00-103-01-C90N	दत्तमत	26.00	0.00	0.00	26.38
	2401-00-103-12-S00N	दत्तमत	60.00	0.00	0.00	25.62
	2401-00-105-13-C90N	दत्तमत	189.00	0.00	0.00	16.29
	2401-00-107-08-S00N	दत्तमत	52.00	0.00	0.00	11.58
	2401-00-109-34-S10N	दत्तमत	15.00	0.00	0.00	11.23
	2401-00-108-17-S00N	दत्तमत	339.00	0.00	0.00	8.67
	2401-00-107-09-S10N	दत्तमत	6.87	0.00	1.46	8.33
	2401-00-109-32-S10N	दत्तमत	7.60	0.00	0.00	5.55
	2401-00-111-01-C00N	दत्तमत	2.50	0.00	2.82	5.32
	2407-01-016-01-S00N	दत्तमत	2.50	0.00	8.00	3.61
	2402-00-103-01-S10N	दत्तमत	4.00	0.00	0.00	2.27
	2402-00-102-57-S00N	दत्तमत	330.00	0.00	0.00	2.08
	2401-00-105-13-S10N	दत्तमत	73.00	0.00	0.00	1.81

अनुदान	लेखा शीर्ष	दत्तमत/ प्रभारित	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय
12-बागवानी	2401-00-119-51-S25N	दत्तमत	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
	2401-00-119-05-S00N	दत्तमत	37.04	0.00	0.00	31.40
14-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन	2403-00-106-10-S00N	दत्तमत	250.00	0.00	0.00	250.00
	2403-00-102-21-S00N	दत्तमत	100.00	0.00	0.00	66.77
	2403-00-101-01-S00N	दत्तमत	25.00	0.00	0.00	19.45
	2403-00-104-04-S00N	दत्तमत	0.70	0.00	0.00	0.55
	2403-00-101-10-C50N	दत्तमत	0.05	0.33	0.00	0.30
	2403-00-101-10-S50N	दत्तमत	0.05	0.33	0.00	0.30
15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	2402-00-102-08-S00B	दत्तमत	75.88	0.00	0.00	58.61
	2406-01-102-18-S00B	दत्तमत	40.00	0.00	0.00	8.69
	2401-00-109-28-S00B	दत्तमत	8.70	0.00	0.00	2.57
16-वन एवं वन्य जीव	2406-01-101-08-S00N	दत्तमत	629.00	0.00	-41.69	682.36
	2406-04-103-04-S00N	दत्तमत	316.50	0.00	-29.71	238.32
	2406-04-103-03-S00N	दत्तमत	400.00	0.00	-32.04	167.05
	2406-01-102-37-S00N	दत्तमत	50.00	0.00	146.00	122.43
	2406-01-001-02-S00N	दत्तमत	75.01	0.00	8.00	60.14
	2406-04-103-02-S00N	दत्तमत	255.82	0.00	-10.56	46.26
	2406-04-103-05-S00N	दत्तमत	228.00	0.00	-184.98	33.89
	2406-02-110-10-C90N	दत्तमत	204.24	0.00	-185.34	18.90
	2406-02-110-11-C90N	दत्तमत	0.00	0.01	11.99	12.00
	2406-01-101-11-S00N	दत्तमत	26.00	0.00	-0.86	3.10
	2406-02-110-10-S10N	दत्तमत	24.24	0.00	-22.00	2.24
	2406-02-110-01-S00N	दत्तमत	10.00	0.00	0.00	1.59
	2406-01-102-40-S00N	दत्तमत	4.26	0.00	0.00	1.31
	2406-01-102-39-S00N	दत्तमत	6.90	0.00	-5.63	1.27
	2406-02-110-11-S10N	दत्तमत	0.00	0.01	1.19	1.20
	2415-06-004-03-S00N	दत्तमत	14.28	0.00	-12.53	0.92
	2406-01-102-43-S00N	दत्तमत	5.00	0.00	-1.20	0.65
	2406-02-111-01-S00N	दत्तमत	5.00	0.00	0.00	0.26
	2406-01-105-01-S00N	दत्तमत	4.00	0.00	0.00	0.24
	2406-01-101-03-S10N	दत्तमत	35.00	0.00	-34.96	0.04
17-चुनाव	2015-00-105-01-S00N	दत्तमत	2,000.00	1,351.81	148.19	3,454.74
	2015-00-106-01-S00N	दत्तमत	0.01	245.00	0.00	240.08
	2015-00-109-01-S00N	दत्तमत	5.00	85.57	17.43	85.98
	2015-00-103-01-S00N	दत्तमत	42.14	0.00	10.00	40.21
	2070-00-800-01-S00N	दत्तमत	0.06	0.03	0.00	0.09

अनुदान	लेखा शीर्ष	दत्तमत/ प्रभारित	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय
18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	2851-00-102-19-S00N	दत्तमत	51.00	545.47	481.53	1,078.00
	2851-00-111-01-S00N	दत्तमत	3,479.00	0.00	0.00	658.28
	2851-00-102-29-S00N	दत्तमत	300.00	0.00	0.00	117.31
	2852-80-102-11-S00N	दत्तमत	150.00	0.00	0.00	77.60
	2851-00-107-01-S00N	दत्तमत	24.00	0.00	0.00	17.79
19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235-02-103-22-C90N	दत्तमत	1,474.00	1,569.24	2,587.55	5,630.79
	2235-02-104-02-S00N	दत्तमत	900.00	250.00	0.00	1,032.04
	2235-02-102-24-S00N	दत्तमत	1,976.00	0.00	0.00	898.69
	2235-02-103-19-C90N	दत्तमत	1,278.75	0.00	0.00	829.74
	2235-60-200-12-S00N	दत्तमत	750.00	50.00	0.00	738.41
	2235-02-102-27-C90N	दत्तमत	0.00	730.08	0.00	730.08
	2235-02-103-22-S10N	दत्तमत	163.00	174.36	287.51	624.87
	2235-02-102-13-S00N	दत्तमत	953.00	0.00	0.00	602.79
	2235-02-103-17-S00N	दत्तमत	788.00	0.00	0.00	387.20
	2235-02-103-15-S00N	दत्तमत	658.00	0.00	-176.58	355.36
	2235-60-105-02-S00N	दत्तमत	190.00	0.00	0.00	347.24
	2235-02-102-22-S00N	दत्तमत	300.00	0.00	0.00	299.12
	2235-02-101-06-S00N	दत्तमत	48.35	0.00	107.32	135.01
	2235-02-103-18-S00N	दत्तमत	145.00	0.00	0.00	123.00
	2235-02-102-15-C90N	दत्तमत	216.00	0.00	0.00	114.59
	2235-60-104-01-S00N	दत्तमत	220.00	0.00	0.00	110.13
	2235-02-103-19-S10N	दत्तमत	177.00	0.00	0.00	92.19
	2235-02-102-27-S10N	दत्तमत	0.00	81.12	0.00	81.12
	2235-02-103-12-S00N	दत्तमत	66.00	0.00	0.00	63.60
	2225-03-102-04-S00N	दत्तमत	329.00	0.00	-57.20	62.60
	2235-02-103-32-C90N	दत्तमत	62.00	0.00	0.00	31.55
	2235-02-102-20-C00N	दत्तमत	1.00	0.00	154.00	14.33
	2235-02-102-15-S10N	दत्तमत	24.00	0.00	0.00	12.73
	2225-01-001-01-S00N	दत्तमत	0.00	0.01	12.53	12.54
	2225-80-800-01-S00N	दत्तमत	5.00	0.00	5.80	10.50
	2235-02-102-05-S00N	दत्तमत	30.00	0.00	0.00	9.57
	2235-02-103-34-S00N	दत्तमत	13.00	0.00	0.00	8.30
	2235-02-103-32-S10N	दत्तमत	7.00	0.00	0.00	3.51
	2235-02-102-34-S00N	दत्तमत	0.00	0.01	176.57	3.32
	2235-02-103-01-S00N	दत्तमत	11.01	0.00	0.00	2.49
	2235-02-103-28-C00N	दत्तमत	0.00	0.00	29.25	2.12
	2235-02-102-26-C90N	दत्तमत	0.00	1.28	0.00	1.28
	2235-02-103-31-C90N	दत्तमत	40.00	0.00	0.00	0.82

अनुदान	लेखा शीर्ष	दत्तमत/ प्रभारित	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय
	2235-02-102-26-S10N	दत्तमत	0.00	0.14	0.00	0.14
	2235-02-103-31-S10N	दत्तमत	4.00	0.00	0.00	0.09
20-ग्रामीण विकास	2501-06-800-03-S00N	दत्तमत	217.00	0.00	-85.01	49.00
22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	3456-00-001-04-S10N	दत्तमत	0.00	200.00	0.00	200.00
	3456-00-001-05-S00N	दत्तमत	75.00	0.00	0.00	69.82
	2408-01-102-13-S00N	दत्तमत	132.00	0.00	0.00	29.70
	3456-00-001-05-C90N	दत्तमत	0.00	23.27	0.00	23.27
	3456-00-001-04-S00N	दत्तमत	20.00	0.00	0.00	16.00
	3456-00-001-01-S00N	दत्तमत	3.00	0.00	0.00	2.75
	3456-00-001-05-S10N	दत्तमत	0.00	2.59	0.00	2.59
	3456-00-001-02-S00N	दत्तमत	5.00	0.00	-3.00	1.59
23- विद्युत विकास	2801-80-001-01-S00N	प्रभारित	0.00	15,752.27	0.00	15,752.27
	2801-80-800-07-S10N	दत्तमत	0.00	10,763.36	0.00	10,763.36
	2801-80-800-07-C00N	दत्तमत	0.00	4,316.16	0.00	4,316.16
	2801-80-001-01-S00N	दत्तमत	0.01	158.45	0.00	158.45
24-मुद्रण व लेखन सामग्री	2058-00-103-01-S00N	दत्तमत	2.29	0.00	0.00	2.29
25-सड़क एवं जल परिवहन	2041-00-800-01-S00N	दत्तमत	2,370.05	0.00	0.00	1,949.17
	2235-60-200-28-S00N	दत्तमत	800.00	0.00	0.00	112.92
26-पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	3053-02-102-02-S00N	दत्तमत	700.00	0.00	0.00	662.60
	3452-80-003-01-S00N	दत्तमत	5.00	0.00	0.00	0.92
27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	2230-03-003-09-S00N	दत्तमत	3,457.00	0.00	300.00	2,296.07
	2230-02-101-07-S00N	दत्तमत	2,796.00	0.00	-615.59	1,766.02
	2230-03-003-11-C00N	दत्तमत	2.00	0.00	371.70	373.70
	2203-00-112-01-S00N	दत्तमत	55.00	0.00	0.00	39.70
	2230-03-003-05-S00N	दत्तमत	45.00	0.00	0.00	29.88
	2230-03-003-14-S00N	दत्तमत	150.00	0.00	-124.53	10.78
	2230-02-101-02-S00N	दत्तमत	16.91	0.00	-6.54	8.54
	2203-00-105-01-S00N	दत्तमत	5.00	0.00	0.00	3.97
28-शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन एवं आवास	2217-80-001-02-S00N	दत्तमत	22.00	0.00	-4.40	17.60
29-वित्त	3454-02-111-04-S00N	दत्तमत	28.33	71.67	0.00	100.00
	2054-00-097-01-S00N	दत्तमत	11.55	0.00	0.00	11.07

अनुदान	लेखा शीर्ष	दत्तमत/ प्रभारित	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय
	2054-00-095-01-S00N	दत्तमत	0.00	0.01	0.26	0.25
30-विविध सामान्य सेवाएं	2204-00-104-04-S00N	दत्तमत	0.01	1,814.86	87.14	1,477.28
	2204-00-001-01-S00N	दत्तमत	135.00	10.00	0.00	131.99
	2205-00-102-02-S00N	दत्तमत	150.00	30.00	0.00	130.89
	2202-05-001-01-S00N	दत्तमत	43.00	0.00	0.00	36.56
	2205-00-107-01-S00N	दत्तमत	10.00	0.00	3.00	10.29
	2070-00-003-01-S00N	दत्तमत	5.00	0.00	0.00	4.52
	2205-00-102-04-S00N	दत्तमत	5.00	0.00	0.00	4.40
	2070-00-118-01-S00N	दत्तमत	4.00	0.00	4.76	3.94
	2220-60-102-01-S00N	दत्तमत	3.21	0.00	-0.42	2.63
	2205-00-104-01-S00N	दत्तमत	1.00	0.00	0.00	0.92
	2235-60-110-03-S00N	दत्तमत	0.75	0.00	0.00	0.69
	2220-01-001-01-S00N	दत्तमत	1.50	0.00	-0.90	0.60
	2220-60-107-01-S00N	दत्तमत	1.00	0.00	-0.77	0.22
	2205-00-103-01-S00N	दत्तमत	1.00	0.00	0.00	0.11
	2070-00-003-02-S00N	दत्तमत	0.08	0.00	0.00	0.05
	2204-00-104-01-S00N	दत्तमत	0.01	0.00	0.00	0.01
31-जनजातीय विकास	2210-06-796-17-S00N	दत्तमत	900.00	0.00	0.00	900.00
	2210-06-796-16-S00N	दत्तमत	630.00	0.00	0.00	630.00
	2851-00-796-22-S00N	दत्तमत	300.00	0.00	0.00	204.91
	2401-00-796-24-S25N	दत्तमत	180.00	0.00	0.00	180.00
	2015-00-796-05-S00N	दत्तमत	75.00	0.00	91.00	165.68
	2401-00-796-55-S00N	दत्तमत	135.00	0.00	0.00	135.00
	2851-00-796-30-S00N	दत्तमत	521.00	0.00	0.00	120.06
	2210-06-796-22-S00N	दत्तमत	100.00	0.00	0.00	100.00
	2202-02-796-26-S00N	दत्तमत	100.00	0.00	0.00	98.66
	2401-00-796-50-C90N	दत्तमत	140.00	0.00	0.00	72.79
	2210-06-796-25-S00N	दत्तमत	99.00	0.00	0.00	71.36
	2225-02-796-10-S00N	दत्तमत	300.00	0.00	0.00	69.75
	2251-00-796-03-C00N	दत्तमत	0.00	65.50	0.00	65.50
	2202-02-796-21-S00N	दत्तमत	45.00	0.00	13.00	57.59
	2235-02-796-47-S00N	दत्तमत	100.00	75.00	0.00	49.62
	2235-02-796-20-C90N	दत्तमत	218.00	0.00	0.00	43.70
	2401-00-796-58-C90N	दत्तमत	70.00	0.00	0.00	43.00
	2230-03-796-10-C00N	दत्तमत	0.00	42.00	0.00	42.00
	3452-80-796-01-S00N	दत्तमत	15.00	25.00	0.00	30.96
	2230-03-796-06-S00N	दत्तमत	476.00	0.00	-417.84	30.78
	2401-00-796-46-C90N	दत्तमत	90.00	0.00	0.00	29.29

अनुदान	लेखा शीर्ष	दत्तमत/ प्रभारित	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय
	2401-00-796-22-C90N	दत्तमत	176.40	0.00	0.00	23.19
	2053-00-796-14-S00N	दत्तमत	273.00	0.00	-229.00	22.65
	2235-02-796-39-S00N	दत्तमत	274.00	0.00	-235.32	21.08
	2230-02-796-02-S00N	दत्तमत	193.00	0.00	-66.22	19.68
	2204-00-796-03-S00N	दत्तमत	30.00	0.00	0.00	15.82
	2225-02-796-12-S00N	दत्तमत	45.00	8.75	0.00	15.32
	2015-00-796-04-S00N	दत्तमत	0.01	0.00	14.50	14.51
	2235-02-796-23-S00N	दत्तमत	20.00	0.00	0.00	14.03
	2235-02-796-04-S00N	दत्तमत	20.00	8.00	0.00	12.14
	2235-02-796-07-S00N	दत्तमत	90.00	0.00	-74.90	11.83
	2202-01-796-11-C90N	दत्तमत	42.00	0.00	0.00	11.19
	2053-00-796-03-S00N	दत्तमत	24.00	0.00	-5.02	11.13
	2401-00-796-84-S00N	दत्तमत	27.00	0.00	-10.66	10.71
	2406-02-796-09-S00N	दत्तमत	20.00	3.00	0.00	10.21
	2235-02-796-05-S00N	दत्तमत	107.00	0.00	-87.82	10.20
	2401-00-796-45-C90N	दत्तमत	72.00	0.00	0.00	10.00
	2210-06-796-19-S00N	दत्तमत	18.00	0.00	-6.42	8.86
	2401-00-796-50-S10N	दत्तमत	15.00	0.00	0.00	7.68
	2202-01-796-03-0NM	दत्तमत	7.00	0.00	0.00	7.00
	2401-00-796-59-C90N	दत्तमत	18.00	0.00	0.00	6.05
	2401-00-796-90-C90N	दत्तमत	8.91	0.00	0.00	6.00
	2204-00-796-02-S00N	दत्तमत	12.00	0.00	0.00	5.98
	2014-00-796-02-S00N	दत्तमत	2.00	0.00	3.50	5.50
	2225-02-796-18-C50N	दत्तमत	5.00	0.00	0.00	5.00
	2225-02-796-18-S50N	दत्तमत	5.00	0.00	0.00	5.00
	2235-02-796-20-S10N	दत्तमत	24.00	0.00	0.00	4.86
	2401-00-796-58-S10N	दत्तमत	8.00	0.00	0.00	4.78
	2408-01-796-07-S00N	दत्तमत	18.00	0.00	0.00	4.05
	2235-02-796-08-S00N	दत्तमत	20.00	0.00	-6.00	4.00
	2202-80-796-02-S00N	दत्तमत	45.00	0.00	0.00	3.65
	2251-00-796-07-S00N	दत्तमत	10.00	0.00	-6.36	3.64
	2406-02-796-03-C90N	दत्तमत	4.00	0.00	0.00	3.60
	2225-02-796-15-S00N	दत्तमत	9.00	0.00	-1.00	3.43
	2202-05-796-01-S00N	दत्तमत	6.70	0.00	0.00	3.37
	2235-02-796-01-S00N	दत्तमत	7.00	0.00	-1.18	3.32
	2401-00-796-46-S10N	दत्तमत	10.00	0.00	0.00	3.25
	2401-00-796-22-S10N	दत्तमत	19.60	0.00	0.00	2.57
	2015-00-796-06-S00N	दत्तमत	0.01	0.00	7.10	2.21

अनुदान	लेखा शीर्ष	दत्तमत/ प्रभारित	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय
	2225-02-796-16-C50N	दत्तमत	2.00	0.00	0.00	2.00
	2225-02-796-16-S50N	दत्तमत	2.00	0.00	0.00	2.00
	2225-02-796-17-C50N	दत्तमत	2.00	0.00	0.00	2.00
	2225-02-796-17-S50N	दत्तमत	2.00	0.00	0.00	2.00
	2205-00-796-03-S00N	दत्तमत	2.00	0.00	0.00	1.92
	2403-00-796-02-S00N	दत्तमत	3.00	0.00	0.00	1.88
	2015-00-796-02-S00N	दत्तमत	2.00	0.00	0.00	1.74
	2401-00-796-17-S00N	दत्तमत	2.00	0.00	0.00	1.56
	2401-00-796-05-S00N	दत्तमत	1.50	0.00	0.00	1.50
	2401-00-796-86-S00N	दत्तमत	14.00	0.00	0.00	1.49
	2401-00-796-87-S00N	दत्तमत	7.00	0.00	0.00	1.44
	2055-00-796-01-S00N	दत्तमत	1.50	0.00	0.00	1.38
	2211-00-796-03-C00N	दत्तमत	3.00	0.00	0.00	1.23
	2401-00-796-45-S10N	दत्तमत	8.00	0.00	0.00	1.11
	2235-02-796-53-S00N	दत्तमत	0.00	74.89	0.00	1.09
	2054-00-796-01-S00N	दत्तमत	1.50	0.00	0.00	1.03
	2202-02-796-02-S00N	दत्तमत	1.00	0.00	0.00	1.00
	2406-01-796-24-S00N	दत्तमत	34.80	0.00	-32.60	0.95
	2406-02-796-04-C90N	दत्तमत	1.00	0.00	0.00	0.90
	2235-02-796-26-S00N	दत्तमत	9.00	0.00	-0.68	0.75
	2401-00-796-59-S10N	दत्तमत	2.00	0.00	0.00	0.67
	2401-00-796-90-S10N	दत्तमत	0.99	0.00	0.00	0.66
	2202-01-796-18-S00N	दत्तमत	6.40	0.00	0.00	0.58
	2205-00-796-02-S00N	दत्तमत	11.00	0.00	0.00	0.43
	2406-02-796-03-S10N	दत्तमत	1.00	0.00	0.00	0.40
	2403-00-796-04-S00N	दत्तमत	0.40	0.00	0.00	0.15
	2406-02-796-04-S10N	दत्तमत	2.00	0.00	0.00	0.10
32-अनुसूचित जाति उप योजना	2210-06-789-07-S00N	दत्तमत	2,519.00	0.00	0.00	2,519.00
	2210-06-789-08-S00N	दत्तमत	1,763.00	0.00	0.00	1,763.00
	2230-03-789-06-S00N	दत्तमत	1,356.00	0.00	0.00	1,014.79
	2401-00-789-28-S25N	दत्तमत	504.00	0.00	0.00	504.00
	2230-02-789-01-S00N	दत्तमत	476.00	0.00	0.00	388.88
	2401-00-789-45-S00N	दत्तमत	378.00	0.00	0.00	378.00
	2401-00-789-33-C90N	दत्तमत	389.00	0.00	0.00	320.75
	2235-02-789-32-S00N	दत्तमत	790.00	0.00	0.00	314.03
	2851-00-789-27-S00N	दत्तमत	280.00	0.00	50.00	286.73
	2235-02-789-49-S00N	दत्तमत	300.00	0.00	0.00	284.57
	2235-02-789-21-C90N	दत्तमत	611.00	0.00	0.00	269.84

अनुदान	लेखा शीर्ष	दत्तमत/ प्रभारित	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय
	2225-01-789-15-C50N	दत्तमत	250.00	0.00	0.00	250.00
	2225-01-789-15-S50N	दत्तमत	250.00	0.00	0.00	250.00
	2235-02-789-06-S00N	दत्तमत	327.00	0.00	0.00	230.27
	2401-00-789-25-C90N	दत्तमत	504.00	0.00	0.00	224.63
	2235-02-789-07-S00N	दत्तमत	302.00	0.00	0.00	189.72
	2401-00-789-50-C90N	दत्तमत	195.00	0.00	0.00	187.55
	2235-02-789-13-S00N	दत्तमत	252.00	0.00	-75.17	170.83
	2210-06-789-01-S00N	दत्तमत	277.00	0.00	0.00	160.11
	2225-01-789-13-S50N	दत्तमत	152.97	0.00	0.00	152.96
	2210-06-789-06-S00N	दत्तमत	150.00	0.00	0.00	150.00
	2225-01-789-13-C50N	दत्तमत	152.97	0.00	-0.01	144.97
	2401-00-789-35-C90N	दत्तमत	202.00	0.00	0.00	132.00
	2401-00-789-36-C90N	दत्तमत	250.00	0.00	0.00	129.19
	2202-02-789-25-S00N	दत्तमत	126.00	0.00	0.00	118.13
	2230-03-789-04-C00N	दत्तमत	0.00	84.30	0.00	84.30
	2205-00-789-03-S00N	दत्तमत	125.00	0.00	0.00	83.61
	2406-01-789-17-S00N	दत्तमत	100.00	0.00	0.00	82.11
	2402-00-789-06-S00N	दत्तमत	202.00	0.00	0.00	79.64
	2235-02-789-25-S00N	दत्तमत	80.00	0.00	0.00	75.71
	2202-01-789-06-C90N	दत्तमत	100.00	0.00	0.00	74.00
	2851-00-789-36-S00N	दत्तमत	1,000.00	0.00	0.00	68.63
	2402-00-789-07-S00N	दत्तमत	202.00	0.00	0.00	66.85
	2235-02-789-09-S00N	दत्तमत	55.00	0.00	0.00	44.45
	2501-06-789-11-S00N	दत्तमत	83.00	0.00	-33.00	40.00
	2401-00-789-51-C90N	दत्तमत	50.00	0.00	0.00	36.00
	2401-00-789-33-S10N	दत्तमत	43.00	0.00	0.00	35.64
	3055-00-789-01-S00N	दत्तमत	50.00	0.00	0.00	34.77
	2406-01-789-08-S00N	दत्तमत	784.99	0.00	-589.54	33.87
	2225-01-789-12-S00N	दत्तमत	126.00	0.00	0.00	32.15
	2235-02-789-21-S10N	दत्तमत	68.00	0.00	0.00	29.98
	2401-00-789-76-C90N	दत्तमत	25.00	2.00	0.00	27.00
	2401-00-789-25-S10N	दत्तमत	56.00	0.00	0.00	24.96
	2852-80-789-02-S00N	दत्तमत	50.00	0.00	0.00	21.61
	2401-00-789-52-C90N	दत्तमत	30.00	0.00	0.00	21.00
	2401-00-789-50-S10N	दत्तमत	22.00	0.00	0.00	20.81
	2401-00-789-74-S00N	दत्तमत	37.00	0.00	-0.94	20.23
	2851-00-789-38-S00N	दत्तमत	25.00	0.00	0.00	20.23
	2210-06-789-03-S00N	दत्तमत	50.00	0.00	-17.49	18.68

अनुदान	लेखा शीर्ष	दत्तमत/ प्रभारित	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	व्यय
	2401-00-789-36-S10N	दत्तमत	28.00	0.00	0.00	15.22
	2401-00-789-35-S10N	दत्तमत	22.00	0.00	0.00	14.67
	2401-00-789-70-S00N	दत्तमत	75.00	0.00	-16.86	12.93
	2408-01-789-04-S00N	दत्तमत	50.00	0.00	-38.75	11.25
	2202-02-789-31-S00N	दत्तमत	126.00	0.00	0.00	10.21
	2401-00-789-73-S00N	दत्तमत	25.00	0.00	-6.17	8.52
	2204-00-789-02-S00N	दत्तमत	15.00	0.00	0.00	7.37
	2401-00-789-77-C90N	दत्तमत	200.00	0.00	-187.54	6.23
	2401-00-789-56-S00N	दत्तमत	25.00	0.00	0.00	6.17
	2406-02-789-01-S00N	दत्तमत	30.00	0.00	-1.00	6.09
	2225-01-789-14-C50N	दत्तमत	5.00	0.00	0.00	5.00
	2225-01-789-14-S50N	दत्तमत	5.00	0.00	0.00	5.00
	2202-01-789-23-S00N	दत्तमत	30.00	0.00	0.00	4.66
	2402-00-789-02-S00N	दत्तमत	10.00	0.00	-1.55	4.32
	2401-00-789-51-S10N	दत्तमत	5.00	0.00	0.00	4.00
	2235-02-789-08-S00N	दत्तमत	8.00	0.00	0.00	3.76
	2401-00-789-75-S00N	दत्तमत	121.30	0.00	-117.68	3.52
	2401-00-789-71-S00N	दत्तमत	20.00	0.00	0.00	3.12
	2401-00-789-76-S10N	दत्तमत	3.00	0.00	0.00	3.00
	2401-00-789-52-S10N	दत्तमत	3.00	0.00	0.00	2.33
	2406-01-789-19-S00N	दत्तमत	5.00	0.00	0.00	2.17
	2402-00-789-08-S00N	दत्तमत	125.00	0.00	-10.88	1.82
	2225-01-789-02-S00N	दत्तमत	4.00	0.00	0.60	1.64
	2406-01-789-23-S00N	दत्तमत	5.00	0.00	0.00	1.53
	2851-00-789-34-S00N	दत्तमत	100.00	0.00	0.00	1.25
	2402-00-789-05-C90N	दत्तमत	10.00	0.00	0.00	1.14
	2235-02-789-55-S00N	दत्तमत	0.00	0.01	75.16	0.98
	2401-00-789-77-S10N	दत्तमत	28.00	0.00	-26.61	0.69
	2406-02-789-03-S00N	दत्तमत	30.00	0.00	0.00	0.22
	2402-00-789-05-S10N	दत्तमत	1.00	0.00	0.00	0.13
	2406-01-789-22-S00N	दत्तमत	10.00	0.00	-4.72	0.05
योग			**1,90,145.48**	**1,00,148.60**	**12,699.39**	**2,66,696.11**

परिशिष्ट - 3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.11)

लंबित लेखाओं वाले स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों/संस्थानों की सूची

क्र.सं.	निकाय /प्राधिकरण का नाम	तक लंबित लेखे	2024-25 तक लंबित लेखाओं की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड	2014-15	11
2	हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	2023-24	2
3	हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड/प्राधिकरण	2023-24	2
4	हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शिमला	2023-24	2
5	हिमाचल प्रदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शिमला	2023-24	2
6	हिमाचल प्रदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सोलन	2023-24	2
7	हिमाचल प्रदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिलासपुर	2023-24	2
8	हिमाचल प्रदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सिरमौर	2023-24	2
9	हिमाचल प्रदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हमीरपुर	2023-24	2
10	हिमाचल प्रदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना	2023-24	2
11	हिमाचल प्रदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कुल्लू	2023-24	2
12	हिमाचल प्रदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मंडी	2023-24	2
13	हिमाचल प्रदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	2023-24	2
14	हिमाचल प्रदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लाहौल स्पीति स्थित केलोंग	2023-24	2
15	हिमाचल प्रदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, किन्नौर स्थित रिकांगपिओ	2023-24	2
16	हिमाचल प्रदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, चंबा	2023-24	2
17	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, शिमला	2024-25	1
18	हिमाचल प्रदेश नगर परिवहन और बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण	2024-25	1
19	हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	2024-25	1
20	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग	प्राप्त हुए	इन स्वायत्त निकायों के कोई भी लेखे लंबित नहीं हैं।
21	हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला		
22	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर		
23	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर		
24	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नाहन		
25	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना		
26	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला		
27	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर स्थित रामपुर		
28	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी		
29	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,कुल्लू		
30	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा स्थित धर्मशाला		
31	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन		
32	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंबा		

स्रोत: विभागीय डेटा/सूचना

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh